रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/99 REGISTERED NO. DL—33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 25, 1999 (आश्विन 3, 1921)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 25, 1999 (ASVINA 3, 1921)

केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA भारत सरकार

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली,

सं० एन–15/13/14/3/94–यो० एवं वि०—(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम–1950 के विनियम 95–क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा–46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितम्बर, 1999 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम–95–क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम–1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :—

मातम्डिम क्षेत्र के राजस्व ग्राम के रूप में शामिल क्षेत्र पौनमानै, आत्तूर, थियनूर, अरूविकरै, तिरूवत्तार, तिरप्परप्प, तुम्बकोड कालकुलम तालुक के अरूपेसम पकोड, नलूर मैतूकुमाल, कोलन्कोड, पलूगल, कलीयल, वील्वनकोड़, इडैकोड, अरूमानै, इडूदेसम, कून्नतूर, नट्टालम, मैनकोड, वैलमकोड़, कुलपुरम, अन्डूकोड, वीलावन कोड़ तालुक जिला कन्याकुमारी।

जी० एल० कपूर,
निदेशक (यो० एवं वि०)

नई दिल्ली, दिनाक 7 सितम्बर 1999

सं० ए०-12 (11) 1/95-नि०नि० (मुख्या०)—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34 यथा-संशोधित) की धारा 97 की उपधारा (2) के खण्ड (21) और उपधारा (2क) के साथ पठित धारा 97 की उपधारा (1) और धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, वरिष्ठ आहारविद के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (आहारविद) भर्ती विनियम, 1997 में संशोधन करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है; अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (आहारविद) (संशोधन) भर्ती विनियम, 1999 कहे जाएंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (आहारविद) भर्ती विनियम, 1997 के साथ संलग्न की गई अनुसूची में :

(1) क्र० सं० 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद 1 वरिष्ठ आहारविद के पद के संबंध में क्र०सं० 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाए ।

वरिष्ठ आहारविद के पद के भर्ती विनियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या योग्यता अथवा चयन-व-वरिष्ठता द्वारा चयन अथवा गैर-चयन पद है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वरिष्ठ आहारविद	2* (1999) *कार्यभार के आधार पर घट-बढ़ सकते हैं ।	ग्रुप "ख"	6500-200-10500रु०	चयन-व-वरिष्ठता

अनुसूची

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	क्या जोड़ गए सेवा के वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नतियों पर भी लागू होंगी
(6)	(7)	(8)	(9)
30 वर्ष से अनधिक टिप्पणी : 1. केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों और क० रा० बी० निगम कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की ढील । टिप्पणी : 2. आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहुल एवं स्पीति जिले और चम्बा जिले के पंगी उप प्रभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित अंतिम तारीख)	नहीं	अनिवार्य 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से आहार विज्ञान/पोषण में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान/खाद्य और पोषण में विशेषज्ञता सहित गृह-अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से आहार विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा समकक्ष के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक (गृह विज्ञान/गृह-अर्थशास्त्र) जिसमें पोषण एक विशेष विषय रहा हो । 2. आहार-विज्ञान में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव ।	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)	(12)
सीधी भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा सहित 5500–9000/– रु० के वेतनमान में आहारविद । टिप्पणी : जहां अर्हता/पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठों के मामले में पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हता/पात्रता सेवा ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ जिन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ ही अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप में पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी क(i) नियमित आधार पर प्रवृत्त पदधारी; अथवा (ii) 5500–9000/– रु० अथवा समकक्ष के वेतनमान के पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले, और

(6)	(7)	(8)	(9)
		टिप्पणी : अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थी के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं मे ढील दी जा सकती है । टिप्पणी 2 : यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं हो सकेगी तो इन समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हताओं में ढील दी जा सकती है ।	

विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद होने की स्थिति में उसका गठन	वह परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाएगा

(13)	(14)
ग्रुप "ख" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. चिकित्सा आयुक्त क० रा० बी० निगम —सदस्य 3. निदेशक (चिकि०) मुख्यालय क० रा० बी० निगम —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।
ग्रुप "ख" विभागीय पदोन्नति समिति (स्थाईकरण पर विचार करने के लिए) । 1. चिकित्सा आयुक्त —अध्यक्ष क० रा० बी० निगम 2. निदेशक (चिकि०) मुख्यालय, क० रा० बी० निगम —सदस्य	

(10)	(11)	(12)
		(ख) कालम 8 के अंतर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव जारी रखने वाले । (फीडर वर्ग वाले विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी कतार में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होंगे । इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्व उसी अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(आहारविद् के भर्ती विनियम अधिसूचना सं० ए-12(II) 1/95 नि० चि० (मुख्या०) दिनांक 12-5-1997 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-3, खण्ड-4 में दिनांक 31-5-1997 को प्रकाशित हुए थे) ।

(13)	(14)
टिप्पणी : सीधी भर्ती वाले का स्थाईकरण करने संबंधी विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी जाएगी । परन्तु यदि आयोग इसका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय पदोन्नति समिति की एक और बैठक आयोजित की जाएगी जिसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य द्वारा की जाएगी ।	

अ० मु० निम्बालकर
महानिदेशक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-66, दिनांक 24 अगस्त 1999

सं. 2/1959/डी एल. आई./भाग-1/एक्जम/89/3040—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है ।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची—1

क्र०सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी की तिथि	के०भ०नि० आ० फा० नं०
1	2	3	4	5
1.	मै० विक्रम स्टील प्रा० लि०, गेयरडिया कुवा रोड, राजकोट—360001 ।	जी०जे०/222	1—1—97 से 31—12—99	4/135/99/डीएलआई

1	2	3	4	5
2.	मै० गोपाल ग्रनाम वर्क्स लि०, विलेज बुदामन नल० काडी जिला महसाना, गुजरात।	जीजे/1469	1-7-95 से 30-6-98 1-7-98 से 30-6-2001	4/136/99
3.	मै० पटेल ब्रास वर्क्स, 2, भक्ति नगर, स्टेशन प्लाट, राजकोट-360002।	जीजे/1822	1-12-96 से 30-11-99	4/137/99
4.	मै० विसनागर तालुका मजूर सहकारी मण्डली लि०, दरबार रोड, विसनागर-384315।	जीजे/1829	1-3-96 से 28-2-99 1-3-99 से 28-2-2002	4/138/99
5.	मै० के० रसिकलाल एण्ड कं०, अजी इन्डस्ट्रियल एस्टेट, भावनगर रोड, राजकोट-3।	जीजे/1924	1-3-96 से 28-2-99 1-3-99 से 28-2-2002	4/139/99
6.	मै० अमेरली जिला मध्यस्था सहकारी बैंक लि०, अमेरली गुजरात। (23 ब्रांचों)	जीजे/4670	1-4-96 से 31-3-99	4/140/99
7.	मै० गुरु कृपा फाउन्डर एण्ड इंजीनियर्स, 2/3, कमल एस्टेट, सुखराम नगर, अहमदाबाद-380023।	जीजे/7565	1-1-96 से 31-12-98 1-1-99 से 31-12-2001	4/141/99
8.	मै० गुजरात आर्गेनिक्स लि०, प्लाट नं० 127/1, इन्डस्ट्रियल एस्टेट, जी०आई०डी०सी०, अंकलेश्वर-393002।	जीजे/9462	1-3-99 से 28-2-2002	4/142/99
9.	मै० दि को० ओप० बैंक आफ राजकोट लि०, सहकार सरिता पचनाथ रोड, राजकोट-360001।	जीजे/24333	1-5-95 से 30-4-98 1-5-98 से 30-4-2001	4/143/99
10.	मै० श्री कैमिकल इन्डस्ट्रीज, 313/3, जी०आई०डी०सी० इन्डस्ट्रियल एस्टेट, अंकलेश्वर-393002।	जीजे/24964	1-1-99 से 31-12-2001	4/144/99/डीएनआई
11.	मै० प्योर केम प्राइवेट लि०, 4717, जी०आई०डी०सी०, टेलीफोन एक्सचेंज के साथ, अंकलेश्वर-393002।	जीजे/31089	1-3-99 से 28-2-2002	4/145/99

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाते या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि में कम हो जाए तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

ए. के. जैन
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-4/एक्जम/89/3057—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत छूट प्रदान की थी, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी गई है :—

अनुसूची–1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ फा० नं०
1.	मै० इण्डियन हॉस्पिटल कारपोरेशन लि०, अपोलो हॉस्पिटल काम्पलैक्स, जुबली हिटस, हैदराबाद–500033 ।	ए पी/24116	1–10–98 से 30–9–2001	1/87/99/ ई डी एल आई
2.	मै० श्री साई कस्तुरी इंटरप्राइजेज प्रा० लि०, 62–2–24, पैटामेंट लंका विजयवाड़ा–10	ए पी/033091	1–12–98 से 30–11–2001	1/93/99
3.	मै० श्री शक्ति एल० पी० जी० लि० 4, वातस, विनस प्लाजा, बेगमपेट, हैदराबाद–500016 (आ० प्र०)	ए पी/28970	1–4–98 से 31–3–2001	1/94/99
4.	मै० दि नैल्लोर डिस्ट्रिक्ट को–ऑपरेटिव मिल्स प्रोडयूसर्स यूनियन लि०, नैल्लोर–524001	ए पी/22040	1–3–92 से 28–2–95 1–3–95 से 28–2–98 1–3–98 से 28–2–2001	1/95/99
5.	मै० मॉडल क्विट कारपोरेशन लि०, दूसरी मंजिल, माडल हाउस, पंजागुडा, हैदराबाद–500082	ए पी/28956	1–9–97 से 31–8–2000	1/96/99

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के आधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के आधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के आधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो स्कीम रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जिसे बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

ए. के. जैन
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/बी. एल. आई./भाग-1/एक्जम/89/3068—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है, जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सूरत ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत छील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची-1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० सं०
1.	मै० जनाब कुत्बुद्दीन मुआलिम ब्वाएस प्राईमरी स्कूल, सोवागरबाद, सूरत	जी जे/13584	1-12-98 से 30-11-2001	4/125/99/ डी०एल०आई०
2.	मै० जनाब बाबूभाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राईमरी स्कूल,गोपीपुरा, सूरत	जी जे/13820	1-12-98 से 30-11-2001	4/126/99
3.	मै० नन्दीमाल इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं० 480617, जी० आई डी० सी०, अंकलेश्वर-393002	जी जे/17719	1-10-98 से 30-9-2001	4/127/99
4.	मै० पी० एच० पटेल इण्डस्ट्रियल मैन्यूफैक्चरर्स प्रा० लि०, कमला पार्क हाउसिंग सोसायटी, स्टेशन रोड, नवसारी-396445	जी जे/17889	1-10-98 से 30-9-2001	4/128/99
5.	मै० क्रिस्टल फार्मस लि०, 4104 जी० आई० डी० सी०, अंकलेश्वर-3930002	जी जे/30479	1-12-98 से 30-11-2001	4/131/99
6.	मै० सार्वजनिक कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी आर० के० देसाई मार्ग, अठवा लाइन्स सूरत	जी जे/30721	1-12-98 से 30-11-2001	4/132/99
7.	मै० कडीयम, 806, बेलजिम टावर लिनियर बस स्टैण्ड के सामने, रिंग रोड, सूरत	जी जे/31606	1-9-98 से 31-8-2001	4/133/99

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ किए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने वाले बीमा लाभ के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

ए. के. जैन
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

स. 2/1959/जी. एल. आई./भाग-1/3081—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, आ. प्र. ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन को छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची-1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० सं०
1.	मै० तेजस्वी इण्डस्ट्रीज उडलामुडी क्रास मार्ग, वाबामुडी-52213	ए पी/27849	1-2-97 से 31-1-2000	1/91/99 डी० एल० आई०
2.	मै० श्री लक्ष्मी, गणपति इंजीनियरिंग वर्क्स, कुण्डूविमल (एस्टेट सुल्तानाबाद तेनाली-522202।	ए पी/16411	1-8-96 से 31-7-99	1/92/99
3.	मै० ओपरेशन मोबिलोजेशन (इण्डिया) लाजिक भवन मैथिकन मार्ग, जिदोमेटला, सिकन्दराबाद-हैदराबाद	ए पी/29715	1-10-98 से 30-9-2001	1/89/99
4.	मै० समरक्षामा इलैक्ट्रीकल्स लि०, नं० 127, हैदरनगर कुकाटपल्ली हैदराबाद-500072 (आ० प्र०)	ए पी/21874	1-10-97 से 30-9-2000	1/90/99

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खंड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. ए. द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-4/3091—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान /विस्तार की गई	छूट समाप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के० म०नि०आ० की फाईल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० किर्लोस्कर सिस्टमस लि०, किर्लोस्कर इलैक्ट्रीक कं० लि०, यूनिट 10, बल्लारी मार्ग, हेब्बल, बेंगलोर—24	के एन /3532	2/1959/डी एल आई /एक्जम/89/पीटी दिनांक 28-2-90	28-2-90	1-3-90 से 28-2-93 1-3-93 से 29-2-96 1-3-96 से 28-2-99	2/3041/90/ डी एल आई
2.	मै० इंडिया पैकेजिंग प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, पी० बी० नं० 2430, पांचवां माइल, बल्लारी मार्ग, बेंगलोर—24	के एन /3657	एस-35014/379/82/ पी-2 दिनांक 31-3-86	28-2-90	1-3-90 से 28-2-93 1-3-93 से 29-2-96 1-3-96 से 28-2-99	2/782/82/के एन

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, संख्याओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाय, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बताये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो तब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

ए. के. जैन
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सा० का० कोड नं० के०आर०/के०के०/11519 चूंकि मै० मार थामा मिशन हास्पिटल को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 17 2(क) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी होने के बाद छूट प्रदान की गई है ।

और नियोक्ता ने 1-10-97 तक कि मास्टर पोलिसी पुनः नवीनिकरण करा लिया है और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना को क्रियान्वयन हेतु वापिस कर दिया है ।

उपरोक्त को देखते हुए मैं केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 1-10-97 से छूट रद्द करता हूं ।

ए० के० जैन,
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सा० का० 4003 कोड नं० ए०पी० 3898—चूंकि मै० युनीकोरन इंडस्ट्रीज सिकन्दराबाद को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 17 2(क) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी होने के बाद छूट प्रदान की गई है ।

और नियोक्ता ने 31-10-98 तक कि मास्टर पोलिसी पुनः नवीनिकरण करा लिया है और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना को क्रियान्वयन हेतु वापिस कर दिया है ।

उपरोक्त को देखते हुए मैं केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 1-11-98 से छूट रद्द करता हूं ।

ए० के० जैन,
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/4011—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं और कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची—1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० नं०
1.	मै० हैदराबाद इण्डस्ट्रियल सिक्योरिटी अकादमी, पंजागुटा कालोनी, हैदराबाद	ए पी/29892	1–10–97 से 30–9–2000	1/84/99 डी०एल०आई०
2.	मै० ममध्वा रोलर फ्लोर मिल्स, 5–930, बशीर बाग, हैदराबाद–500029	ए पी/18807	1–6–94 से 31–5–97 1–6–97 से 31–5–2000	1/83/99

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधि-नियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले ही अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाते या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाते तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के लिए किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निदेशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होने वाले बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निदेशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

ए. के. जैन
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 25 अगस्त 1999

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-2/4023—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची 1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के० भ० नि० आ० की फाइल सं०
1.	मै० नागार्जुन ग्रामीण बैंक, पो० बा० नं० 6, खमाम-507001 (आ० प्र०)	ए पी/6057	2/1959/डी०एल०आई०एक्जम 89/भाग-II	29-2-96	1-3-96 से 28-2-99 1-3-99 से 28-2-2002	2/3025/92/ डी० एल आई
2.	मै० अरोग्यवराम आंख अस्पताल सोमपेटा, श्रीकाकुलम जिला, आ० प्र०	ए पी/4502	10-4-94	30-6-95	1-7-95 से 30-6-98 1-7-98 से 30-6-2001	2/3335
3.	मै० माडर्न प्रोटीन्स लि०, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, कुरनूल-518003, आ० प्र०	ए पी/6236	29-8-97	30-11-97	1-12-97 से 30-11-2000	2/2408/90
4.	मै० रिजैन्सी करामिक्स लि० 5-8-356 एन० एन० हाउस, चिरागली लेन, हैदराबाद-500001	ए पी/18791	7-4-93	30-11-95	1-12-95 से 30-11-98 1-12-98 से 30-11-2001	2/3734
5.	मै० एच० एच० टी० बैरिंगस लि०, मोलाअली, हैदराबाद 500040 ।	ए पी/3639	19-12-91	19-12-91	20-12-91 से 19-12-94 20-12-94 से 19-12-97 20-12-97 से 19-12-2000	2/1305

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, सदस्यों का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्ति किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसके स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी के व्ययगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में, भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सु. के. जैन
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दी इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया

नई दिल्ली–110002, दिनांक 6 सितम्बर, 1999

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं० 1–सी०ए० 5/50/99:—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (5) की व्यवस्थाओं के अनुसार 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिये परिषद् की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) तथा अंकेक्षित लेखा की एक प्रति सर्व-साधारण की सूचना हेतु एतद् द्वारा प्रकाशित की जाती है :

अशोक हलिया,
सचिव

भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान

अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	अवधि
श्री राहुल राय, एफ०सी०ए०	श्री एस०पी० छाजेड़, एफ०सी०ए०	17 जनवरी 99 तक
श्री एस० पी० छाजेड़, एफ०सी०ए०	श्री जी० सीतारामम्, एफ०सी०ए०	18 जनवरी 99 से आगे

सचिव : श्री अशोक हल्दिया

परिषद के सदस्य

श्री ए०सी० शाह	अहमदाबाद
श्री ए०के० चक्रवर्ती *	नई दिल्ली
श्री अशोक के० चंडक	नागपुर
श्री अमरजीत चोपड़ा	नई दिल्ली
श्री अमिताभ कोठारी *	कलकत्ता
श्रीमती भावना जी० दोशी	मुम्बई
श्री डी०के० गुप्ता	लुधियाना
श्री जी०सी० श्रीवास्तव * (8 मई 1998से)	नई दिल्ली
श्री जी० मुत्तुरामकृष्णन्* (7 मई 98 तक)	नई दिल्ली
श्री जी० सीतारमम्	चेन्नई
श्री एच०जी० अग्रवाल *	इलाहाबाद
श्री एच० एन० मोतीवाला	मुम्बई
श्री जैन्दर सिंह* (14 जनवरी 1999 तक)	नई दिल्ली
श्री के०पी० खंडेलवाल	कलकत्ता
श्री के०एस० विकमसे	मुम्बई
श्री एम०सी० जोसफ	कोच्चि
श्री एम०एम० खन्ना	नई दिल्ली
श्री एन० डी० गुप्ता	नई दिल्ली
श्री एन० के० गुप्ता	कानपुर
श्री एन० नित्यानंद	बैंगलौर
श्री आर० भूपति	चेन्नई
श्री राहुल राय	कलकत्ता
श्री आर० एस० अदुकिया	मुम्बई
श्री एस० बालासुब्रमनियम्* (15 जनवरी 1999 से)	नई दिल्ली
श्री एस०सी० भदरा	भुवनेश्वर
श्री एस०सी० गुप्ता*	नई दिल्ली
श्री एस० गोपालाकृष्णनम्	हैदराबाद
श्री सुनील गोयल	जयपुर
श्री एस०एल० डागा	हैदराबाद
श्री एस०पी० छाजेड़	मुम्बई
श्री एस०बी० बारवे	पुणे
श्री विनोद जैन	नई दिल्ली

संपरीक्षक

श्री प्रदीप अग्रवाल, एफ०सी०ए०	नई दिल्ली
श्री आर०के० बतरा, एफ०सी०ए०	नई दिल्ली

* केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्य

50वीं वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान की परिषद को 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपनी 50वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। संस्थान, जिसको एक जुलाई, 1949 को संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, वर्ष के दौरान अपने अस्तित्व के 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। आज समाज में इस वृत्ति को मिलने वाले आदर के लिए परिषद इसके सदस्यों और विद्यार्थियों को बधाई देती है। यह सदस्यों की विशेषज्ञता, वृत्तिक अनुशासन और उनके समर्पण से ही सम्भव हो सका है।

स्वर्ण जयंती समारोह का प्रारम्भ एक जुलाई, 1998 को हुए समारोह के साथ हुआ था। जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। देशभर में वैसे ही समारोहों का आयोजन क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं द्वारा किया गया था।

रिपोर्ट में वर्ष के दौरान संस्थान के क्रियाकलापों के ब्यौरे, सदस्यों और विद्यार्थियों से संबंधित सुसंगत आंकड़ों और वर्ष 1998-99 के संस्थान के लेखाओं का भी विवरण दिया गया है। 31 जुलाई, 1999 तक संस्थान के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों का उल्लेख भी संक्षेप में किया गया है।

1. परिषद

24 निर्वाचित सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा 6 नामनिर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर बनी 17वीं परिषद का गठन 18 जनवरी, 1998 को तीन वर्षों के लिए 17 जनवरी 2001 तक किया गया था।

31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान परिषद ने 7 बैठकें की जिसमें कुल 22 दिन लगे। मुंबई में 15, 16 और 17 मई, 1999 को हुई 200वीं बैठक के आयोजन के साथ ही संस्थान एक मील के पत्थर पर पहुंचा। इस ऐतिहासिक अवसर पर परिषद की बैठक के पूर्व 15 मई, 1999 को वर्तमान और भूतपूर्व परिषद के सदस्यों की एक विशेष बैठक हुई। भारत के उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री एम0बी0 शाह इसके मुख्य अतिथि थे। इस विशिष्ट अवसर ने परिषद के भूतपूर्व अध्यक्षों और सदस्यों को, जिन्होंने गत वर्षों में संस्थान का मार्गदर्शन किया था, परस्पर विचार विमर्श का मौका दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने 'डाउन मेमोरी लेन' संकलन का विमोचन भी किया।

इस ऐतिहासिक अवसर पर श्री टी0एस0 कृष्णमूर्ति, सचिव, कंपनी कार्य विभाग, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय ने तारीख 16 मई, 1999 को परिषद के सदस्यों को संबोधित किया था।

2. परिषद की समितियां

समिति ने 16, 17 और 18 जनवरी 1999 को हुई अपनी 197वीं बैठक में इस वृत्ति से संबंधित विषयों पर कार्य करने के लिए तीन स्थायी, तीन तदर्थ/विशेष प्रयोजन और विभिन्न अन्य गैर स्थायी समितियों का गठन किया था। इन समितियों के गठन सहित इनकी सूचि इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-1 में दी गई है।

31 मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष में विभिन्न समितियों की कुल 140 बैठकें सम्पन्न हुई जबकि पिछले वितीय वर्षमें इनकी संख्या 86 थी।

3. संपरीक्षक

श्री प्रदीप अग्रवाल, एफ0सी0ए0 ओर श्री आर0के0 बत्रा, एफ0सी0ए0 वर्ष 1998-99 के लिए संस्थान के संयुक्त संपरीक्षक हैं। परिषद उनके द्वारा की गई सेवाओं की प्रशंसा लेखबद्ध करना चाहती है।

4. स्थायी समितियां

4.1 कार्य समिति

यह समिति, छात्रों सदस्यों/फर्मो से संबंधित विभिन्न रजिस्टर बनाए रखने, सदस्यों के प्रवेश, हटाए जाने और पुनः स्थापन, व्यवसाय के प्रमाणपत्र जारी करने सहित सदस्यों से संबंधित मामलों पर विचार करने की, छात्रों और सदस्यों को अनुज्ञा प्रदान करने को, छात्रों से संबंधित सभी मामलों को, छात्रों/सदस्यों/फर्मों द्वारा किए गए विलंब को माफ करने, शाखाओं से संबंधित मामलों को, संस्थान के कर्मचारियों से सम्बद्ध मामलों, संस्था के लेखा बनाने आदि को देखती है।

इस समिति ने निम्नलिखित के संबंध में परिषद को सिफारिश की थी (1) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की स्वामित्व/भागीदारी फर्म के संबंध में गुडविल (साख) का विक्रय/ स्थानान्तरण पात्र सदस्यों को करने के लिए अनुज्ञा (2) ऐसे मामलों में फर्मनाम/फर्म की ज्येष्ठता में परिवर्तन जिसमें सामान्यता फर्म के पुनर्गठन के मामले भी सम्मिलित है, (3) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फर्म को प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को गठन प्रमाण-पत्र जारी करना, (4) ऐसी अवधि के पश्चात, जिसके दौरान फर्म के नाम लुप्त रहे, उनके पुर्नज्जीवित होने पर मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाना, (5) देश में 5 नई शाखाओं की स्थापना और देश के बाहर एक केन्द्र की स्थापना (6) पुस्तकालय अभिलेखों के कम्प्यूट्रीकरण के साथ एक व्यापक पुस्तकालय नीति बनाना, (7) कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण, संस्थान के कर्मचारियों के लिए कल्याण स्कीमें प्रारम्भ करने की संभावनाओं का पता लगाना (8) संस्थान के परिसर/भवन को आकर्षक बनाना (9) कार्यालय अवसंरचना को सशक्त बनाना, (10) अभिलेखों/क्रियाकलापों का कम्प्यूटरीकरण (11) सूचना प्रौद्योगिकी का चरणबद्ध प्रयोग, (12) मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों का आयोजन और उनका अनुसरण आदि।

4.2 परीक्षा समिति

4.2.1 इस समिति ने सूचना प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में की गई त्वरित उन्नति को उपयोग करने का प्रयास किया है। परीक्षा आवेदन पत्र प्राप्त करने और परिणाम घोषित होने के बीच लगे समय को कम करने के लिए, जहां तक संभव हो, विभिन्न प्रक्रियाओं का उपयुक्तः उपान्तरित करके और वर्तमान प्रणाली विकास के साथ चलते हुए कदम उठाए गए हैं। इससे न केवल विद्यार्थीयों को पर्याप्त राहत मिलेगी बल्कि इससे वर्तमान में नियोजित मानव शक्ति में भी कमी आएगी। सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर। प्रभावी उपयोग के परिणामस्वरूप परीक्षाओं के परिणाम और अंक सूची संस्थान के वेबसाइट पर दिखाकर देशभर में लगभग एक साथ परिणाम घोषित किए गए। परिणाम इन्टरएक्टिव वॉइस रेसपॉंस सिसटम से भी संसूचित किए गए। वर्तमान पद्धति के पुनरीक्षण और पुनःस्थापन की प्रक्रिया के प्रयाय और प्रक्रमण के विभिन्न प्रक्रमों में कम्प्यूटर के उपयोग के प्रयास जारी है।

4.2.2 मई, 1998 में 57 केंद्रों पर और नवंबर, 1998 में 65 केन्द्रों पर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की अन्तिम और इंटरमीडिएट परीक्षाएं आयोजित की गई। फाउंडेशन (बुनियादी) परीक्षाएं मई, 1998 में 56 केन्द्रों पर और नवंबर 1998 में 64 केन्द्रों पर आयोजित की गई।

4.2.3 मई, 1998 की अंतिम, इन्टरमीडिएट और फाउंडेशन परीक्षाओं में भाग लेने वाले कुल अभ्यार्थियों की संख्या 22082, 39459 और 20214 थी और नवबंर, 1998 में क्रमशः 21532 46606 और 15918 थी। [illegible] परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यार्थियों की संख्या और घोषित सफल अभ्यार्थियों की संख्या दर्शाने वाला [illegible] परिशिष्ट 2 में दिया गया है।

4.2.4 ऐसे अभ्यार्थियों के नाम जिन्हें मई/नवंबर, 1998 में आयोजित परीक्षाओं में पुरस्कार और [illegible] प्रमाण-पत्र दिए गए, परिशिष्ट 3 में दिए गए हैं।

4.3 अनुशासन समिति

समिति, संस्थान द्वारा प्रदत्त वृत्तिक अर्हताओं की प्रस्थिति और मानक बनाए रखने [illegible] करती है। इस समिति ने अपने स्वीकृत दायित्व का पालन करते हुए, 33 विभिन्न अवसरों पर [illegible] आयोजित की जो लगभग 62 दिनों में हुई। परिषद ने इस समिति को 60 मामले जांच के लिए [illegible] मामलों में अपनी सुनवाई पूरी कर ली है। इनमें पूर्व वर्षों में परिषद द्वारा इस समिति [illegible] भी शामिल हैं। समिति का सभी मामलों को यथाशीघ्र संभव पूरा करने का प्रयास है।

अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए चार्टर्ड [illegible] अधिनियम के वर्तमान उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए विनियमों में परिवर्तन संबंधी सुझाव को सरकार के [illegible] के लिए पहले ही भेजा जा चुका है।

परिषद को और अनुशासन समिति को समक्ष । अप्रैल,, 1998 से 31 मार्च, 1999 तक की अवधि के दौरान रखे गए मामलों के ब्यौरे परिशिष्ट-4 मे दिये गए हैं।

5 (क) अनुसंधान और वृत्तिक विकास

परिषद, अनुसंधान, वृत्तिक विकास, सदस्यों की निरंतर वृत्तिक शिक्षा और छात्रों की शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी विभिन्न गैर स्थायी समितियों के माध्यम से उन क्षेत्रों पर अधिक जोर दे रही है।

परिषद द्वारा गठित अनुसंधान समिति लेखांकन, संपरीक्षा और सम्बद्ध क्षेत्रों में निरंतर प्रयत्नशील है।

जबकि संस्थान ने अपनी विभिन्न अस्थायी समितियों के माध्यम से अनेक अनुसंधान क्रियाकलाप शुरू किए हैं/खोजे हैं, लेखामानकों, संपरीक्षा मानकों, विशेषज्ञ रायों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों में प्रयोग के लिए पृष्ठभूमि सामग्री पर तथा अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर प्रकाशन निकाले हैं। इन क्रियाकलापों में, अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित भी शामिल है:-

5.1 लेखा मानक

संस्थान, लेखांकन में लगातार गुणात्मक सुधार की आवश्यकता और भारत में उद्यमों द्वारा प्रकटन को मान्यता देते हुये विशेषतया कारबार का भूमंण्डलीकरण हो जाने के संदर्भ में, लेखा मानक बनाए जाने को उच्चतम प्राथमिकता दे रहा है। लेखा मानक बोर्ड को, जिसे लेखा मानक बनाने का कार्य सौंपा गया है, प्रयासों को, कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (जिसे अब कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा अधिक्रांत कर दिया गया है) के प्रख्यापित किए जाने से कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई है। अब कंपनी अधिनियम, कंपनियों से यह अपेक्षा करता है कि वे एक विशेष समिति अर्थात लेखा मानक पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति सिफारिशों पर आधारित संस्थान द्वारा तैयार किए गए और केंद्रीय सरकार द्वारा विहित लेखा मानकों के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार करें उपरोक्त समितियों के गठन के लंबित रहने के दौरान ऐसे मानक विनिर्दिष्ट करने का दायित्व जिसका अनुसरण वित्तीय विवरण तैयार करने में निगमित सेक्टर द्वारा किया जाएगा, संस्थान को सौंपा गया है। तदनुसार संस्थान ने इस प्रयोजन के लिए सभी मानकों (अर्थात ए0एस0-1और ए0एस0 4-ए0एस0-15) को आज्ञापक विनिर्दिष्ट किया है। उपरोक्त विधायी परिवर्तन सोसायटी की उस महत्त्वपूर्ण भूमिका की स्पष्ट अभिव्यक्ति है जिसके लिएए संस्थान वित्तीय विवरण तैयार करने में लेखा मानक अपनाने के लिए प्रयत्नशील रहा है।

ए0एस0 2, सूचियों का मूल्यांकन, जो जून, 1981 में जारी किया गया था से देश में प्रचलित सूचि मूल्यांकन पद्धतियों की विभिन्नता में, कुछ सीमा तक, कमी आ गई थी।। इसमें और एक समानता लाने की दृष्टि से, इस विषय में बोर्ड ने पुनरीक्षित मानक जारी करके विकल्पों में कमी की है। बोर्ड ने लागत उधार पर प्रस्तावित लेखा मानक प्रकटन प्रारूप भी जारी किया हैं

बोर्ड ने अन्तर राष्ट्रीय लेखा मानकों के अन्तर्गत आने वाले, जिनका महत्व भारत के संदर्भ में बढ़ता जा रहा है, अनेक लेखा मुद्दों पर लेखा मानक बनाने की एक योजना भी बनाई है। इस संबंध में बोर्ड द्वारा विभिन्न अध्ययन समूह गठित किए गए हैं जो प्रस्तावित लेखा मानक केन्द्र प्रारम्भिक प्रारूप तैयार करेंगें अध्ययन समूहों को समनुदेशित विषयों के संबंध में ब्यौरे और प्रगति में अन्य परियोजनाओं के ब्यौरे परिशिष्ट-5 के पैरा । में दिये गए हैं।

5.2 संपरीक्षा मानक

भारत में प्रचलित संपरीक्षा पद्धतियों की समीक्षा करने और संस्थान की परिषद द्वारा जारी किए जाने के लिए मानक संपरीक्षा पद्धतियों पर विवरण विकसित करने के लिए 1982 में संपरीक्षा पद्धति समिति गठित की गई थी। मानक संपरीक्षा पद्धति (एस0ए0बी0) विकसित करन की प्रक्रिया में समिति ने अन्तर राष्ट्रीय संपरीक्षा पद्धतियों अर्थात अंतराष्ट्रीय लेखाकार परिसंघ (आई0एफ0ए0सी0) द्वारा जारी संपरीक्षा पर अन्तर राष्ट्रीय मानक (आई0एस0ए0) को जहां तक संभव हो भारत में प्रचलित स्थितियों और पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए, एकीकृत करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त संपरीक्षा पद्धति समिति (ए0पी0सी0) संपरीक्षा से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शक टिप्पण जारी करने का कार्य भी करती है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान समिति ने जुलाई, 1999 में गोइंग कन्सर्न पर एस0ए0पी0 (मानक संपरीक्षा पद्धति) 16 और एस0ए0पी0 17 अर्थात संपरीक्षा कार्य का क्वालिटी नियंत्रण जारी किए।

वर्ष 2000 के अंक और संपरीक्षाओं की स्थिति पर इसके व्यापक परिणामों को ध्यान में रखते हुए सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए वर्ष 2000 (वाई 2 के) अंक के संबंध में संपरीक्षक के कर्तव्यों पर मार्गदर्शक टिप्पण जारी किया जा चुका है।

संस्थान के सदस्यों पर सेबी के क्रय द्वारा वापस लेना (बाई बेक) विनियम, 1998 में विनिर्दिष्ट संपरीक्षक की रिपोर्ट में अंतर्निहित विपक्षाओं को समझने के लिए समिति सेबी से चर्चा करने के पश्चात् सेबी (प्रतिभूमि का क्रय द्वारा वापस लिया जाना) विनियम, 1998 के अधीन संपरीक्षक की रिपोर्ट पर एक मार्गदर्शक टिप्पण जारी करेगी।

समिति का ऐसे विषयों पर मानक संपरीक्षा पद्धतियां जारी करने का प्रस्ताव है जिनपर आई0एफ0ए0सी0 ने आई0एस0ए0 जारी किए हैं। किंतु जिन पर संस्थान द्वारा किसी प्रकार की उद्घोषणा अभी जारी नहीं की गई है। वर्ष, 1999 के अंत तक समिति का उद्देश्य एस0ए0पी0 और आई0एस0ए0 के बीच अंतर को सारवान् रूप से कम करना है। इस प्रयोजन के लिए प्रस्तावित एस0ए0पी0 का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्ययन समूह बनाए गए थे। समिति पहले ही कारबार के ज्ञान, लेखा आकलन की संपरीक्षा और पश्चात्वर्ती घटनाओं पर प्रस्तावित एस0ए0पी0 के प्रकटन प्रारूप को अंतिम रूप दे चुकी है जिसे जनता के टिप्पणों के लिए जारी किया जा रहा है।

संपरीक्षकों के कार्य-पत्रों तक बाहरी व्यक्तियों की पहुंच का अधिकार संपरीक्षकों के कर्तव्यों का स्पष्टीकरण, जहां वित्तीय विवरणों में प्रविष्टियों का मूल्यांकन और प्रमाणन प्रबंध मंडल द्वारा हो, पर मार्गदर्शक टिप्पण और वित्तीय विवरणों के संकलन के संबंध में सदस्यों के कर्तव्यों पर मार्गदर्शक टिप्पण विकास की प्रक्रिया में हैं।

वर्ष के दौरान समिति ने अनेक बाहरी निकायों जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, बी0आई0एफ0आर0 आदि द्वारा इसे निर्दिष्ट मुद्दों पर भी कार्यवाही की।

समिति एन0बी0एफ0सी0 (गैर बैंककारी वित्त कंपनियों) के वित्तीय विवरणों के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से चर्चा कर रहीं है।

5.3 अनुसंधान

अन्य समितियों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्य के अलावा, अनुसंधान समिति अनुसंधान अध्ययन विनिर्दिष्ट उद्योगों में लेखांकन और संपरीक्षण की तकनीकी मार्गदर्शिका, विनिर्दिष्ट उद्योगों के संबंध में आंतरिक संपरीक्षा पर मार्गदर्शक सिद्धांत, मोनोग्राफ आदि के रूप में अनेक प्रकाशन निकाल रही है जिससे कि उन दोनों में अपने कर्तव्यों का पालन करने में हमारे सदस्यों को मार्गदर्शन मिल सके।

समिति कम्प्यूटर बेस्ड बजटिंग इन एस0बाई0बी0ए0एस0ई0 ए-केस स्टडी ऑफ ए हेर्ब्बा इंजीनियरिंग आरगेनाइज़ेशन, डिटेक्शन आफ फ्राड्स - सब केस स्टडीज पर एक अध्ययन का विमोचन कर चुकी है। मार्गदर्शक टिप्पणों के सारांश का पाचंवा संस्करण - प्रथम जिल्द भी प्रकाशित हो चुकी है।

अन्य प्रकाशनों जैसे (1) निगमित पुनः संरचना, (2) सूचना और अपूर्ण अभिलम्बों की संपरीक्षा और प्रमाणन, (3) ब्रांड मूल्यांकन, (4) गैर सरकारी संगठनों । निजी विकास अभिकरणों में लेखांकन और संपरीक्षण, उत्पाद-शुल्क के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शक टिप्पण के पुनरीक्षित संस्करण ओर मोडवेट के लिए लेखांकन उपचार पर मार्गदर्शक सिद्धान्त का विमोचन शीघ्र ही किया जाएगा।

लेखांकन, संपरीक्षण, वित्तीय सेवाएं और सहबद्ध क्षेत्रों में अनेक अनुसंधान परियोजनाएं पूर्ण होने के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं। समिति ने अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनेक नए विषयों की भी पहचान की है।

अनुसंधान समिति की उप समिति- शील्ड पैनल को अनेक प्रवर्गों अर्थात कंपनियों/निगमों, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं आदि से वर्ष 1997-98 के लिए सर्वोत्तम प्रस्तुत लेखा के पुरस्कार के संबंध में वार्षिक प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। और उसके द्वारा पुरस्कारों को अंतिमरूप दे दिया गया है।

अनेक अनुसंधान परियोजनाओं की विस्तृत प्रस्थिति परिशिष्ट-5 में दी गई है।

5.4 निगमित विधियां

वर्ष 1998-99 में निगमित विधि समिति ने सरकार द्वारा पुनः स्थापित अनेक निगमित विधायी विधेयकों अध्यादेशों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करके एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई है। कंपनी

अधिनियम, 1997 के पारित होने के लिए लंबित रहते हुए, कंपनी अधिनियम, 1956 में कुछ संशोधन करने के लिए सुझावों का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था और कंपनी (संशोधन) अध्यादेश 1998 के पुनःस्थापित किए जाने पर सुझावों का एक ओर ज्ञापन किया गया था। समिति को यह रिपोर्ट देते हुए, प्रसन्नता हो रही है। विचार किए जाने के पश्चात को कंपनी (संशोधन) अध्यादेश 1998 में सम्मिलित किया गया।

विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक 1998, धन शोधन निवारण विधेयक 1998 पुनःस्थापित किए जाने पर समिति ने अपने सुझावों का ज्ञापन वित्त पर संसदीय स्थायी समिति को प्रस्तुत कर दिया था।

इसके अलावा, समिति ने कंपनी कार्य विभाग के साथ मिलकर बंगलौर में केन्द्रीय कंपनी विधि सेवा अधिकारी के लिए पांच दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन श्री टी0एस0 कृष्णमूर्ति, सचिव, कंपनी कार्य विभाग द्वारा बहुत प्रशंसा और सराहना की गई थी जो विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

समिति ने शेयरों को क्रय द्वारा वापस लेने के लिए लेखाकंन उपचार पर प्रारूप टिप्पण जारी करने के लिए कदम उठाए थे और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्ट के पुनर्विलोकन के लिए अनुसंधान परियोजना को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। समिति को अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और आशा है कि अंतिम रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी।

समिति ने भविष्य की शोधन क्षमता की घोषणा प्रस्तुत करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के संबंध में एक टिप्पण कंपनी कार्य विभाग में भेजा था। लघुहितीय कंपनी विधेयक, 1999 पर सुझावों का ज्ञापन कंपनी कार्य विभाग को भेजने का भी प्रस्ताव किया गया था।

7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 1999 के बीच चैन्नई के निकट ममल्लापुरम में राजविस और नियमित विधियों पर आवसीय पाठ्यक्रमों आयोजित करने के प्रबंधों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस समय कंपनियों के रजिस्ट्रार के कुछ कार्यालयों के कार्यकरण का अध्ययन किया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

5.5 राजवित्तीय विधियां

गत वर्षों की तरह इस वर्ष पर भी संस्थान ने वित्त विधेयक, 1999 पर बजट पूर्व ज्ञापन, जिसमें इसके सुझाव/मतभिव्यक्तियां शामिल थी और जिनमें से अधिकतर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए गए थे एवं बजट पश्चात ज्ञापन भी भेजे थे। केन्द्रीय बजट 1999 पर विचार करने के लिए, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में प्रस्ताव शामिल थे, एक उच्च स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में सदस्यो की विशेषज्ञता की प्रशंसा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा की गई वित्त (स02) अधिनियम 1998 के द्वारा 12 और सेवाओं को जिनके अन्तर्गत व्यवसाय कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंटों द्वारा प्रदान की गई सेवा भी है, सेवाकर जाल के अन्तर्गत लाया गया है। इसके संबंध में, प्रस्ताव की तारीख से ही संस्थान, अप्रत्यक्ष कर प्राधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। सेवा करके संबंध में उपबंधों के उचित पालन के लिए सदस्यों के मार्गदर्शक हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर सेवाकर एक अध्ययन विषय पर एक प्रकाशन निकाला गया है। पुनरीक्षित कर संपरीक्षा फार्म अर्थात फार्म 3 ग क, 3 ग ख और 3 ग घ तैयार किए जा रहे हैं।

5.6 वित्तीय बाजार

समिति ने अपने विस्तार और कृत्यों को व्यापक बनाने के लिए अनेक कार्यवाहियाँ की हैं और कदम उठाए हैं और तद्नुसार नाम बदलकर वित्तीय बाजारों और निवेशकों की सुरक्षा समिति कर लिया है। वित्तीय बाजारों से संबंधित संस्थाओं से निकट संबंध बनाए रखने के लिए सेबी, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नामनिदेशिनियों को इस समिति में सम्मिलित किया गया है। यह सेबी के साथ निकट संपर्क बनाए हुए है। इसने टेकओवर कोड 1997 पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे। नई शताब्दी में पूंजी बाजार पर एक संगोष्ठी लखनऊ में आयोजित की गई थी और 13 तथा 14 फरवरी 1999 को मुंबई में व्युत्पत्ति (इंडेक्स फ्यूचर) प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सहित सभी प्रशंसा की थी। अन्य महानगर क्षेत्रों में भी वैसे ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगें।

5.7 विशेषज्ञ राय

सदस्यों से प्राप्त असंख्य शंकाओं पर विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने अपनी राय दी है। इसने रायों का सार की जिल्द-17 प्रकाशित कर दी है जिसमें जनवरी 1997 और जनवरी 1998 के बीच दी गई राय अंतर्विष्ट हैं। वर्ष के दौरान समिति द्वारा दी गई रायों को जिल्द 18 में प्रकाशन के लिए संकलित किया जा रहा है।

5.8 सतत् वृत्तिक शिक्षा

सतत् वृत्तिक शिक्षा समिति इस तथ्य को मानते हुए कि सदस्यों को अपने वृत्तिक उत्तरदायित्वों को कारगर ढंग से पालन करने के लिए उच्चतर शिक्षा और कौशल हासिल करना चाहिए, चालू और महत्वपूर्ण विषयों पर सदस्यों का ज्ञान बढ़ाने के प्रयास करती रही है।

विभिन्न विषयों जैसे — समझा गया विक्रय संव्यवहार का कराधान, केन्द्रीय विक्रय कर प्रत्यक्ष कराधान (निगमित पुनःसंरचना और वास्तविक संपदा विकास संव्यवहारों के विशेष संदर्भ में) परियोजना वित्त क्रेडिट रेटिंग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर परियोजना मूल्यांकन, ईडीपी संपरीक्षा पिटफाल और रक्षोपाय प्रणाली संपरीक्षा (कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री संसूचना कौशल - । बैंक संपरीक्षा सीडी-आर ओ एम वाई 2 के अनुपालन बैंक संपरीक्षा और वाई 2 के तथा बैंक संपरीक्षा पर दो टेली कान्फ्रंसेस और वाई 2 के अनुपालन आयोजित किए गए।

सदस्यों के फायदे के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें से कुछ अन्य संगमों के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किए गए ऐसे कार्यक्रमों और इसमें शामिल किए गए विषयों की विशिष्टयां परिशिष्ट 5 के पैरा 8 में दी गई हैं।

सदस्यों के फायदे के लिए समिति ने अर्हतापश्चात परीक्षा का आयोजन जारी रखा और इन पाठ्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए समुचित उपाय किए जा रहे है। संस्थान के कम्प्यूटर केन्द्र देश के विभिन्न भागों में सदस्यों और छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा देने गए हैं। वर्ष के दौरान प्रकाशित पृष्ठभूमि सामग्री भी परिशिष्ट 5 के पेरा 8 में दी गई है।

5.9 वृत्तिक विकास

वृत्तिक विकास समिति ने ऐसे नए क्षेत्रों की पहचान करके जहां सदस्यों की विशेषता को उत्पादनकारी और उपयोगी रीति में उपयोग किया जा सके, सदस्यों को उपलब्ध वृत्तिक अवसरों में वृद्धि करने का प्रयास जारी रखे हैं। इस प्रक्रिया के अलावा समिति ने नियामक प्राधिकारियों, वृत्तिक अवसरों में वृद्धि करने का प्रयास जारी रखे हैं। इस प्रक्रिया के अलावा समिति ने नियामक प्राधिकारियों, वृत्ति की सेवा के उपयोग कर्त्ताओं के साथ संपर्क बनाना भी जारी रखा।

समिति द्वारा उठाए गए कदमों का यह परिणाम हुआ कि तमिलनाडु में विक्रय कर प्रयोजन के लिए अनिवार्य संपरीक्षा प्रारम्भ कर दिया गया। असम सरकार ने भी विक्रय कर संपरीक्षा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया है। हाल ही में कर्नाटक सहकारी सोसायटी अधिनियम में किए गए संशोधन ने राज्य में सहकारी सोसायटी की संपरीक्षा करने के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स को समर्थ बनाया है।

समिति ने केन्द्र ओर राज्य दोनों स्तरों पर अनेक मंत्रालयों और विभागों के कार्यकरण के क्षेत्रों के बहुत सेऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहां हमारी विशेषता को उपयोगी रूप में काम में लाया जा सकता है। इन क्षेत्रों को राज्य सरकारों और केन्द्र में कुछ विशिष्ट मंत्रालयों को भेजे गये पत्रों में वर्णित किया गया है। इसका उत्तर सकारात्मक और काफी प्रोत्साहनवर्धक प्राप्त हुआ है।

हमारी वृत्ति के सदस्य बैंकिंग सेक्टर में व्यापक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन सेवाओं को अधिक कारगर बनाने और आपसी हितों के विषयों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भारतीय बैंक संगम के प्रतिनिधियों से मिलाकर एक स्थायी समिति गठित की गई है। संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष बनाए गए पैनल का उपयोग पब्लिक सैक्टर बैंकों के शाखा संपरीक्षकों की और समवर्ती संपरीक्षकों की भी नियुक्ति के लिए किया जाएगा।

वृत्तिक विकास के नए क्षेत्रों का पता लगाने के अलावा, संबंधित राज्य सरकारों से वृत्तिक विकास के विषयों पर चर्चा करने के लिए राज्य-वार टास्क फोर्स का गठन किया गया।

स्थानीय विकायों के लेखांकन पद्धतियों में सुधार लाने केलिए तौर तरीकों पर विचार करने हेतु वित्तीय संस्थान सुधान और विस्तार परियोजना (अन्तर राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिकरण द्वारा वित्तपोषित एक संयुक्त भारतीय अमेरिकी कार्यक्रम) के साथ एक अध्ययन समूह का गठन किया गया। अध्ययन समूह ने स्थानीय निकायों के वित्तीय विवरणों का एक प्रारूप को तैयार किया है जो इन वित्तीय विवरणों के पाठको को अर्थपूर्ण सूचना प्रदान करेगा। प्रारूप पर विभिन्न हित समूहों के साथ चर्चा की जा रही है। और इसे उनसे प्राप्त पुननिवेशन के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

संस्थान तथा भारत के महानियंत्रण और संपरीक्षक के कार्यालय एवं कंपनी कार्य विभाग के प्रतिनिधियों से मिलकर एक समूह का गठन किया गया है। जो संपरीक्षकों के पारिश्रमिक की पर्याप्तता से संबंधित विषय पर गहनता से विचार करेगा।

समिति ने चाई 2 के अनुपालन प्रमाणन के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंटों का पैनल तैयार करने के कार्य को करने का विनिश्चय किया है। इस पैनल की सेवाएं ऐसे सभी प्राधिकरणों संगठनों को प्रदान की जाएंगी जिन्होंने ऐसे प्रमाणन के लिए हमारे सदस्यों की सेवाओं का उपयोग करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है।

इसने पब्लिक सेक्टर बैंकों के कानूनी शाखा संपरीक्षकों की और ग्रामीण बैंकों में शाखा संपरीक्षकों की नियुक्ति के लिए भी एक पैनल तैयार किया है। इसने शाखा संपरीक्षा कार्य अधिक व्यापक और क्षाम्य वितरण और पैनल तैयार करने तक ऐसा कार्य आबंटित करने में अधिक पारदर्शिता के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं। समिति ने एक व्यापक पैनल तैयार करने का विनिश्चय किया है। जिसका उपयोग चार्टर्ड एकाउन्टेंटों का न केवल उपरोक्त प्रयोजन के लिए पैनल के लिए भी।

5.10 कैंपस इंटरव्यू (साक्षात्कार)

सितंबर 1995 में प्रारम्भ किए गए कैंपस इंटरव्यू की नियोजन कारी संगठनों (पब्लिक और प्राईवेट सेक्टरों जिनमें बहुराष्ट्रीय संगठन भी हैं) और युवा सदस्यों दोनों ने अत्याधिक सराहना की है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान नियोजकों के 24 दलों ने लगभग 4700 युवा चार्टर्ड एकाउंटेंटों के बायो-डाटा (जीवनवृत्त), पर विचार किया। स्कीम को मिलने वाले समर्थन से प्रोत्साहित होकर संस्थान ने उद्योगों में सदस्यों के लिए समिति के माध्यम से इन्टरव्यू बोर्ड का सामना अधिक आत्म विश्वास के साथ करने के लिए युवा सदस्यों को प्रशिक्षित करते हुये विभिन्न साक्षात्कार केन्द्रों पर कार्यशालाओं और अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए। कैंपस इन्टरव्यू के संबंध में सांख्यकीय सूचना परिशिष्ट -5 के पैरा 9 में दी गई है।

5.11 दूर-सम्मेलन (टेली कान्फ्रेंसिंग)

सतत् वृत्तक शिक्षा समिति ने चाई 2 के और बैंक संपरीक्षा, चाई 2 के अनुपालन के विषयों पर टेली कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दो कार्यक्रम आयोजित किए। क्षेत्रीय परिषदों और उनकी शाखाओं को टेली कान्फ्रेंसिंग का नियमित रूप में उपयोग करने के लिए अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध कराई जा रही है।

5.12 विभिन्न अस्थायी समितियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण क्रियाकलापों के ब्यौरे परिशिष्ट -5 में दिये गए हैं।

5. (ख) लेखा अनुसंधान प्रतिष्ठान

संस्थान द्वारा संबंधित अनुसंधान प्रतिष्ठान निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 14 जनवरी 1999 को अस्तित्व में आया था।

(1) न केवल अपने देश बल्कि अन्य देशों में भी वृत्ति हितों के क्षेत्रों के संबंध में आंकड़ा आधार सृजित करना और बनाए रखना।

(2) लेखा संपरीक्षा वित्त, राजवित्त और नियमित विधि के मुख्य क्षेत्रों पूंजी बाजार और सहबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान करना

(3) संयुक्त राज्य अमेरिका में वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड (एफएसबी) और यू0के0 में लेखा मानक बोर्ड (एएसबी) द्वारा किए जा रहे फील्ड अध्ययन और अनुसंधान के समान तकनीकी क्रियाकलापों का समर्थन करना।

आई0सी0ए0आई0ए0आर0एफ एक स्वतन्त्र निकाय के रूप में कार्य करेंगे। इसे आई0सी0ए0आई0 द्वारा बजट में सहायता दी जाएगी। भवन का निर्माण करने के लिए सेक्टर 62 नोएडा में 8000 वर्ग मीटर भूमिअर्जित कर ली गई है। अपनी संगठन संरचना स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।

लेखा संपरीक्षा, वित्त अर्थशास्त्र और सहबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए आई0सी0ए0 आई0ए0आर0एफ0 में निम्नलिखित पुरस्कार संस्थित किए है :-

सर्वोत्तम अनुसंधान पत्र के लिए स्वर्ण पदक	आई0सी0ए0आई0ए0आर0एफ0 की ओर से प्रमाण-पत्र के साथ 25000/- रुपए का नकद पुरस्कार स्वर्ण पदक और
द्वितीय सर्वोत्तम अनुसंधान पत्र के लिए रजत पदक	आई0सी0ए0आई0 ए0आर0एफ0 की ओर से प्रमाण-पत्र के साथ 20,000/- रुपए का नकद पुरस्कार
प्रशंसनीय प्रयासों के लिए कांस्य पदक (3 इनाम)	आई0सी0ए0आई0 ए0आर0एफ की ओर से कांस्य पदक और प्रमाणपत्र के साथ 5000/- रुपए का नकद पुरस्कार

6. अन्तर्राष्ट्रीय पहल

संस्थान वृत्ति लेखाकारों के विभिन्न अन्तराष्ट्रीय निकायों के साथ अपना संगम बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है, इसने यूक्रेन, रूस और किरगिस्तान में वृत्ति के विकास के लिए इन देशों में लेखाकर्म/संपरीक्षण निकायों के साथ और कोमसिगलियों नेशलन डी डोट्टोरी कमरशियलिस्टी और कोनसिगलियो नेशनल डी रेजन्नरीं ई-प्रीति कमशशियल, इटली के साथ तकनीकी सहयोग और आपसी आराम प्रदान का करार इस पर बल देते हुए किया था। कि यूरोपीय संघ में आई0सी0ए0 आई0 की अर्हताओं को मान्यता प्राप्त हो। इटली के संस्थान ने इस प्रयास में हमारी मदद करने का वचन दिया था। चीन के चाइनीज इंस्टीटयूट आफ सर्टीफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स आफ एकाउटेंटस सी0आईसी0पी0ए0 और मलेशिया के मलेशियन इन्स्टीट्यट आफ एकाउन्टेंटस (एम0आई0ए0) के साथ सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भी पहल की गई थी। संस्थान की भूमिका पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट ओर ऐसे निकायों के साथ उसके संबंधों की रिपोर्ट परिशिष्ट 5 के पैरा 10 में दी गई है।

7. दूक शक्ति और पुर्नसंरचना (विज़न एण्ड रिस्ट्रक्चरिंग)

1998-99 में परिषद द्वारा दूक शक्ति और पुनसंरचना पर गठिता समिति अपनी वृत्ति के पूर्ण गेमट का पुनविलेकन और अगली शताब्दी में इसकी स्थिति सुनिश्चित करने का कार्य कर रही है। वर्ष के दौरान समिति ने पांच बैठकें की थी ओर तीन प्रश्नावलियां बनाई थी। (1) वृत्ति सदस्यो (2) नियोजित सदस्यो के लिये (3) छात्रों के लिये इन्हें सितंबर 1998 के और मार्च 1999 के अंकों में संस्थान की पत्रिका में और छात्रों की समाचार पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। प्राप्त प्रतिक्रियाएं विचाराधीन हैं। समिति ने मिशन विवरण और विज़न विवरण का एक प्रारूप भी तैयार किया है। समिति की संक्षिप्त रिपोर्ट परिशिष्ट - 5 के पैरा 14 में दी जा रही है।

8. स्वर्ण ज्यंती समारोह

समिति ने 1 जुलाई 1998 को संस्थान के अस्तित्व को 50वें वर्ष में प्रवेश करने और 30 जून 1999 को 50 वर्ष पूर्ण करने के ऐतिहासिक अवसर को 1 जुलाई 1998 से प्रारम्भ होकर 30 जून 2000 की समाप्ति तक दो वर्षों के लिए लाभपद्र रूप में मानने का विनिश्चय किया था।

स्वर्ण ज्यंती समारोह का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 1 जुलाई 1998 को नई दिल्ली के शीरी फोर्ट आडिटोरियम में किया गया था। भारत के वित्त मंत्री ने विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में भाषण दिया था जिसके पश्चात उद्घाटन समारोह हुआ था। पर्यावरण और वन मंत्री तथा बड़ी संख्या में विशिष्ट व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया था।

उसी के भाग रूप में स्वर्ण ज्यंति सम्मेलन का भी 4 से 6 दिसंबर 1998 को सांइस सिटी, कलकत्ता में आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय राज्यपाल डा0 श्री ए0आर0 किदवाई ने किया था। इसमें भारत और विदेशों के लगभग 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

संस्थान द्वारा 50 वर्ष पूरे करने की ऐतिहासिक घटना का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 जुलाई 1999 को किया था माननीय विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री श्री राम जेठमलानी एवं माननीय पर्यावरण तथा वन मंत्री श्री सुरेश पी0 प्रभु ने इस समारोह में भाग लिया था। इसके पश्चात आर्थिक विकास में लेखाकर्म वृत्ति की भूमिका पर श्री एन0के0पी0 साल्वे राज्य सभा सदस्य और वित्त आयोग के सदस्य डा0 ए0 बागची ने स्वर्ण ज्यंति लेक्चर दिए और सुविख्यात पैमलिस्ट श्री पी0 पी0 प्रभु, वाणिज्य सचिव श्री टी0एस0 कृष्णमूर्ति, सचिव कंपनी कार्य विभाग श्री डी0आर0 मेहता चेयरमेन सेबी श्री आर0 श्री निवासन, आर्थिक सलाहकार, योजना

आयोग डा0 भास्कर बैनर्जी, ज्येष्ठ प्रबंध निदेशक, डंकन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड और श्री वाई0 एच0 मलेगम, भूतपूर्व अध्यक्ष, आई॰सी0ए0आई0 ने लेखांकन वृत्ति का योगदान 21वीं शताब्दी की आशाएं विषय पर पैनल चर्चा में भाग लिया।

9. अन्य गतिविधियां

9.1 प्रशासन और मानव विकास संसाधन

संस्थान ने प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा देने की आवश्यकता को महसूस किया है ताकि वह सदस्यों और छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को बेहतर सेवा देने में सक्षम रहें पद्धति और प्रक्रियाओं को सुधार ने, प्रशासनिक मशीनरी को अद्यतन बनाने सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और सक्षमता सुधार के लिए आवश्यक अवसंरचना भी उपलब्ध कराने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

भर्ती किए गए नए अधिकारियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रमों के अलावा कार्यपालक विकास, व्यवहारिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए और अनुपालन में सुधार लाने में उनकी सहायता करने के लिए मुख्यालय तथा इसके विकेन्द्रित कार्यालयों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

9.2 सदस्य और छात्र सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी

उच्च-तकनीक सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता के भागरूप आई0सी0ए0आइ0 ने 100 के लगभग चतुर्थ जनन ग्राहक सर्वर कम्प्यूटर लगाए हैं जिससे कि सदस्यों और छात्रों की निरंतर बढ़ती मांगों को पूरा किया जा सके।

टाटा कंसलटेन्सी सर्विसेज (टी0सी0एस0) की सहायता से एक कस्टम बिल्ट साफ्टवेयर विकसित किया गया था। सदस्यों फर्मों, सी0ओ0एस0, छात्रों, लेखा और एच0आर0 कन्सोलिडेशन के लिए पृथक-पृथक माड्यूल्स विकसित किए गए हैं। इन प्रणालियों में भी सदस्यों तथा छात्रों की बाबत विभिन्न संसूचनाओं के जनन के लिए संबंधित कार्यालय आटोमेशन प्रणालियां और विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट हैं। आरंभिक साफ्टवेयर बाद को निरंतर सुधारा/अद्यतन बनाया जा रहा है और प्रणालियों को कार्यपालन को निरंतर मानीटर किया जा रहा है।

जैसा कि पहले बताया गया है, नई प्रणाली को पहले ही संस्थान के सभी कार्यालयों स्थानों पर शुरू कर दिया गया है। क्षेत्रीय डाटाबेस को भी मुख्यालय में समेकित कर दिया गया है और यह प्रणाली सितंबर 1998 से आन-लाइन पर है। कम्प्यूटर प्रणालियों हार्डवेयर, साफ्टवेयर और डाटा फाइलों पर सहस्राब्दि परिवर्तन के प्रभाव पर विचार करते हुए वाई 2 के अनुपालन के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग के क्रम में सभी हमारी विकेन्द्रित कार्यालयों को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किए गए थे। मुख्यालय के चुने हुए पदाधिकारियों को ई-मेल और इंटरनेट प्रशिक्षण दिया गया था और इससे सदस्यों तथा छात्रों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए अंतरकार्यालय संसूचनाओं के साथ साथ सदस्यों और छात्रों को ई मेल पर आई0सी0ए0 आई0 से संपर्क करने में सहायता मिली।

इस संबंध में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य उपलब्धि है लंबित मामलों का अत्यधिक निपटारा और मामलों का शीघ्र निपटारा होना। इसके साथ ही इंटरनेट का फाउंडेशन इंटर और फाइनल परीक्षाओं के परिणाम संस्थान के अपने कार्यालय वेब साइट पर घोषित करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। संस्थान 64 के बी0पी0एस0 आई0एस0डी0एन0 टेलिफोन सुविधा का भी प्रयोग कर रहा है। इंटरनेट पर और आई0वी0आर0 (इंटरएक्टिव वायस रिस्पोंस) टेलीफोन प्रणालियों पर रविवारीय परीक्षा डाक संबंधी परीक्षा के परिणाम उपलब्ध कराने में भी कार्य प्रगति पर है। सदस्यों और छात्रों को दी जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी में और सुधार करने के लिए संस्थान के कार्यकरण के विभिन्न भागों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का पता लगाया जा रहा है। आरंभ में आई0सी0ए0आई0 वेब साइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू आई सी ए आई ओ0आर0जी0 का विकास संस्थान के परिणामों के प्रकाशन के लिए किया गया था। लेकिन सदस्यों और छात्र सेवाओं के लिए समय के साथ-साथ वेब साइट में अत्यधिक सूचनाएं आ गई हैं। इस वेब साइट में अधिनियम, विनियम और फार्मों, सदस्यों और छात्रों से संबंधित प्रक्रियाओं से व्यापक सूचना एकत्र करने का उपबंध है। इस साइट में डायनेमिक वेब पेजेज का प्रयोग करने वाले सदस्यों और छात्रों तक सुगम पहुंच कराने के लिए सुधार किया जा रहा है और पुनः बनाया जा रहा है।

9.3 लेखापरीक्षकों का अनुचित रूप से हटाया जाना

विगत जैसे समिति ने सदस्यों के नैतिक स्तर तथा वृत्तिक आचरण से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण नैतिक समस्याओं प्रश्नों और लेखापरीक्षकों को अनुचित रूप से हटाए जाने के आरोपों की समीक्षा की है और उनका निपटारा किया है। परिषद द्वारा (1) वाई 2 के (वाई 2 के) अनुपालन प्रमाणन संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने (2) जहां

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षकों की निर्विवादित लेखा परीक्षा फीसों का संदाय नहीं किया गया है जहां लेखा परीक्षा स्वीकार न किए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी किए जाने (3) उन व्यवसायरत सदस्यों की जो पूर्णकालिक नियोजन में हैं, उनके मुख्य व्यवसाय के रूप प्रेक्टिस पर विचार न किए जाने तथा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षक को अनुचित रूप से हटाए जाने के मामले में नए आने वाले लेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा स्वीकार न किए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी किए जाने पर समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर जो विनिश्चय किए गए हैं उनका उल्लेख परिशिष्ट 5 के पैरा 10 में किया गया है।

जब कभी भी सापेक्ष लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के कारण लेखा परीक्षकों के अनुचित रूप से हटाए जाने के आरोप लगते हैं और परिणामस्वरूप लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ी है, तो इन मामलों की संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों और अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है। उक्त प्राधिकारियों द्वारा संस्थान के दृष्टिकोण को अनुकूल रूप से स्वीकार किया गया है। इस चिंता को दूर करने के लिए अध्यक्ष महोदय ने जर्नल के मार्च 1999 के अंक के अपने पृष्ठ पर सदस्यों को यह सलाह दी है कि वे उस दशा में लेखापरीक्षा को स्वीकार न करें जब उनके पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा रिपोर्ट सापेक्ष बनाने के लिए हटा दिया गया हो।

9.4 शिक्षण और प्रशिक्षण सी0आर0ई0टी0 की सिफारिशें

शिक्षण और प्रशिक्षण के पुनर्विलोकन संबंधी समिति (सी0आर0ई0टी0) ने जनवरी 1998 में आयोजित अपनी बैठक में अपनी रिपोर्ट परिषद को प्रस्तुत की । तत्पश्चात, परिषद् ने जुलाई, अगस्त, और अक्टूबर, 1998 में आयोजित अपनी क्रमशः 193वी 194वीं और 195वीं बैठक पर विचार किया। समिति की कुछ मुख्य सिफारिशें जिन्हें परिषद द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, इस प्रकार है। (1) प्रवेश संबंधी अपेक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हता 10 प्लस 2 परीक्षा या उसके समतुल्य उत्तीर्ण की बनी रहनी चाहिए।

(2) प्रायोगिक प्रशिक्षण शुरू करने से पूर्व लगभग दो वर्ष की अवधि का दो भागों में - वृत्तिक शिक्षा 1 (पी0ई0-1) और वृत्तिक शिक्षा 2 (पी0ई0-2), वृत्तिक शिक्षा (पी0ई0) पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए (3) आर्टिकल्स के शुरू किए जाने से पूर्व 200-300 घंटों के समतुल्य लगभग तीन मास की अवधि का कम्प्यूटर में प्राद्योगिक प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए और (4) प्राद्योगिक प्रशिक्षण की अवधि तीन वर्ष बनीरहनी चाहिए। विस्तृत ब्यौरे के लिए परिशिष्ट 5 का पैरा 17 देखें।

9.5 चार्टर्ड एकाउन्टेंटों का अखिल भारतीय सम्मेलन :

सभी क्षेत्रों में विविध वृत्तिक सदस्यों से सभी कार्यक्रमों में वृत्तिक उत्कृष्टता और उपलब्धियों की बौद्धिक सहभागिता के लिए एक मंच का उपबंध कराने के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंटों का अखिल भारतीय सम्मेलन तीन वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। **सम्मेलन का विषय आर्थिक भूमंडलीकरण अनिवार्यताएं तथा प्रत्याशाएं हैं।**

सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 1999 में नई दिल्ली में किया जाएगा और इसमें भारत तथा विदेशों के वृत्तिक निकायों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ इस व्यवसाय के अनेक सदस्यों के भाग लेने की आशा है। सम्मेलन के आयोजन के लिए गठित अखिल भारतीय समिति का विवरण जिनसे मिलकर बनेगी उसका वर्णन परिशिष्ट I में किया गया है।

10. अन्य विषय

10.1 संस्थान का वार्षिक समारोह

संस्थान का 49वां वार्षिक समारोह तारीख 16 जनवरी 1999 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक माननीय श्री वी0के0 शुंगलू इसमें मुख्य अतिथि थे। इस समारोह में प्रस्तुत सर्वोत्तम लेखा के लिए संस्थान के प्रतिष्ठित पुरस्कारों के विजेताओं को शील्ड और पट्टिकाएं तथा श्लाघ्य संस्थान द्वारा ली गई परीक्षाओं में श्लाघ्य छात्रों को पुरस्कार तथा मंडल और संस्थान की विशिष्ट प्रादेशिक परिषद और शाखा को सम्मान रूप शील्ड और प्रमाणपत्र दिए गए थे। इस समारोह में संस्थान के सदस्यों छात्रों अधिकारियों और कर्मचारिवृद्ध के साथ-साथ बहुत संख्या में आमंत्रित व्यक्ति उपस्थित हुए थे।

10.2 चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 और चार्टर्ड एकाउन्टेंट विनियम, 1988 में संशोधन

(क) चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 में संशोधन

जैसा कि पिछली रिपोर्ट में बताया गया है, संस्थान की परिषद ने बदलती जरूरतों और केन्द्रीय सरकार की उदारीकरण की वर्तमान पालिसी को ध्यान में रखते हुए चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम 1949 में संशोधन करने के व्यापक प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं। हाल ही में, परिषद के सदस्यों तथा संस्थान के अधिकारियों को अधिनियम विनियमों या उनके अधीन किए गए आदेशों के अनुसरण में सदभाव पूर्वक किए गए या किए जाने के लिए आशियता किसी कार्य से छूट दिए जाने की बावत अधिनियम और विनियमों में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। संदर्भित संशोधन केन्द्रीय सरकार के विचारधीन हैं।

(ख) चार्टर्ड एकाउन्टेंट विनियम 1988 में संशोधन

संस्थान ने सदस्यों, आर्टिकल/लेखा परीक्षक लिपिकों आदि से संबंधित विनियमों में अनेक संशोधन किए जाने का भी प्रस्ताव किया था। वे संशोधन सरकार के विचाराधीन हैं। मामलों के शीघ्र निपटारे के सुनिश्चित किए जाने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से संबंधित विनियमों के उपबंधों पर अधिनियमों तथा विनियमों में यथासाध्य सीमा तक एक समान उपबंध करने की सिफारिश करने के लिए तीनो संस्थानो अर्थात आई0सी0ए0आई0, आई0सी0 डब्ल्यू0ए0आई और आई0सी0एस0आई0 की एक इंटर इंस्टीट्यूट टास्क फोर्स का गठन किया गया था।

संस्थान ने (चार्टर्ड एकाउंटेंट विनियम 1988 के अनुशासनिक मामलों से संबंधित) कुछ उपबंधों का चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम 1949 में अनुशासन संबंधी उपबंधों के संशोधन के लिए पहले प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर संशोधन किए जाने संबंधी अपने प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं।

10.3 केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय

केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय पुस्तकों, जर्नलों, समाचारपत्रों और निर्देश संबंधी सुविधाओं की तथा विभिन्न वृत्तिक जर्नलों और समाचारपत्रों से एकत्रित लेखों की उपलब्ध कराती है, जिसकी सूची प्रतिमास संस्थान के जर्नल में प्रकाशित की जाती है और साथ ही संस्थान के वेब साइट पर दी जाती है। अनुसंधान कर्ताओं और फाउन्डेशन पाठ्यक्रमों के छात्रों को भी निर्देश संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। संस्थान के नोएडा स्थित कार्यालय में भी पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया जा रहा है।

पुस्तकालय की सुविधांए पूरे देश के क्षेत्रीय केन्द्रों और शाखाओं में भी उपलब्ध कराई गई हैं। पुस्तकालयों के विकास के लिए संस्थान द्वारा मान्यताप्राप्त एसोसिएशनों और अध्ययन सर्किलों को अनुदान दिए जाते हैं। परिषद ने सभी क्षेत्रीय परिषदों तथा शाखाओं मे उपलब्ध पुस्कालय सुवधिाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष अनुदान दिए जाने का विनिश्चय किया है।

10.4 जर्नल

संस्थान का मासिक जर्नल दि चार्टर्ड एकाउंटेंट सदस्यों छात्रों और साथ ही बाहर के पाठकों के लिए संस्थान की रूपरेखा का अत्यंत सुस्पष्ट और आवर्तक सूचक है। जर्नल का उच्च वृत्तिक स्तर बनाए हुए है। और रिर्पोटाधीन अवधि में भी यही स्थान मिला हुआ था और इसकी मासिक परिचालन संख्या 1,32,000 को पार कर गई है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान शुरू किए गए कुछ उपायों से जैसे अभिन्यास और डिजाइन, मुख्य रूपरेखा प्रस्तुत करने आदि सभी क्षेत्रों में विशिष्ट सुधार हुआ है।

वर्ष के दौरान, जुलाई 1998 में स्वर्ण जयंती संस्मारक का विशेष संस्करण भी प्रकाशित किया गया था, जिसमें पूर्व अध्यक्षों के संदेश स्वर्ण जयंती उत्सवों ओर स्वर्ण जयंती समारोहों के ब्यौरे छपे थे। जर्नल से सदस्यों को क्रमागत वृत्तिक शिक्षा देने का भी प्रयोजन पूरा हुआ है। इस संदर्भ मे सभी एस0 ए0 एफ0 ए0 निकायों, आई0एफ0ए0सी0, इटली, रूस, उक्रेन, यू0एन0सी0टी0ए0डी0 आदि से लेख प्राप्त हुए हैं। और प्रकाशित किए गए हैं। सदस्यों में मैत्री भाव पैदा करने के भी प्रयास किए जा रहे है।

संपादक बोर्ड संपूर्ण देश के आर-पार के सदस्यों के व्यापक वर्णक्रम को देखते हुए जर्नल की समग्र क्वालिटी को सुधारने का प्रयास कर रहा है जिससे कि इसे और सुसंगत और उपयोगी बनाया जा सके।

11. सदस्य

11.1 **सदस्यता**

31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा 7154 नए सदस्य नामांकित किए गए।

31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 2358 सहयुक्तों को अधिसदस्य के रूप में शामिल किया गया जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 2375 थी।

तारीख 01.04.1999 को सदस्यों के आंकड़ों

	सदस्यों का प्रवर्ग	सहयुक्त (1)	अधिसदस्य (2)	स्तंभ (1) और (2) का जोड़
1.	पूर्णकालिक व्यवसाय में	18813	34528	53341
2.	अंशकालिक व्यवसाय में	7344	2894	10238
3.	जो व्यवसायरत नहीं है	22123	3889	26012
	जोड़	48280	41311	89591*

11.2 **दिवंगत सदस्य**

परिषद् बड़े दुःख के साथ संस्थान के पूर्व अध्यक्ष श्री एम0सी0 भंडारी और अन्य दिवंगत सदस्यों की दुःखद मृत्यु की सूचना अंकित करती है। उन सदस्यों की नामसूची जिनके नाम 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान मृत्यु होने के कारण सदस्य-रजिस्टर से निकाल दिए गए हैं, परिशिष्ट-6 में दी गई है।

11.3 **चार्टर्ड एकाउन्टेंट हितकारी निधि**

चार्टर्ड एकाउन्टेंट हितकारी निधि, जिसकी स्थापना दिसंबर 1962 में की गई थी, अभी भी उन जरूरतमंद व्यक्तियों को, जो संस्थान के सदस्य हैं या रहे हैं और उनके आश्रितों को आश्रितों के भरणपोषण उनकी शिक्षा और चिकित्सियों जरूरतों आदि के लिये वित्तिय सहायता प्रदान करती रहती है। निधि के आजीवन सदस्यों की संख्या जो कि 31 जुलाई, 1998 को 16145 थी, बढ़कर 31 मई 1999 को 23145 हो गई है। निधि के वित्तीय ब्यौरे इस प्रकार है।

	31 मार्च 1998 वर्ष के दौरान	31 मार्च 1999 वर्ष के दौरान
संवितरित राशि :	7,84,233/.	15,90,349/.
निधि में अतिशेष राशि :	1,27,72,305/.	1,50,23,483/.

12. छात्र

12.1 **छात्रों के आंकड़े**

12.1.1. अध्ययन बोर्ड फाउन्डेशन और चार्टर्ड एकाएन्टेन्सी (इंटरमीडिएट और फाइनल) पाठ्यक्रम के छात्रों को अभी भी व्यापक अध्ययन सामग्री प्रदान की प्रक्रिया जारी रखे हुए है। नियमित अध्यतन प्रक्रिया द्वारा उनका पुर्नविलोकन करने तथा उनमें सुधार करने की प्रक्रिया और बाह्य विशेषज्ञों द्वारा पुनर्विलोकन किए जाने की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाया गया है। पूर्व की भांति, मई/नवंबर परीक्षाओं में नियत प्रश्नों के सुझाए गए उत्तर के अंक (जिल्दें) भी बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

12.1.2 फाउन्डेशन पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री को पुस्तक आकार में प्रकाशित किया गया है। इसी प्रकार के कदम इंटरमीडिएट ओर फाइनल पाठ्यक्रमों की अध्ययन सामग्री प्रकाशित करने के लिए उठाए गए हैं।

12.1.3 इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के लिए हिन्दी अध्ययन सामग्री का भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 1 जुलाई 1998 को स्वर्ण जयंती समारोह के उद्घाटन के अवसर पर विमोधन किया गया था।

* उपरोक्त में परिवर्तन सम्भावित

12.1.4 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान फाउन्डेशन पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत छात्रों की कुल संख्या 43,809 थी। उनका क्षेत्रावार ब्यौरा परिशिष्ट 7 में दिया गया है।

12.1.5 31 मार्च 1999 को 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम और फाइनल पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या इस प्रकार है :

पाठ्यक्रम	1998-99	1997-98
इंटरमीडिएट	28,253	24,652
फाइनल	12,227	9,394

12.1.6 अध्ययन बोर्ड की नामावलि में तारीख 31 मार्च 1999 तक नामांकित छात्रों की (उन छात्रों को छोड़कर, जिन्हें फाउन्डेशन पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है) कुल संख्या 31 मार्च 1998 की कुल संख्या 1,70,596 की तुलना में 1,92,147 थी। जिसका ब्यौरा परिशिष्ट 8 में दिया गया है।

12.1.7 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान फाउन्डेशन पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए क्लास लगाने के लिए 28 संस्थाओं (जिसके अंतर्गत दो शाखाएं भी हैं) को और इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के लिए 7 संस्थाओं (जिसके अंतर्गत एक शाखा भी है) को प्रत्यायन प्रदान किया गया था। तत्पश्चात्, क्षेत्रीय मानीटरिंग समितियों की सिफारिशों के अधार पर फाउन्डेशन पाठ्यक्रम के लिए 6 और संस्थाओं को तथा इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के लिए 3 और संस्थाओं को प्रत्यायन प्रदान किया गया है।

12.1.8 31 मार्च 1999 को फाउन्डेशन पाठ्यक्रम तथा इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के लिए प्रत्यापित संस्थाओं की कुल संख्या क्रमशः 236 और 54 थी।

12.1.9 135 प्रत्यापित संस्थाओं द्वारा मई 1998 की फाउन्डेशन परीक्षा के लिए छात्रों के लिए क्लासें लगाई गई जबकि नवंबर 1998 की परीक्षा के लिए 49 संस्थाओं द्वारा क्लासें लगाई गई। 17 प्रत्यापित संस्थाओं द्वारा मई और नवंबर 1998 दोनों परीक्षाओं के लिए इंटरमीडिएट छात्रों के लिए क्लासें लगाई गई। 94 संस्थाओं ने मई 1999 की फाउन्डेशन परीक्षाओं के लिए क्लासें लगाई गई जबकि 15 संस्थाओं ने मई, 1999 की इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए क्लासें लगाई गई। प्रत्यापित संस्थाओं के कार्य को क्षेत्रीय मानीटरिंग समितियों द्वारा निरंतर मानीटर किया जाता था और 9 मामलों में प्रत्यायन वापस लिया गया था।

12.1.10 बोर्ड के अंशकालिक परीक्षाओं तथा प्रत्यापित संस्थाओं के संकाय सदस्यों बैठकें वर्धित पारम्परिक क्रिया और पुनर्निवेशन को सुकर बनाने की दृष्टि से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में आयोजित की गई थीं

12.1.11 छात्रों के लिए एक दिवसीय सेमिनार की, वाग्मिता प्रतियोगिता तथा अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए अप्रत्यक्ष कर में विशेष क्लासों की स्कीमें जारी रही। सात शाखाओं ने एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किए चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी के छात्रों के लिए तारीख 9 जनवरी 1999 को भुवनेश्वर में चौथी अखिल भारतीय वाग्मिता प्रतियोगिता हुई थी। क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता से 20 विजेताओं ने भाग लिया था और पांच सर्वोत्तम वक्ताओं को पुरस्कार दिये गए थे। इससे पूर्व 13 शाखाओं ने शाखा स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की थी और पांच क्षेत्रीय परिषदों ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की थी। बोर्ड ने वर्ष 1999-2000 के दौरान भी एक-दिवसीय सेमिनार तथा वाग्मिता प्रतियोगिता की स्कीमों का कार्य जारी रखने का विनिश्चय किया है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने विलेखों और दस्तावेजों के प्रारूपण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, सूचना प्रौद्योगिकी, सामान्य ज्ञान और अर्थ व्यवस्था निगम विधि और पूंजी बाजार संबंधी विषयों में अंश कालिक मोड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए क्षेत्रों और शाखाओं को प्रोत्साहित करने का भी विनिश्चय किया है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य चुने हुए विषयों के प्रति विशेष बल व्यवहारिक पहलुओं पर देते हुए छात्रों की व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि और जागरूकता को बढ़ाना है।

भाग लेने वाले व्यक्तियों को संवितरण किए जाने की बाबत इस प्रयोजन के लिए एक समान पृष्ठभूमि सामग्री लाए जाने का प्रस्ताव है।

12.1.12 वर्ष के दौरान चार्टर्ड एकाउन्टेंटस छात्रों के लिए निम्नलिखित क्षेत्रीय सम्मेलन हुए थे।

(1) कर्नाटक राज्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छात्रा सम्मेलन, बैंगलोर - 29-30 अगस्त 1998
(2) एस0आई0 सी0ए0 एस0 ए0 का 16वां क्षेत्रीय सम्मेलन, कोचीन 4-5 दिसम्बर 1998
(3) डब्ल्यू0 आई0 सी0ए0एस0ए0 का क्षेत्रीय सम्मेलन, नागपुर 12-13 दिसम्बर 1998

(4) सी0आई0सी0ए0एस0ए0 का क्षेत्रीय सम्मेलन, रायपुर 8–9 जनवरी 1999
(5) एस0आई0सी0ए0एस0ए0 का वार्षिक सम्मेलन, चेन्नई 13 – 14 फरवरी 1999

12.1.13 तारीख 1 और 2 अगस्त, 1998 को इन्दौर में 11वें अखिल भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका विषय वृत्तिक लेखाकार नई चुनौतियां (प्रोफेशनल अकाउन्टेंट – दि न्यू चैलेंज्स) था। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न भागों से लगभग 850 छात्रों ने रिकार्ड संख्या में भाग लिया था। सम्मेलन का उद्घाटन देवी अय्यरलाल द्वारा किया गया था। और उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा अभिभाषण दिया गया था। छात्रों द्वारा दिए गए 12 तकनीकी विषयों पर 15 पेपरों पर चार तकनीकी सत्रों में विचार विमर्श किया गया था। विचार विमर्श में भाग लेने वाले छात्रों ने अपने ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन किया। सार्वभौम युग में लेखाकार (अकाउन्टेंट्स इन ग्लोबलाइजेशन इरा) विषय पर अखिल भारतीय स्वर्ण जयंती सी0ए0 छात्र सम्मेलन तारीख 7 और 8 अगस्त 1999 को बड़ौदा में होना निर्धारित है।

12.1.14 वर्ष के दौरान, छात्रों के लिए तीन टेलीकान्फ्रेंसिंग कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से इलैक्ट्रानिक मीडिया प्रोडक्शन सेन्टर द्वारा में आयोजित किये गये थे उतम कार्यक्रमों में लेखाकर्म मानक, पूंजीगत लाभ कराधान और लेखापरीक्षण व्यवसाय पर विवरण विषयों को सम्मिलित किया गया था। सैकड़ों छात्रों ने इग्नू के विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों से इस कार्यक्रम को देखा था और एस0टी0डी0 काल और फैक्स के माध्यम से कुशल व्यक्तियों से परस्पर संपर्क किया। कांग्रेस तिथि पर चौथा टेलीकान्फ्रेंसिंग कार्यक्रम मई, 1999 में आयोजित किया गया था।

12.1.15 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संस्थान की निधियों में से 330 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी। योग्यता-सह जरूरत पर आधारित छात्रवृत्तियां–20, योग्यता छात्रवृत्तियां 24, जरूरत पर आधारित छात्रवृत्तियां 229, आंशिक निःशुल्क वृत्तियां – 57 इसी प्रकार, 33 छात्रों को इस प्रयोजन के लिए सृजित विभिन्न विन्यासों से होने वाली आय से छात्र वृत्तियां दी गई थी।

12.1.16 बोर्ड ने विद्यमान विन्यास निधियों की संग्रह राशि को कम से कम 25,000 रुपए तक बढ़ाने का विनिश्चय किया जिससे कि 250 रुपए प्रतिमास की न्यूनतम छात्रवृत्ति दिए जाने को सुकर बनाया जा सके। कुछ विद्यमान निधियों के दाताओं से अतिरिक्त अभिदाय प्राप्त किए गए थे। जिससे कि उपयुक्त मामलों में संग्रह राशि को बढ़ाया जा सके।

12.1.17 सी0ए0 पाठ्यक्रम को पढ़ने वाले शालाध्य और जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए दो विन्यासों का सृजन किया गया था। '

- राजकुमार विन्यास निधि (30,000/– रुपए)
- गुरबक्श सिंह जसविंदर सिंह बग्गा स्मारक छात्रवृत्ति निधि (25,000/= रुपए)

12.1.18 वर्ष के दौरान, 5 नई श्रव्य कैसटों का विमोचन किया गया। इनमें तीन कैसेटें वे हैं जिनमें स्वर्ण जयंती के स्वर्णोत्सव में पूर्व अध्यक्षों की वार्ता अंतर्विष्ट है। एक और कैसेट का, जिसमें पूर्व अध्यक्ष की वार्ता है, जुलाई 1999 में विमोचन किया गया है।

12.1.19 पूर्व छात्रों के लिए एक नई स्कीम शुरू की गई थी। जिससे कि वे छात्र, जिन्होंने अपने आर्टिकल्स तो पूरे कर लिए हैं किन्तु इंटरमीडिएट/फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके, 200/- रुपए की मामूली फीस का संदाय करके बोर्ड की नामावलि में बने रहें और समय-समय पर बोर्ड के उपयोगी प्रकाशन प्राप्त करते रहें।

12.2 छात्र सूचना-पत्र

मासिक छात्र सूचना पत्र-'दि चार्टर्ड एकाउन्टेंट स्टूडेंट' छात्रों में लोकप्रिय और उनके लिये उपयोगी बनाया हुआ है। सूचना-पत्र के पृष्ठों की संख्या बढ़ाकर 20 कर दी गई है। इसमें वृत्तिक विषयों पर, शैक्षिणिक मार्गदर्शन पर अनेक उपयोगी लेख, अनुपूरक अध्ययन सामग्री और परीक्षाओं के लिए प्रभावी रूप से तैयारी करने संबंधी और संघर्ष तथा अन्य व्यक्तिगत कार्यों के विकास संबंधी सुझाव/युक्तियां होती हैं। सूचना-पत्र के प्रत्येक अंक में प्रकाशित दो सर्वोत्तम लेखों के लिए दो नकद पुरस्कार देने का विनिश्चय किया गया है। सूचना पत्र के प्रथम अंक में प्रकाशित निम्नलिखित दो सर्वोत्तम लेखों के लिए पुरस्कार दिए गए थे।

1. सही व्यवसायी = श्री पी0एम0 शाह, जून 1997 (प्रथम पुरस्कार)
2. अनुसचिवों से परिचय=सुश्री आइवी प्रिया चीव जनवरी 1998 (द्वितीय पुरस्कार)

12.3 चार्टर्ड एकाउन्टेंट छात्र एसोसिएशन की शाखाएं

चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम के छात्रों को अध्येता भावना के विकास और सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक प्रोन्नयन में छात्रों को सक्रिय रूप से सम्मिलित करने की दृष्टि से संस्थान की परिषद् छात्रों को चार्टर्ड एकाउन्टेंट छात्र एसोसिएशन की शाखाएं स्थापित करने के लिए सदैव प्रोत्साहित किया है।

12.4 एस0 वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि

31 मार्च 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, चार्टर्ड अकाउन्टेंसी पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों को प्रतिमास 150/- रुपए मूल्य की 50 छात्रवृत्तियां दी गई थी। तारीख 31 मई, 1999 को निधि की सदस्य संख्या 278 थी। तारीख 31 मार्च, 1999 को निधि के जमा खाते में 3,27,010.05 रुपए अतिशेष में थे, जबकि तारीख 31 मार्च, 1998 को यह अतिशेष राशि 2,72,695/- रुपए थी।

12.5 चार्टर्ड अकाउन्टेंट पाठ्यक्रम को मान्यता

विभिन्न विश्वविद्यालयों से निरंतर अनुबंधन करते हुए विश्वविद्यालय और उच्चतर माध्यमिक बोर्ड संपर्क समिति कुल मिलाकर 59 विश्वविद्यालयों से चार्टर्ड अकाउन्टेंसी पाठ्यक्रम के लिए और साथ ही तीन भारतीय प्रबंधन संस्थान आई0आई0एम0 और भारतीय विश्वविद्यालयों की एसोसिएशन (एसोसिएशन आफइंडियन यूनिवर्सिटीज) पी0एच0डी0/फेलो कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए मान्यता अभिप्राप्त करने में सफल रही है।

13. क्षेत्रीय परिषदें और उनकी शाखाएं

13.1 संस्थान की पांच क्षेत्रीय परिषदें है अर्थात पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद्, पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद, मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद, और उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद् जिनके मुख्यालय क्रमशः मुम्बई, चेन्नई, कलकत्ता, कानपुर और नई दिल्ली में हैं।

13.1.1 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, परिषद् ने पांच नई शाखाएं निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित करने का विनिश्चय किया है (1) पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद् की अधिकारिता के अधीन राऊरकेला में (2) मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद् के अधीन मुरादाबाद में, (3) पानीपत में (4) गुड़गांव में, और (5) उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद् के अधीन पटियाला में। इस प्रकार, तारीख 31.07.1999 को क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं की कुल संख्या परिशिष्ट 9 में दी गई है।

13.1.2 वर्ष के दौरान, संस्थान का एक चेप्टर (सभा) देश के बाहर नैरोबी (केन्या) में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही संस्थान के चेप्टरों की संख्या 10 हो गई है। भारत के बाहर स्थित संस्थान के चेप्टरों की सूची परिशिष्ट 9 में दी गई है।

13.1.3 अवधि के दौरान, परिषद् ने सात नए निर्देश पुस्तकालय पश्चिमी क्षेत्र में इचलकरंजी, भावनगर और अकोला में, दक्षिणी क्षेत्र में अनंतपुरम में और मध्य क्षेत्र में बीकानेर, सतना तथा रतलाम में स्थापित करने का भी विनिश्चय किया है।

13.2 शाखा भवन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, क्षेत्रीय परिषदों की कुछ शाखाएं अपने स्वयं के भवनों को बनाने में रूचि दिखा रही हैं जबकि विशाखापट्टनम, सेलेम, जोधपुर और हिसार की शाखाएं अपनी भवन परियोजनाएं पूरी कर चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ शाखाओं में शाखा परिसरों का सम्मिमार्ण/ अतिरिक्त सम्मिमार्ण कार्य प्रगति पर है।

13.3 आवर्ति शील्ड

वर्ष 1986-87 से, संस्थान प्रत्येक वर्ष सर्वोत्तम क्षेत्रीय परिषद् को आवर्ती शील्ड प्रदान करता आ रहा है। यह पुरस्कार समग्र कार्य-पालन के आधार पर दिया जाता है। इसी प्रकार, प्रतिवर्ष सर्वोत्तम शाखा को पृथक आवर्ती शील्ड दी जाती है। यह पुरस्कार नियत मापदंडों के आधार पर दिया जाता है। वर्ष 1999 के लिए, ये शील्ड वार्षिक समारोह में प्रदान की जाएंगी।

13.4 नए विकेन्द्रीकृत कार्यालय

क्षेत्रीय स्तर पर कार्य/क्रियाकलापों की मात्रा बढ़ने के तथ्य पर विचार करते हुए और उन त्वरित और व्यक्तिगत सेवा मूल्यों को जिन्हें कि विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, स्वीकार करते हुए संस्थान की परिषद् ने पांच विकेन्द्रीकृत कार्यालय पहले ही दक्षिणी क्षेत्र में बंगलौर और हैदराबाद में, पश्चिमी

क्षेत्र में अहमदाबाद और पुणे में और मध्यक्षेत्र में जयपुर में स्थापित कर दिए हैं इसके अतिरिक्त, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, कानपुर और नई दिल्ली में पहले ही विकेन्द्रीकृतकार्यालय कार्य कर रहे हैं।

14. वित्त और लेखा

तारीख 31 मार्च 1999 तक का परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष का आय-व्यय लेखा संलग्न है।

15. आभार

15.1 परिषद् संस्थान के उन सभी सदस्यों की कृतज्ञ है जिन्होंने संस्थान की समितियों में सहयोजित सदस्यों के रूप में कार्य किया और उन गैर सदस्यों के प्रति कृतज्ञ है जिन्होंने वर्ष 1998-99 के दौरान परिषद् की उसके शैक्षिक, तकनीकी और अन्य विकासशील क्रियाकलापों तथा उनकी परीक्षाओं के संचालन में सहायता की।

15.2 परिषद् केन्द्रीय सरकार और परिषद् में उसके नामनिर्देशितियों द्वारा वर्ष 1998-99 के दौरान दी गई सहायता और समर्थन के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती है। परिषद भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, केन्द्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रति स्वर्ण जयंती समारोहों में तहेदिल से भाग लेने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है।

15.3 परिषद् संस्थान के सभी अधिकारियों और कर्मचारिवृंद का वर्ष 1998-99 के दौरान उनके द्वारा किए गए सच्चे और सेवानिष्ठ प्रयासों के लिए अपना आभार व्यक्त करती है।

सदस्यों के आंकड़े (01.04.1994 से)

सारणी I

	01.04.1994 को	01.041995 को	01.04.96 को	01.04.97 को	01.04.98 को	01.04.1999 को
फैलो	29,866	32,585	34,971	36,995	39,204	41,311
एसोशियेट	38,522	38,378	39,381	41,511	44,976	48,280
योग	**68,388**	70,963	**74,352**	**78,506**	**84,180**	**89,591** *

सदस्यों के आंकड़े (01.04.1951 से)

सारणी II

	01.04.1951	01.041961	01.04.1971	01.04.1981	01.04.1991
फैलो	672	1,590	3,326	8,642	22,136
एसोशियेट	1,285	4,059	7,901	16,796	36,862
योग	**1,957**	**5,649**	**11,227**	**25,438**	**58,998**

छात्र रजिस्ट्रीकरण वृद्धि आंकंडे (31.03.1994 से)

	31.03.1994	31.03.1995	31.03.1996	31.03.1997	31.03.1998	31.03.1999
फाउन्डेशन	30,250	29,717	29,015	28,209	37,052	43,809
इंटरमीडिएट	19,335	18,531	19,288	21,354	24,652	28,253
अंतिम	**5,865**	5,770	**8,675**	**9,275**	**9,394**	**12,227**

* उपलब्धता में परिवर्तन सम्भावित

वार्षिक रिपोर्ट के परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1

(संदर्भ - रिपोर्ट का पैरा 2)

वर्ष 1999 - 2000 के लिए स्थायी तदर्थ / विशेष प्रयोजन और गैर-स्थायी समितियों का गठन

(क) स्थायी समितियां

कार्य समिति

श्री एस0पी0 छाजेड, अध्यक्ष	मुम्बई
श्री जी0 सीतारमन्, उपाध्यक्ष	चेन्नई
श्री के0एस0 विकामसे	मुम्बई
श्री आर0 भूपति	चेन्नई
श्री एस0सी0 गुप्ता	नई दिल्ली

परीक्षा समिति

श्री एस0पी0 छाजेड, अध्यक्ष	मुम्बई
श्री जी0 सीतारमन्, उपाध्यक्ष	चेन्नई
श्रीमती भावना जी0 दोषी	मुम्बई
श्री राहुल राय	कलकत्ता
श्री सुनील गोयल	जयपुर

अनुशासन समिति

श्री एस0पी0 छाजड़, अध्यक्ष	मुम्बई
श्री जी0 सीतारमन, उपाध्यक्ष	चेन्नई
श्री अमरजीत चोपड़ा	नई दिल्ली
श्री अशोक के0 चान्डक	नागपुर
श्री एस0 बालासुब्रम्नयन	नई दिल्ली

(ख) तदर्थ / विशेष प्रयोजन समितियां

पुनशक्ति (विजन) और पुनसंरचना समिति

श्री एस0 गोपालाकृष्णन, सभापति		हैदराबाद
श्री अशोक कुमार चांड़क, उपसभापति		नागपुर
श्री जी0 सीतारमन, उपाध्यक्ष (पदेन)		चेन्नई
श्री डी0के गुप्ता		लुधियाना
श्री एम0एम0 खन्ना		नई दिल्ली
श्री एन0 नित्यानंदा		बैंगलौर
श्री राहुल राय		कलकत्ता
श्री एस0वी0 बारवे		पूना
श्री सी0 श्रीवत्सन	} सहयोजित	बैंगलोर
श्री कमाल फारूकी		नई दिल्ली
श्री निलेश एस0 विकमसे		मुम्बई
श्री पी0 आर0 रमेश		कलकत्ता
श्री एस0 रमेश		हैदराबाद

स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति

श्री के0पी0 खण्डेलवाल, सभापति	कलकत्ता
श्री आर0 एस0 अदुकिया, उपसभापति	मुम्बई

श्री एस0पी0 छाजेड़, अध्यक्ष (पदेन)		मुम्बई
श्री जी0 सीतारमन, उपाध्यक्ष (पदेन)		चेन्नई
श्री अमरजीत चोपड़ा		नई दिल्ली
श्री एच0एन0 मोतीवाला		मुम्बई
श्री आर0 भूपति		चेन्नई
श्री राहुल राय		कलकत्ता
श्री एस0सी0 गुप्ता		नई दिल्ली
श्री सुनील गोयल		जयपुर
श्री बी0टी0 ठक्कर	सहयोजित	अहमदाबाद
श्री पिनाकिन डी0 देसाई	सहयोजित	मुम्बई
श्री पी0एन0 शाह	सहयोजित	मुम्बई
श्री रविन्द्रा रानीवाला	सहयोजित	जयपुर
श्री विनोद बंसल	सहयोजित	नई दिल्ली

निर्वाचन सुधार समिति

श्री एस0पी0 छाजेड़, अध्यक्ष (सभापति)		मुम्बई
श्री जी0 सीतारमन, उपाध्यक्ष (उपसभापति)		चेन्नई
श्री ए0सी0 शाह,		अहमदाबाद
श्री एन0डी0 गुप्ता		कानपुर
श्री एन0के0 गुप्ता		कानपुर
श्री राहुल राय		कलकत्ता
श्री एस0सी0 भदरा		भुवनेश्वर
श्री एस0 एल0 डागा		हैदराबाद
श्री एस0बी0 बरवे		पूना
श्री विनोद जैन		नई दिल्ली
श्री अरूण कुमार सवत	सहयोजित	भुवनेश्वर
श्री प्रवीन एन0 वेपारी	सहयोजित	मुम्बई
श्री आर0सी0 अग्रवाल	सहयोजित	इलाहाबाद
श्री सत्यनारायन गोयल	सहयोजित	इन्दौर
श्री सुनील गुप्ता	सहयोजित	चण्डीगढ़

(ग) गैर–स्थायी समितियां

लेखा मानक बोर्ड

श्री एम0एन0 खन्ना, सभापति		नई दिल्ली
श्री राहुल राय, उपसभापति		कलकत्ता
श्री एस0पी0 छाजेड़, अध्यक्ष (पदेन)		मुम्बई
श्री जी0 सीतारमन, उपाध्यक्ष (पदेन)		चेन्नई
[illegible]		नई दिल्ली
[illegible]		नई दिल्ली
श्रीमती [illegible]		मुम्बई
[illegible]		नई दिल्ली
श्री के0एस0 [illegible]		मुम्बई
श्री एन0 नित्यानंदा		बैंगलौर
श्री एस0 बालासुब्रमनीयन		नई दिल्ली
श्री एस0सी0 वासुदेवा	सहयोजित	नई दिल्ली
श्री बी0 रामाकृष्णन्	सहयोजित	मुम्बई

बाहरी निकायों के मनोनीत सदस्य

श्री ऐ0 घोष, प्रतिनिधि, आर0बी0आई0	मुम्बई
श्री एच0 बी0 लोढा, प्रतिनिधि, एफ0आई0सी0सी0आई0	कलकत्ता

श्री महेश शाह, प्रतिनिधि, आई0सी0 डब्ल्यू0 ए0 आई0		कलकत्ता
श्री एन0जे0एम0 वाजिफदर, प्रतिनिधि, एसोचेम		मुम्बई

विशेष आमंत्रित सदस्य

श्रीमती अर्चना निगम , प्रतिनिधि सी0जी0ए0		नई दिल्ली
श्री जे0 श्रीधर, प्रतिनिधि आर0सी0एस0आई0		पूना
श्री के0 एल0 वर्मा, प्रतिनिधि, सी0बी0ई0सी0		नई दिल्ली
श्री एम0डी0 पटेल, प्रतिनिधि, सेबी		मुम्बई
श्री आर0एम0 माल्या, प्रतिनिधि, आई0डी0बी0आई		मुम्बई
श्री एस0 रविन्द्रन, प्रतिनिधि, सेबी		मुम्बई
श्री प्रोफेसर विपुल, प्रतिनिधि, आई,आई0एम0		लखनऊ
श्री वी0एल0 गुप्ता प्रतिनिधि, यू0जी0सी		मुम्बई

संपरीक्षा पद्धति समिति

श्री एच0एम0 मोतीवाला, सभापति		मुम्बई
श्री एम0एम0 खन्ना, उपसभापति		नई दिल्ली
श्री एस0पी0 छाजेड़, अध्यक्ष (पदेन)		मुम्बई
श्री ए0सी0 शाह		अहमदाबाद
श्री ए0के चक्रवर्ती		नई दिल्ली
श्री के0पी0 खण्डेलवाल		कलकत्ता
श्री एस0 गोपालाकृष्णन्		हैदराबाद
श्री जी0 नारायणस्वामी	सहयोजित	चेन्नई
श्री के0जी0 सोमानी	सहयोजित	नई दिल्ली
श्री एम0एम0 चितले	सहयोजित	मुम्बई
श्री संजीव चौधरी	सहयोजित	नई दिल्ली

सतत् वृत्तिक शिक्षा समिति

श्री एस0एल0 डागा, सभापति		हैदराबाद
श्री सुनील गोयल, उपसभापति		जयपुर
श्री जी0 सीतारमन्, उपाध्यक्ष (पदेन)		चेन्नई
श्रीमती भावना जी0 दोषी		मुम्बई
श्री एम0 सी0 जोसेफ		कोच्चि
श्री आर0 एस0 आदुकिया		मुम्बई
श्री एस0सी0 गुप्ता		नई दिल्ली
श्री सी0 पारथासारथी	सहयोजित	हैदराबाद
डा0 धर्मेन्द्र भंडारी	सहयोजित	जयपुर
श्री फ्रांसिस अमलजोर्ज बी0	सहयोजित	दूटीकोरिन
श्री टी0आर जलनावाला	सहयोजित	औरंगाबाद

उद्योगों के सदस्यों की समिति

श्री एस0वी0 बारवे सभापति		पूना
श्री एम0सी0 जोसेफ, उपसभापति		कोच्चि
श्री जी0 सीतारमन्, उपाध्यक्ष (पदेन)		चेन्नई
श्री अशोक कुमार चंडक		नागपुर
श्री डी0के0 गुप्ता		लुधियाना
श्री एच0 जी0 अग्रवाल		इलाहाबाद
श्री के0पी0 खण्डेलवाल		कलकत्ता
सुश्री एच0ए0 दारूवाला	सहयोजित	मुम्बई
श्री जयन्त रानाडे	सहयोजित	नागपुर
श्री एस0 रवि	सहयोजित	नई दिल्ली
श्री एस0 के जोशी	सहयोजित	नई दिल्ली

वित्त विधिया समिति

श्री एन0डी0 गुप्ता, सभापति		नई दिल्ली
श्री एच0एन0 मोतीवाला, उपसभापति		मुम्बई
श्री एस0पी0 छाजेड, अध्यक्ष (पदेन)		मुम्बई
श्री अमीताव कोठारी		कलकत्ता
श्री जी0सी0 श्रीवास्तव		नई दिल्ली
श्री के0एस0 विकसमे		मुम्बई
श्री आर0 भूपति		चेन्नई
श्री नागिनचंद खिन्था, एच0	सहयोजित	बैंगलोर
श्री एन0के0 पोद्धार		कलकत्ता
श्री एस0के0 खुराना		दिल्ली
श्री वेद कुमार जैन		नई दिल्ली

निगमित विधिया समिति

श्री अमीताव कोठारी, सभापति		कलकत्ता
श्री एन0 नित्यानंद, उपसभापति		बैंगलौर
श्री जी0 सीतारमन, उपाध्यक्ष (पदेन)		चेन्नई
श्री एच0 एन0 मोतीवाला		मुम्बई
श्री के0एस0 वीकमसे		मुम्बई
श्री एस0 बालासुब्रमनयम्		नई दिल्ली
श्री विनोद जैन		नई दिल्ली
श्री अर्पित के0 पटेल	सहयोजित	अहमदाबाद
श्री होमी एम0 दामानिया		मुम्बई
श्री नरेन्द्र कपूर		कानपुर
श्री टी0जी0 केशवानी		नई दिल्ली

सदाचार मानंदडो और संपरिक्षकों को अनुचित ढंग से हटाये जाने संबंधी समिति

श्री एस0 सी0 भदरा, सभापति		भुवेनश्वर
श्रीमती भावना जी0 दोषी, उपसभापति		मुम्बई
श्री जी0 सीतारमन, उपाध्यक्ष (पदेन)		चेन्नई
श्री ए0सी0 शाह		अहमदाबाद
श्री ए0के0 चक्रावर्ती		नई दिल्ली
श्री एन0के0 गुप्ता		कानपुर
श्री एस0 गोपालकृष्णन्		हैदराबाद
श्री ए0के0 चक्रवर्ती		कलकत्ता
श्री जाल इ0 दस्तूर	सहयोजित	मुम्बई
श्री राजेन्द्र पात्रो		भुवनेश्वर
श्री वी0सी0 डरक		मुम्बई

विशेषज्ञ सलाहाकार समिति

श्री एच0 जी0 अग्रवाल, सभापति		इलाहाबाद
श्री एस0 गोपालकृष्णन, उपसभापति		हैदराबाद
श्री जी0 सीतारमन्, उपाध्यक्ष (पदेन)		चेन्नई
श्री अशोक के0 चंडक		नागपुर
श्री एम0एम0 खन्ना		नई दिल्ली
श्री एन0के0 गुप्ता		कानपुर
श्री एस0 वी0 बारवे		पुणे
श्री ऐ0 एच0 दलाल		मुम्बई
श्री जी0 कार्तीकेयन	सहयोजित	कोयम्बटूर
श्री एच0 सी0 झागत		नवी मुम्बई
श्री सतीश शाह		मुम्बई

अध्यापन बोर्ड

श्री आर0 एस0 आदुकिया सभापति		मुम्बई
श्री एन0के0 गुप्ता, उपसभापति		कानुपर
श्री जी0 सीतारमन, उपाध्यक्ष (पदेन)		चेन्नई
श्री एच0जी0 अग्रवाल		इलाहाबाद
श्री एस0सी0 भदरा		भुवनेश्वर
श्री एस0एल0 डागा		हैदराबाद
श्री विनोद जैन		नई दिल्ली
श्री अभय वी0 आरोलकार	सहयोजित	मुम्बई
श्री अश्विनी कुमार	सहयोजित	लुधियाना
श्रीमती प्रिया भंसाली	सहयोजित	कोयम्बटूर
श्री उदय वी0 साठे	सहयोजित	मुम्बई

विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संपर्क समिति

श्री एम0 सी0 जोसेफ, सभापति		कोच्चि
श्री एच0जी0 अग्रवाल, उपसभापति		इलाहाबाद
श्री जी0 सीतारमन, उपाध्यक्ष (पदेन)		चेन्नई
श्री डी0के0 गुप्ता		लुधियाना
श्री आर0 एस0 अदुकिया		मुम्बई
श्री सुनील गोयल		जयपुर
श्री एस0सी0 बारवे		पुणे
श्री दिलीप वी0 सतभाई	सहयोजित	पुणे
श्री जी0डी0 गुप्ता	सहयोजित	नई दिल्ली
श्री के0 वर्गीस	सहयोजित	कोल्लम
श्री संजीव कुमार अग्रवाल	सहयोजित	भिलाई

वृत्तिक विकास समिति

श्री एन0के0 गुप्ता, सभापति		कानपुर
श्री अमरजीत चोपड़ा, उपसभापति		नई दिल्ली
श्री एस0 पी0 छाजेड़, अध्यक्ष (पदेन)		मुम्बई
श्री अशोक के0 चंडक		नागपुर
श्री एस0 सी0 भदरा		भुवनेश्वर
श्री एस0सी0 गुप्त		नई दिल्ली
श्री एस0 गोपालकृष्णन्		हैदराबाद
श्री विनोद जैन		नई दिल्ली
श्री ए0 राय चौधरी	सहयोजित	कलकत्ता
श्री अश्विनी कुमार गुप्ता	सहयोजित	लखनऊ
श्री जे0 ओसतावाल	सहयोजित	बैंगलौर
श्री सुधीर चंद्र अग्रवाल	सहयोजित	पटना

लोक संबंध समिति

श्री एन0 नित्यानंद, सभापति		बैंगलौर
श्री एन0 डी0 गुप्ता, उपसभापति		नई दिल्ली
श्री एस0पी0 छाजेड़, अध्यक्ष (पदेन)		मुम्बई
श्री डी0के0 गुप्ता		लुधियाना
श्री एम0 सी0 जोसेफ		कोच्चि
श्री आर0 एस0 आदुकिया		मुम्बई
श्री एस0 एल0 डागा		हैदराबाद
श्री आर0 एन0 रस्तोगी	सहयोजित	कलकत्ता
श्री आर0एन0 वेकटंकृष्ण	सहयोजित	बैंगलोर
श्री उत्तम चंद वी0 बाफना	सहयोजित	मुम्बई
श्री विनय कुमार जैन	सहयोजित	दिल्ली

अनुसंधान समिति

श्री ए0सी0 शाह, सभापति		अहमदाबाद
श्री आर0 भूपति, उपसभापति		चेन्नई
श्री जी0 सीतारमन, उपाध्यक्ष (पदेन)		चेन्नई
श्रीमती भावना जी0 दोषी		मुम्बई
श्री एच0 जी0 अग्रवाल		इलाहाबाद
श्री के0पी0 खण्डेलवाल		कलकत्ता
श्री एम0 एम0 खन्ना		नई दिल्ली
श्री अनिल गोयल	सहयोजित	जयपुर
श्री के0एस0 मेहता	सहयोजित	नई दिल्ली
श्री संजय वासुदेव	सहयोजित	नई दिल्ली
श्री सुमेरमल एम0 खीनवेसरा	सहयोजित	मुम्बई

अंतराष्ट्रीय कार्य समिति

श्री एस0पी0 छाजेड़, सभापति		मुम्बई
श्री जी0 सीतारमन, उपसभापति		चेन्नई
श्री आर0 भूपति		चेन्नई
श्री अभिताव कोठारी		कलकत्ता
श्री राहुल राय		कलकत्ता
श्री एस0सी0 गुप्ता		नई दिल्ली
श्री गोतम बी0 दोषी	सहयोजित	मुम्बई
श्री एस0 नंदगोपाल	सहयोजित	चेन्नई
श्री टी0एस0 विश्वनाथ	सहयोजित	नई दिल्ली

आई0सी0ए0आई0–आई0सी0डब्ल्यू0ए0आई0–आई0सी0एस0आई0 समन्वय समिति

श्री एस0पी0 छाजेड़, प्रमुख		मुम्बई
श्री जी सीतारमन, उपप्रमुख		चेन्नई
श्री जी0 सी0 श्रीवास्तव		नई दिल्ली
श्री के0पी0 खण्डेलवाल		कलकत्ता
श्री एस0 बालासुब्रह्मनयन		नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

श्री एस0 पी0 छाजेड, प्रधान संपादक		मुम्बई
श्री जी0 सीतारमन, सह संपादक		चेन्नई
श्री अमरजीत चोपड़ा		नई दिल्ली
श्री एच0 एन0 मोतीवाला		मुम्बई
श्री राहुल राय		कलकत्ता
श्री सुशील गोयल		जयपुर
श्री आयलूर रामकृष्णम	सहयोजित	मुम्बई
श्री जे0 एन0 मित्तल	सहयोजित	नई दिल्ली
श्री लक्ष्मी निवास शर्मा	सहयोजित	हैदराबाद
श्री नारायणदास के0 वर्मा	सहयोजित	मुम्बई

वित्तीय बाजार और निवेशक संरक्षण समिति

श्री विनोद जैन, सभापति		नई दिल्ली
श्री के0पी0 खण्डेलवाल, उपसभापति		कलकत्ता
श्री एस0पी0 छाजेड़, अध्यक्ष (पदेन)		मुम्बई
श्री ए0सी0 शाह		अहमदाबाद
श्री अमिताव कोठारी		कलकत्ता
श्री के0एस0 विकमसे		मुम्बई
श्री एन0डी0 गुप्ता		नई दिल्ली
श्री एन0 नित्यानंद		बैंगलौर

श्री आनंद के० राठी	सहयोजित	मुम्बई
श्री अरुण कुमार आर० गांधी		मुम्बई
श्री रमेश शर्मा		नई दिल्ली
श्री आर०एस० झावर		कलकत्ता

राष्ट्रीय अकादमी समिति*

श्री डी०के० गुप्ता, सभापति	लुधियाना
श्री एस०सी० भवरा, उपसभापति	भुवनेश्वर
श्री जी० सीतारामन्, उपाध्यक्ष (पदेन)	चेन्नई
श्री एन० सी० जोसेफ	कोच्चि
श्री एन० डी० गुप्ता	नई दिल्ली
श्री एस० एल० डागा	हैदराबाद

(घ) अन्य

15वीं अखिल भारतीय सम्मेलन समिति

श्री एस०पी० छाजेड़, सभापति	मुम्बई
श्री जी० सीतारामन, सहसभापति	चेन्नई
श्री अमरजीत चोपड़ा	नई दिल्ली
श्री ए०के० चक्रवर्ती	नई दिल्ली
श्री डी०के० गुप्ता	लुधियाना
श्री जी०सी० श्रीवास्तव	नई दिल्ली
श्री के०पी० खण्डेलवाल	कलकत्ता
श्री के०एस० विकमसे	मुम्बई
श्री एम०एम० खन्ना	नई दिल्ली
श्री एन०डी० गुप्ता	नई दिल्ली
श्री एन०के० गुप्ता	कानपुर
श्री आर० भूपति	चेन्नई
श्री राहुल राय	कलकत्ता
श्री एस० बालसुब्रह्मण्यम	नई दिल्ली
श्री एस०सी० गुप्ता	नई दिल्ली
श्री विनोद जैन	नई दिल्ली
श्री विजय झालानी, सभापति, एन०आई०आर०सी०	नई दिल्ली
श्री अनिल कुमार अग्रवाल, उपसभापति, एन०आई०आर०सी०	नई दिल्ली
श्री प्रवीन कुमार बंसल, सचिव, एन०आई०आर०सी०	नई दिल्ली
श्री चरनजीत सिंह नंदा, कोषाध्यक्ष, एन०आई०आर०सी०	नई दिल्ली

आई०सी०ए०आई – लेखा अनुसंधान फाउन्डेशन (ए०आर०एफ०)गठन

श्री डी०के० गुप्ता, सभापति
श्री एस०सी० भवरा, उपसभापति
श्री आशीष के० भट्टाचार्य, डीन एवं सचिव
श्री एस०पी० छाजेड़, अध्यक्ष, आई०सी०ए०आई
श्री जी० सीतारामन, उपाध्यक्ष, आई सी०ए० आई
श्री अशोक हल्दिया, सचिव, आईसी०ए०आई०
श्री एम०एस० विकमसे, पूर्व अध्यक्ष, आई०सी०ए०आई
श्री राहुलराय, पूर्व अध्यक्ष, आई०सी०ए०आई
श्री एन०सी० जोसेफ, परिषद सदस्य, आई०सी०ए०आई
श्री एन० डी० गुप्ता, परिषद सदस्य, आई०सी०ए०आई
श्री एस०एल०, डागा, परिषद सदस्य, आई०सी०ए० आई

*आई०सी०ए०आई० लेखा अनुसंधान फाउन्डेशन की संस्थापना के मद्देनजर मई 1999 से समायोजित

परिशिष्ट - 2

(संदर्भ रिपोर्ट का पैरा 4.2.3.)

1998 में आयोजित संस्थान की परीक्षाओं में बैठे और उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या

इंटरमीडिएट और अंतिम परीक्षा 1998

समूह इकाई	इन्टर मीडिएट		अंतिम	
	मई	नवम्बर	मई	नवम्बर
केन्द्रों की संख्या	57	57	65	65
समूह 1				
परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या	26943	33666	13806	13403
उत्तीर्ण घोषित छात्रों की संख्या	5126	5431	3708	1911
समूह - 2				
परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या	23083	28264	15406	14482
उत्तीर्ण घोषित छात्रों की संख्या	5377	8021	4674	4445
(दोनों समूहों का)				
परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या	12041	16478	7210	6423
उत्तीर्ण घोषित छात्रों की संख्या	1435	2678	1590	714
इकाई				
परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या	1474	1154	82	70
उत्तीर्ण घोषित छात्रों की संख्या	279	240	3	2

फाउंडेशन परीक्षा - 1998

परीक्षा का माह और वर्ष	केन्द्रों की संख्या	परीक्षा में बैठनेवाले छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण घोषित छात्रों की संख्या
मई 1998	56	20214	5755
नवम्बर 1998	64	15918	2638

परिशिष्ट - III

(संदर्भ-रिपोर्ट का पैरा 4.2.4)

मई और नवम्बर, 1998 में आयोजित संस्थान की परीक्षाओं में पुरस्कार विजेताओं के नाम

अंतिम परीक्षा

निम्नलिखित अभ्यार्थियों को योग्यता प्रमाण-पत्र दिये गए :-

स्थान	मई 1998 परीक्षा		नवम्बर - 1998 परीक्षा	
	अनुक्रमांक	नाम और प्राप्तांक	अनुक्रमांक	नाम और प्राप्तांक
I	11048	श्री बी. सरवन प्रसाद (800 में से 608 अंक)	10413	श्री आसिफ हुसैन मालवाड़ी (800 में से 531 अंक)
II	11124	सुश्री रोशी जैन (800 में से 577 अंक)	01891	श्री बसन्त माहेश्वरी (800 में से 530 अंक)
III	21665	श्री विवेक गुप्ता (800 में से 571 अंक)	02125	सुश्री निशा भाटी (800 में से 504 अंक)

पुरस्कार का नाम (1)	आधार (2)	मई 1998 परीक्षा (3)	नवम्बर 1998 परीक्षा (4)
जी.पी. कापड़िया पथम अध्यक्ष स्वर्ण पदक	सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी	श्री बी. सरवन प्रसाद अनुक्रमांक 11048	श्री आसिफ हुसैनी अनुक्रमांक 10413
जे.एस. लोढ़ा स्वर्ण पदक			
रामचन्द्र सिंधी पुरस्कार			
सरदमा विश्वेश्वरैया रजत पदक			
आर. शिवेभोगम पुरस्कार	सर्वश्रेष्ठ महिला अभ्यर्थी	सुश्री रोशी जैन अनुक्रमांक 11124 (800 में से 577 अंक)	श्री निशा भाटी अनुक्रमांक 02125 (800 में से 504 अंक)
जयंती लाल के. ठक्कर स्मारक पुरस्कार	द्वितीय सवश्रेष्ठ अभ्यर्थी	सुश्री रोशी जैन अनुक्रमांक के 11124	श्री बसंत माहेश्वरी अनुक्रमांक 01891

(1)	(2)	(3)	(4)
डा0 आई0जी0 सिन्हा स्मारक पुरस्कार	तृतीय सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी	श्री विवेक गुप्ता अनुक्रमांक 21665	सुश्री मिशा अनुक्रमांक 02125
केरला वर्मा स्मारक पुरस्कार	समूह I में सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी	श्री बी. सरवन प्रसाद अनुक्रमांक 11048 (400 में से 312 अंक)	श्री आसिफ हुसैनी मालवाड़ी अनुक्रमांक 10413 (400 में से 265 अंक)
पी.एन. घोष स्मारक पुरस्कार	समूह II में सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी	सुश्री रोशी जैन अनुक्रमांक 11124 (400 में से 320 अंक)	श्री मनीष गुप्ता अनुक्रमांक 23507 (400 में से 276 अंक)
सर शापूरजी बिल्ली मोरिया पुरस्कार	लेखाकर्म पर सर्वोत्तम पेपर (पेपर 1और 2)	श्री बी. सरवन प्रसाद अनुक्रमांक 11048 (200 में से 183 अंक)	श्री मनीष कुमार अग्रवाल अनुक्रमांक 22478 (200 में से 155 अंक)
के.सी. खन्ना पुरस्कार और श्री डी. रंगास्वामी स्मारक पुरस्कार	उच्च लेखाकर्म में सर्वोत्तम (पेपर 1)	श्री बी. सरवन प्रसाद अनुक्रमांक 11048 (100 में से 99 अंक)	श्री मनीष कुमार अग्रवाल अनुक्रमांक 22478 (100 में से 77 अंक)
जे.के. दोशी पुरस्कार और स्वर्गीय ले0 कर्नल अम्बुज नाथ बोस स्मारक पुरस्कार	प्रबंध लेखाकर्म तथा वित्तीय विश्लेषण, पर सर्वोत्तम पेपर (पेपर 2)	संयुक्त रूप से श्री विकास बैंगानी अनुक्रमांक 8074 श्री सुदीप्त कुमार बैनर्जी अनुक्रमांक 18837 और सुश्री अनुपमा जिन्दल अनुक्रमांक 24086 (100 में से 85 अंक)	श्री अनिरूद्ध हेमंत थितनिस अनुक्रमांक 14492 (100 में से 93 अंक)
ए0एफ. फर्गुसन पुरस्कार और आर. वेंकटेशन स्मारक पुरस्कार	उच्च और प्रबंध संपरीक्षा पर सर्वोत्तम (पेपर 3)	श्री एस. चन्द्रशेखरन् अनुक्रमांक 10628 (100 में से 74 अंक)	श्री सिद्धार्थ कपूर अनुक्रमांक 12557 (100 में से 78 अंक)
सुखनन्दन गुप्ता कपूरी देवी पुरस्कार	महिला अभ्यर्थी जिसने उच्च और प्रबंध संपरीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए (पेपर 3)	श्रीमती शुक्ला शालिनी राजेन्द्र अनुक्रमांक 7488 (100 में से 70 अंक)	सुश्री असिता सोनी अनुक्रमांक 05422 (100 में से 76 अंक)
यू.सी. मजूमदार पुरस्कार और एस.एम. शाह पुरस्कार	कारपोरेट लाज़ एण्ड सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस पर सर्वोत्तम (पेपर 4)	श्री विवेक गुप्ता अनुक्रमांक 21665 (100 में से 72 अंक)	श्री सुधीर अनुक्रमांक 20387 (100 में से 64 अंक)
आर.बी.के. उमरजी पुरस्कार और एस.एस. घोष पुरस्कार	एडवांस्ड कोस्ट एकाउंटिंग एण्ड कोस्ट सिस्टम्स पर सर्वोत्तम पेपर (पेपर 5)	श्री विवेक गुप्ता अनुक्रमांक 21665 (100 में से 97 अंक)	श्री संदीप मंत्री अनुक्रमांक 01860 और श्री मोदी आशीष जयेन्द्र अनुक्रमांक 12814 और श्री मनीष गुप्ता अनुक्रमांक 23507 (100 में से 82 अंक) संयुक्त रूप से

(1)	(2)	(3)	(4)
मनीष गुप्ता स्मारक पुरस्कार और टी.आर. चड्ढा पुरस्कार	सिस्टम्स एनालेसिस डाटा प्रोसेसिंग एण्ड क्वांटिटेटिव टेकनीक्स पर सर्वोत्तम पेपर (पेपर 6)	श्री कृष्ण राजाराम अनुक्रमांक 5613 और श्री ज्योति कुमार अग्रवाल अनुक्रमांक 19541 (100 में से 84 अंक) संयुक्त रूप से	श्री मनीष गुप्ता अनुक्रमांक 23507 (100 में से 85 अंक)
एन.एम. शाह पुरस्कार सूरी स्मारक पुरस्कार और ए.जे. शाह अमिता स्मारक पुरस्कार	प्रत्यक्षकर पर सर्वोत्तम पेपर (पेपर 7)	सुश्री रिचा मित्तल अनुक्रमांक 22532 (100 में से 80 अंक)	श्री सचिन गुप्ता अनुक्रमांक 23764 (100 में से 73 अंक)
वंदना सूर्यनारायनम पुरस्कार और श्री एम.डी. राजाध्यिकर पुरस्कार	अप्रत्यक्षकर पर सर्वोत्तम पेपर (पेपर 8)	सुश्री रोशी जैन अनुक्रमांक 11124 (100 में से 82 अंक)	श्री के. कौशिक अनुक्रमांक 03920 श्री रतुल सेन गुप्ता अनुक्रमांक 10481 श्री राहुल बगरिया अनुक्रमांक 18827 और श्री विकास भूतरा अनुक्रमांक 18871 (100 में से 68 अंक)
जी. बासु फाउंडेशन पुरस्कार	वर्ष 1998 का सर्वश्रेष्ठ छात्र	श्री बी. सरवन प्रसाद मई 1998 परीक्षा	अनुक्रमांक 11048 (800 में से 608 अंक)
श्रीमती सरोजनी सीताराम स्मारक रजत पदक एस. विश्वनाथ स्मारक पुरस्कार और श्रीमती वंजना रानी पुरस्कार	वर्ष 1998 की सर्वश्रेष्ठ महिला अभ्यर्थी	सुश्री रोशी जैन मई 1998 परीक्षा	अनुक्रमांक 11124 (800 में से 577 अंक)
शैलेष कापड़िया रजत पदक	वर्ष 1998 के दूसरे सर्वश्रेष्ठ छात्रों में सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी		
आई.सी.ए.आई, दोहा केन्द्र पुरस्कार	वर्ष 1998 के तीसरे सर्वश्रेष्ठ छात्रों में सर्वश्रेष्ठ	श्री विवेक गुप्ता मई 1998 परीक्षा	अनुक्रमांक 21665 (800 में से 571 अंक)
एन.एन. दास पुरस्कार	समूह-I में वर्ष 1998 का सर्वश्रेष्ठ छात्र	श्री बी. सरवन प्रसाद मई 1998 परीक्षा	अनुक्रमांक 11048 (400 में से 312 अंक)
बालचन्द्र स्मारक रजत पदक	समूह-II में वर्ष 1998 का सर्वश्रेष्ठ छात्र	सुश्री रोशी जैन मई 1998 परीक्षा	अनुक्रमांक 11124 (400 में से 320 अंक)

इंटरमीडिएट परीक्षा

निम्नलिखित अभ्यार्थियों को योग्यता प्रमाण-पत्र दिये गए :-

स्थान	मई 1998 परीक्षा		नवम्बर - 1998 परीक्षा	
	अनुक्रमांक	नाम और प्राप्तांक	अनुक्रमांक	नाम और प्राप्तांक
I	37831	श्री कलाकोंडा सुधीर (600 में से 432 अंक)	01054	सुश्री के. सुभाषिणी (600 में से 446 अंक)
II	22871	श्रीसुमीत कुमार संघई (600 में से 403 अंक)	27325	श्री प्रमोद अच्युतन (600 में से 445 अंक)
III	32265	सुश्री अनुपमा तनेजा (600 में से 399 अंक)	01324	सुश्री जी. विद्या (600 में से 438 अंक)

पुरस्कार का नाम (1)	आधार (2)	मई 1998 परीक्षा (3)	नवम्बर 1998 परीक्षा (4)
जी.पी. कापडिया पथम अध्यक्ष पुरस्कार जे.एस. लोढ़ा स्वर्ण पदक	सर्वश्रेष्ठ छात्र	श्री कलाकोंडा सुधीर अनुक्रमांक 37831	सुश्री के सुभाषिणी अनुक्रमांक 01054
शैलेष कापड़िया पुरस्कार	द्वितीय सर्वश्रेष्ठ छात्र	श्री सुमीत कुमार संघई अनुक्रमांक 22871	श्री प्रमोद अच्युतन अनुक्रमांक 27325
सुदर्शन कुमार बालासारिया स्मारक पुरस्कार	सर्वश्रेष्ठ महिला अभ्यर्थी	संश्री अनुपामा तनेजा अनुक्रमांक 32265 (600 में से 399 अंक)	सुश्री के. सुभाषिणी अनुक्रमांक 01054 (600 में से 446)
प्रो. टी.एस. ग्रेवाल पुरस्कार	उच्च लेखाकर्म पर सर्वोत्तम पेपर (पेपर 1)	श्री पंकज मस्करा अनुक्रमांक 21198 श्री लक्ष्मी कांत अनुक्रमांक 24051 संयुक्त रूप से (100 में से 81 अंक)	सुश्री के. सुभाषिणी अनुक्रमांक 01054 और सुश्री जी. विद्या अनुक्रमांक 01324 (100 में से 90 अंक)
दिनेश हिम्मतलाल शाह पुरस्कार और के.सी. खन्ना पुरस्कार	संपरीक्षा पर सर्वश्रेष्ठ पेपर (पेपर 2)	श्री सचिन जैन अनुक्रमांक 1691 और सुश्री अनुपम मित्तल अनुक्रमांक 3045 और श्री सुमीत कुमार संघई अनुक्रमांक 22871 (100 में से 76 अंक) संयुक्त रूप से	श्री सुमेश सदानंद राव अनुक्रमांक 22563 (100 में से 81 अंक)
सुरेश सी. माथुर पुरस्कार	निगमित और अन्य विधियों पर सर्वश्रेष्ठ पेपर (पेपर 3)	श्री जहांगीर हुसैन अनुक्रमांक 36673 (100 में से 83 अंक)	श्री संदीप गर्ग अनुक्रमांक 04731 (100 में से 87 अंक)
वंदना सूर्यनारायनन् पुरस्कार	लागत लेखाकर्म पर सर्वोत्तम पेपर (पेपर 4)	श्री कालाकोंडा सुधीर अनुक्रमांक 37831 (100 में से 95 अंक)	श्री विद्या शंकररमन् अनुक्रमांक 19237 (100 में से 93 अंक)

पू.के. भार्गव पुरस्कार स्मारक	आयकर और केन्द्रीय बिक्रीकर पर सर्वोत्तम पेपर (पेपर 5)	श्री संजय छाबड़ा अनुक्रमांक 25753 (100 में से 87 अंक)	श्री प्रियुत जनक शाह अनुक्रमांक 13406 और सुश्री एस. अर्चना अनुक्रमांक 32685 (100 में से 85 अंक)
सूरी स्मारक पुरस्कार	वर्ष का सर्वश्रेष्ठ छात्र	सुश्री के. सुभाषिणी नवम्बर 1998 परीक्षा	अनुक्रमांक 01054 (600 में से 446 अंक)
आई.सी.ए.आई. [illegible] रजत पदक	वर्ष का दूसरा सर्वश्रेष्ठ छात्र	श्री प्रमोद अच्युतन नवम्बर 1998 परीक्षा	अनुक्रमांक 23325 (600 में से 445 अंक)

फाउंडेशन परीक्षा

निम्नलिखित अभ्यर्थियों को योग्यता प्रमाण-पत्र दिये गए :-

स्थान	मई 1998 परीक्षा		नवम्बर - 1998 परीक्षा	
	अनुक्रमांक	नाम और प्राप्तांक	अनुक्रमांक	नाम और प्राप्तांक
I	11327	सुश्री आर. श्रुति (400 में से 331 अंक)	13669	श्री विकास गुप्ता (400 में से 315 अंक)
II	04368	रोहित सेकसरिया (400 में से 319 अंक)	01147	सुश्री एस. विजयलक्ष्मी (400 में से 305 अंक)
III	09483	श्री मनीष गुप्ता (400 में से 317 अंक)	05553	श्री मनमोहन लाल (400 में से 304 अंक)

पुरस्कार का नाम (1)	आधार (2)	मई 1998 परीक्षा (3)	नवम्बर 1998 परीक्षा (4)
श्री सुल्तान चंद स्मारक पुरस्कार एस.आर. बाटलीबाई पुरस्कार	सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी	सुश्री आर. श्रुति अनुक्रमांक 11327	श्री विकास गुप्ता अनुक्रमांक 13669
श्री सुल्तान चंद स्मारक पुरस्कार	दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी	श्री रोहित सेकसेरिया अनुक्रमांक 04368	सुश्री एस. विजयलक्ष्मी अनुक्रमांक 01147
चंदूलाल कपूरी देवी न्यास पुरस्कार	तीसरा सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी	श्री मनीष गुप्ता अनुक्रमांक 09483	श्री मनमोहन लाल अनुक्रमांक 05553
पी.एन. शाह पुरस्कार	सर्वश्रेष्ठ महिला अभ्यर्थी	श्रीमती आर. श्रुति अनुक्रमांक 11327 (400 में से 331 अंक)	सुश्री एस. विजय लक्ष्मी अनुक्रमांक 01147 (400 में से 305 अंक)
के.बी. चन्द्रमौलि स्मारक पुरस्कार	गणित पर सर्वोत्तम पेपर (पेपर 3 वर्ग 'क')	श्री कल्पेश सरांफ अनुक्रमांक 01095 और श्री रोहित सेकसेरिया अनुक्रमांक 04368 श्री अमित तिवारी	श्री शरद एस. महनोत अनुक्रमांक 15843 (50 में से 48 अंक)

		अनुक्रमांक 05646 और श्री जितेन्द्र कुमार जैन अनुक्रमांक 07914 संयुक्त रूप से (50 में से 50 अंक)	
गनेशमल पाहनी स्मारक पुरस्कार	सांख्यकीय पर सर्वोत्तम पेपर (पेपर 3 सेक्शन 'बी')	श्री आर. जगन्नाथ प्रसाद अनुक्रमांक 11024 संयुक्त रूप से सुश्री आर. श्रुति अनुक्रमांक 11327 श्री देवराज सुरभी मीरंजन अनुक्रमांक 15000 सुश्री एम.उमा ए. गोमती अनुक्रमांक 15166 श्री जैन अमित कुमार जीतमल अनुक्रमांक 15673 श्री दे शा डोमिनिक जैसिका जान अनुक्रमांक 16521 श्री महाक्रिया विनेय इन्द्र कुमार अनुक्रमांक 16882 (50 में से 50 अंक)	श्री एल. नागराजन अनुक्रमांक 01002 (50 में से 50 अंक)
वेंकटाचलम मोहन पुरस्कार	अर्थशास्त्र पर सर्वोत्तम पेपर (पेपर 4)	सुश्री निधि कमोरिया अनुक्रमांक 01632 (100 में से 75 अंक)	सुश्री श्वेता गुप्ता अनुक्रमांक 14336 (100 में से 73 अंक)
महावीर राज भंडारी पुरस्कार	मई 1998 का सर्वश्रेष्ठ छात्र	सुश्री आर.श्रुति मई 1998 परीक्षा	अनुक्रमांक 11327 (400 में से 331 अंक)

परिशिष्ट 4

(संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 4.3)

1 अप्रैल 1998 से 31 मार्च 1999 तक की अवधि के दौरान परिषद और अनुशासन समिति के समक्ष रखे गए मामलों का विवरण

1.	(क)	धारा 21 के अधीन परिषद की प्रथम दृष्टया राय के लिए कि क्या मामला अनुशासन समिति को भेजा जाना चाहिए अथवा नहीं उसके द्वारा विचार किए गए मामलों की संख्या।	91
	(ख)	उपरोक्त मामलों मेंसे, जांच के लिए अनुशासन समिति को परिषद द्वारा भेजे गए मामलोंकी संख्या	60
2.	उपर्युक्त अवधि के दौरान (जांच के लिए समिति के पास विचारधीन कुल मामालों में से) अनुशासन समिति द्वारा विनिश्चित मामलों की संख्या		77
3.	परिषद द्वारा विचार की गई अनुशासन समिति की रिपोर्टों की संख्या (उन मामलों की रिपोर्टों सहित, जो इससे पहले वर्षों में रुके गए थे)		10*
4.	उपर्युक्त में से		
	(क)	उन मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यार्थियों को, धारा 21(4) के अधीन आदेश पारित करने के लिए परिषद के समक्ष सुनवाई का मौका दिए जाने के लिए प्रथम अनुसूची के अधीन दोषी पाया गया है।	04
	(ख)	उन मामलों की संख्या, जिनमें, प्रत्यार्थियों को, धारा 21(5) के अधीन उच्च न्यायालयों को निर्देशित किए जाने के लिए, द्वितीय, अनुसूची के आधीन और/या अन्य अधिकार का दोषी पाया गया है।	03
	(ग)	उन मामलों की संख्या जिनसे प्रत्यर्थियों को प्रथम अनुसूचि और द्वितीय अनुसूचि/अन्य अधिकार का दोषी पाया गया।	01
	(घ)	आगे जांच के लिए अनुशासन समिति को वापस भेजे गए मामलों की संख्या	01
	(ङ)	उन मामलों की संख्या जिनमें प्रत्यार्थियों को किसी भी अधिकार का दोषी नहीं पाया गया है।	02
5.	उन प्रत्यार्थियों के संबंध में जिन्हें प्रथम अनुसूची के अधीन दोषी पाया गया था, धारा 21 (4) के अधीन सुनवाई किए गए मामलों।		06
6.	1 अप्रैल 1998 से 31 मार्च 1999 की अवधि में धारा 21(6) के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा निपटाये गए मामलों की संख्या।		02

*यद्यपि परिषद द्वारा विचार की गई रिपोर्टों की संख्या 10 थी फिर भी चूंकि ऐसी एक रिपोर्ट में दो प्रत्यर्थी थे, जिन्हें भिन्न प्रकार का दण्ड दिया गया था, ऊपर दिए आंकड़ों के अनुसार यह संख्या आती है।

परिशिष्ट - 5

(संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 5.12)

कुछ गैर स्थायी समितियों के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों का विवरण

परिषद की गैर-स्थायी समितियों में से कुछ के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों का विवरण नीचे दिया गया है।

1. लेखा मानक बोर्ड

अतीत की भांति, लेखामानक बोर्ड देश में प्रचलित लेखा नीतियों और पद्धतियों में सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में अपने प्रयास अनवरत जारी रखे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बोर्ड ने रिपोर्ट की अवधि में अनेक क्रियाकलाप किए। इस अवधि में बोर्ड ने पुनरीक्षित लेखा मानक (ए0एस0) 2 वस्तुसूचियों का मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया । बोर्ड ने टिप्पणी के लिए उधार लेने की लागत विषय पर प्रस्तावित लेखामानक का व्यावहारिक प्रारूप भी जारी किया।

उक्त के अलावा, निम्नलिखित प्रस्तावित लेखा मानकों के प्रारूप विभिन्न चरणों में तैयार किए जा रहे है।

- समेकित वित्तीय विवरण
- प्रति शेयर कमाई
- वनरोपण उद्योग
- अमूर्त आस्तियां
- सम्बद्ध पक्ष प्रकटन
- खंड-खंड रिपोर्टिंग
- एसोशियेट्स के निवेश के लिए लेखाकर्म
- बंद किए गये आपरेशन
- पट्टे पर देना

लेखा मानक (ए0एस0) 7, निर्माण संविधाओं के लिए लेखाकर्म पुनरीक्षणाधीन है :-

बोर्ड द्वारा गठित अध्ययन दल निम्नलिखित विषयों पर प्रारंभिक प्रारूप तैयार करने में लगे हुए है।

- आयकर के लिए लेखाकर्म
- वित्तीय निवेश
- संयुक्त समुत्थानों में हितों की वित्तीयरिपोर्टिंग
- आस्तियों का क्षय
- अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग
- प्रावधान आकस्मिक और समाश्रित आस्तियां

2. संपरीक्षा पद्धति समिति

जैसाकि मुख्य रिपोर्ट में बताया गया है, ए0पी0सी0 द्वारा चलायी जा रही परियोजनाओं के साथ-साथ समिति निम्नलिखित दस्तावेज प्रकाशित करना चाहती है :-

- वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन करने के लिए कार्यक्रम
- वित्तीय सूचना को बारे में करार पाई गई प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए कार्यक्रम
- आरम्भिक कार्यक्रम प्रारम्भिक अतिशेष बाकी
- संपरीक्षा जोखिम वित्तीय विवरणों वाले दस्तावेजों मे अन्य सूचना
- संपरीक्षा जोखिम
- सेवा संगठनों का उपयोग करने वाली निकायों से संबंधित संपरीक्षा की विचारणीय बाते
- वित्तीय विवरणों पर संपरीक्षक की रिपोर्ट
- तुलनाएं
- वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा में विधियों और विनियमों पर विचार

- ई0डी0पी0 पर्यावरण में संपरीक्षा पर अध्ययन
- पूंजी और आस्तियों आरक्षितियों की संपरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पण
- व्ययों की संपरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पण
- एन0बी0एफ0सी0 के आडिटर्स रिपोर्ट डायरेक्शन्स 1998 के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के भावार्थ की जांच पड़ताल पर मार्गदर्शक टिप्पण।

3. अनुसंधान समिति

3.1 अंतिम रूप दी जाने वाली परियोजनाएं :-

- स्टाक एक्सचेन्ज के सदस्यों के लेखाओं की संपरीक्षा पर पुनरीक्षित मार्गदर्शक टिप्पण
- कुछ राज्यों की विक्रय कर विधियों के अन्तर्गत उपलब्ध मुजरा तथा मूल्य वर्धित कर के लेखाकर्म पर मार्गदर्शक टिप्पण
- बैंक में समवर्ती संपरीक्षा पर अध्ययन
- म्यूचूअल फंड के लेखाकर्म और एन0ए0वी0 की संगणना
- सोफ्टवेयर (निर्माता और प्रयोक्ता) उद्योग केलिए लेखाकर्म
- फिल्म उद्योग में लेखाकर्म
- एस0ए0पी0 पर्यावरण की विवक्षाओं के विशेष निर्देश में वित्तीय लेखाकर्म पर सूचना प्रोद्योगिकी का प्रभाव
- आंतरिक संपरीक्षा यात्रा सेवा कारबार पर मार्गदर्शक सिद्धांत

3.2 अन्य चालू परियोजनाएं

- चिट फंड के लिए लेखाकर्म
- दूर संचार उद्योग में लेखाकर्म
- पत्तम आपरेशनों के लिए लेखाकर्म
- तेल और गैस उत्पाद का उद्यमों के लिए लेखाकर्म
- आटोमोबाइल उद्योग के बारे में लेखा और संपरीक्षा तकनीकी गाइड
- लेखा और संपरीक्षा तकनीकी गाइड-होटल उद्योग
- फैक्टरर्ड ऋणों के लिए लेखाकर्म
- (पावर सेक्टर में जनन एवं वितरण दोनों मे) लेखाकर्म और संपरीक्षा कर्म पर अध्ययन
- यूरो निर्गमों पर अध्ययन
- समाचार पत्र प्रकाशन उद्योग चलाने वाली संस्थाओं की संपरीक्षा पर अध्ययन
- खंडवार सूचना रिपोर्ट करने पर अध्ययन
- पर्यावरण और उर्जा संपरीक्षा कर्म पर अध्ययन
- जोखिम आधारित संपरीक्षा कर्म पर अध्ययन
- प्रकाशित लेखाओं में प्रवृत्तियों का पुनरीक्षण
- आंतरिक संपरीक्षा (प्रबंध संपरीक्षा पर विशेष बल) पर साधारण मार्गदर्शक सिद्धांतों का पुनरीक्षण
- सहकारी सोसाइटियों की संपरीक्षा की तकनीकी गाइड का पुनरीक्षण
- आन्तरिक संपरीक्षा - इस्पात उद्योग पर मार्ग दर्शक सिद्धांत
- आंतरिक संपरीक्षा - उत्पादशुल्क अभिलेखों पर मार्गदर्शक सिद्धांत
- आंतरिक संपरीक्षा - चीनी उद्योग पर मार्गदर्शक सिद्धांत
- आंतरिक संरपरीक्षा - रसायन उद्योग पर मार्गदर्शक सिद्धांत
- आंतरिक संपरीक्षा सड़क परिवहन उद्योग पर मार्गदर्शक सिद्धांत
- प्रतिभूति करण के लेखाकर्म पर मार्गदर्शक टिप्पण
- आंतरिक संपरीक्षा - कपड़ा उद्योग पर मार्गदर्शक सिद्धांत
- सरकारी विभागों तथा ऐसे ही अलाभकर संस्थाना मे लोक व्यय की जवाब देही
- भारतीय लेखा मानकों और अमरीकी जी0ए0ए0पी0 की तुलना

3.3 प्रस्तावित परियोजनाएं

- खानिकी के लिए लेखाकर्म
- लेखा और संपरीक्षा तकनीकी गाइड : औषधि और फार्मास्युटीकल उद्योग
- (क) सड़कों के निर्माण, और (ख) पथमार्गों का प्रचालन
- आंतरिक संपरीक्षा - इलेक्ट्रानिकी उद्योग पर मार्गदर्शक सिद्धांत
- आंतरिक संपरीक्षा उर्वरक उद्योग पर मागदर्शक सिद्धांत
- आंतरिक संपरीक्षा - एल्यूमिनियम उद्योग पर मार्गदर्शक सिद्धांत
- आंतरिक संपरीक्षा - कोयला खनन उद्योग पर मार्गदर्शक सिद्धांत
- बीमा सर्वेक्षण पर मार्गदर्शक सिद्धांत
- विवरण पुस्तिका के प्रारूपण में अन्तर्ग्रस्त मुद्दे
- विदेशी संयुक्त उद्यमों पर अध्ययन
- भविष्यों और विकल्पों पर अध्ययन
- डम्पिंग निवारण विधियों और प्रक्रियाओं पर अध्ययन
- समापन पर अध्ययन - वृत्तिक लेखाकारों की भूमिका
- एक्वाकल्चर/मत्स्य पालन/समुद्री कल्चर करने वाली संस्थाओं के लेखाकर्म और संपरीक्षाकर्म पर तकनीकी गाइड
- वीडियो फिल्म निर्माण कार्यक्रम के लेखाकर्म और संपरीक्षा पर तनीकी गाइड
- वित्तीय क्षेत्र में प्रयोग में आने वाली शब्दावली
- निर्गमों के सलाहकारों के रूप में चार्टर्ड एकांउंटेन्टों की भूमिका (मर्चेन्ट बैंकर, प्रवर्ग 4)
- नगर निगमों में वाणिज्यिक लेखापद्धति का प्रारंभ
- विदेशी मुद्रा प्रकटन जोखिम प्रबंधन
- अंतरित वित्तीय रिपोर्टिंग - अमेरिकी, इंग्लैण्ड, फ्रांस और भारत - एक तुलनात्मक अध्ययन

3.4 शील्ड पेनल के परिणाम

संस्थान द्वारा गठित निर्णायक पेनल ने वार्षिक रिपोर्टतथा विभिन्न प्रवर्गों में संस्थाओं केजैसे सार्वजानिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र कम्पनियों, गैर वित्तीय कानूनी निगमों, गैर वित्तीय प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं लोक न्यासों, सहकारी सोसायटियों, अनुसंधान और शिक्षा संस्थाओं आदि के वर्ष 1997-98 के लेखाओं के बारे में निर्णय किया और पुरस्कार देने का फैसला किया जैसा कि आगे विस्तार पूर्वक बताया गया है :-

पुरस्कार	प्रवर्ण	संस्था का नाम
सर्वोत्तम प्रस्तुत लेखाओं के लिए रजत शील्ड	सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनी	भारतीय तेल निगम लि0
	गैर-वित्तीय प्राइवेट क्षेत्र कम्पनी	इन्फोसिस टैक्नालाजीज़ लि0
	बैंक और वित्तीय संस्थाएं	आवास विकास वित्त निगम लि0
अत्यंत प्रशंसित लेखाओं के लिए प्लेक	गैर-वित्तीय प्राइवेट क्षेत्र कम्पनी	चैमिनार ड्रग्स लि0

4. निगमित विधियों समिति

निगमित विधियां समिति निगमित विधियों के क्षेत्र में बदलते आयामों के अनुरूप व्यापक रूप से सक्रिय रही और उसने सक्रिय भूमिका निभायी। 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के दौरान समिति की महती उपलब्धियां ओर उसकी पहल पर शुरू किए गए कार्यक्रम निम्नलिखित थे :-

4.1 जब कम्पनी विधेयक 1997 संसद में विचाराधीन था तो समिति ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के संशोधनों के बारे में एक सुझाव ज्ञापन सरकार को प्रस्तुत किया था। बाद में, कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश 1998 पुनःस्थापित किए जाने पर समिति ने उक्त उध्यादेश के बारे में सुझावों का एक ज्ञापन पुनः पेश किया। इस संबंध समिति को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ज्ञापनों में किए गए बहुत से सुझावों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और वे संसद द्वारा हाल ही में पारित कम्पनी (संशोधन) आधिनियम 1999 में समाविष्ट भी कर लिए गए हैं।

4.2 समिति ने विदेशी मुद्रा प्रबंध विधेयक 1998 और धनशोधन निवारण अधिनियम 1998 के बारे में सुझावों का एक विस्तृत ज्ञापन वित्त विषयक संसदीय स्थायीसमिति को प्रस्तुत किया।

4.3 समिति ने वर्ष 1998-99 के दौरान कम्पनी कार्य विभाग से निकट सम्पर्क बनाये रखा। समिति ने 14 से 18 दिसम्बर 1998 के दौरान बैंगलूर में कम्पनी कार्य विभाग के केन्द्रीय कम्पनी विधि अधिकारियों के लिए पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर, एक पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। श्री टी0एस0 कृष्णमूर्ति सचिव, कम्पनी कार्य विभाग, उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे

4.4 सार्वजनिक क्षेत्र की पिछली पांच वर्ष की कानूनी संपरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा के अध्ययन दल ने अंतरिम रिपोर्ट पेश कर दी है और अंतिम अनुसंधान रिपोर्ट शीघ्र ही पेश कर दी जायेगी।

4.5 समिति ने अंशपात्रों की पुनर्खरीद पर एक मार्गदर्शक टिप्पण तैयार किया है जो समिति के विचाराधीन है।

5. वित्त विधियां समिति

5.1 सेवाकर

वित्त (सं0 2) अधिनियम 1998 द्वारा 12 अन्य सेवाओं को सेवाकर परिधि में लाया गया है जिसमें व्यवसायी चार्टर्ड एकाउन्टेंटों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं। सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 1998 से 12 नई सेवाओं को कर जाल में डाला गया है। अधिसूचना सं0 591/98 सेवाकर तारीख 16 अक्टूबर 1998 के जरिये चार्टर्ड एकाउन्टेंन्ट, कोस्ट एकाउन्टेन्ट या कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा की जानेवाली कुछ खास सेवाओं पर भी सेवाकर लगाया गया हैं आपतन, लागू होने और प्रक्रियागत विषयों से संबंधित बहुआयामी तकनीकी मुद्दों और अन्य आलोचनात्मक मुद्दों की वजह से इस बारे में एक बहस छिड़ी और कुछ भ्रान्ति पैदा हुई। व्यवसायी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की विनिर्दिष्ट सेवाओं पर सेवाकर पहली बार लगाया गया है। इसलिये तत्काल जरूरत महसूस की गई कि अपने सदस्यों को सुसंगत कानूनी उपबंधों, उदग्रहण की व्याप्ति, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया आदि के बारे में मार्गदर्शन दिया जाए। इस प्रकार सदस्यों के मार्गदर्शक के लिए वित्त विधियां समिति द्वारा *सर्विस टैक्स आन सर्विसेज़ प्रोवाइडेड बाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट - ए स्टडी* नामक निर्देशिका प्रकाशित की गई।

5.2 संघीय बजट 1999 पर कार्यशाला

संघीय बजट 1999 पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यशाला आयोजन किया गया। कार्यशाला में बजट पर दो सत्रों में विचार किया गया। दोपहर भोजन से पूर्व के सत्र में प्रत्यक्षकर संबंधी प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया और भोजन के बाद के सत्र में अप्रत्यक्षकर प्रस्तावों पर चर्चा हुई। श्री रविकांत, अध्यक्ष केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड, श्री ए0 बालसुब्रमण्यम, सदस्य (विधि) सी0बी0डी0टी0, श्री ए0एन0 प्रसाद संयुक्त सचिव, (टी0पी0एल0-1) के0 प्र0 क0 बोर्ड और श्री जी0सी0 श्री वास्तव, संयुक्त सचिव (टी0पी0एल0 -2) के प्र0 क0 बोर्ड ने अपनी उपस्थिति से कार्यशाला की शोभा बढ़ाई। श्री टी0आर0 रस्तोगी, संयुक्त सचिव (टी0आर0यू0), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड ने अप्रत्यक्षकर विषयक भोजनोत्तर सत्र में भाग लिया।

5.3 बजट ज्ञापन - 1999

संस्थान ने दिसंबर 1998 में बजट पूर्व ज्ञापन पेश किया था ओर सरकार ने बहुत से सुझाव मानकर बड़ी कृपा की है जैसे व्यवसाय पुनगर्ठन की बाबत कर निष्प्रभावकरण, वाई 2 के अनुपालन आदि संबंधी व्यय की मोक 2 विषयक सिफारिशों। इसके अलावा संस्थान ने संघीय वित्त मंत्री, केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड और अन्य संबंधित प्राधिकरणों को वर्ष 1999 के लिए बजटोत्तर ज्ञापन दिया। उसमें वित्त विधेयक 1999 के बारे में उसकी टिप्पणियां ओर सुझाव दिये गए थे।

5.4 कर संपरीक्षा रिपोर्टों के पुनरीक्षित प्रारूप फार्म

सरकार ने कर संपरीक्षा रिपोर्टों के पुनरीक्षित फार्म अधिसूचित किए हैं। कर संपरीक्षा रिपोर्ट फार्म 3 ग क या 3 ग ख में देनी होती है तथा फार्म 3 ग घ में विहित विवरण देना होता है। कर संपरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पण के पुनरीक्षण का काम चल रहा है।

5.5 वित्तीय और निगमित विधियों पर निवासीय पाठ्यक्रम

समिति द्वारा वित्तीय और निगमित विधियों पर एक निवासीय पाठ्यक्रम निगमित विधियां समिति से मिलकर संयुक्त रूप से अक्टूबर 1999 के मास में चेन्नई के निकट महाबलीपुरम् मै। आयोजित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

5.6 वित्तीय एवं निगमित विधियों पर अखिल भारतीय सम्मेलन

समिति द्वारा वित्तीय एवं निगमित विधियों पर एक अखिल भारतीय सम्मेलन निगमित विधियां समिति के साथ मिलकर संयुक्त रूप से दिसम्बर 1999 में बैंगलूर में आयोजित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

5.7 प्रकाशनों का पुनरीक्षण

निम्नलिखित प्रकाशन विचारणीय हैं:

- टैक्सेशन आफ नॉन-रेजिडेन्ट्स
- गाइड-टू आडिट आफ पब्लिक ट्रस्ट अन्डर द इन्कम टैक्स ऐक्ट, 1961
- टैक्सेशन आफ चेरिटेबल ट्रस्ट्स एण्ड इंस्टीटयूशन्स

6. वित्त बाजार और निवेशक संरक्षा समिति

6.1 वित्त बाजार और निवेशक संरक्षा समिति ने वित्त बाजारों से तात्पर्यित विभिन्न मामलों पर शर्तें बदलाने के अनुरूप महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समिति का नाम पूंजी बाजार और निवेशन संरक्षा से बदलकर वित्त बाजार और निवेशक संरक्षा रख दिया गया। नया नाम समिति के प्रक्षेत्र को व्यापक बनाने की दृष्टि से रखा गया था जिससे कि धनीय बाजार, वित्त बाजार जैसे क्षेत्रों की समिति की कृत्यों की परिधि में सम्मिलित किया जा सके

6.2 समिति ने, वित्त बाजारों से संबंधित संस्थाओं की सहभागिता व्यापक बनाने की दृष्टि से समिति में दिल्ली स्टाक एक्सचेंज, सेबी (एस0इ0बी0आई0) तथा नेशनल स्टाक एक्सचेंज, लिमिटेड के नामनिर्देशन सम्मिलित कर लिए गए।

6.3 समिति ने 4 नई सहस्राब्दि मे पूंजी बाजार, विषय पर लखनऊ में मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद् की लखनऊ स्थित शाखा के सहयोग सेएक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया।

6.4 समिति ने सेबी को अधिग्रहण संहिता, 1997 (टेक ओवर कोड, 1997) पर सुझाव देने के लिए एक अध्यन समूह का गठन किया और सेबी द्वारा सूचीबद्ध विभिन्न मुद्दों पर समेकित सुझाव दिए।

6.5 समिति ने प्रतिभूमि संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक 1998 पर वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति को सुझाव ज्ञापन भी प्रस्तुत किया।

6.6 समिति ने सार्क (एस0ए0आर0सी0) देशों मेंपूंजी बाजार से संबंधित अनुसंधान परियोजना पर एस.ए0एफ.ए0 द्वारा भेजी गई प्रश्नावली को भरने काकार्य भी हाथ में लिया।

6.7 समिति ने तारीख 23 और 24 फरवरी, 1999 कोव्युत्पत्तियों पर मुंबई में पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद् तथा नेशनल स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड के सहयोग सेएक प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन सेबी के ज्येष्ठ कार्यपालक निदेशक श्री एल.के. सिंधवी द्वारा किया गयाथा। इस कार्यक्रम की बड़ी उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली और नेशनल स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड में सहभागियों को मोक ट्रेडिंग सेशन भी दिखाया गया था।

6.8 निवेशक संरक्षा पर एक पुस्तिका के प्रकाशन का कार्य मुंबई के एक लेखक को सौपा गया था और इस समय समिति द्वारा इसे अंतिम रूप दिए जाने के प्रक्रम पर है।

7. विशेषज्ञ सलाहकार समिति

सदस्यों से विभिन्न विषयों पर प्राप्त अनेकों प्रश्नों पर पूर्व की तरह संस्थान से विभिन्न सलाहकार समिति द्वारा राय दी गई थी। जनवरी, 1998 और जनवरी, 1999 की अवधि के बीच जो राय दी गई उसके अंक 18 'राय का सार संग्रह' का संकलन तैयार किया जा रहा है।

8. सतत् वृत्तिक शिक्षा समिति

संस्थान ने वर्तमान प्रासंगिक विषयों पर अपने सदस्यों को सतत् शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के अपने प्रयास जारी रखें संस्थान ने नई चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर शिक्षा पर बहुत बल दिया है।

8.1 वर्ष 1998-99 के दौरान निम्नलिखित विषयों पर सतत् वृत्तिक शिक्षा कार्यक्रम चलाये गए :-

धारणात्मक विक्रय संव्यवहार पर कराधान केन्द्रीय विक्रय कर प्रत्यक्षकर (निगमित पुनर्संरचना और यथार्थ सम्पदा विकास संव्यवहार) परियोजना वित्त क्रेडिट रेटिंग, केन्द्रिय उत्पाद शुल्क मूल्यवर्धित कर परियोजना मूल्यांकन, ई0डी0पी0 सम्परीक्षा कमियां रक्षोपाय ' प्रणाली संपरीक्षा कम्प्यूटर 'केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री) संचार कौशल -1 बैंक संपरीक्षा सी0डी0 आरओएम वाई - 2 के अनुपालन बैंक संपरीक्षा और (वाई 2 के तथा बैंक संपरीक्षा और वाई 2 के अनुपालन पर भी दो दूर-सम्मेलन आयोजित किए गए।

8.2 समिति मे सदस्यों के फायदे के लिए अनेक कार्यक्रम किए उनमे से कुछ अन्य संघों के साथ मिलकर किए। ऐसे कार्यक्रम का विवरण और उनके विषयों का विवरण नीचे दिया गया है।

क्रमांक	कार्यक्रम	स्थान	तारीख	के सहयोग से
1.	निगमीय शासन	काठमांडू	26.4.1998 से 28.04.98	नैपाल का चार्टर्ड एकाउंटेंटस संस्थान
2.	प्रचालन और प्रबंधन लेखाकर्म	मनाली	28.5.1998 से 30.05.98	
3.	निगमीय लेखाकर्म और रिपोर्ट देना	दिल्ली	13.08.98 से 22.08.98	
4.	प्रबंधन और प्रबंध लेखाकर्म	दिल्ली	03.10.98 से 17.10.98	
5.	निगमित वित्त-उभरते रूझान	दिल्ली	09.11.1998 से 15.11.98	
6.	कमियां और रक्षोपाय	परवाडू (तमिलनाडु)	6.11.1998 से 8.11.98	
7.	कारोबार और वित्त में नैतिक मुद्दे	दिल्ली	21.11.98 से 22.11.98	श्री राम कालेज आफ कामर्स
8.	सार्वजनिक क्षेत्र इकाईयों की संपरीक्षा	देश में विभिन्न स्थानों पर		भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

8.3 **निम्नलिखित आधार सामग्री प्रकाशित की गई :-**

- टैक्सेशन आफ डीम्ड सेल ट्रान्जेक्शन
- सेन्ट्रल सेल्सटैक्स
- डायरेक्ट टैक्सेशन (विद स्पेशल रेफरेन्सटू कारपोरेट री-स्ट्रक्चरिंग एण्ड रीयल स्टेट डवलपमेन्ट ट्रान्जेक्शन्स)
- प्रोजेक्ट फाइनेन्स
- क्रेडिट रेटिंग
- सेन्ट्रल एक्साइज
- वेल्यु एडिड टैक्स
- प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन्
- ई0डी0पी0 आडिट - पिट फाल्स 9 सेफ गार्ड्स
- सिस्टम आडिट (स्टडी मेटीरियल फारट्रेनिंग कोर्सेज बाई कम्प्यूटर सेन्टर)
- कम्युनीकेशन स्किल्स -1
- बैंक आडिट सी0डी0आर0ओ0एम0
- वाई0 2 के कम्पलाएन्स
- बैंक आडिट
- कम्करेन्ट आडिट आफ बैंकस
- टैक्सेशन आफ चैरिटेबुल ट्रस्ट्स एण्ड इंस्टीटयूशन्स

8.4 समिति सदस्यों के लिए उत्तर योग्यता पाठ्यक्रम परीक्षाएं बराबर आयोजित कर रही है इन पाठ्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिये समुचित कदम उठाये गये है। चेन्नई को छोड़कर संस्थान के सभी कम्प्यूटर केन्द्र विशेष रूप से बनाए गए पाट्यक्रम के माध्यम से सदस्यों और छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा बराबर दे रहे हैं। इसके इलावा, इन कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों को धीरे-धीरे उन्नत किया जा रहा है। जयपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद और गुवाहाटी में नये कम्प्यूटर केन्द्र खोले जा रहे हैं।

8.5 समिति निम्नलिखित क्षेत्रों में सतत् शिक्षा कार्यक्रम चलाना चाहती है:-

- संचार कौशल - 2
- प्रचालन प्रबंध संपरीक्षा

- लेखा और परीक्षा मानकों में केस स्टडी
- सूचना प्रोद्योगिकी
- आचार संहिता
- पर्यावरणीय संपरीक्षा
- निगमित विधियां
- केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क परीक्षा
- विक्रय कर संपरीक्षा
- आई.पी.आर और जी.ए.टी

9. उद्योग को सदस्यों के लिए समिति

उद्योग के सेवारत हमारे सदस्यों के हित की श्रीवृद्धि करने तथा हमारे सदस्यों को उपलब्ध अवसर विकसित करने के लिए समिति ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलाप चलाये :

9.1 हमारे नव योग्यता प्राप्त सदस्यों को लिए रोजगार के मौके सुलभ कराने के उपाय के रूप में समिति पिछले चार वर्षों के दौरान एक साल में दो बार कैम्पस साक्षात्कार आयोजित करने में सफल रही है। उनमें भावी नियोजक और हमारे नये सदस्य आपस में बात करके विभिन्न संगठनों में रोजगार कैरियर अपनाने की संभावनाओं का पता लगाते हैं। इस वर्ष आयोजित कैम्पस साक्षात्कारों को नियोजकों और हमारे युवा सदस्यों दोनों की ओर से भारी समर्थन मिला है जैसाकि इस तथ्य से प्रकट होता है कि कुल मिलाकर नियोजकों की 84 टीमों ने 4700युवा सदस्यों के आयोडाटा (जीवनवृत्त) का मूल्यांकन किया। पूरे भारत में से सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टरों के संगठनों ने जिनमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी है, इस योजना में भाग लिया। साक्षात्कार मंडल का अधिक विश्वास के साथ सामना करने में हमारे सदस्यों को समर्थ बनाने के उपाय के रूप में साक्षात्कार कौशल में सुधार लाने पर कार्यशालाएं और अभिमुखीकरण कार्यक्रमविभिन्न साक्षात्कार केन्द्रों पर चलाये गए। इन कार्यक्रमों में भाग लेने वालेयुवा सदस्यों ने इनकी मुक्तकंठ से प्रशंसा की है।

नव योग्यता प्राप्त (अर्हित) चार्टर्ड एकाउंटेन्टों के कैम्पस साक्षात्कारों से संबंधित आंकडे निम्न प्रकार है:-

(क) सितम्बर - नवम्बर 1998 में आयोजित साक्षात्कार

केन्द्र	साक्षात्कार की तारीखें	कम्पनियों द्वारा देखे गए आयोडाटा की संख्या	कम्पनियों के साक्षात्कार पैनलों की संख्या
बैंगलूर	24-26 सितम्बर 1998	178	4
कलकत्ता	6-10 अक्टूबर 1998	333	5
मुम्बई	12-17 अक्टूबर 1998	840	8
चेन्नई	22-25 अक्टूबर 1998	361	7
नई दिल्ली	26-30 अक्टूबर 1998	802	9
हैदराबाद	2-3 नवम्बर 1998	92	4
अहमदाबाद	5-6 नवम्बर 1998	138	4
		2744	41

(ख) मार्च-मई 1999 में किए गए साक्षात्कार

केन्द्र	साक्षात्कार की तारीखें	कम्पनियों द्वारा देखे गए आंकड़ों की संख्या	कम्पनियों के साक्षात्कार पैनलों की संख्या
अहमदाबाद	26 और 27 मार्च 1999	116	2
कलकत्ता	5,6,7, 8 और 9 अप्रैल 1999	236	7
चेन्नई	12,13,14,15 और 16 अप्रैल 1999	188	6
मुम्बई	19,20,21,22,23 और 24 अप्रैल 1999	610	13
बैंगलूर	28 और 29 अप्रैल 1999	263	3
नई दिल्ली	3,4,5,6,7 और 8 मई 1999	606	12
		2019	43

9.2 तारीख 7 और 8 अगस्त 1998 को हैदराबाद में होटल रमाडा मनोहर में इनफोरमेशन टेक्नालाजी इन्डस्ट्री – एविजन फार टुमारो विषय पर एक अखिल भारतीय संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी को अपार कामयाबी मिली। संगोष्ठी में देशभर के 430 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगोष्ठी का उद्घाटन श्री आर0 चन्द्र शेखर आई0ए0एस सचिव (2), आन्ध्रप्रदेश सरकार मुख्य प्रबंध निदेशक आ0प्र0 औद्योगिक अवसंरचना निगम, हैदराबाद ने किया। श्री एस0एल0डागा और श्री एस0गोपाला कृष्णन ने संगोष्ठी का संयोजन किया।

9.3 विद्युत परियोजनाओं की संरचना पर एक गौलमेज परिचर्चा का आयोजन 12 मार्च 1999 को नई दिल्ली में होटल मौर्य शेरेटन में किया गया। विद्युत क्षेत्र संगठनों, वित्तीय संस्थाओं के उच्चस्तरीय कार्यकारी अधिकारियों और एक विदेशी दूतावास परिचर्चा में सहभागिता की।

9.4 समिति निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करना प्रस्तावित करती है :-

- मासिक न्यूज़ लैटर का प्रकाशन
- प्रामाणिक आंकड़ों का संग्रहण
- प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के जरिये निःशुल्क व्याख्यान अधिवेशनों का अयोजन।
- अध्ययन चक्र बनाना।
- प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के लिए जुरिक्स सोफ्टवेयर पैकेज की व्यवस्था करना।

9.5 समिति चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों, जिनमें सेवानिवृत भी है, के लिए नियोजन सहायता स्कीम को लोकप्रिय बनाने में सक्रिय रही है। यह सेवा, संस्थान की प्रादेशिक परिषदों के कार्यालयों में सुलभ कराई जा रही है।

9.6 समिति उद्योग फेसदस्यों की प्रास्थिति और भूमिका को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रही है।

10. सदाचार मानदंडों और लेखा परीक्षकों के अनुचित ढंग से हटाये जाने संबंधी समिति

सदाचार मानदंडों और लेखा सिफारिशों पर मई और जून जुलाई, 1999 में आयोजितअपनी बैठकों में कुछ विनिश्चय किए हैं, जो इस प्रकार हैं :

- व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेंट अथवा चार्टर्ड अकाउन्टेंट की फर्म को अस्तित्व और साथ ही उक्त अस्तित्व की लेखा परीक्षा को धारा 2 के अनुपालन प्रमाणन की अनुज्ञा दी जा सकती है, यदि व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेंट और चार्टर्ड अकाउन्टेंट फर्म की जैसी भी स्थिति हो जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारा 2 के अनुपालन के लिए कम्प्यूटर पद्धति की डिजाइन तैयार करती है और उसमें परिवर्तन करती है।

चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 की द्वितीय अनुसूची के भाग 2 के खंड (2) के अधीन अधिसूचना सं0 आई0सी0ए0/7/43/99 तारीख 31 जुलाई 1999 को भारत के राजपत्र के भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित की गई है।

- परिषद ने आचार-संहिता में एक निदेश सम्मिलित करने का विनिश्चय किया है कि कंपनी अधिनियम या विभिन्न अन्य लागू कानूनों के अधीन कानूनी लेखा परीक्षा करने के लिए निर्विवादित लेखा परीक्षा फीस का संदाय न किए जाने के मामलों में नया आने वाला लेखापरीक्षक तब तक नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि उस फीस का संदाय नहीं कर दिया जाता। रुग्ण इकाइयों, बी.आई.एफ.आर. निर्दिष्ट इकाइयों के मामले में उक्त वर्जन लागू नहीं होगा। लेखा परीक्षा कराने वाले और लेखा परीक्षक, दोनों हस्ताक्षरित लेखाओं में लेखापरीक्षा फीस के संबंध में किए गए उपबंध को निर्विवादित लेखा परीक्षा फीस माना जाएगा। परिषद ने चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 की द्वितीय अनुसूची के भाग 2 खंड (2) के अधीन इस आशय की एक अधिसूचना जारी करने का भी विनिश्चय किया है।

- परिषद ने यह विनिश्चय किया है कि व्यवसायरत उन सदस्यों के जो पूर्णकालिक नियोजन में हैं, व्यवसाय को उनका मुख्य व्यवसाय नहीं माना जाएगा। लेकिन परिषद् ने सदस्यों के मुख्य व्यवसाय के अवधारण के लिए परिषद् द्वारा पूर्व में अधिकथित विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धांतों को, जिससे कि आर्टिकल लिपिकों को प्रशिक्षण करने के लिए उनकी पात्रता सुनिश्चित हो सके, उपरोक्त विनिश्चय के दृष्टान्त पुनः निर्धारित करने का मामला समिति को पुनः प्रेषित किया है।

- समिति के उन विनिश्चयों को, जिनके द्वारा नए आने वाले लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्तियां स्वीकार न करने के लिए कहा गया है, प्रवृत्त कराने के लिए चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम 1949 की द्वितीय अनुसूची के भाग 2 के खंड (2) के अधीन अधीसूचना जारी किए जाने संबंधी समिति का सुझाव परिषद् द्वारा स्वीकार कर लिया गया है बशर्ते कि परिषद् द्वारा मार्गदर्शकसिद्धांतों को सूत्रबद्ध किया जाए और परिषद् द्वारा उन मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुमोदन कर दिया जाए।

11. अंतराष्ट्रीय कार्य समिति

अंतरराष्ट्रीय कार्य संबंधी समिति ने कई मुख्य कार्य हाथ में लिए और वह संस्थान के क्रियाकलापों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने की निश्चित योजना को कार्यरूप देने में समर्थ थी। इनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है।

11.1 संस्थान वर्ष के दौरान वृत्तिक लेखाकारों के विभिन्न क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय उच्चतर मंचों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। संस्थान वर्ष 1977 में स्थापित अंतराष्ट्रीय लेखाकार परिसंघ (आई.एफ.ए.सी) वर्ष 1976 में स्थापित एशियन और पेसिफिक लेखाकार संघ (सी0ए0पी0ए0) और वर्ष 1984 में स्थापित दक्षिण एशिया लेखाकार परिसंघ एस0ए0एफ0ए0 का संस्थापक सदस्य रहा है।

11.2 अंतराष्ट्रीय लेखाकार परिसंघ

संस्थान के नामनिर्देशिती आई.एफ.ए.सी. की नैतिक समिति और आई.एफ.ए.सी0 की लेखापरीक्षा व्यवसाय समिति में संस्थान का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। आई.एफ.ए.सी0 की नैतिक समिति पर संस्थान के नामनिर्देशिती को निस्सादक उद्योगों के संबंधित सूचीकरण पर आई.ए.एस.सी. संचालन समूह कोसदस्य के रूप में भी सहयोजित किया गया है।

संस्थान के नामनिर्देशिती श्री राहुल राय ने सितंबर 1998 में वाशिंगटन में हुई आई.एफ.ए.सी. की नैतिक समिति की बैठक में भाग लिया था जिसमें कि प्रतिषेधों पर कार्यकारी समूह के प्रारूप पर विचार विमर्श हुआ था। श्री राय को नेरोबी (केन्या) में नवंबर, 1998 में पूर्व, मध्य और दक्षिण अफ्रीकन लेखाकार परिसंघ के सम्मेलन में भी आई.एफ.ए.सी. की नैतिक समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिये चुना गयाथा। इसके अतिरिक्त, श्री राय ने नैतिक मूल्यों पर लंदन में आई.एफ.ए.सी की उप समिति की हुई बैठक में भी संस्थान का प्रतिनिधित्व किया था।

संस्थान के एक अन्य नामनिर्देशिती श्री एम.एम. चिताले ने जून, 1998 में काराकस वेनेज्युला और अक्टूबर, 1998 में क्योटो, जापान में हुई आई.एफ.ए.सी. की लेखा परीक्षा व्यवसाय समिति की बैठकों में संस्थान का प्रतिनिधित्व किया था।

11.3 अंतराष्ट्रीय लेखा मानक समिति

संस्थान के नामनिर्देशिती श्री टी.एन. विश्वनाथ अंतराष्ट्रीय लेखा मानक समिति में संस्थान का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। उन्होंने अप्रैल 1998 में कुआलालामपुर, मलेशिया में हुई आई.ए.एस.सी. की बैठक में संस्थान का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने जुलाई, 1998 में कनाडा में, नवंबर 1998 में ज्यूरिख, स्विटजरलैंड, और मार्च 1999 में वाशिंगटन में भी हुई उनकी बैठकों में संस्थान का प्रतिनिधित्व किया।

11.4　दक्षिण एशिया लेखाकार परिसंघ (एस0ए.एफ.ए.)

एस0ए.एफ.ए. का स्थायी सचिवालय आई.सी.ए.आई. नई दिल्ली में अभी भी स्थित है। एस.ए.एफ.ए. सभा की 33वीं बैठक कोलोम्बो, श्रीलंका में तारीख 3 मई, 1998 को हुई थी, जिसके पोजिशनिंग दि टीजन एण ग्लोबल इकोनोमिक पावर विषय पर एस.ए.एफ.ए. का क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था। संस्थान के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल राय ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। संस्थान के पूर्व अध्यक्ष श्री टी.एस. विश्वनाथ को वर्ष 1998 के लिए सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष एस.ए.एफ.ए. चुना गया था। सभा में सेमिनार के माध्यम से अन्य विषयों के साथ साथ क्षेत्र को आर्थिक शक्ति के रूप स्थान दिलाने के संभावित उपायों पर विचार विमर्श किया गया।

एस.ए.एफ.ए. सभा की 34वीं बैठक तारीख 2 अगस्त, 1998 को ढाका, बंगलादेश में हुई थी। एस.ए.एफ.ए.के पूर्व उपाध्यक्ष श्री टी.एस. विश्वनाथ और संस्थान के पूर्व उपाध्यक्ष श्री एस.पी. छाजेड़ ने बैठक में भाग लिया था। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने के साथ साथ डब्ल्यू टी.ओ. मुद्दों के मामले या दृष्टिकोण की छानबीन की गई थी, जिसमें कि भारतीय दृष्टिकोण को रखा गया था।

एस.ए.एफ.ए. सभा की 35वीं बैठक तारीख 3 दिसंबर 1998 को कलकत्ता, भारत में हुई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आई.सी.ए.आई.के. पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल राय ने किया था। श्री टी.एस. विश्वनाथ, एफ सी.ए. उपाध्यक्ष - एस.ए.एफ.ए. और संस्थान के पूर्व अध्यक्ष को वर्ष 1999 के लिए एस.ए.एफ.ए. का अध्यक्ष चुना गया था। एस.ए.एफ.ए. को स्थायी सचिव श्री अशोक हल्दिया, एफ.सी.ए., एस.ए.एफ.ए. के कार्यपालक सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। एस.ए.एफ.ए. ने इस बैठक में मील का पत्थर पार किया अर्थात् आई.सी.ए.आई. द्वारा जिस मिशन और योजना कागज पत्र को अंतिम रूप दिया गया था, उसे सभा द्वारा अंगीकार कर लिया गया था।

एस.ए.एफ.ए. - डब्ल्यू.टी.ओ. उप-समिति की बैठक तारीख 20 फरवरी, 1999 को कोलम्बो में हुई थी, जिसके पश्चात् भिन्न-भिन्न सदस्य निकायों द्वारा अपनी प्रदेश अपेक्षाओं, अर्हता और प्रमाणन - अपेक्षाओं पर तकनीकी आयोजन किया गया था। इसके भविष्य में एम.आर.ए. में बहुत सहायता मिलेगी

एस.ए.एफ.ए. सभा की 36 वीं बैठक तारीख 21 फरवरी 1999 को कोलंबो में हुई थी। संस्थान के अध्यक्ष श्री एस.पी. छाजेड़ ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था सभा में जिस मुख्य मुद्दे पर विचार किया गया था वह एस.ए.एफ.ए के पूर्ण पुनर्गठन का था जिससे कि यथा अंगीकृत मिशन ओर योजना को पूरा किया जा सके।

एस.ए.एफ.ए. सभा की 37वीं बैठक तारीख 20 अप्रैल 1999 को चेन्नई, भारत में हुई थी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व आई.सी.ए. आई के अध्यक्ष श्री एस.पी. छाजेड़ ने किया था। इस बैठक के दौरान एस.ए.एफ.ए. के वित्तपोषण और पुनगर्ठन के मुद्दे पर और विचार विमर्श कियागया था और यह संकल्प पारित किया गया कि एस.ए.एफ.ए. के संविधान में संशोधन किए जाने के बारे में विभिन्न विकल्प कापता लगाया जाना चाहिए। सदस्य निकायों के बीच डब्ल्यू. टी. ओ. से संबंधित कार्य आबंटन का विनिश्चिय किया गया सभा की बैठक के पश्चात् दक्षिण एशिया में निर्बाध व्यापार संबंधी आयोजन विषय पर तारीख 21 अप्रैल 1999 को एस.ए.एफ.ए. सेमिनार आयोजित किया गया था।

11.5　अन्य गतिविधियां

वर्ष के दौरान, कानसिगलियों नाज्यिोनेल दोत्तेरी कर्मर्शियलीस्टी स्टर (सी.एन.डी.सी0) इटौली की संयुक्त अंतरराष्ट्रीय समिति के साथ समझोता-ज्ञापन का बातचीत चली और पूरी हुई। सी.एन.डी.सी., इटली और आई.सी.ए.आई. परस्पर आदान-प्रदान करार के निष्पादन के लिए तकनीकी सहयोग और समझोते के लिए एक संयुक्त सलाहकार समिति का भी गठन किया गया था। सी.एन.डी.सी. इटली और सी.एन.आर.पी.सी, इटली समझौता ज्ञापन के निबंधानुसार भारत के चार्टर्ड अकाउन्टेंट संस्थान की अर्हता को यूरोपीय संघ की मान्यता अभिप्राप्त करने के लिए आई.सी.ए.आई की सक्रिय रूप से सहायता करेंगे।

संस्थान ने चार्टर्ड अकाउन्टेंट संस्थान, नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन किया है। और उसे अपने संस्थान (आई.सी.ए.एन) की स्थापना के लिए ज्येष्ठ अधिकारियों की सहायता प्रदान की। संस्थान ने एशिया और प्रशांत अकाउन्टेंट्स परिसंघ की सदस्यता के लिए भी आई.सी.ए.एन. का समर्थन किया था। रूस, यूक्रेन और किर्गिज व्यवसाय के विकास के लिए उन देशों में वृत्तिक निकायों के साथ भी एक समझौता ज्ञापन किया गया था आई. सी.ए.आई. उन देशों में अपने प्रतिपक्ष की विभिन्न मामलों, जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम तथा परीक्षा पद्धति आदि को सुधारने का कार्य भी है, सहायता प्रदान करेगा। यूक्रेनियम फेडरेशन आफ प्रोफेशनल अकाउन्टेंट्स एण्ड आडिटर्स का संस्थान द्वारा अंतरराष्ट्रीय अकाउन्टेंट्स परिसंघ की सदस्यता के लिए समर्थन किया था। समझौता ज्ञापनों का मॉनीटर और संवीक्षा करने के लिए एक उप समिति भी बनाई गई है।

वर्ष के दौरान संस्थान ने जनेवा में हुई वृत्तिक सेवा समझौता संबंधी कार्यकारी पार्टी में भारतीय पक्ष को प्रतिपादित करने और उस पर समझौता कराने में वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता की। संपूर्ण विश्व के अनेक देशों से द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग ओर पारस्परिक मान्यता के लिए वार्ता जारी है।

संस्थान को यू.एन.सी. टी.ए.डी. से फरवरी, 1999 में जनेवा में यू.एन.सी.टी.ए.डी. (आई.एस.ए.आर.) में वृत्तिक शिक्षा पर अपनी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण मिला। संस्थान के अध्यक्ष श्री एस.पी. छाजेड़ ने संस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिएउपरोक्त सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में इस बात का उल्लेख किया गया कि आई.सी.ए.आई. का पाठ्यक्रम भी आई.एस.ए.आर. (इंटरनेशनल स्टैंडर्डस आन अकाउन्टिंग एण्ड रिपोर्टिंग) जोकि एक अंतरशासकीय कार्यकारी समूह है, द्वारा विरचित लगभग विश्व व्यापी पाठ्यक्रम के अनुरूप है।

एशिया और पेसिफिक अकाउन्टेंट्स परिसंघ ने अप्रैल 1999 में भारत में ई.एक्स सी.ओ.एम. की बठैक आयोजित करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सी.ए.पी.ए. - ई.एक्स. सी. ओ. एम. की बैठक का सफलतापूर्वक अप्रैल 1999 में नई दिल्ली में आयोजन किया गया।

भारत में संयुक्त अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के लिए यू.एन.सी.टी.ए.डी. और ओ.ई. सी.सी. से अलग से बातचीत चल रही है।

वर्ष के दौरान, संस्थान का एक चेप्टर नैरोबी, केन्या में स्थापित किया गया था।

12. विश्वविद्यालय ओर उच्चतर माधमिक बोर्ड संपर्क समिति

12.1 विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त, सेमिनार :

समिति ने देश में संस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक बोर्डो के साथ समन्वयन को सृदृढ़ बनाने केअपने प्रयासों में निम्नलिखित विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त रूप से सेमिनार आयोजित किए :

- भारतीदासन विश्वविद्यालय, 10 और 11 अक्टूबर, 1998 को छात्र शिक्षा पर।
- इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 15 नवंबर 1998 को लेखा मानक और कराधान की गतिशीलता।
- गोवा विश्वविद्यालय, 21 नवंबर 1998 को निगम सैक्टर में हाल ही का विकास विश्वविद्यालयों और आई.सी.ए. आई0 के बीच लेखा, लेखाकर्म शिक्षण और अनुसंधान प्रभाविता संबंधी चुनौतियां।
- उसमानिया विश्वविद्यालय 11 दिसंबर 1998 को अगली सहस्राब्दि में लेखाकर्म व्यवसाय और वाणिज्य शिक्षा।

12.2 सी.ए. पाठ्यक्रम की लोकप्रियता :

विश्वविद्यालय और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संपर्क समिति द्वारा चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम को लोकप्रिय बानाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे है। जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक माध्यम के प्रयोग भी है।

12.3 उन चार्टर्ड अकाउन्टेटों की, जिन्होंने पी.एच.डी. पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, सूचना का संग्रह

सभी क्षेत्रीय परिषदों और उनकी शाखाओं को अपने क्षेत्रों में उन चार्टर्ड अकाउन्टेटों को, जिन्होंने पी एच डी. पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है. (सूचना पत्र के माध्यम से या अन्यथा) युक्तियुक्त रूप से सूचना एकत्र करने का अनुरोध किया गया है।

12.4 विश्वविद्यालयों द्वारा आई.सी.ए.आई. पुरस्कार/स्वर्ण पदक का दिया जाना :

क्रम सं0	विश्वविद्यालय का नाम	पुरस्कार का प्रकार
1.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	पुरस्कार
2.	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय	पुरस्कार
3.	बंगलौर विश्वविद्यालय	स्वर्ण पदक
4.	मुंबई विश्वविद्यालय	स्वर्ण पदक
5.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	पुरस्कार
6.	कालिकट विश्वविद्यालय	पुरस्कार
7.	दिल्ली विश्वविद्यालय	पुरस्कार

8.	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	पुरस्कार
9.	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	पुरस्कार
10.	जम्मू विश्वविद्यालय	पुरस्कार
11.	जोधपुर विश्वविद्यालय	पुरस्कार
12.	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय	पुरस्कार
13.	लखनऊ विश्वविद्यालय	पुरस्कार
14.	मद्रास विश्वविद्यालय	स्वर्ण पदक
15.	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक	पुरस्कार
16.	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	पुरस्कार
17.	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	पुरस्कार
18.	नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुटूंर	स्वर्ण पदक
19.	उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय, राजाराम मोहन पुर, दीर्जिलिंग	पुरस्कार
20.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, (हैदराबाद)	स्वर्ण पदक
21.	पुणे विश्वविद्यालय	पुरस्कार
22.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	पुरस्कार
23.	रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	पुरस्कार
24.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	पुरस्कार
25.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	पुरस्कार

12.5 चार्टर्ड एकाउन्टेंसी पाठ्यक्रम को मान्यता :

निरंतर अनुवर्ती कार्य से, समिति कुछ और विश्वविद्यालयों से चार्टर्ड अकाउन्टेंसी पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्राप्त करने मेंसफल रही है। अब कुल मिलाकर 59 विश्वविद्यालय और तीन भारतीय प्रबंधन संस्थाओं ने और साथ ही भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन ने पी.एच.डी./ अध्येता कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए मान्यता प्रदान कर दी है। उन एसोसिएशनों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों की सूची, जिन्होंन अब तक सी.ए. पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान की है, नीचे दी जा रही है :

(क) **एसोसिएशन :**

1. भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन, नई दिल्ली।

(ख) **संस्थान :**

1. भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद
2. भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर
3. भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता

(ग) **विश्वविद्यालय :**

1. अलगप्पा विश्वविद्यालय, अलगप्पा नगर, कराईकुडि
2. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
3. डा. भीम राव अंबेडकर विश्वविद्यालय
4. काशी-हिन्दू विश्वविद्यालय, बंगलौर
5. बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर
6. भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली
7. मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई
8. बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल
9. डा0 बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद
10. भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर
11. भर्तियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
12. कालिकट विश्वविद्यालय, कालिकट
13. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
14. कोचीन विज्ञान और प्रौधेगिकी विश्वविद्यालय, कोच्चि
15. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
16. गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद

17. गोवा विश्वविद्यालय, गोवा
18. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (मध्य प्रदेश)
19. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
20. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
21. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
22. कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़
23. कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर
24. केरल विश्वविद्यालय, तिरूवनंतपुरम
25. कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र
26. कुवेम्पु विश्वविद्यालय, शंकरघटटा (कनार्टक)
27. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
28. बड़ौदा एम.एस. विश्वविद्यालय, बड़ोदा
29. महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक
30. मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर
31. मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगला गंगोत्री मंगलौर
32. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
33. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर
34. महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम
35. मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई
36. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी
37. मदुरैई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई
38. उत्तरी महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव
39. उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय, पटना
40. उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग
41. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
42. पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी
43. पूणे विश्वविद्यालय, पुणे
44. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़
45. पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला
46. रांची विश्वविद्यालय, रांची
47. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
48. रोहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली
49. सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बल्लभ विद्यानगर
50. संबलपुर विश्वविद्यालय, संबलपुर
51. सौराष्ट विश्वविद्यालय, राजकोट
52. शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर
53. श्री कृष्णदेवराया विश्वविद्यालय, आंध्रप्रदेश
54. श्री साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कल्याणपुर, कानपुर
55. टाटा इन्स्टीटूट आफ सोशल साईसेज, मुंबई
56. उत्तकल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
57. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति
58 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
59. यशंवत राव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक

12.6 तारीख 18 से 20 दिसंबर, 1998 तक इन्दौर में भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन के सेमिनार के खुले साधारण सत्र में इन विश्वविद्यालयों के, जो, स्नातक पूर्व स्तर पर वाणिज्य को एक विषय के रूप में पढ़ा रहे हैं, कुलपतियों द्वारा देश में वाणिज्य शिक्षा सामंजस्य बैठाने की इच्छा व्यक्त की गई थी।

विश्वविद्यालय और उच्चतर माध्यमिक बोर्ड संपर्क समिति ने स्नातक पूर्व स्तर पर देश में वाणिज्य शिक्षा

में सामंजस्य बैठाने की चुनौती स्वीकार की है। इस दिशा में भी कदम उठाए गए हैं।

13. जनसंपर्क समिति

जन संपर्क समिति (पी.आर.सी0) के मुख्य क्रियाकलापों को मोटे तौर पर मुद्रित प्रचार, प्रकाशन प्रेस प्रचार, स्मरणोत्सव स्टांप जारी किया जाना और वीडियो फिल्म बनाना में विभाजित किया जा सकता है।

13.1 मुद्रित प्रचार :

स्टूडैंट्स फोल्डर : छात्रों में चार्टर्ड अकाउन्टेंट के व्यवसाय के प्रति जागरूकता सृजित करने की मुहिम के भागरूप, जन संपर्क समिति ने छात्रों के उपयोग के लिए चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी : ए पासपोर्ट टू चैलेंजिंग कैरियर विषय पर तीन फोल्ड की एक विवरणिका जारी की। छात्र फोल्डर की 20000 प्रतियां मुद्रित कराई गई थी और शाखाओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को वितरित की गई थी।

पोस्टर : जन संपर्क समिति द्वारा चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी व्यवसाय में प्रवेश की स्कीम को प्रदर्शित करते हुए एक बहुरंगीय पोस्टर तैयार किया गया जिससे कि छात्रों को सी.ए. पाठ्यक्रम के प्रति आकर्षित किया जा सके। रंगीन पोस्टर की 1200 प्रतियां मुद्रित कराई गई थी और शाखाओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को व्यवसाय परामर्श के दौरान प्रयोग के लिए वितरित की गई थी।

13.2 प्रकाशन

क्वार्टरी न्यूज़लेटर तिमाही सूचना पत्र : जन संपर्क समिति ने अपनी छवि बनाने की प्रक्रिया के भागरूप आई.सी.ए.आई. पत्रिका नामक संस्थान का एक तिमाही सूचना-पत्र निकाल रहा है। अब तक पत्रिका के चार अंक प्रकाशित हो चुके हैं।

जनसंपर्क समिति द्वारा यथा अभिशेष चार पृष्ठ की आई.सी.ए. आई. पत्रिका के लक्ष्य पाठकों में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालय, चैम्बर्स आफ कामर्स, वृत्तिक लेखाकार के अंतरराष्ट्रीय निकाय, राजस्व पदाधिकारी, सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकतथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और विशिष्ट संस्थान सम्मिलित हैं।

प्रश्न-उत्तर रूप में विवरणिका – जन संपर्क समिति ने छात्रों के फायदे के लिए प्रश्न-उत्तर रूप में एक विवरणिका निकालने का विनिश्चय किया है। विवरणिका सी.ए. पाठ्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक छात्रों के मस्तिष्क में उठे सभी विचारणीय प्रश्नों/शंकाओं का स्पष्टीकरण/उत्तर देने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। यह कैरियर परामर्श संबंधी नीति का अंग हो सकती है और हेल्प डेस्क की पूरक हो सकती है। विवरणिका के पाठ के प्रारूप को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाने वाला है।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटैंट्स संस्थान का वृत्त : भारतीय चार्टर्ड एकाउंटैंट्स संस्थान के वृत्त का प्रारूप पाठ तैयार किया जा चुका है और अंतिम विवीक्षा के लिए सदस्यों को भेज दिया गया है।

पूर्व अध्यक्षों की भाषण पुस्तक : स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति ने परिषद के वार्षिक अधिवेशन में पिछले सभी अध्यक्षों द्वारा दिए गए भाषणों की एक पुस्तक निकालने का प्रस्ताव करती है। यह काम पी.आर.सी. को सौंपा गया है। पिछले अध्यक्षों के भाषणों का संकलन कर लिया गया है और यह काम शीघ्र ही पूरा हो जाएगा।

संस्थान की डायरेक्ट्री (निर्देशिका) : स्वर्ण जयन्ती समिति ने फैसला किया कि संस्थान की एक निर्देशिका प्रकाशित की जाए। उसमें शाखा/परिषद और उनके भवनों का इतिहास, कार्यालय में उपलब्ध सुविधाएं, प्रारम्भ में और वर्तमान में सदस्यों की संख्या चार्टर्ड एकाउंटेंटो की शहरवार विवरणे तथा फोटोचित्रों सहित अन्य ब्यौरे अंकित किए जाए। सभी प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के अध्यक्षों से अपेक्षित जानकारी देने का अनुरोध किया गया है। बहुत सारी शाखाएं अपेक्षित जानकारी दे चुकी हैं। जबकि दूसरी अन्य शाखाओं को स्मरण कराया गया है।

13.3 प्रेस प्रचार

पिछले लगभग बारह मास भारतीय चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स संस्थान के लिए बहुत सुखद रहे हैं विशेषकर इसलिए कि इसके स्वर्ण जयन्ती समारोह का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया। 1 जुलाई, 1998 को सीरीफोर्ट सभागार में आयोजित उद्घाटन समारोह और पैनल परिचर्चा दोनों का प्रेस में तथा सभी टी.वी. चैनलों पर भी व्यापक प्रचार प्रसार किया गया।

उद्‌घाटन समारोह के पश्चात् चार्टर्ड एकाउंटेंटों पर सेवा कर लगाने के खिलाफ जमकर प्रचार-प्रसार किया गया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने भी इस मसले पर प्रेस संवाददाताओं को संबोधित किया।

अगली प्रमुख घटना स्वर्ण जयंती सम्मेलन था जो कलकत्ता में आयोजित किया गया था और प्रेस (मीडिया) ने इस संबंध में आयोजित प्रेस सम्मेलनों में बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। सम्मेलन को कलकत्ता में ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुम्बई और देश के अन्य भागों में भी अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भाषाओं के समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार मिला। दूरदर्शन, सी.एन.बी.सी. कलकत्ता सिटी केबल नेटवर्क और खास खबर जैसे टी.वी0 चैनलों ने भी सम्मेलन को दिखाया गया।

49वें वार्षिक समारोह, विद्युत परियोजनाओं की संरचना पर गोलमेज परिचर्चा, बजट प्रस्तावों पर कार्यशाला श्री लंका और चेन्नई में एस.ए.एफ.ए. असेम्बली, आई.आई.एम. बैंगलूर के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षर समारोह, 200वें परिषद अधिवेशन आदि के लिए मीडिया प्रचार-प्रचार की भी व्यवस्था की गई।

29 जनवरी, 1998 से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव कैम्पस साक्षात्कारों (मंत्रियों का संस्थान में दौरा), आई.बी.ए. आई.सी.ए.आई सहयोग, नेपाल के चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स संस्थान के साथ करारें वृत्तिक लेखाकारों और संपरीक्षाओं के ऊर्जेनियम चैम्बर, किरगिज पब्लिक के चैम्बर आफ आडिट, वृत्तिक सेवाओं के निर्यात, बजट पूर्व और बजटोत्तर ज्ञापन चार्टर्ड एकाउंटेन्ट परीक्षाफल, सेवा कर, भारतीय चार्टर्डएकाउंटेन्ट्स संस्थान के 50 वर्ष, लेखा मानक, वाई 2 के मुद्दों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन तथा धन शोधन निवारण विधेयक, कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 200वां परिषद अधिवेशन, आई.आई.एम. बैंगलूर के साथ एम.ओ.यू. आदि संबंधी विषयों पर 125 से भी अधिक पर्चे निकाले गए हैं। अंग्रेजी हिन्दी और अन्य भाषाओं के अनेक समाचार पत्रों ने सभी विमोचनों को छापा है। इसके अतिरिक्त, मुम्बई और कलकत्ता में दो प्रेस सम्मेलन आयोजित किए गए। प्रादेशिक परिषदों को पी.आर.सी. ने हर प्रकार का समर्थन औरसहायता दी जिसमें सम्मेलनों के लिए प्रेस किट निर्माण भी शामिल हैं।

अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य आंचलिक भाषाओं के बहुत सारे समाचार पत्रों ने एक सुन्दर कैरियर के रूप में चार्टर्ड लेखाकर्म पर फोटोचित्रों सहित फीचर और लेख प्रमुखता से प्रकाशित किए हैं।

चार्टर्ड एकाउंटेन्ट परीक्षाओं की तैयारी पर पी.आर.सी. ने टाइम्स आफ इंडिया के ऐजुकेशन टाइम्स में अनेक लेख भी प्रकाशित किए हैं। लेख सितम्बर और अक्टूबर 1998 के दौरान प्रकाशित किए गए थे। ये लेख संस्थान के अध्ययन बोर्ड के संकाय द्वारा लिखे गए थे। ऐसी दूसरी लेखमाला जुलाई/अगस्त 1999 से प्रकाशित कि जानी प्रस्तावित है।

फीडबैक सेवा : पी.आर.सी. द्वारा पहले शुरू की गई समाचार अंश (क्लीपिंग) सेवा चल रही है। वृत्ति और सम्बंधित सरकारी विभागों से संबंधित चुनी गई समचार पत्र क्लीपिंगों का सेट संस्थान के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को परिचालित किया जा रहा है।

13.4 वीडियो फिल्म

1 जुलाई 1998 को स्वर्ण जयन्ती समारोह का उद्‌घाटन तथा उसके बाद पैनल परिचर्चा इस अवधि की प्रमुख गतिविधि थी। दो समारोहों की विडियों फिल्म बनाने का काम एक बाहरी अभिकरण को सौंपा गया था जिसने पहले संस्थान के लिए डाक्युमेन्टरी तैयार की थी। प्राप्त वीडियो टेप की प्रतिलिपियां सभी प्रादेशिक कार्यालयों तथा उनकी शाखाओं को, विदेशी केन्द्रों को एवं परिषद के सभी सदस्यों को परिचालित की गई है।

संस्थान के डाईज और लेमल पिनों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कदम उठाये गए थे।

14. दृष्टशक्ति (विजन) और पुनर्संरचना समिति

दृष्ट शक्ति और पुनर्संरचना समिति का गठन संस्थान की परिषद द्वारा इस वृत्ति की सर्वांगीण (समीक्षा करने और अगली सहस्राब्दि में उसकी स्थिति की ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए सन् 1998-99 में किया गया था, समिति ने एक प्रारूप मिशन एण्ड विजन स्टेटमेन्ट तैयार किया है जो परिषद के विचाराधीन है। आशा है कि संस्थान की इस सामरिक पहल से चार्टर्ड लेखाकर्म वृत्ति साधारण तथा स्थानीय और भूमंडलीय रूपांतरण से पैदा होने वाली संभव चुनौतियों का वृहद् रूप से मुकाबला करके तथा स्थानीय और विश्व बाजार में वृत्ति के लिए उभरते अवसरों को फायदा उठाकर दृष्ट शक्ति प्राप्त करने के लिए एक समुचित रणनीति बना सकेगी।

वर्ष के दौरान संस्थान के मुख्यालय पर समिति की पांच बैठकें आयोजित की गई समिति ने सेवारत सदस्यों, व्यवसायरत सदस्यों और छात्रों के लिए तीन वर्गों की एक प्रश्नावली का सेट अनुमोदित किया जिससे कि बदलते भूंडलीय आर्थिक परिदृश्य में वृत्ति के संबंध में विस्तृत विश्लेषण पर आधारित वर्ष 2010 में वृत्ति के बारे में उसके सदस्यों और छात्रों के विचार प्राप्त हो सके। ये प्रश्नावलियां संस्थान की प्रत्रिका में और स्टुडेन्टस न्यूज़ लैटर में सितम्बर 1998 के अंक में प्रकाशित की गई थी और सदस्यों के लिए प्रश्नावलियां मार्च 1999 के अंक में पुनः प्रकाशित की गई।

यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि वृत्ति की अत्यंत वैविध्य सदस्यता के प्रत्येक वर्ग से सदस्यों का उचित प्रतिनिधित्व हो, समिति ने विभिन्न क्षेत्रों उद्योग प्रयोक्ताओं, उद्योग निकायों बैंको, वित्तीय संस्थाओं, वित्तीय बाजारों, नियामक निकायों, सरकारी सूचना प्रौद्योगिकी और वैसे ही अन्य वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न कार्य दलों का गठन किया। संस्थान और इस वृत्ति की एक सकारात्मक तस्वीर बनाने की प्रक्रिया में पूर्व और वर्तमान परिषद सदस्यों और पूर्व अध्यक्षों सहित वृत्ति के अनुभवी वरिष्ठ सदस्यों द्वारा समिति का नियमित रूप से मार्ग प्रसस्त किया गया।

समिति (उपसमिति) और कार्य दल ने बैंगलूर, मुम्बई, जयपुर, हुबली, विशाख, त्रिपुरा, यरकाड, हैदराबाद, चेन्नई, राजामूंदरी विजयवाड़ा, नई दिल्ली, इन्दौर मुक्तेश्वर और अहमदाबाद में कार्यशालाएं और सर्वेक्षण आयोजित किए।

समिति ने एक प्रारूप विजन स्टेटमेन्ट को अंतिम रूप दिया जिसमें संस्थान ओर सदस्यों के लिए मिशन, विजन, प्रमुख मूल्य, तथा विजन (दृक शक्ति) प्राप्त करने की रणनीतियां भी समाविष्ट की गई हैं।

आशा है समिति विस्तृत पुनसरंचना योजना के साथ-साथ अगली शताब्दी के लिए विजन दिसम्बर 1999 तक अंतिम रूप से तैयार कर लेगी।

15. स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति

संस्थान द्वारा जुलाई, 1998 को 50वें वर्ष में प्रवेश करने तथा 30 जून 1999 को अपने शानदार अस्तित्व के 50 वर्ष पूरे करने के ऐतिहासिक अवसर की महत्ता को रेखांकित करते हुए संस्थान की परिषद ने 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2000 तक दो वर्ष सुन्दर ढंग से समारोह उत्सव मनाने का फैसला किया।

वांछित उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से समिति ने विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए उनमें निम्नलिखित कार्य क्रम उल्लेखनीय है :-

- स्वर्ण जयन्ती वर्ष जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने स्वर्ण जयन्ती प्रतीकचिह्न लोकार्पण करके किया।
- माननीय संघीय वित्तमंत्री के नेतृत्व में उदघाटन पैनल परिचर्चा विषय पोजीशनिंग इंडिया एज ए ग्लोबल पावर
- प्रत्येक राज्य और शाखा में स्वर्ण जयन्ती समारोह का आयोजन उनमें राज्यपालों /मुख्यमंत्रियों/संघीय कोबिनेट मंत्रियों/ राज्य मंत्रियों/अन्य विभूतियों ने भाग लिया।
- स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य में कलकत्ता में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जिसमें भारत और अन्य देशों के 1200 सहभागी शामिल हुए। उसके 16 तकनीकी सत्र हुए जिनमें विश्वभर के 50 प्रख्यात वक्ताओं ने भाषण दिए।
- प्रख्यात चार्टर्ड एकाउंटेन्टों का सम्मान
- संस्थान द्वारा स्वर्ण जयन्ती पदकों की स्थापना
- हिस्ट्री आफ एकाउंटेन्सी प्रोफैशन के आधुनातन अंक के प्रकाशन संबंधी शोध कार्य प्रारंभ
- संस्थान के आरकाइव के सर्जन के लिए अग्रिम कार्रवाई
- दो स्वर्ण जयन्ती अनुसंधान मोनाग्राफों का प्रकाशन
- सर्वश्रेष्ठ छात्रों को स्वर्ण जयन्ती पदकों से सम्मानित करने का फैसला

उपर्युक्त उद्देश्यों में से बहुत से पहले ही पूरे सम्पन्न किए जा चुके हैं।

संस्थान के 50 वर्ष पूरे होने की ऐतिहासिक घटना को भव्य समारोह पूर्वक मनाया गया। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री माननीय श्री राम जेठमलानी,

पर्यावरण तथा वन मंत्री माननीय श्री सुरेश पी. प्रभु ने पधारकर उदघाट्न समारोह की शोभा बढ़ाई उद्घाटन समारोह के बाद रोल आफ एकाउंटिंग प्रोफैशन इन एकोनामिक डवलपमेंट पर स्वर्ण जयन्ती व्याख्यान तथा कन्ट्रीब्यूशंस आफ द एकाउटेन्सी प्रोफैशन एक्सपेक्टेशन्स 21 सेन्चुरी विषयक पैनल परिचर्चा में प्रख्यात विद्वानों ने भाग लिया।

16. निर्वाचन सुधार समिति

पिछले 7 वर्ष से प्रवृत्त निर्वाचन नवनियमों प्रक्रिया के सर्वांगीण उपबंधों पर विशिष्टतया दिसम्बर 1997 में आयोजित 17वीं परिषद और 16वीं प्रादेशिक परिषदों के चुनाव कराने में महसूस की गई/आई व्यवहारिक कठिनाइयों/समस्याओं तथा साधारणतया वर्षों के दौरान कौशल संजोये अनुभव के प्रकाश में पुनः दृष्टिपात करने की आवश्यकता को समझते हुए संस्थान की परिषद ने एक समिति अर्थात् निर्वाचन संबंधी सुधार समिति गठित की। समिति का कार्यक्षेत्र इस समय विद्यमान समस्त निर्वाचन संबंधी विनियमों/निदेशों/प्रक्रियाओं/ दिशा निर्देशों आदि की समीक्षा तथा व्यवस्था में उपयुक्त परिवर्तनों की सिफारिश करना है। उक्त सब चीजें परिषद और प्रादेशिक परिषदों के चुनावों को ही लागू नहीं होती हैं अपितु प्रादेशिक परिषदों के चुनावों को ही लागू नहीं होती हैं अपितु प्रादेशिक परिषदों की प्रबंध समितियों/ पदाधिकारियों के चुनावों को भी लागू होती हैं।

उपर्युक्त उद्देश्य को ध्यान में रखकर निर्वाचन संबंधी विनियमों/दिशानिर्देशों आदि से संबंधित मुद्दों का पता लगाने के लिए व्यापक कदम उठाये गए। इस प्रकार ज्ञात मुद्दों के (विनियमवार) प्रवर्ग बनाये गए। और उन्हें सबसे पहले प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं को उनके विचारों/ सुझावों/टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया। बाद में, उन्हें समस्त सम्बन्धित लोगों की टिप्पणियों सुझावों/ नियमों के लिए संस्थान की पत्रिका के जनवरी 1999 के अंक में भी प्रकाशित किया गया। लोगों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विचार किया गया है और समिति सिद्धांत रूप कुछ फैसले किए हैं। परिषद और प्रादेशिक परिषदों के निर्वाचन कराने के प्रयोजनों के लिए अपनाई जाने वाली वर्तमान सारणी के वर्तमान अन्तराल को घटाने के लिए से संबंधित विषय तथा अन्य सम्बन्धित विषयों की जांच पड़ताल के लिएहाल ही में एक कोर-दल बनाया गया है।

17. शिक्षा और प्रशिक्षण समीक्षा समिति

शिक्षा और प्रशिक्षण समीक्षा समिति (सी0आर0ई0टी) ने परिषद को अपनी अंतिम रिपोर्ट जनवरी 98 में हुई उसकी बैठक में अप्रस्तुत की थी। बाद में परिषद ने जुलाई, अगस्त और अक्टूबर 1998 को हुई अपनी क्रमशः 193वीं 194वीं और 195वीं बैठक में उस पर विचार विमर्श किया। अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के साथ साथ परिषद ने पूरी अर्हता पूर्व शिक्षा और प्रशिक्षण की निम्नलिखित बुनियादी स्कीम का निश्चय किया।

- प्रवेश की न्यूनतम अर्हता में 10 प्लस 2 परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की आवश्यकता बनी रहनी चाहिए।
- लगभग 2 वर्ष का वृत्तिक शिक्षा (पी0ई0) पाठ्यक्रम दो भागों में व्यावहारिक प्रशिक्षण - वृत्तिक शिक्षा - 1 (पी0ई0-1) और वृत्तिक शिक्षा - 2 (पी0ई0 2) के प्रारंभ से पूर्व शुरू किया जाना चाहिए।
- आर्टिकल्स के प्रारंभ से पूर्व लगभग 200-300 घंटों के तीन मास के बराबर अवधि के लिए कम्प्यूटर में अनिवार्य व्यावहारिक प्रशिक्षण।
- व्यावहारिक प्रशिक्षण की अवधि 3 वर्ष ही रहे।
- प्रशिक्षण के अन्तिम छह मास के दौरान अथवा तत्पश्चात् अंतिम परीक्षा में बैठने की पात्रता।
- व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद जनरल मैनेजमेन्ट एण्ड कम्यूनीकेशन स्किल्स पर दो सप्ताह का पाठ्यक्रम करना।
- प्रशिक्षण गाइड का कारगर ढंग से क्रियान्वयन ।
- सेकन्डमेन्ट की अधिकतम अवधि 6 मास हो ।
- आर्टिकल्स लिपिकों को प्रशिक्षित करने की हकदारी को तय करने के प्रयोजनार्थ कालावधि और कार्य मात्रा की कसौटी को न्यायसंगत तरीके से एकीकृत किया जाये। कालावधि पर आधारित आर्टिकल लिपिकों की संख्या घटाई जाए कार्यमात्र को कार्यरूप देने के ढंग की रूपरेखा बनाई जाये ताकि धीरे-धीरे कार्यमात्रा कसौटी की दिशा में आगे बढ़ सके।
- वर्तमान स्कीम के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण विकल्प के रूप में रहना चाहिए।
- टेस्ट पेपर स्कीम पी0ई0 और अंतिम पाठ्यक्रम पर लागू की जानी चाहिये।
- प्रत्यापित संस्थाओं की स्कीम अंतिम पाठ्यक्रम पर भी लागू की जाए। प्रादेशिक अनुश्रवण व समितियां पत्यापित संस्थाओं की कार्य की समीक्षा करने में सक्रिया भूमिका निभाएंगी।

- दृश्य श्रव्य पद्धतियों, टेलीविजन और दूर-सम्मेलन के माध्यम से सैद्धांतिक शिक्षा दी जाए।
- परीक्षा प्रश्नपत्र अधिक व्यवहारोन्मुखी होने चाहिए।
- पी.ई.-1 और पी.ई -2 परीक्षाओं में बैठने की संख्या पर पाबंदी।
- अंतिम परीक्षा में बठने की अधिकतम संख्या पर कोई पाबन्दी नहीं।
- पी.ई - 2 स्तर पर सूचना प्रौधोगिकी पर एक अनिवार्य पूर्ण प्रश्नपत्र।
- सी.पी.ई कार्यक्रम अनिवार्य किया जाए शुरू में अनिवार्य सी.पी.ई. की अपेक्षा व्यवसायी सदस्यों पर ही लागू की जाए और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले सदस्यों को इससे छूट प्राप्त हो।
- अर्हता उत्तर पाठ्यक्रम फिर से बनाये जाए।
- अल्पकालीन विशेषीकृत पाठ्यक्रम चलाएं जाएं।

शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएं।

उपरोक्त परिवर्तनों को कार्यरूप देने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स विनियम 1988 के प्रारूप संशोधन विचारधीन हैं।

परिशिष्ट 6

(संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 11.2)

31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के दौरान मृत्यु के कारण सदस्य रजिस्टर मे से निकाले गए नामों की सूची)

क्रम सं0	सदस्यता सं0	नाम
1.	000382	आई.एस भटटी
2.	000396	पी.आर हरिहरन
3.	000497	के.वी. श्रीनिवासन
4.	000655	एन. रामानुजन
5.	000687	एस0 वेंकटरामन
6.	000967	के.बी. जोरापुर
7.	001036	ए. चटर्जी
8.	001125	के.सी. बारदलाई
9.	001153	एन.एम0 गिडवानी
10.	001155	आर के मुखर्जी
11.	001238	ए. के घोष
12.	001478	एस.एस. मुखोपाध्याय
13.	001612	ए0एस श्रीकृष्णा
14.	001663	एस.एन. गुप्ता
15.	001789	आर.एस. पाडके
16.	001855	एन.के गंगोपाध्याय
17.	002037	बी.एम. खांडवाला
18.	002181	के.ए. अर्जुनन
19.	002216	एन. आसर. टीटिना
20.	002501	ई.डी. काटपीटिया
21.	002546	के.आर. शाह
22.	002621	एस.एस. खांडेकर
23.	003139	एम. वेंकटाकृष्णन
24.	003166	डी. बैनर्जी
25.	003284	एस.एम. धूई
26.	003335	सी. बालासुब्रह्मनयन
27.	003382	बी.बी नेरूरकर

28.	003402	सी.डी. दोषी
29.	003411	के. मित्रा
30.	003471	आर.के. गुप्ता
31.	003682	सी. थाडंवाकृष्णा
32.	004024	पी. विश्वनाथम्
33.	004034	एम.सी. भंडारी
34.	004134	टी. नरसिम्हा थारियार
35.	004368	आर.एस. मुखर्जी
36.	004378	जी.सी. पाल
37.	004380	सी. सुब्बाराव
38.	004400	एस. के चटर्जी
39.	004424	ए.के पाधी
40.	004477	एस. एम. जोहरी
41.	004512	एम.के.आर श्रीहरि
42.	004713	आर. एल. वंकावाला
43.	005022	एच. के अपंराजी
44.	005124	एस. सुब्रह्मनयन
45.	005330	एस.एस. अय्यर
46.	005347	टी. श्रीनिवासन
47.	005944	एल. नारायन
48.	006347	एम0 जैकब
49.	006349	एन.एम. शर्मा
50.	006632	एन. रामास्वामी
51.	006649	टी.आर. कोटा
52.	007062	एन. कल्याणाकृष्णन
53.	007450	जगदीश गुप्त
54.	008009	जी. वैकटेश्वरा राव
55.	008293	के. एस. जगन्नाथन
56.	008344	ए.के वैश्य
57.	008358	एन.के बोस
58.	008629	सुधाकर राव एम
59.	009111	पी. रूई
60.	009383	पी.जी विश्वमभरन नैयर
61.	009438	एम0एस. नारायन स्वामीराव
62.	010953	एफ.सी. चौरारिया
63.	011305	के.आर. शाह
64.	011551	जी.डी. महेश्वरी
65.	012369	ए.बी. मजूमदार
66.	012492	एस.एम. अग्रवाल
67.	012635	ए.के रावसिया
68.	012848	चन्द्रशेखर कोटे
69.	013650	एम. सत्यानारायणन
70.	014550	एन.डी. शारदा
71.	014887	लक्ष्मी नारायनन आर.
72.	015446	वी. चन्द्रशेखरन
73.	016292	ए. एच. पटैल
74.	017961	सी.के शाह
75.	019147	कडभल रत्नाकर मायक

76.	019246	बलारामयैहा बी.
77.	020028	सुधाकर राव बी.
78.	020535	पुरूषोत्तम सी.
79.	021513	यगन नारायना के.
80.	021534	केदारीनाथ बी.
81.	022080	एन.एस. कृष्णन्
82.	025374	एस.पी. पोनानडा
83.	026436	भास्करम एन.एस.
84.	028443	संपत कुमार जे.
85.	029796	प्रहलाद राव एम. एन.
86.	038517	के. बालासुब्रमनयन
87.	048150	एच. एन. शाह
88.	051073	एन.सी. सरकार
89.	053280	आर.के. हिम्मतसिंहका
90.	053601	पी.के. केडिया
91.	070429	के. तानवानी
92.	073819	जी.एल. तुलसीयन
93.	075139	एस.आर. ठपरवाल
94.	080952	एल.एन. गुप्ता
95.	081213	यू.पी. मुखोपाध्याय
96.	091998	सतीश कुमार
97.	101671	आर.के गाडा
98.	200564	पी.एम. कुमार
99.	200904	मरलापति श्रीनिवास राव
100.	203487	रमेश बाबू के.जी.
101.	204065	सयोत्तमा शेट्टी ए.
102.	206345	साई वेनूगोपाल राव के.

परिशिष्ट - 7

(संदर्भ रिपोर्ट का पैरा 12.1.4)

1998-99 के दौरान आधार पाठ्यक्रम में पंजीकृत कराए गये विद्यार्थियों की क्षेत्रानुसार संख्या

पश्चिमी भारत क्षेत्र	12,876
दक्षिणी भारत क्षेत्र	5,903
पूर्वी भारत क्षेत्र	6,511
मध्य भारत क्षेत्र	9,889
उत्तरी भारत क्षेत्र	8,630
योग	**43,809**

परिशिष्ट – 8

(संदर्भ रिपोर्ट का पैरा 12.1.6)

माध्यमिक और अन्तिम पाठ्यक्रम में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या

01.04.98 तक नामांकित किए गए विद्यार्थियों की संख्या	माध्यमिक	अंतिम	कुल
	1,36,816	33,780	1,70,596
जमा:			
1998–99 के दौरान नामांकित	28,253	12,227	40,480
	1,65,069	**46,007**	**2,11,076**
घटा :			
(मई, 1998 एवं नवम्बर, 1999) वर्ष में माध्यमिक एवं अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या	11,524	7,405	18,929
	1,53,545	**38,602**	**1,92,147**

परिशिष्ट – 9

(सदंर्भ रिपोर्ट का पैरा 13.1.1 और 13.1.2)

(क) प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं की सूची (जुलाई 1999 को)

पश्चिमी भारतीय क्षेत्रीय परिषद्

1. अहमदाबाद
2. आनन्द
3. औरंगाबाद
4. बड़ौदा
5. गोवा
6. जलगांव
7. कोल्हापुर
8. नागपुर
9. नासिक
10. पुणे
11. राजकोट
12. सांगली
13. शोलापुर
14. सूरत

दक्षिण भारतीय क्षेत्रीय परिषद्

1. अलेप्पी
2. बंगलोर
3. बेलगांव
4. कालीकट
5. कोयम्बटूर
6. एर्नाकुलम
7. ईरोड
8. गुटूंर
9. हुबली
10. हैदराबाद
11. कोट्टायम्
12. कुम्बाकोणम्
13. मदुरई
14. मंगलौर
15. मैसूर
16. पालघाट
17. पांडिचेरी
18. क्विलोन
19. सेलम
20. तिरुचिरापल्ली
21. तिरुनेल्लवेलि
22. त्रिपुर
23. त्रिचुर
24. त्रिवेन्द्रम
25. टुटीकोरिन
26. वैल्लौर
27. विजयवाड़ा
28. विशाखापट्नम

पूर्वी भारतीय क्षेत्रीय परिषद्

1. आसनसोल
2. भुवनेश्वर
3. कटक
4. दुर्गापुर
5. गुवाहाटी
6. राऊरकेला
7. सिलिगुड़ी

मध्य भारतीय क्षेत्रीय परिषद्

1. आगरा
2. अजमेर
3. इलाहाबाद
4. अलवर
5. बरैली
6. भीलवाड़ा
7. भोपाल
8. देहरादून
9. धनबाद
10. गाजियाबाद
11. ग्वालियर
12. इंदौर
13. जयपुर
14. जमशेदपुर
15. जोधपुर
16. कोटा
17. लखनऊ
18. मथुरा
19. मेरठ
20. मुरादाबाद
21. नोएडा
22. पटना
23. रायपुर
24. रांची
25. उदयपुर
26. वाराणसी

उत्तर भारतीय क्षेत्रीय परिषद्

1. अमृतसर
2. चण्डीगढ़
3. फरीदाबाद
4. गुडगांव
5. हिमाचल प्रदेश
6. हिसार

7. जालंधर
8. जम्मू एवं कश्मीर
9. लुधियाना
10. पानीपत
11. पटियाला
12. रोहतक
13. यमुनानगर

(ख) संस्थान के भारत के बाहर के केन्द्रों की सूची

1. आबू दाबी
2. बहरिन
3. दोहा
4. दुबई
5. जेद्दाह
6. मसक्कट
7. जाम्बिया
8. बोत्स्वाना
9. पूर्वी प्रान्त (सऊदी अरब)
10. नैरोबी (कैन्या)

संपरीक्षा रिपोर्ट

हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान के 31 मार्च 1999 के तुलन पत्र की और उक्त तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये संलग्न आय-व्यय लेखा की, जिसमें संस्थान के कार्यालय, क्षेत्रीय परिषद् और उनकी शाखाओं के अन्य संपरीक्षकों द्वारा संपरीक्षित लेखा सम्मिलित थे, संपरीक्षा की है और निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं :-

1. हमने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में अपनी संपरीक्षा के लिये आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए।

2. तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा, जो रिपोर्ट में दर्शाए गये हैं, लेखा बहियों के अनुसार हैं।

3. हमारी राय में लेखा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाये गये हैं।

4. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गये स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखाकरण नीतियों के साथ संलग्न और पठित अनुसूचियों के साथ विवरण और एक शाखा के लेखा को सम्मिलित न करने से संबंधित टिप्पण सं0 1, पैंशन निधि और 2, छुट्टी नकदीकरण निधि में दायित्व के बीमांकिक मूल्य को सुनिश्चित न करने संबंधित टिप्पण सं0 2 और पूर्व अवधि की आय और व्यय के संबंधित टिप्पण सं0 4 के अधीन रहते हुए निम्नलिखित का निष्पक्ष एवं सत्य मत प्रकट करते हैं:-

   I) तुलन-पत्र की स्थिति में 31 मार्च, 1999 तक के कार्यों के संबंध में,

   II) आय-व्यय लेखा की स्थिति में, उस तारीख को समाप्त होने वाले अधिशेष के संबंध में।

ह0/-
प्रदीप अग्रवाल
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह0/-
आर0के0 बतरा
चार्टर्ड एकाउंटेंट

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 21.08.99

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेट्स संस्थान

तुलन पत्र

31 मार्च 1999 को

(रकम रु0 में)

विवरण	अनुसूची		31.03.99		31.03.98
निधियों के स्रोत					
पूंजीगत आरक्षितियां	(क)		175306870	—	142870889
सामान्य व अन्य आरक्षितियां	(ख)		90565567	—	92475393
उदिष्ट निधियां	(ग)		190934377	—	151193719
योग			456806814	—	386540001
निधियों का प्रयोग					
स्थायी आस्तियां					
सकल ब्लाक		234817334		199756263	
न्यून अवक्षय		(78123123)		(59513318)	
शुद्ध ब्लाक	(घ)		156694211		140242945
उदिष्ट निधि निवेश	(ङ)		190934377		151193719
अन्य निवेश	(ङ)		194733369		178577760
शुद्ध वर्तमान आस्तियां	(च)		(87454098)		(83565783)
प्रास्थगित राजस्व व्यय (जितने उपलिखित नहीं है)			1898955		91360
योग			456806814		386540001

नई दिल्ली

तारीख 21.08.99

देवेन्द्र कुमार	अशोक हल्दिया	जी. सीतारामन	एस.पी. छाजड़
संयुक्त सचिव	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

अनुसूचित क से ज लेखा का अभिन्न अंग है।
इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
नई दिल्ली
तारीख 21.08.99

प्रदीप अग्रवाल	आर.के. बत्रा
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय लेखा

	31.03.1999	31.03.98
क. आय		
प्राप्त शुल्क	276347359	228367555
न्यूज लेटर एवं पत्रिकाएं		
(क) पत्रिकाएं	1095869	603530
(ख) विद्यार्थियों के न्यूज लेख	442894	358778
प्रकाशन आय	19688584	18205039
संगोष्टि आय	24571902	13519093
निधियों पर ब्याज	23597157	15146928
आय : कंप्यूटर केन्द्र	2504481	1936526
अन्य आय	17443318	12874507
योग (क)	365691564	291011956
(ख) व्यय.		
न्यूज लेटर एवं पत्रिकायें		
(क) पत्रिकाएं	14847491	10030880
(ख) विद्यार्थियों के न्यूज लेटर	3003142	1988734
(ग) आर.सी.एस. और बी.आर. न्यूज लेटर	3441792	2285136
प्रकाशन	5894915	3493044
दूर शिक्षा व्यय	25321489	17998757
परीक्षा व्यय	44610128	33833098
संगोष्टि व्यय	25395679	15486795
वेतन	113011869	103176728
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	8161145	6102283
डाक तार एवं दूरभाष	12321584	7822378
किराया, दर एवं कर	9477226	8176454
मरम्मत और रखरखाव	5798219	5840744

	31.03.1999	31.03.98
यात्रा एवं वाहन खर्च	20618824	13241125
विदेश संबंध	8159345	5245240
वृत्तिक फीस	3152827	1725642
कम्प्यूटर केन्द्र व्यय	847018	732114
अवक्षय	18670044	8972817
अन्य व्यय	11592674	14249845
योग (ख)	334325411	260401814
शुद्ध अधिशेष (क ख)	31366153	30610142
आरक्षितियों में विनियोजन :		
शिक्षा निधि	27674336	17691719
कर्मधारी हितकारी निधि	1000000	
स्वर्ण जयन्ती समारोह निधि		1000000
साधारण आरक्षिति	2691817	11918423
	31366153	306010142

नई दिल्ली

तारीख 21.08.99

देवेन्द्र कुमार	अशोक हल्दिया	जी. सीतारामन	एस.पी. छाजड़
संयुक्त सचिव	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

अनुसूचित क से ज लेखा का अभिन्न अंग है।

इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

नई दिल्ली

तारीख 21.08.99

प्रदीप अग्रवाल	आर.के. चत्रा
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेट्स संस्थान

पूंजीगत आरक्षितियां

अनुसूचि (क)

विवरण	शिक्षा		साधारण	
	31.03.99	31.03.98	31.03.99	31.03.98
पिछले लेखा के अनुसार शेष राशि	87597774	39597085	55273115	51937797
जमा : उद्भिष्ट निधि से अंतरित				
(क) शिक्षा निधि	12367476	34691189	—	—
(ख) कम्प्यूटरीकरण निधि	4886358	9864604	—	—
(ग) लेखा अनुसंधान और बुनियादी निधि	5500000	3444896	—	—
साधारण आरक्षिति से अंतरण	—	—	1391321	20000
दाखिला शुल्क व आबंटित प्रवेश शुल्क	—	—	1883000	1689800
भवन निर्माण के लिये प्राप्त अनुदान	—	—	6407826	1625518
	110351608	87597774	64955262	55273115
योग	175306870	142870889		

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेट्स संस्थान

साधारण एवं अन्य आरक्षितियां

अनुसूचि (ख)

विवरण	साधारण		अन्य	
	31.03.99	31.03.98	31.03.99	31.03.99
पिछले लेखा के अनुसार शेष राशि	85714811	75106647	6760582	5877300
आय-व्यय लेखा से में अंतरित रकम	2691817	11918423	—	—
वर्ष के दौरान ह्रास	—	—	(385254)	(181302)
पूंजीगत आरक्षित में अंतरित रकम साधारण	(1391321)	(20000)	—	—
उद्भिष्ट निधियों में अंतरित रकम	(2298245)	(524062)	(526823)	298387
अन्य आरक्षितियों से/में अंतरित रकम	(2717919)	(766197)	—	—
साधारण आरक्षितियों में/से अंतरित रकम	—		2717919	766197
	81999143	85714811	8566424	6760582
योग	90565567	92475393		

नोट :- प्रादेशिक परिषदों व शाखाओं की पुस्तक में आरक्षितियां (जैसे पुस्तकालय आरक्षितियां कोचिंग कक्षा, आरक्षितियां आदि) ही अन्य आरक्षितियां हैं।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूचि (ग) - उच्चिष्ट निधियां

(रकम रु0 में)

विवरण	31.03.99	31.03.98
शिक्षा निधि	79122062	56224848
पदक एवं पुरस्कार निधि	2907854	2313564
छात्रवृत्ति निधि	1489810	1251749
योग (क)	83519726	59790161
पेंशन निधि	35760643	29017152
छुटटी के बदले भुगतान निधि	10000000	
कर्मचारी हितकारी निधि	1000000	
योग (ख)	46760643	29017152
अनुसंधान निधि	24606882	20920633
अनुसंधान फाउन्डेशन और अन्य भवन निधि	16750093	19251104
कम्प्यूटरीकरण निधि	8389278	11696596
स्वर्ण जयन्ती समारोह निधि	2016118	3837000
अन्य निधि	8891637	6681073
योग (ग)	60654008	62386406
कुल योग	190934377	151193719

..... जारी

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूचि (ग) – उद्धिष्ट निधियां

रकम रु0 में

विवरण	शिक्षा निधि		पदक और पुरस्कार नि0		छात्रवृत्ति निधि		योग (क)	
	31.03.99	31.03.98	31.03.99	31.03.98	31.03.99	31.03.98	31.03.99	31.03.98
(क)								
पिछले लेखा के अनुसार	56224848	66825102	2313564	2001208	1251749	1044355	59790161	69870665
समायोजन	—	—	(80379)	(11600)	—	(8180)	(80379)	(19780)
अन्य आरक्षितियों से/में अंतरित	—	—	5451	—	—	—	5451	—
वर्ष के दौरान अर्जित आय	7590354	6399216	285808	266110	168986	152108	8045148	6817434
वर्ष के दौरान संग्रहरण	—	—	490861	205725	122000	130000	612861	335725
वर्ष के दौरान व्यय	—	—	(107451)	(147879)	(52925)	(66534)	(160376)	(214413)
आय-व्यय लेखा में अंतरित	27674336	17691719	—	—	—	—	27674336	(17691719)
पूंजीगत आरक्षितियों से अंतरित-शिक्षा	(12367476)	(34691189)	—	—	—	—	(12367476)	(34691189)
योग	79122062	56224848	2907854	2313564	1489810	1251749	83519726	59790161

विवरण	पेंशन निधि		छुट्टी के बदले नकद भुगतान		कर्मचारी हितकारी		योग (ख)	
	31.03.99	31.03.98	31.03.99	31.03.98	31.03.99	31.03.98	31.03.99	31.03.98
(ख)								
पिछले लेखा के अनुसार	29017152	22646129	4400000	—	—	—	33417152	22646129
वर्ष के दौरान अर्जित आय	3917315	3052698	—	—	—	—	3917315	3052698
वर्ष के दौरान प्रावधान	5000000	5000000	5600000	—	—	—	10600000	5000000
वर्ष के दौरान संदाय	(2173824)	(1681675)	—	—	—	—	(2173824)	(1681675)
आय-व्यय लेखा से अंतरित	—	—	—	—	1000000	—	1000000	—
योग	35760643	29017152	10000000	—	1000000	—	46760643	29017152

..... जारी

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूचि (ग) - उद्दिष्ट निधियां

(रकम रु० में)

विवरण	अनुसंधान निधि		लेखा अनुसंधान फाउन्डेशन एवं अन्य भवन निधि		कम्प्यूटरीकरण		स्वर्ण जयंती समारोह निधि		अन्य निधि		योग (ग)	
	31.03.99	31.03.98	31.03.99	31.03.98	31.03.99	31.03.98	31.03.99	31.03.98	31.03.99	31.03.98	31.03.99	31.03.98
(ग)												
पिछले लेखा के अनुसार शेष राशि	28920633	14502228	19251104	20000000	11656596	19000000	3837000	2500000	6683073	5621044	62386406	64634072
समायोजन	—	—	—	—	—	—	—	—	(1566000)	(151328)	(1566000)	(151328)
सामान्य आरक्षितियों से/में अंतरित	56617	—	—	—	—	—	—	—	2241628	524062	2298245	524062
अन्य आरक्षितियों से/में अंतरित	521372	—	—	—	—	—	—	—	—	(298387)	521372	(298387)
वर्ष के दौरान अर्जित आय	2738337	1895125	2590000	2696000	1579040	2561200	537762	337000	435521	327370	7883669	7816695
वर्ष के दौरान संग्रहण	369985	4523200	400000	—	—	—	100000	—	1532002	1104348	2401985	5627628
वर्ष के दौरान व्यय	—	—	—	—	—	—	(2453646)	—	(432657)	(446836)	(2885301)	(446836)
आय-व्यय लेखा से अंतरित	—	—	—	—	—	—	—	1000000	—	—	—	1000000
पूंजीगत आरक्षितियों में अंतरित- शिला	—	—	(5000000)	(3444896)	(4886358)	(9864004)	—	—	—	—	(10386358)	(13309500)
योग	24090882?	28920633	16750095?	19251104	8349278	11656596	2866118?	3837000	8894437?	6683073	60654808	62386406

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूचि (घ) - स्थायी आस्तियां

आस्तियां	अवक्षयण की दर	सकल ब्लाक लागत 01.04.98	वर्ष के दौरान वृद्धियां	समायोजन/ अन्तरण/ विक्रय	31.03.99 की लागत	अवक्षयण 01.04.98 तक	वर्ष के दौरान	समायोजन/ अन्तरण/ विक्रय	31.03.99 तक	शुद्ध ब्लाक 31.03.99 को डब्ल्यू. डी.वी.	31.03.98 को डब्ल्यू. डी.वी.
1. भूमि-पूर्ण स्वामित्व	—	6,310,181	1,270,855	—	7,581,036	—	—	—	—	7,581,036	6,310,181
2. भूमि पट्टा	—	969,399	—	—	969,399	124,185	22,086	—	146,271	823,128	845,214
3. भूमि ([illegible]) पट्टा	—	23,444,896	5,500,000	—	28,944,896	260,499	322,298	—	582,797	28,362,099	23,184,397
4. भवन निर्माण जारी	—	8,159,047	1,6415,75	(34,195,78)	6,381,044	—	—	—	—	6,381,044	8,159,047
5. भवन	5 प्रतिशत	69,884,854	4,932,264	36418	74,853,536	16,924,479	2,867,285	—	19,791,764	55,061,772	52,960,375
6. विद्युत संस्थापन और फिटिंग	10 प्रतिशत	9,225,922	1,588,824	(103059)	10,711,687	3,702,725	690,542	(36546)	4,356,721	6,354,966	5,523,197
7. वातानुकूलन	15 प्रतिशत	7,101,945	650,977	20,000	7,772,922	3,788,287	544,739	5550	4,338,576	3,434,346	3,313,658
8. फर्नीचर और फिक्सचर	10 प्रतिशत	21,608,235	5,287,149	11,764	26,907,148	8,359,923	1,705,670	(28768)	10,036,825	16,870,323	13,248,312
9. लिफ्ट	10 प्रतिशत	1,900,038	34,962	1,058,250	2,993,250	333,057	193,519		526,576	2,466,674	1,566,981
10. अन्य उपकरण	15 प्रतिशत	12,626,151	3,849,514	(295212)	16,180,453	5,507,004	1,346,377	(43971)	6,809,410	9,371,043	7,119,147
11. वाहन	20 प्रतिशत	1,730,891	65,921	16,300	1,813,112	757,879	204,756	3254	965,889	847,223	973,012
12. पुस्तकालय की पुस्तकें	20 प्रतिशत	12,477,114	2,027,764	(3332)	14,501,546	9,637,779	1,223,811	(1108)	10,860,490	3,641,056	2,839,335
13. कम्प्यूटर	एस.एल.एम. 40 प्रतिशत	24,317,590	10,605,478	284,237	35,207,305	10,117,501	9,548,961	41342	19,707,804	15,499,501	14,200,089
योग	—	199,756,263	37,455,283	(2394212)	234,817,334	59,513,318	18,670,044	(60239)	78,123,123	156,694,211	140,242,945
पूर्व वर्ष	—	162,048,943	37,966,168	(258848)	199,756,263	50,536,301	8,972,817	4,200	59,513,318	140,242,945	

नोट:- इसमें हुबली स्थित भूमि संबंधी 2,62,061/- रु० भी शामिल हैं जो हुबली जिला विकास प्राधिकरण के साथ मुकद्दमें की विषय वस्तु है।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची (ड0), निवेश (दीर्घ - अवधि)

(रकम रु0 में)

	विवरण	31.03.99		31.03.98	
1.	भारतीय यूनिट ट्रस्ट में यूनिटें				
	(1) खैराती और धार्मिक न्यास रजिस्ट्रीकृत सोसायटियां (सी.आर.टी.एस.-81) की यूनिट स्कीम	44903270		44831160	
	(2) यूनिट 1964 स्कीम	1066781		1066781	
	(3) संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट स्कीम (आई.आई.एस.एफ.यू एस-96 और 98)	47500000	93470051	20000000	65897941
2.	पब्लिक सैक्टर उपक्रम में बांड				
	i) भारतीय रेलवे वित्त निगम लि0 (मोचनीय अपरिवर्तनीय बांड 2500 प्रति 1000 रु.)	2468531		2461389	
	ii) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि0 आई.एफ.सी.आई बांड - 96 (एक्स सीरीज) (मोचनीय अपरिवर्तनीय बांड 500 प्रति 10,000/- रु0 प्रत्येक)	5000000		5000000	
	आई.एफ.सी.आई - परिवार बांड (मोचनीय बांड 5000/- रु. वचन पत्र के साथ)	2500000		2500000	
	iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक - बांड		9968531	500000	10461389
3.	अनुसूचित बैंकों में आवधिक निक्षेप		282229164		253412149
	कुल निवेश		385667746		329771479
	आबंटित				
	उद्दिष्ट निधि निवेश		190934377		151193719
	अन्य निवेश		194733369		178577760
	योग		385667746		329771479

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची (घ), शुद्ध वर्तमान आस्तियां

(रकम रु0 में)

विवरण	31.03.99		31.03.98	
(क)				
वर्तमान आस्तियां, उधार, और अग्रिमधन				
(प्रकाशनों अध्ययन सामग्री लेखन मुद्रकों के जिसमें कागज स्टाक 37.29 लाख रुपये, पूर्व वर्ष 19.50 लाख रु. भी शामिल है)	14560929		10271414	
न्यूनः बेकार स्टाक के लिये	(1858570)	12702359	(1906324)	8365090
(ख) प्राप्त रकमें				
(1) निवेशों पर ब्याज	27427857		16372198	
(2) स्टाफ आवास और यान उधारों पर ब्याज	4920251		3314370	
(3) प्रतिभूति निक्षेप	341057		297480	
(4) अन्य प्राप्य (न्यून : 7.34 लाख रु. जो संबिग्ध समझे गये) और जिनकी प्रावधान समझे गये) और जिनकी प्रावधान किया गया)	4923537	37612702	4631377	24615425
(ग) उधार और संदाय पूर्व				
(1) कर्मचारियों को अग्रिम (आवासयान और अन्य उधार)	9543804		9180165	
(2) अग्रिम और संदाय पूर्व	11999178	21542982	10384750	19564915
(घ) रोकड़ और बैंक बाकी		36048346		36271770
योग वर्तमान आस्तियां		107906369		88817200
वर्तमान दायित्व और प्रावधान				
(क) अग्रिम प्राप्त शुल्क और आय		143514243		108327980
(ख) खर्चों के लेनदार		30955540		38875858
(ग) अन्य दायित्व		20890704		25179145
योग : वर्तमान दायित्व और प्रावधान		195360487		172382983
शुद्धवर्तमान आस्तियां		(87454098)		(83565783)

अनुसूची- ६

लेखाओं के भागरूप टिप्पण

1. एक शाखा से लेखाओं की प्राप्ति के लम्बित रहते हुए, वर्ष के दौरान इस शाखा को दिए गए 26200/- रु. के राजस्व अनुदान राजस्व से पारित किए गए हैं। उसकी आस्तियों और दायित्वों को प्रारंभिक अतिशेष समाविष्ट किए गए हैं।

2. निम्नलिखित निधियों में संचित अतिशेष पर्याप्त समझे गए हैं :-

	31.03.1999 को आस्तिशेष	इस वर्ष में किया गया प्रावधान
पेंशन निधि	357.67 लाख रु.	50 लाख रु
छुट्टी के बदले नगद भुगतान निधि	100.00 लाख रु.	56 लाख रु.

3. (क) पूंजीगत प्रतिबद्धता की प्राक्कलित राशि (अग्रिमधन की शुद्ध राशि) 67.65 लाख रुपये है (पूर्व वर्ष 23.43 लाख रुपये) (ख) वे दावे जो ऋण के साथ से स्वीकृत नहीं है 36.66 लाख रुपये

4. पूर्व वर्ष की 113.95 लाख रुपये की आय तथा 31.82 लाख रुपये का व्यय पूर्व अवधि की आय ओर पूर्व अवधि के व्यय में शामिल नहीं हैं। फिर भी इसे वर्तमान वर्ष के आय-व्यय के रूप में लिया गया है।

5. पूर्व वर्षों में 20 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष कम्प्यूटरों पर अवक्षयण 40 प्रतिशत दिया गया है। इसकी वजह से 47.74 लाख रुपये की अधिशेष घटा है।

6. हार्डवेयर वाई 2 के अनुपालन है। सोफ्टवेयर के लिए वाई 2 के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये गए हैं।

7. वेतन के अन्तर्गत परिलब्धियां एवं अन्य भत्ते भी शामिल है।

8. वृत्तिक शुल्क के अन्तर्गत कानूनी संपरीक्षकों को 2.70 लाख रुपये की संपरीक्षक फीस भी शामिल है।

9. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनः समूहों और वर्गों में बांटा गया है।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स संस्थान
नई दिल्ली
महत्वपूर्ण लेखाकन नीतियां

अनुसूची ज

I **लेखा कन्वेंशन**

लेखा ऐतिहासिक लागत पर तैयार किए जाते हैं।

II **राजस्व मान्यता**

(क) एसोशियेट सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क का 1/3 अंश आय माना जाता है।

(ख) छात्रों से प्राप्त ट्यूशन फीस को रजिस्ट्रेशन पर निम्नलिखित आधर पर आय माना जाता है।

(1) प्रशिक्षण पूर्व (फाउंडेशन पाठ्यक्रम)

वर्ष की प्रथम तिमाही में रजिस्टर छात्रों से प्राप्त की शुल्क का 100 प्रतिशत और उसके बाद रजिस्टर छात्रों को प्राप्त शुल्क का 50 प्रतिशत शेष राशि को आगामी वर्ष में आय माना जाता है।

(2) अन्य

(क) एक मुश्त प्राप्त शुल्क

प्राप्ति वर्ष में रजिस्टर छात्रों की फीस का 1/3 ओर समकक्ष आधार पर अगले दो वर्षों में शेष 2/3

(ख) किश्तों में प्राप्त शुल्क

(1) प्रथम किश्त प्राप्ति के वर्ष में रजिस्टर छात्रों के शुल्क का 50 प्रतिशत और समकक्ष आधार पर अगले दो वर्षों में शेष 50 प्रतिशत

(2) दूसरी किश्त – प्राप्ति वर्ष में प्राप्त शुल्क का 100 प्रतिशत

(ग) परीक्षा शुल्क

परीक्षा शुल्क और परीक्षा के प्रत्यक्ष व्यय उसी वर्ष में माने जाते हैं जिससे परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं।

(घ) निवेशों से आय

(1) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों में निवेशें पर आय को प्राप्त करने के हक के आधार पर आय माना जाता है।

(2) प्रतिभूतियों/निवेशों के ब्याज पर आय को कूपनी संविदादरों पर हिसाब में लिया जाता हैं।

(3) बैंको में अवधिक निक्षेपों पर ब्याज पर ब्याज ऐसे निक्षेपों पर लागू दरों पर भेद भवन आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

(4) निवेशों की आय को सम्बद्ध उदिष्ट निधियों के आरंभिक अतिशेषों और कुल निवेशों के अनुपात में उद्दिष्ट निधियों में आबंटित किया जाता है।

III **आवधिक आस्तियां/अवक्षय**

(क) पदाघृत भूमियों का पटटा-अवधि में क्रमिक अपाकरण किया जा रहा है।

(ख) पुस्तकालय की पुस्तकों का सीधी पंक्ति पद्धति पर अवक्षयण किया जाता है।

(ग) अन्य आवधिक आस्तियों का अवक्षयण अवलिखित मूल्य पद्धति पर किया जाता है।

(घ) अनुवृद्धियों पर अवक्षयण प्रोराटा आधार पर दिया जाता है

IV **निवेश**

(क) परिव्यक्तता की सामान्य तारीख तक धारित किए जाने आशयित निवेश दीर्घावधि निवेश माने जाते है और उनका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। अस्थायी से भिन्न मूल्य में गिरावट का प्रावधान किया गया है।

(ख) अन्य निवेशों को अल्पावधि निवेश माना जाता है।

V **वर्तमान आस्तियां**

कागज, प्रकाशनों, अध्ययन सामग्री, लेखन सामग्री आदि के स्टाक का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है (प्रत्यक्ष लागत पद्धति के आधार पर)

VI **प्रास्थगित राजस्व व्यय**

सोफ्टवेयर विकास प्रभारों के मुद्धे कम्प्यूटरीकरण व्यय जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटर परामर्श दाताओं के संदत्रा/संदेय सोफ्टवेयर की लागत भी शामिल है, को प्रास्थगित राजस्व व्यय माना जाता है जिसे पांच वर्षों की अवधि में बराबर-बराबर अपलिखित किया जाता है।

VII **सीमान्त/सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं**

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ की गई एक स्कीम के अनुसार पात्र कर्मचारियों को मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर उपदान के मद्दे दायित्व (यथार्थ मूल्यांकन के अनुसार संगणित) संस्थान द्वारा प्रीमियम/अंशदान के अन्तर्गत आता है। ऐसा प्रीमियम अंशदान आय-व्यय लेखा में पारित किया जाता है।

(ख) पात्र कर्मचारियों के लिए छुट्टी के बदले नगद भुगतान के लिए प्रावधान इस धारणा पर आधारित है कि ऐसे कर्मचारी को इसका संदाय लेखा वर्ष के अन्त में किया जाता है।

VIII **उद्दिष्ट निधियां/आबंटन**

(क) फैलो सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क ओर एसोशियेट सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क की 2/3 राशि को पूंजी आरक्षित निर्णय साधारण के रूप में लिया जाता है।

(ख) छात्र सम्बद्ध गतिविधियों में से हाने वाली अधिशेष राशि की 50 प्रतिशत राशि शिक्षा निधि में अन्तरित की जाती है।

(ग) निम्नलिखित उद्दिष्ट निधियों में से पूंजी आरक्षित निधि शिक्षा में अन्तरण :-

(1) कम्प्यूटरीकरण निधि से विकेन्द्रीकृत कार्यालयों और मुख्य कार्यालय कम्प्यूटरीकरण परियोजना के संबंध में कम्प्यूटरों और (सम्बद्ध साधित्रों के क्रम क्रय के खर्च का 100 प्रतिशत)

(2) लेखा अनुसंधान फाउन्डेशन और अन्य भवन निधि से : लेखा अनुसंधान फाउंडेशन से संबंधित आवधिक आस्तियों की लागत की 100 प्रतिशत

(3) शिक्षा निधि से : अन्य सावधिक आस्तियों की अनुवृद्धियों की लागत (शुद्ध कटौतियाँ) की 50 प्रतिशत।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान, नई दिल्ली

31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(लाख रुपये में)

	1998-99		1997-98	
(क) प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
शुद्ध अधिशेष	313.66		306.10	
समायोजन :				
अवक्षयण	186.70		89.73	
अन्य निवेशों से प्राप्त ब्याज	(235.97)		(151.47)	
कार्य पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	264.39		244.36	
प्राप्त रकमों में वृद्धि	(129.99)		(55.99)	
अग्रिम और ऋण में वृद्धि/कमी	(19.78)		3.15	
वस्तु सूचियों में वृद्धि	(43.36)		(14.27)	
फीस में वृद्धि/आय में प्राप्त अग्रिम	351.86		205.47	
व्यय को लेनदारों में कमी/वृद्धि	(79.21)		271.19	
अन्य दायित्वों में कमी/वृद्धि	(42.88)		153.70	
प्रचालन क्रिया कलापों से शुद्ध नकदी		301.03		807.61
(ख) निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
आवधिक आस्तियों का अर्जन	(351.22)		(377.39)	
निवेशों का अर्जन	(558.96)		(983.49)	
प्रारम्भिक राजस्व व्यय	(18.08)		(0.91)	
अन्य निवेशों से प्राप्त ब्याज	235.97		151.47	
अन्य निवेश से प्राप्त आय	146.27		176.86	
पूंजीगत प्राप्तियां	242.75		140.85	
निवेश क्रिया कलापों से शुद्धनगदी		(303.27)		(892.61)
नगदी और नगदी समानकों में शुद्ध कमी		(2.24)		(85.00)
अवधि को शुरू में नगदी और नगदी समानक		362.72		447.72
अवधि को अंत में नगदी और नगदी समानक		360.48		362.72

(अशोक हल्दिया)
सचिव

दि इन्सटीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्कस एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया

१२, सदर स्ट्रीट, कलकत्ता - 700 016

संदर्भ सं० 18/8/99 दिनांक - सितम्बर 99

अधिसूचना

दि कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस अधिनियम 1959 की द्वारा 18 उप-धारा 5 का अनुशरण कर दि इन्सटीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया की परिषद ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट और संख्या की लेखा परीक्षा किया हुआ लेखा जिसकी अवधि 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुयी है, सबकी सूचना के लिये प्रकाशित किया गया।

उदयम राव
सचिव

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा

1999

दि इन्सटीट्यूट आर्फ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया

12 सदर स्ट्रीट

कलकत्ता -700 016

दि इन्सटीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया

40 वाँ वार्षिक रिपोर्ट - 1998-99

दि कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस के अधिनियम 1959 की धारा 18 (5) के अधीन प्रकाशित।

दि इन्सटीट्यूट आफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया की परिषद आई सी डब्ल्यू ए आई की वार्षिक रिपोर्ट एवं परीक्षा किया हुआ लेखा। जिसकी अवधि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होती है प्रस्तुत करते हुये हर्ष हो ता है।

परिषद जिसकी बैठक 22-7-1998 को हुयी, श्री आर.जे.गोयल बी.काम.एफ आई सी डब्ल्यू ए को इस संस्था का अध्यक्ष तथा श्री कुनाल बनर्जी बी.ए. एफ सी ए, एफ आई सी डब्ल्यू ए, आनर्स को उपाध्यक्ष के रूप में इस वर्ष 1998-99 लिए चून लिया गया।

इस वर्ष 1998-99 के दौरान परिषद की 6 बार बैठकें हुयी।

परिषद की समितियाँ

22 जूलाई 1998 को परिषद के विभिन्न समितियों का गठन हुआ जिसका पुरा विवरण अनुबंधक - 1 में दिखाया गया है।

सभी पंजीकृत छात्र :-

वर्ष के दौरान संस्था मे 22372 छात्रों को पंजीकृत किया/गत वर्ष इनकी संख्या 21[illegible] थी। वर्ष के अन्त में पंजीकृत छात्रों की संख्या 1,85,340 हुई। वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान पंजीकृत छात्रों के क्षेत्र के अनुसार विभाजन नीचे दिया गया है।

क्षेत्र	1997-98	1998-99
पूर्वीय	4018	3963
उत्तरीय	3342	3404
दक्षिणीय	7468	7640
पश्चिमीय	4246	4678
	19074	19685
केन्द्रों आदि	2680	2687
कुल	21754	22372

शिक्षण :- वर्ष के दौरान शिक्षण के लिये 36863 संख्या छात्र कुल की भर्ती की गई। क्षेत्र के अनुसार विभाजन नीचे दिया गया है।

	पोस्ट द्वारा		मौखिक		कुल	
	1997-98	1998-99	1997-98	1998-99	1997-98	1998-99
इन्टर पूर्वीय	2572	2347	3750	3654	6322	6001
इन्टर उत्तरीय	3278	3428	1901	1978	5179	5406
इन्टर दक्षिणीय	5738	6318	6348	6714	12086	13032
इन्टर पश्चिमीय	2421	2525	4124	4579	6545	7104
सब टोटल	14009	14618	16123	16925	30132	31543
फाइनल पूर्वीय	688	497	541	408	1229	905
फाइनल उत्तरीय	800	1513	247	99	1048	1612
फाइनल दक्षिणीय	1216	1291	734	583	1840	1847
फाइनल पश्चिमीय	393	447	604	502	1140	949
सब टोटल	3066	3748	2126	1592	5192	5340
कुल	17076	18366	18240	18517	35324	36883

वर्ष के दौरान क्षेत्रीय परिषदों द्वारा डाक सुविधा से छात्रों को अध्ययन नोट, टेस्ट पेपर और सुझाये गये उत्तर दिये जा रहे हैं। संस्था के परीक्षायें (इन्टर और फाइनल) में पूछे गये प्रश्नों और संभावित उत्तरों को संस्था द्वारा प्रकाशित डाक तथा मौखिक शिक्षण के छात्रों के मांग को पूरा कर रहा है।

डाक द्वारा शिक्षण के अलावे संस्था मुंबई सहित अपने 109 केन्द्रों में जो देश के चारों ओर फैले है मौखिक शिक्षण छात्रों को दे रही है। इसके अलावे वर्ष के दौरान निम्न केन्द्रों/संघों को इन्टरमीडिएट/फाइनल के पाठ्यक्रमों को मौखिक शिक्षा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है जैसा की प्रत्येक दिखाये गये है।

1. कासी संघ — इन्टरमीडिएट
2. पेरियार विचार सेन्टर ताम्बलपुर — फाइनल

व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना :-

दि इन्स्टीट्यूट आफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया की पाठ्य पुस्तकों की सूची इस प्रकार बनायी गयी है जिससे कास्ट और प्रबन्ध एकाउन्टेन्सी की व्यावसायिक ज्ञान हो सके। इस इन्स्टीट्यूट परीक्षाओं में उत्तीर्ण की सफलता इस प्रकार है कि वे उद्योगों, वित्तीय संस्थानों आदि में अपना प्रभावी सेवा दे सके।

इस आशय को ध्यान में रखते हुये प्रशिक्षण परियोजना का पुनः निर्धारण किया गया है और उद्योग, व्यवसाय और वाणिज्य के चैम्बरों तथा अपने क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों को भी भेजा गया है। इसे जान कर प्रसन्नता होती है कि बहुत से प्रतिष्ठित संगठन जैसे ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, आयल कारपोरेशन फुड कारपोरेशन आफ इण्डिया, आई टी सी लिमिटेड, मोटर रोला अपने संगठनों में कास्ट ट्रेनिंग को लागू रहे है।

इससे भी अधिक दूसरे संगठनों जैसे आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन, इण्डियन टेलिफोन इन्डस्ट्री, इण्डियन पेट्रो केमिकल लिमिटेड, लारसेन एण्ड टोउब्रो लिमिटेड, ने हमारे परीक्षार्थी में अच्छे स्थान पाने वालों को साक्षात्कार शिविर, याक इन साक्षात्कार द्वारा अपने संगठनों में भर्ती किये।

अध्ययन नोटस का संशोधन/अद्यतन करना और अनुपूरकों का प्रकाशन

वर्तमान आर्थिक चित्र को ध्यान में रखते हुये छात्रों के हित के लिये अध्ययन नोट्स का लगातार संशोधन करना संभव होरहा है।

इससे भी अधिक कर निर्धारन वर्ष 1999-2000 के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधन के लिये कर का अद्यतन और कारपोरेट लाज और सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस के स्थिति के परिवर्तन के विवरण के लिये अनुपूरक का प्रकाशन किया गया तथा छात्रों में वितरण किया गया। दि मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्टस कार बाइडर सर्कुलेशन - में छात्रों के लिये प्रकाशित अनुपूरकों को प्रकाशित किया गया है।

नयी प्रशिक्षण परियोजना

1 जनवरी 1997 से फाइनल कोर्स के अधीन भर्ती हुये छात्रों के व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में और सठीक अनुभव से छात्रों को तैयार करने के लिये परिसंवाद और सामुहिक चर्चा को लागू करना संभव हुआ।

पाठय क्रम पुनरीक्षण

सूचना तकनीकी और होटल कास्ट मैनेजमैन्ट तकनीक के विकास को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक अनुभव किया गया कि संस्था के पाठय क्रम पुनरीक्षण किया जाए। इस सम्बन्ध मे जर्नल में एक अधिसूचना को दिसम्बर 1998 में प्रकाशित किया गया और संस्था के सदस्यो से दि मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्टस पर उनके विचार। राय मांगे गये। परिषद इस विषय में सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

विश्वविद्यालयों दूसरे निकायों द्वारा मान्यता

सम्बलपुर विश्वविद्यालय और काश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा हमारे संस्था के सदस्यों को वाणिज्य तथा दूसरे सम्बन्धी शाखाये में पी एच.डी अध्ययन की मान्यता दी है इस तरहइसे ध्यान में रखते हुये अभी भारतीय विश्वविद्यालयों जो इस सुविधा को देते है 34 हो गयी है।

इससे भी अधिक जैसे की पहले सूचित किया गया है कि दि चार्टर्ड इन्सटीटयूट आफ मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्टस सी आई एम ए यू.के. अपने वर्तमान पाठयक्रमों में आई सी डब्लयू ए आई के फाइनल उत्तीर्ण छात्रों को एक जुलाई 1994 से लागू हुआ है पाठय क्रमों के 7 पेपरों में छूट दी है। इसके अलावे सी आई एम ए ने इस संस्था के फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को निम्न 5 पेपरों में अपने पहले पाठय क्रमों में छूट दे चुकी है।

स्टेज - 1

फिनान्सीयल एकाउन्टिंग फन्डामेन्टल्स
कास्ट - एकाउन्टिंग एण्ड क्वान्टिटेटिभ मेथर्डस
एकोनामिक इन्भराइनमेन्ट

स्टेज - 2

फिनान्सीयल एकाउन्टिंग
ओपरेशनल कौस्ट एकाउन्टिंग

कास्ट एकाउन्टेन्टस को इण्डियन इन्सटीट्यूट आफ बैकर्स ने अपने पत्र सं. ए डब्लयु 704/98 दिनांक 15-6-98 के द्वारा बेसिक एकाउन्टेन्सी आफ दि एसोसिएटसीप इक्जामिनेशन आफ सी ए आई आई बी के पेपर के अलावे स्टाइल्ड मैनेजमैन्ट एकाउन्टिंग एण्ड मैनेजमैन्ट फिनानसियल मैनेजमैन्ट के पेपर में भी छुट की अनुमती दी है।

इसके अलावे एसोसिएट आफ चार्टर्ड सार्टिफाइट एकाउन्टेन्टस ए सी सी ए जिसका मुख्यालय लंडन में है अपने पत्र दिनांक 3 मार्च 1998 के अनुसार कास्ट एकाउन्टेन्टस फाउन्डेशन के चार पेपर्स यथा - एकाउन्टिंग फ्रेमवर्स लिगल फ्रेमवर्स, मैनेजमैन्ट इन्फामेशन और अर्गानाइजेशन फ्रेमवर्स में छुट के हकदार हैं।

परीक्षायें :-

परीक्षा विभाग जून 1998 और दिसम्बर 1998 की परीक्षायों को पूरे भारत में 89 केन्द्रो और विदेशों में आठ केन्द्रो में बहुत सावधानी से चलाया।

परीक्षार्थियों की संख्या क्रमशः 42, 793 और 43, 164, थी, अनुबन्धक 3 में परीक्षा केन्द्रों के नाम दिखाये गये है। क्षेत्रीय परिषदें और संघों ने अपना पूरा पूरा सहायता और सहयोग दिये। परीक्षा समिति परीक्षा केन्द्रों के सभी प्रभारियों और अधिकारियों को परम कृतज्ञता ज्ञापन करती है और अभिलेख में स्थान देती है, जिनमे सहयोग के बिना परीक्षा को निर्विघ्न संचालन करना सम्भव नही होता।

संस्था को देश के विभिन्न भागों से सैकड़ो अनुसीमकों, प्रश्न कर्त्ताओं और परीक्षकों की भी सहायक सेवायों और सहयोग मिला। उनकी सक्रिय सहयोग और सहायता से संस्था को परीक्षा के स्तर को ऊँचा तथा शुद्धता रखने में सहायता मिली।

पहली बार जून, 1998 का परीक्षा फल इन्टरनेट के द्वारा प्रकाशित किया गया उन छात्रों को जो फाइनल या इण्टरमीडिएट परीक्षायें पूरे किये है, उनका अंक सूचियों तथा प्रमाण पत्रों को एक साथ भेजने का काम लगातार चल रहा है। अभी विभाग का सबसे अग्रता का क्षेत्र छात्रों के डाटा बेस को बनाना और अपरेशन इन इण्टरएक्सन के लिये सुविधायों को ठीक करना ताकि छाथों को बेहतर सुविधायें और शीघ्र सूचनायों को प्रदान किया जा सके।

परीक्षा समिति परीक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों को उनकी निष्ठा और समर्पित सेवा की सराहना करती है और अभिलेख में स्थान देती है जिनके सहयोग से परीक्षायों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया।

सदस्यता :-

वर्ष के दौरान 1209 प्रार्थियों को एसोसिएट सदस्य के रूप में और 144 एसोसिएट सदस्यों को उन्नत कर फेलों सदस्य के रूप में लिया गया। 31 मार्च, 1999 को कुल सदस्यों की संख्या 18997 हो गई 1817 सदस्य प्रैक्टिस में जब की गत वर्ष इनकी संख्या 1874 थी। वर्ष के दौरान 1420 स्नातक सदस्यों को भर्ती किया गया, जब की गत वर्ष इनकी संख्या 1707 थी। करीब 5000 ग्राड.सी.डब्लयू ए एस आवश्यक अनुभव तथा दूसरी शर्तो जो एसोसिएट सदस्य होने के लिये जरूरी है, प्रतिक्षा कर रहे हैं। वर्ष के दौरान समिति की तीन बार बैठकें हुयी।

सदस्यों की सुविधायें और सेवायें

सदस्यों को समुचित सुविधायें और अति शीघ्र सेवा देना संस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये वर्ष के दौरान सदस्यों की सुविधा और सेवा समिति निम्नलिखित कदम उठा चुकी है।

1. सदस्यता अभिलेखों को कम्पयूटराईजेशन करने का काम हाथ में लिया गया था। उसके अनुसार एक कम्पयूटराईज्ड एक मुश्त लगाया गया जिसमें दूसरे बातों के अलावा पता, भुगतान आदि सम्बन्धी सदस्यों के डाटा है। ऐसी आशा की जाती है कि यह एक मुश्त अभिलेख को रखने की सुविधा और सदस्यों को शीघ्र उत्तर देगी।

2. सदस्यता दोनो ग्रेजुएठ और एसोसिएटस की संख्या को बढ़ाने के अभियान में फाइनल योग्यता प्राप्त जून 1997 ठर्म के आगे से सबको अनुरोध के पत्रों को जारी किया गया है कि ऊपर के दोनें भागों में से किसी एक का अपने आपसे भर्ती करें।

3. सदस्य के कल्याण कोष को बढ़ाने हेतु सभी सदस्योंको मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्ट के द्वारा एक अपील जारी किया गया है कि सभी लोग इस कोष के सदस्य बनें। एक अच्छी प्रतिक्रिया इसमें मिल रही है।

4. संस्था के फेलों सदस्य के रूप में प्रवेश के मार्गदर्शन के संशोधनी को सदस्यों के सूझावों और उनके समस्याओं को ध्यान में रखते हुये, समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है और परिषद उसे स्वीकार की है। इन संशोधनों को संस्था के अगस्त के मासिक जर्नल में प्रकाशित किया जायेगा।

5. एक मैनुएल तैयार करने का निर्णय लिया गया है जिसमें सदस्यो को जो सेवायों प्रदान की जाती है उनके सम्बन्ध में सूचना होगी और उसे क्षेत्रीय परिषदों और संघों को परिचालित की जाय ताकि ये विभिन्न नियमों और पद्धतियों से अवगत रहे और ठीक समय पर उनका प्रयोग करे।

6. सदस्यों द्वारा वार्षिक अंशदान आदि के भुगतान की सुविधा हेतु सदस्यों का एक बिल - कम - इस्टेटमैन्ट को परिचालित किया गया है। सदस्यों से जो भुगतान सूचनाये मिली है उसके आधार पर अभिलेखों का अद्यतन किया जा रहा है।

7. सदस्यों के एक डाटा बैंक बनाने के उद्वदेश्य से कुछ सूचना सम्बन्धी जो सदस्य देगे कम्पयूठराईजड फुरमेट में एक प्रोफाइक फार्म सभी सदस्यों को परिचालित किया गया है। इससे जो प्रतिक्रिया मिली है वह उत्साहवर्धक है।

समिति को आशा है कि जो कदम उठाये गये है यह निश्चित रूप से सदस्यों को अच्छी सेवायों को प्रदान करेगी और सदस्य बन्धुवो से सुझावो और आगे के सुधार के लिये सुझावों की प्रतिक्षा की जा रही है।

क्षेत्रीय परिषदें और चेप्टर्स समन्वय समिति के कार्य कलाप

संस्था के क्षेत्रीय परिषदें और चेप्टर्स प्रधान शाखायें है जिसके द्वारा संस्था के छात्रों और सदस्यों को सेवाये प्रदान की जाती है। इन क्षेत्रो को सबल बनाने के लिये समिति इन शाखायें के विकास के ऊपर विशेष ध्यान केन्दीत करती है। इस उद्वदेश्य के लिये उनके क्षेत्रो द्वारा उनके कामों को ध्यान से पुनरीक्षण किया गया और मूल्यांकन के जो रिपोर्ट प्राप्त हुये उसके आधार पर निम्नलिखित चेप्टर्स को क्षेत्रीय आधार पर चेप्टर्स को उत्साह देने के लिये अच्छे चेप्टर्स होने के लिये सम्मानित किया गया।

वर्ष 1998 सबसे अच्छे चेप्टर

डब्ल्यू आई आर सी	**वर्ग**
कास्ट एकाउन्टेन्टस का सूरत साउथ गुजरात संघ	ए
कास्ट एकाउन्टेन्टस का कल्याण अम्बरनाथ संघ	बी
कास्ट एकाउन्टेन्टस का सिलासा संघ	सी
ई आई आर सी	
कास्ट एकाउन्टेन्टस का कटक - भुवनेश्वर	ए
कास्ट एकाउन्टेन्टस का श्रीरामपुर	बी
कास्ट एकाउन्टेन्टस का नैहाटी - इच्छापुर	सी
एन आई आर सी	
कास्ट एकाउन्टेन्टस का लखनऊ संघ	ए
कास्ट एकाउन्टेन्टस का चंडीगर संघ	बी
कास्ट एकाउन्टेन्टस का फरीदाबाद संघ	सी
एस आई आर सी	
कास्ट एकाउन्टेन्टस का बंगलौर संघ	ए
कास्ट एकाउन्टेन्टस का त्रियेन्द्रम संघ	बी
कास्ट एकाउन्टेन्टस का गोदावरी संघ	सी

वर्ष 1998 के दौरान सराहनीय काम की मान्यता देने हेतु, 41 वें राष्ट्रीय कौस्ट कन्वेन्शन जिसका आयोजन चेन्नई में हुआ समागम सत्र के दौरान वर्ग ''ए'' के संघो को रजत फलक और सभी दूसरों को (''स्क्रौल आफ आनर'') से सम्मानित किया गया।

चेन्नई में 41 वें राष्ट्रीय कौस्ट कन्वेन्शन के दौरान छात्रों और सदस्यों के सेवायों से सम्बन्धित और नीति निर्णय सम्बन्धी विषयों पर चर्चा हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्षों और सचिवों की संस्था के परिषद के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दूसरी बैठक का आयोजन किया गया जिसमें व्यवसाय के विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुयी।

वर्ष के दौरान उस क्षेत्र के छात्रों और सदस्यों के अच्छी सेवा प्रदान करने हेतु एन आई आर सी के अधीन कास्ट एकाउन्टेन्टस का झांसी संघ और डब्लयू आई आर सी के अधीन कास्ट एकाउन्टेन्टस का कच्छ गांधी धाम संघ खोला गया।

वर्ष के दौरान समिति सभी संघों के सामान्य कार्य संचालन और उनके द्वारा हाथ में लिये गये कार्यों का भी पुनरीक्षण किया।

खोज और जर्नल समिति का कार्य-कलाप

वर्ष के दौरान संस्था के जर्नल का प्रकाशन और खोज के कार्य-कलापों में एक सशक्त विकास को देखा गया।

छात्र आधार को सशक्त करने के महत्व का अनुभव करते हुये और उन्हें व्यवसाय में प्रवेश के लिये सठीक तैयार करने हेतु

''दि मैनेजमैन्ट एकाउन्टेन्ट'' का एक अलग छात्र प्रकाशन लागू किया गया। छात्र समुदाय द्वारा इस छात्र प्रकाशन का स्वागत सराहना किया गया। अन्त में बहुत दिनो से अनुभव किया हुआ आवश्यक कार्य पुरा हुआ।

जर्नल ''दि मैनेजमैन्ट एकाउन्टेन्ट'' में ''पावर सेक्टर'' और ''इन्फारमेशन टेक्नोलोजी'' पर प्रकाशित अंकों की सदस्यों और पाठकों द्वारा सराहना की गयी।

संस्था का कार्य-कलाप भी उल्लेखनीय थे। दि रिसर्च बुलेटिन भालूम XV ''इनफ्रास्टचर'' पर विशेष रूप से प्रकाशित किया गया। इस अवधि के दौरान तीन भालूम यथा भालूम XV भालूम XVI और भालूम XVII का एक साथ प्रकाशन हुआ। अभी रिसर्च बुलेटीन संस्था का एक सदा छः मासिक प्रकाशन है।

गत वर्ष का खोज प्रकाशन ''मोडभेट आडिट ए प्रेक्टिकल मेनुअल'' का हमारे अभ्यासरत सदस्यों और दुसरे प्रयोग कर्तायो द्वारा सहृदय स्वीकार किया गया। सभी पुस्तके बिक गयी और समिति पुस्तक का दुसरा संशोधित और वृहद अंक जिसका पूर्व सदस्य लेखक श्री ए.बी.नयल द्वारा संशोधन किया गया।

इकोनामिक वैलू एडेड ई भी ए के विचार का यू.एस.ए के स्टेन स्टेवर्ट को के द्वारा प्रचार किया गया, व्यापार कार्य तरीके के रूप में भारत के कारपोरेट जगत में इसे शीघ्रता से स्वीकृतियाँ मिलती रही है। भारतीय उद्योग के कार्य के सठीक अध्ययन के अभाव के शून्यता को पूरा करने के लिये समिति द्रुतगति से इस काम को लिया। समिति एक खोज परियोजना शीर्षक ''इकोनामिक वैलू एडीड, ए टूल फार बिजनेस प्लानिंग हमारे एक विद्वान सदस्य डा.टी.पी.घोष द्वारा हाथ में लिया गया। ऐसी आशा की जा रही है कि यह पुस्तक व्यापार परियोजकों, प्रबन्ध एकाउन्टेन्ट्स और कारपोरेट इन्टीटीज में एक बड़ी प्रतिक्रिया का संचार करेगी।

कास्ट और प्रबन्ध टेक्नोलोजी के विकास के रास्ते को ठीक करने के उद्देश्य से समिति एक परियोजना ''टारगेट कास्टीज'' हाथ में लिया है। अध्ययन पूरा हुआ है और शीघ्र ही प्रकाशित किया जायेगा।

दूसरी महत्वपूर्ण परियोजनाये जैसे ''फारमूलेशन आफ फर्म एकाउन्टेन्टस प्राइसलाईन इन रबर इन्डस्टीज'' और ''कास्टम वेस्ड प्राइजिंग फार वाटर स्पलाई फ्रम प्बालिक उटिली टीज'' का आरम्भ वर्ष के दौरान किया गया और आशा की जाती है कि शीघ्र पूरी होगी।

वर्ष के दौरान दो समिति बैठके हुयी।

व्यावसायिक विकास (तकनीकी मामलें) समिति के कार्य-कलापे

संस्था के परिषद ने 1998-99 के लिये पी. डी. (तकनीकी मामले) की समिति का गठन किया जिसमें श्री एच. आर. सुब्रामनया अध्यक्ष और श्री ए. आर. रामानाथन, श्री एस. राजरत्नम्, श्री महेश शाह, श्री बी. एस. रघुनाथन और श्री मि. आर. केडिया समिति के सदस्य के रूप में हुये / श्री बी. एस. रघुनाथन संयुक्त निर्देशक कास्ट आडिट ब्रान्च, कम्पनी मामलों के विभाग ओर मिस्टर भी. आर. केडिया वरिष्ठ सदस्य बम्बई मे प्रेक्टिस में समिति के सहयोजित सदस्य के रूप में हुये । डा. डी. जगन्नाथन निर्देशक (तकनीकी) समिति के सचिव बनाये गये ।

वर्ष के दौरान समिति के दो बार बैठके हुयी ओर व्यावसायिक विकास कार्य - कलापो से सम्बन्धित महत्व पूर्ण विषयों पर विचार - विमर्श हुआ । वर्ष के दौरान समिति का एक सबसे महत्वपूर्ण केन्द्रीभूत कार्य कलाप कम्पनी अधिनियम की धारा 209 (डी) के अधीन कास्ट एकाउन्टींग रेकार्डस रूल के प्रारुप को सरकार को प्रस्तुत करने के लिये तैयार करना था । समिति सात संशोधित नियमों को जिसका प्रारुप भारत सरकार के कास्ट आडिट ब्रान्च तैयार किया था । टिप्पणी प्रदान करने दायित्व पूर्ण काम हाथ में लिया था । विभिन्न क्षेत्रों के वर्तमान प्रवीण सदस्यों में सहयोगिता लाने हेतु समिति के सदस्यों के निर्देश पर समिति कास्टआडिटींग रेकार्ड लाने हेतु समिति के सदस्यों के निर्देश पर समिति कास्टआडिटींग रेकार्डस रूल्स को संशोधित करने के प्रारुप को सम्बन्धित उत्पादक उद्योगों के लिये रिकार्डस रूल्स जारी होने के बाद के परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुये हाथ में लिया ताकि सरकार को उत्पादन उद्योगों के लिये संशोधित नियम जारी करने में सुविधा हो सके । तकनीकी निर्देशालय ने 19 अधिसूचित नियमों को संशोधित करने के काम उन उत्पादों का कास्ट आडिटकिया है ऐसे प्रेक्टिस कर कास्ट एकाउन्टेवटस की सहयता से हस्थ में लिया । समिति सात उत्पादों ने यथा (1) बैटरी (2) बलक ड्रग्स (3) इन्जियरींग पावर ड्राइमेन इन्जीन (4) फारमुलेशन (5) जुट गुडस (6) पेपर (7) टेक्सटाइल के पहले से प्रारुप संशोधनों को प्राप्त कर चुकी है । दूसरे नियमों के संशोधन के प्रारुप का काम चल रहा है ।

गत वर्ष की तरह समिति तकनीकी प्रकाशन लाने पर भी अपना ध्यान केन्द्रीत किया है । वर्ष के दौरान निम्नलिखित पुस्तको का प्रकाशन हुआ । (1) ए सोर्स बुक फार टैक्स आडिट (2) बेसिस ऑफ फारेन इक्सेंज फार मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्टस (3) सर्विस टैक्स एण्ड कॉस्ट एकाउन्टेन्टस (4) कास्ट आडिट इन साईकिल इन्डस्ट्री (रिभाइज्ड एडिशन) (5) कास्ट आडिट इन सुगर इन्डस्ट्री (रिभाइज्ड एडिशन) (6) कास्ट आडिट इन इन्डस्टीयल आलकोहल इन्डस्ट्री (रिभाइज्ड एडिशन) (7) कास्ट आडिट इन मोटर मेइकिल इन्डस्ट्री (रिभाइज्ड एडिशन)

कुछ और प्रकाशनों का काम चल रहा है ।
(1) कास्ट इन्टक्चर इन पावर सेक्टर (2) वेन्च मार्किटंग (3) भलुएशन आफ ब्रान्ड इक्यूटी (4) कास्टींग इन होटल इन्डस्ट्री

समिति कॉस्ट मैनेजमैन्ट की एक नयी तकनीकी की आवश्यकता को ठीक ही चाहा और इस प्रतिप्रेक्ष्य में मार्च 1999 के दोरान टोटल कॉस्ट मैनेजमैन्ट पर दो राष्ट्रीय कार्यशालायों का कलकत्ता और दिल्ली में आयोजन किया गया ।

डब्लयु टी ओर. परिषद द्वारा एकान्टेन्सी पर डिसिप्लिनस अपनाने से और एकउन्टींग व्यवसाय के विषय को अन्तर्राष्टीयकरण करने और कॉस्ट एकाउन्टींग व्यवसाय के लिये इसका प्रयोग से देश में इसका महत्त्व बढ रहा है । समिति अन्तिम प्रारुप को दिया है जिसका अनुमोदन डब्लयु टी. ओ. परिषद द्वारा कर दिया गया और यह भी निर्णय किया गया कि इस दिशा में प्रोएक्टिस कार्यवाई की जाय । समिति के विचार - विमर्श मे आधार पर समिति के सचिव ने सरकार को प्रेस्ताव दिया कि आयात - निर्यात नीति में एकउन्टेन्सी सेवायों को सम्मिल किया जाय । 31 मार्च 1999 को घोषित आयात - निर्यात नीति में भारत सरकार एक नये अध्याय को जोडा है, नीति में सेवायों को निर्यात करने में सम्मिल करने से एकाउन्टेन्सी सेवायों अभी एक सेवा है जो आयात निर्यात नीति के तहद है ।

समिति प्रवीण सलाहकार ग्रुप के गठन का भी विचार - विमर्शकिया है जो व्यक्तियो, सरकारी एजेन्सी सहित संगठनों से प्राप्त तकनीकी जिज्ञसाओं का उत्तर । स्पष्टीकरण देगा । पवीण सलाहकार ग्रुप सलाहकार ग्रुप के कार्य के बारे में समिति द्वारा अगले वर्ष शीघ्रता से निर्णय लेना चाहिये ।

समिति सूचना टेक्नोलोजी सेक्टर के विकास में भी हस्तक्षेप किया जो कास्ट एस्ट एण्ड मैनेजमैन्ड एकाउन्टेन्सी के विशेष वर्ग का लिये व्यवसाय के लिये विशेषरूप से संगत पुर्ण है । ई आर. पी में सदस्यों के लिये शिक्षा कार्यक्रम को चलाने का निर्णय लिया गया, और समिति के सचिव ने मेकसले जैसे एजेन्सी से पहले से सम्पर्क कर चुके है । जिसके व्यवहारिक सहयोग से सदस्यो को ई आर पी पर शिक्षा ज्ञान तथा दूसरी समान सुविधायों को भी प्रदान करे । आशा किया जाता है कि सितम्बर के अन्त तकअन्तिम नरियोजना घोषित किया जाय इस प्रयत्न के तहद टेक्नीकल डाइरेक्टरेट भी संस्था के बेवटि खोलने के लिये उठाया है जहां संस्था के क्रिया कलापों और प्रैक्टिसिंग सदस्यों लिये संक्षिप्त प्रोफाइल को भी योजना बद्ध बनाया जा सके । आशा किया जाता है कि अगस्त 1999 के अन्त तक वेवसिक का आकार तैयार हो जायेगा ।

वित्तीय संस्थानो बीमा और सेवा
क्षेत्रों पर समिति का कार्य - कलाप

भारत में बैंको, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र में कास्ट में कास्ट एण्ड मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्टस के लिये अच्छा स्थान है। बैकिंग और वित्त क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के गुणों तक पहुँचना है ताकि वे नये शताब्दी के चुनौतियो को सामना करने के लिये अपने आपको तैयार कर सके। यद्यपि की कास्ट एण्ड मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्टस का इन क्षेत्रो पर महत्वपूर्ण स्थान है फिर भी कुछ ऐसे दिये क्षेत्र है जहाँ हमारे व्यवसाय के सेवायों का प्रयोग कर इच्छित स्तर को प्राप्त किया जा सकता है।

अतः समिति सतत उन क्षेत्रों की खोज में लगी है जहाँ हमारे व्यवसायियों की सेवायों को उचित ढंग से प्रयोग में लाया जा सके। वर्ष के दौरान हमारे व्यवसाय के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिये बहुत प्रयास किया गया जो पुराने उत्पादन क्षेत्रों के बाहर हो। संस्था के साथ आर बी. आई. मन्त्रालय सेवी भारतीय बैंक एसोसिएशन, बैंको, वित्तीय सम्बन्धो तथा सम्बन्धी निकायों के साथ संबन्ध को सुधारने का प्रयत्न कयि गया।

वर्ष के दौरान देश के बैंकग ओर वित्तीय क्षेत्रों कुछ प्रमुख व्यक्तियों के साथ बैठके करने का सुयोग हम लोगों को मिला। हम लोग भारत के माननीय वित्त मंत्री श्री यशवंत सिंह से मिले और एक साधारण तथा युक्तियुक्त कर रेजिम और हमारे व्यवसाय से सम्बन्धी मामलो पर मुख्यरूप से जोर दिया।

वर्ष के दौरान देश के बैंकग ओर वित्तीय क्षेत्रों कुछ प्रमुख व्यक्तियों के साथ बैठके करने का सुयोग हम लोगों को मिला। हम लोग भारत के माननीय वित्त मंत्री श्री यशवंत सिंह से मिले और एक साधारण तथा युक्तियुक्त कर रेजिम और हमारे व्यवसाय से सम्बन्धी मामलो पर मुख्यरूप से जोर दिया।

हमलोग रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के गवर्नर डा बिमल जालान से मिले। आर. बी. आई. द्वारा बनायी गयी विभिन्न समितियों में हमारे सदस्यों का प्रतिनिधित्व आर. बी. आई के कार्यों का पुनरीक्षण, विकास के लिये क्षेत्रो का निर्माण करना, विभिन्न प्रकार के लेखा परीक्षा आदि के लिये हमारे सदस्यों की नियुक्तियों से सम्बन्धित विषयों पर हम लोगों ने साथ विचार - विमर्श हुआ। आर. बी. आई के गवर्नर बैकिंग क्षेत्रों में कास्ट एण्ड मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्टस समिति होने का सम्बन्ध में बहुत हद तक सहमत थे और हमारे संस्था के विचारो और सुझावों का स्वागत किया।

श्री सी. एम. वासुदेव अतिरिक्त सचिव (बैकिंग) से हम लोग मिले और बैकिंग क्षेत्र में हमारे व्यवसाय के लोगो की भुमिका के बारे में विचार - विमर्श हुआ, और उन पर जोर दिया गया कि कैसे हमारे सदस्यगण बैको द्वारा प्रदान किये जाने वाले सेवायों के लागत को कम करने में सहायक हो सकते है तथा कास्ट एण्ड मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्टस की विभिन्न बैकों के बोर्ड में नियुक्ति के साथ विभिन्न स्तरों में भी नियुक्तिया की जा सकती है।

हम लोग श्री एम. एन. उम्बेकर, मुख्य कार्यकारी और सचिव भारतीय बैकों के संगठन से मिले और वहाँ हम लोग एक सहयोगिता समिति के बनाने के आवश्यकता पर जोर दिये जो सतत परस्पर के सम्बन्ध रखेगी और हमारे संस्था तथा मुख्य बैकिंग निकाय के बीच सम्बन्ध मजबूती को बल देगी ताकि हमारे व्यवसाय को बैकिंग उत्पाद के मुल्य ठीक करने आदि सहित बैकिंग अपरेशनस के विभिन्न कार्यों में सम्मिलित किया जा सके। स्टाक आडिट के सम्बन्ध में उन्होने दिया कि बैकों के विभिन्न सदस्यों से इस विषय में चर्चा कर आवश्यक परिपत्रों को जारी किया जायेगा। राष्ट्रीय और संघ के स्तर पर संयुक्त सम्मेलनों के आयोजन पर भी बात किये।

हम लोग बैकों मुख्य अधिकारों से भी मिले जैसे भारतीय स्टेट बैक के अध्यक्ष श्री पी राधाकृष्णनन, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के अध्यक्ष और प्रबन्ध निर्देशक श्री के. सा. चौधुरी देना बैंक के अध्यक्ष और प्रबन्ध निर्देशक श्री रमेश मिश्र, युको बैंक के अध्यक्ष और प्रबन्ध निर्देशक श्री शारदा सिंह, इलाहाबाद बैंक के और प्रबन्ध निर्देशक श्री हरभजन सिंह, बैंक आफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष और प्रबन्ध निर्देशक श्री एस. एम. वैश्य और दूसरों से हम लोग जोर दिये कि बैकिंग सेक्टर में ऐसे बहुत से क्षेत्र जैसे इन्टरनल आडिट, कंकरेन्ट आडिट, स्टाक आडिट, इन्वेन्टीस का मूल्यांकनै, बिना काम में लगे सम्पतियों का नियंत्रण और कम करना, (एन पी ए एस) बैकिंग सेवायों का मूल्य निर्धारण, ग्राम्य स्तर पर मुनाफे, घाटे, चल रहे ग्राहों को चिंहत करना आदि हैं। कास्ट एकाउन्टेन्टस की अधिक संस्या में विभिन्न स्तरों में नियुक्ति की जा सकती के आलावे भी कास्ट एण्ड मैनेजमैन्ट के सेवायों को बहुत प्रभावी ढंग से काम में लगाये जा सकते है।

हम लोग सेक्योरिटिज एण्ड इक्सचेंज बोर्ड आफ इण्डिया के अध्यक्ष श्री डी. आर. मेहता से मिले और पूंजी बाजार के क्षेत्र में कास्ट एण्ड मैनेजमेन्ट के सेवायों को प्रभावी ढंग से उपयोग में लाया जा सकता है इस विषय पर विचार - विमर्श हुआ ओर ये भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में विशेष मामलो पर पूर्ण बैठक करना है।

बीमा सेक्टर में हम लोग भारतीय साधारण बीमा निगम के प्रबन्ध निर्देशक श्री पी. एम. वैंकट सुब्रमनियन, और महाप्रबन्धक श्री एम. के. टण्डन से मिले। हम लोग कास्ट एण्ड मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्टस की सेवायों का उपयोग विभिन्न रास्तों में जैसे सर्वेयर के रुप नियुक्ति रिस्क मैनेजमैन्ट आदि में विषय पर विचार - विमर्श हुआ।

हम लोग भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष श्री जी. कृष्ण मूर्ति और श्री पी. सी. गुप्ता और आर. एम. पाण्डेय दोनों एल. आई. सी. के कार्यकारी निदेशक से मिले। हम लोग हमारी सेवायों का उपयोग कर्जदारों के लेखा का लेखा परीक्षा, वान्च और क्षेत्रीय कार्यालयों का लेखा परीक्षा, आदि पर किया जा सकता है जोर दिया हम लोग संयुक्त सम्मेलनों का आयोजनों ओर अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के चलाने पर भी बातें किये।

श्री बी. भी. गोड प्रबन्ध निर्देशक और सी. ई. ओ. भारतीय स्टाक होल्डींग निगम लिमिटेड (एस. एच. सी. आई एल) और एस सी एस आई एल के डा. जे. भी मुर्ति और श्री एल. विश्वनाथन के साथ हम लोगों की बैठक बहुत ही उत्साहवर्धक थी। एस सच सी आई एल देश में जितना सम्भव हो सक डिपोजिटरी एकाउन्टेस खोलने के लक्ष पर पहूंचने के लिये चर्चा कर रहा है और हमलोग प्रबन्ध निर्देशक से इस उदेश्य के लिये हमारे व्यवसायिकों को लगाने पर विचार करने के लिये जोर दिये।

व्यवसायिक विकास (साधारण) समिति के कार्य-कलाप

समिति वातावरण के क्षेत्र में आडिट में कास्ट एकाउन्टेन्टस की भुमिका की खोज करने का निर्णय लिया है । वातावरण आडिट पर और कास्ट एकाउन्टेन्टस की भुमिका, कास्ट एकाउन्टेन्टस की क्षितिज को विस्तृत करने के लिये एक मोनोग्राफ तैयार किया गया है । संस्था के परिषद को मोनोग्राम के विचार के लिये प्रस्तुत किया गिया है ।

सेन्ट्रल इक्साईज एक्ट की धारा 144 और । 144 A के अधीन इक्साईज आडिट कास्ट एकाउन्टेन्टस द्वारा कराना है लेकिन एक संगठन द्वारा ऐसे इक्साईज आडिट के विरूद्व न्यायालय में जाने से समिति एक गंभीर संकट में है । आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है ।

प्रेक्टिसिंग कास्ट एकाउन्टेन्टस के क्षेत्र को बढाने उद्वेश्य से समिति अधिक से अधिक कम्पानियों को कास्ट एण्ड आडिट के तहबलाने के लिये अधिक प्रयास कर रही है । नौकरियों में कास्ट एकाउन्टेवटस के पद में सुधार के लिय भी प्रयत्न किया गया । कास्ट एकाउन्टेन्टस को रेलवे मे लेने, वेतन ढांचे में असमानता का विषय, नवोन्नति नीति और उनके परिपत्र के अनुसार प्रत्येक शाप फलोर में एक कास्ट एकाउन्टन्टस की भर्ती सम्बन्धी विषयों को लिया गया है । वर्ष के अवस में यह विषय समिति के सामने लाया गया । इस विषय को गंभीरता से लिया जा रहा है ।

वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठके हुयी, व्यवसाय, संसथा और अधिक विकास, सेवा और प्रेक्टिस में सदस्यो के लिये बडे सुविधायें सुत्रों सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हुआ ।

लगातार शिक्षा कार्यक्रम समिति के क्रिया-कलाप

तेल और प्रकृति गैस निगम लिमिटेड, भरतीय रक्षा लेखा सेवा पर्समसल, भारतीय नौ सेना को लागत प्रबन्ध पर कार्यकारी कार्यक्रम के इन-हाउस कार्यक्रम साम्मिल है ।

समिति भारत सरकार के पार्समल और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आपना कार्यक्रम को संयुक्त कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया और भारत सरकार के पब्लिक इन्टर प्राईज विभाग के साथ भी संयुक्त कार्यक्रमो को आयोजित किया ।

समिति स्टेटिजिक फिनानसियल मैनेजमैन्ट पर एक इक्सूसिभ अर्न्तराष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन सिंगापुर और बैंकाक मे किया जिसका स्वागत भारत में बहुत से पब्लिक इन्टरप्राईजो ने किया । टेकनीकल सेशन के लिये भारत के संकाय के अलावे विदेशी संकाय को भी लिया गया । भाग लेने वालो ने इस कार्यक्रम की सराहना की और समिति को निकट भविष्य में ऐसे कार्यक्रमो को आयोजित करने की योजना है ।

समिति कारपोरेट फाइनान्स और मैनेजेरियल इफेक्टिभनेस के ऊपर दो अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमो को भी काठमान्डु नेपाल मे आयोजन किया जिसमे पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राईजेज, बैंकों,बीमा कम्पानियो, सरकारी विभागो के वरिष्ठ स्तर के कार्यकारियों ने भाग लिया । वर्ष के दौरान समिति प्राइभेटाईजेशन आफ डिस्टीबुशन सहितपावर सेक्टर रिस्टक्चरिंग पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया । जिसका उद्‌बोधन भारत सरकार के पावर विभाग के सचिव ने किया । सम्मेलन मे भाग लेने वाले देश भर से आये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राईज के लोग सम्मेलन के तकनीकी सेशन की भूरी - 2 सराहना की ।

वर्ष के दैरान समिति संस्था के नये सदस्यों के लिये "बीम दैट जाब" पर कम लागत का एक सम्मेलन का आयोजन किया ।

सी० ई० पी० समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों मे बहुत से लोग भाग लिये तथा सभी संगठनों और भाग लेने वालो ने इस की भूरी भूरी सराहना की । सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत सेसंगठनों वित्तीय प्रबन्ध, परियोजना प्रबन्ध के क्षेत्र में बहुत से कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिये उत्सुक है । समिति आने वाले वर्ष के दौरान देशभर मे भारतीय सीमा और उत्पाद विभाग के अधिकारियो के लिये कार्यक्रमों को आयोजित करने की योजना बना रही है । विभिन्न संगठनो के लिये आयोजित कार्यक्रमो को पुन: आयोजित करेनकी सदा बहुत मैंग है, और नये कार्यक्रमों को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों तथा सरकारी विभागो के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के कार्यकारियों के लिये आयोजित करने की भी मांग है ।

सावलजनिक क्षेत्र के समन्वय समिति के कार्य कलापे

सार्वजनिक क्षेत्र के समन्वय समिति का गठन सार्वजनिक क्षेत्र मे कास्ट एकाउन्टेन्टस के क्षेत्र को विस्तारित करना था । सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनो के प्रेक्टिस कर रहे कास्ट एकाउन्टेन्टस की भूमिका पर एक विशेष ध्यान केन्द्रीत किया गया ।

समिति सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के पास नये कास्ट एकाउन्टेन्टस को प्रशिक्षण लेने वाले के रूप में और योग्यता प्राप्त कास्ट एकाउन्टेन्टस को वित्त और सम्बन्धित विषयों में कार्यकारियों के रूप में नियुक्त करने के लिये पहुंच किया। पायरिटिज, फासफेट और केमिकल लिमिटेड, नेल्को, गोआ शिपयार्ड लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापटनम् स्टील प्लान्ट, हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मेनुफेक्चरिंग कम्पनी, आई टी आई लिमिटेड, ओ एन जी सी आदि से सकारात्मक प्रति उत्तर मिले। ओ० एन० जी० सी० और आई टी आई ने कास्ट एकाउन्टेन्टस के चयन और क्रमशः अपने संगठनों दायित्वपूर्ण स्थानों के लिये कमपस इन्टरव्यूज और वाक - इन इन्टरव्यूज चलाया।

समिति उद्योग और सरकार से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर विख्यात व्यक्तियों की व्यवसायिक विकास के मामलों में राय देने के लिये एक सलाहकार समिति के गठन करने की सिफारिश की है। विभिन्न क्षेत्रों में संस्था के कार्यक्रमों को अच्छी प्रकार से अवगत करने के लिये यह सुझाव दिया है कि संस्था के जर्नल "दि मनैजमैन्ट एकाउन्टेन्टस" के पूरक प्रतियों को उद्योगों, दूसरे आर्थिक क्षेत्रों और जन प्रतिनिधियों को दिया जाय। इसके अलावे यह भी सिफारिश की गयी है कि संस्था को आज के बदलते हुये वातावरण में राष्ट्रीय आर्थिक विकास और प्रगति से सम्बन्धित क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से सलाह देने के नियत कार्य को हाथ में लेना चाहिये।

कम्प्यूटर और नेटवर्किंग - समिति के कार्य कलापे

परिषद की दि कम्प्यूटर एण्ड नेटवर्किंग समिति का गठन कम्प्यूटराईजेशन और इससे सम्बन्धित कार्य कलापो की दिशा में प्रगति की देख रेख के उद्देश्य से किया गया। समिति ने कम्प्यूटराईजेशन के लिये कुछ अग्रता के क्षेत्रों को चिन्हित किया - (1) परीक्षा में तैयारी की पद्धति का सुधार (2) सदस्यता प्रबन्ध पद्धति (3) छात्र डाटाबेस प्रबन्ध पद्धति और (4) कार्यालय अटोमेशन।

वर्ष के दौरान समिति की तीन बार बैठकें प्रगति की समीक्षा के लिये जो निम्नलिखित थी हुयी।

(1) दि आर आई एस सी बेस आल्फा सरभर 800 बैठाया गया। प्रारम्भिक कुछ समस्यायें है फिर भी इसे बैठाने का काम चल रहा है। शक्तिशाली सरभर अब डाटाबेस विन्यास पूरा हो जायेगा और आनलाईन अपरेशनल सुविधाओं का विकास होने पर छात्रों और सदस्यों की सेवा के सुधार में यह एक महत्वपूर्ण कार्य करेगा।

(2) आन - लाईन अपरेशनल सुविधाओं के साथ सदस्यता डाटाबेस बनाने के लिये साफ्टवेयर का विकास किया गया है। दि मास्टर डाटा कम्भर्सन तरीका चल रहा है। इस पद्धति के लागू होने पर सदस्यों को सेवाओं की शीघ्र प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

(3) नये विकसित साफ्वेयर से इन्सट्रूमेन्टस की प्राप्ति और इनके भुनाने के अधिक समय दूरी बहुत हद तक कम किया जा सकता है।

(4) साफ्वेयर और परीक्षा पद्धति के डाटा को नये अल्फा सरभर पद्धति में बदल कर एक अच्छी प्रगति को प्राप्त किया जा सकता है।

विभिन्न कार्यकलापो का कम्प्यूटराईजेशन का काम शुरू हो गया है और समिति मानती है कि कर्मचारियों और अधिकारीयो के पूर्ण सहायता और सहयोग से संस्था सदस्यों, छात्रों और समाज की अच्छी सेवा प्रदान करने योग्य हो जायेगी।

साधारण

सदस्यों का कल्याण कोष

वर्ष के दौरान तेरह सदस्य कल्याण कोष के आजीवन सदस्य बने । इस समय कल्याण कोष के कुल 666 सदस्य बने हैं । इस कोष में करीब 6.09 लाख रुपये रांचित है जिनका विनियोजन साख मान्यता प्राप्त सेक्योरिटिज और बैंकों में हुआ है । परिषद चाहती है कि संस्था के सभी सदस्य इस कल्याण कोष के सदस्य बनें ।

लेखा

संस्था के वर्ष 1998-99 के लेखा परीक्षा किया हुआ लेखा इस रिर्पोट के साथ संलग्न है ।

सराहना और धन्यवाद

परिषद व्यवसाय के प्रगति के लिये संस्था के अधिकारियों कर्मचारियों और बहुत से सदस्यों के सहयोग प्रदान करने की मान करती है । इस वर्ष के दौरान परिषद सरकारी विभागों के सचिवों और अधिकारियों विशेषकर उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कम्पनी मामलों के विभाग को भी सदस्य धन्यवाद देकर अभिलेख में स्थान देती है जिन्होंने परिषद को अपनी सहायता और मार्गदर्शन दिया/ परिषद आशा करती है कि आने वाले भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग और सहायता मिलता रहेगा ।

परिषद की आज्ञानुसार

आर० जे० गोयल
अध्यक्ष

कलकत्ता :
दिनांक : 21 जुलाई, 1999

उदयन राय
सचिव

गुप्ता एण्ड को०
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

54 ए मिर्जा गालिब स्ट्रीट
कलकत्ता -700 016
केवल - मिडिमुस
दूरभाष - 229-2636, 229-0871/72
फैक्स - (91) 1033 229-6241

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सदस्यगण

दि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया ।

1. दि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया का अनुलग्न तुलन-पत्र तथा अनुबन्ध किया हुआ आय - व्यय का लेखा जैसा की 31 मार्च, 1999 को था जिस तिथि को वर्ष की समाप्ति होती है हम लोगों ने लेखा परीक्षा की जो सभी लेखा पुस्तिकायों के अनुसार है ।
2. हमारी राय में और हमें जो सूचनायें मिली और स्पष्टीकरण दिये गये उसके अनुसार तुलन - पत्र व आय - व्यय लेखा और संलग्न अनुसूचियाँ और उनके नोटस और नोट सी - । के विषय में बैंकों लेखा में बिना मिलाये हुये धनराशि का विनियोजन, नोट सी 3, भवन निर्माण के लिये अग्रिम पूंजीगत न करना, और एकाउन्टिंग पालिसी ए 5 धनराशि के आधार पर छुट्टी भुनाने के लिये लेखा जो लेखा के स्तर (ए एस) 15 के विपरीत है । नियोक्ता के वित्तीय विवरण में सेवा निवृत्त लाभ के लिये लेखांकन जो इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया के द्वारा जारी किया गया है, वर्ष के लिये डेफिसीट पर उसका बाद का प्रभाव, और तुलन - पत्र पर सम्बन्धित आइटम्स और संस्था के सभी मामले और वर्ष के लिये डेफिसीट जो इस तारीख को समाप्त हुआ के सत्य और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर रहे है ।
3. वे सभी सूचनायें और स्पष्टीकरण जो हमारी अच्छी जानकारी और विश्वास जो लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक था हमने प्राप्त किया । हमारी राय में कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस अधिनियम 1959 के जरूरतों के अनुसार सभी लेखा रखे गये है ।
4. हमने साथ में लगे उन्नतीस पारितोषिक कोष का भी निरीक्षण किया जो पहले जैसे तुलन-पत्र के साथ नहीं दिखाया गया है लेकिन सम्बन्धित नियत कालिक जमा पर ब्याज और पारितोषिक लागत संस्था के बैंक लेखा के माध्यम से है और वैसे ही पाये गये ।

गुप्ता एण्ड को के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एस० के० गांगुली
पार्टनर

वि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया

तुलन - पत्र

31 मार्च 1999 को

विवरण	अनुसूची सं०	इस वर्ष 1998-99 रू०	रू०	गतवर्ष 1997-98 रू०
संस्था की निधियाँ				
साधारण निधि	(1)		62,876,158	66,873,782
कर्मचारी उपदान निधि	(2)		9,469,294	7,025,349
कर्मचारी कल्याण कोष	(3)		242,325	212,971
कुल			72,587,777	74,112,082
द्वारा प्रतिफलित				
स्थायी सम्पतियाँ	(4)			
(ए) सकल रोध		30,658,934		30,466,314
(बी) कम ह्रास		16,248,437		14,649,777
(सी) शुद्र रोध		14,410,497		15,816,537
योग: पूजींगत कार्य प्रगति पर		1,588,537	15,999,034	939,628
विनियोजन	(5)		26,915,574	30,630,574
चालू सम्पत्ति	(6)	14,555,075		13,005,804
कर्ज तथा अग्रिम धन	(7)	22,309,352		20,366,653
		36,864,427		33,372,457
कम-वर्तमान दायितायें एवं व्यवस्थाये	(8)	7,780,092		6,959,489
शुद्ध चालू सम्पत्तियां			29,084,335	26,412,968
विविध खर्च (उस हद तक जी बट्टे खाते मे नही डाला गया)			588,834	312,375
कुल			72,587,777	74,112,082
लेखो पर नोटस	(18)			

अपर उल्लेखित अनुयूचियाँ लेखा का भाग बना रही है।

हमारे संलग्न रिर्पोट के अनुसार	कुनाल बनर्जी	आर० जे० गोयल
गुप्ता एण्ड को० के लिये	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
चार्टड एकाउन्टेन्टस		
एस० के गांगुली	आर० एन० पाल	उदयन राय
पार्टनर	निदेशक (एफ एण्ड ए)	सचिव

कलकत्ता
दिनांक 21 जून 1999

वि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया
31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय और व्यय का लेखा

विवरण	अनुसूची सं०	इस वर्ष 1998-99 रु०	गतवर्ष 1997-98 रु०
आय (वार्षिक अंशदान)	(9)	5,339,987	5,884,721
परीक्षा शुल्क	(10)	24,563,313	25,951,050
शिक्षण शुल्क	(11)	26,504,397	25,548,763
ब्याज		3,418,059	3,584,023
जर्नल शुल्क (विज्ञापन सहित)		699,608	611,082
व्यवसाय विकास सम्बन्धी विकास कार्य क्रम		5,087,212	3,241,794
प्रकाशन		4,732,202	4,582,155
कुल		70,344,748	69,403,588
व्यय			
स्थापना	(12)	31,207,195	24,319,445
कार्यालय खर्च	(13)	9,708,386	9,558,909
विज्ञापन		-	568,833
वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क		35,000	35,000
आन्तरिक लेखा परीक्षा शुल्क		50,000	45,000
यात्रा और यातायात		567,147	772,598
चुनाव खर्च		588,832	156,188
क्षेत्रीय परिषदो का आकस्मिक खर्च	(14)	3,829,913	3,712,976
परीक्षा प्रभार	(15)	9,241,432	8,394,358
व्यवसाय विकास व्यय		416,023	405,836
परिषद और साधारण बैठक खर्च	(16)	3,262,405	3,067,665
जर्नल खर्च		2,848,719	4,422,715
संधी को अनुदान		83,500	200,000
विदेशी निकायो को सदस्यता अंशदान		871,148	700,787
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और बैठकें		510,927	1,242,716
व्यवसाय विकास कार्य क्रम		3,955,294	2,580,773
अध्ययन सामग्री उपभुक्त		3,303,758	3,459,384
प्रकाशन स्टाक उपभुक्त		1,491,071	1,857,235
ह्रास		1,598,660	1,852,316
कुल		73,569,410	67,352,734
अवधि के लिये अतिरेक		(3,224,662)	2,050,854
कुल		70,344,748	69,403,588
		(3,244,662)	2,050,854
कम: पूर्व अवधि खर्च	(17)	3,003,395	4,692,859
साधारण कोष को		(6,228,057)	(2,642,005)
लेखा पर नोटस	(18)		

आर उल्लेखित अनुतूवी लेखा का भाग बना रही है।

हमारे सलंगन रिपोर्ट के अनुसार
गुप्ता एण्ड को० के लिये
चार्टड एकाउन्टेन्टस
एस० के० गांगुली
पार्टनर

कुनाल बनर्जी
उपाध्यक्ष
आर० एन० पाल
निदेशक (एफ एण्ड ए)

आर० जे० गोयल
अध्यक्ष
उदयन राय
सचिव

कलकत्ता
दिनांक 21 जून 1999

दि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया
अनुसूची लेखा का भाग बना रही है
अनुसूची सं०1 : साधारण निधि 31 मार्च 1999 को

विवरण	इस वर्ष 1998-99 रू०	रू०	गत वर्ष 1997-98 रू०
शेष गत लेखा के अनुसार		66,873,762	67,219,738
योग : कार्यकारिणी समिति के वर्तमान निर्णय के अनुसार			
अपरिमाण जमा से हस्तान्तरण	30,207		40,794
गत वर्ष के निर्गमित चेकों को रद्द करना	37,855		29,622
बिना मिलाये हुये लेनदेन जो बैंक खाते में है			131,276
अन्य	118,454	186,516	30,531
		67,060,278	67,451,961
कम : बिना मिलाये हुये लेनदेन जो बैंक खाते में है	20,744		-
अन्य	7,557	28,301	57,540
		67,031,977	67,394,421
योग : प्रवेश शुल्क (सदस्य)	376,500		429,100
प्रवेश शुल्क (छात्र)	1,770,924	2,147,424	1,775,752
		69,179,401	69,599,273
कम : क्षेत्रीय परिषदों को पूंजीगत अनुदान			
पुस्तकालय के पुस्तकों के लिये	75,000		83,506
फरनीचर के लिये	9,000	84,000	-
		69,095,401	69,515,767
योग : वर्ष के लिये अतिरेक			
आय और व्यय लेखा (मुख्यालय)		(6,228,057)	(2,642,005)
आई० सी० डब्लयू० ए० डाई खोज केन्द्र (मुम्बई)		8,814	-
कुल		62,876,158	66,873,762

दि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया
अनुसूचियाँ लेखा का भाग बना रही है
अनुसूची सं० 2: कर्मचारी उपदान निधि
31 मार्च 1999 को

विवरण	रू०	इस वर्ष 1998-99 रू०	गत वर्ष 1997-98 रू०
शेष गत लेखानुसार		7,025,349	4,657,828
योग : अवधि के लिये अंशदान		2,786,491	2,739,475
योग : निधि विनियोजन पर अवधि के लिये			
ब्याज मिला		713,590	662,253
		10,525,430	8,059,556
कम : अवधि के दौरान कर्मचारियों को		1,056,136	1,034,207
उपदान दिया गया			
कुल		9,469,294	7,025,349

अनुसूची सं० 3 : कर्मचारियों का कल्याण कोष
31 मार्च 1999 को

शेष गत लेखानुसार		212,971	187,670
योग : अवधि के दौरान अंशदान नियोक्ता	7,584		7,800
कर्मचारीगया	3,792	11,376	3,900
योग : अवधि के लिये निधि के			
विनियोजन पर ब्याज मिला।		21,932	24,238
		246,279	223,608
कम : अवधि के दौरान कमलचारियों		3,954	10,637
को भगतान दिया गया			
कुल		242,325	212,971

दि इन्स्टीट्यूट आफॅ कास्ट एण्ड वर्कस एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया

अनुसूचीं लेखा का भाग बना रही है।

अनुयूंची सं० 4 : स्थायी सम्पति 31 मार्च 1999 को

सम्पति का विवरण	ओपनिगं कास्ट	वर्षकि दौरान	को कुल	हास			शुद्र उपरोघ	
		योग			वर्ष के लिये		इस वर्ष	गत वर्ष
	01-04-98		31-03-99	तक 01-04-98		तक 31-03-99	1998-99	1997-98
	रू०	रू०	रू०	रू०	रू०	रू०	रू०	रू०
फ्री होल्ड भूमि और भवन								
मुख्यालय	987,986	-	987,986	605,055	24,293	629,348	358,638	382,931
क्षोत्रीय परिषद और सघो	17,590,508	-	17,590,508	7,193,699	779,866	7,973,565	9,616,943	10,396,809
लिज होल्ड भूमि								
क्षोत्रीय परिशद और सघो	18,220	-	18,220				18,220	18,220
दुर्गापुर और उकुना ग्राम सघो								
फरर्नीचर और फिटर्स								
मुख्यालय	2,486,866	164,900	2,651,766	1,434,568	121,720	1,556,288	1,095,478	1,052,298
पुस्तकालय पुस्तके								
मुख्यालय	648,011	12,220	660,231	224,618	43,561	268,179	392,052	423,393
कार्यालय साज								
मुख्यालय	3,125,142	-	3,125,142	1,403,004	172,213	1,575,217	1,549,925	1,722,138
जनरेटर								
मुख्यालय	280,545	-	280,545	244,519	9,006	253,525,	27,020	36,026
मोटर कार								
मुख्यालय	261,332	-	261,332	220,277	8,211	228,488	32,844	41,055
कम्प्युटर								
मुख्यालय	5,067,704	15,500	5,083,204	3,324,037	439,790	3,763,827	1,319,377	1,743,667
कुल	30,466,314	192,620	30,658,934	14,649,777	1,598,660	16,248,437	14,410,497	15,816,537
पूँजी काये प्रगति मे							1,588,537	939,628

दि इन्स्टीट्यूट आर्फ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया
अनुसूची लेखों का भाग बना रही है
अनुसूची सं० 5 : विनियोजन 31 मार्च 1999 को जैसा था

विवरण	इस वर्ष 1998-99 रु०	रु०	गत वर्ष 1997-98 रु०
शेयर्स (लागत/धारण विधि)			
5 शेयर्स प्रत्येक रु० 100/- के भाव			
वृन्दावन प्रिमियम ट्रस्ट प्रा० बम्बई में		500	500
बैंकों में मियादी जमा			
(ए) कर्मचारी उपदान कोष	6,174,645		5,624,645
(बी) कर्मचारी कल्याण कोष	177,429		
(सी) सामान्य कोष : संस्था	20,563,000	26,915,074	24,928,000
		26,915,574	30,630,574

दि इन्स्टीट्यूट आर्फ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया
अनुसूचियाँ लेखा का भाग बना रही है
अनुसूची सं० 6 : चालू सम्पत्तियाँ
31 मार्च 1999 को जैसा था

विवरण	इस वर्ष 1998-99 रु०	रु०	गत वर्ष 1997-98 रु०
प्रकाशन स्टाक (लागत पर)	2,364,254		1,836,844
पेपर स्टाक (लागत पर)	562,492		394,625
अध्ययन सामग्री स्टाक (लागत पर)	3,701,612		4,610,970
		6,628,358	
स्टाक लिफ्ट हार्ड		175	175
विनियोजन पर मिला ब्याज		995,286	953,591
संघों को भवन आदि निर्माण के लिये			
कर्ज पर प्रोद्भूत ब्याज		600,506	691,066
विविध कर्जदार		5,293,766	3,578,708
रोकड़ और बैंक शेष	113,458		66,613
(चैक ड्राफ्ट रु० 19,100/- का)			
और पोस्टल स्टैम्प रु० 60,107/-)			
बैंक में	675,330		638,490
पोस्ट आफिस से	248,196	1,036,984	234,722
कुल		14,555,075	13,005,804

दि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया

अनुसूचियाँ लेखा का भाग बना रही है

अनुसूची सं० 7: कर्ज और अग्रिम

31 मार्च 1999 को

विवरण		इस वर्ष 1998-99	गत वर्ष 1997-98
	रु०	रु०	रु०
संघो को भवन कर्ज (ए)			
8% भवन कर्ज	2,826,822		2,825,329
4% भवन कर्ज	208,267	3,035,089	208,267
संघो को कम्प्यूटर कर्ज (बी)		755,826	801,476
भवन निर्माण के लिये क्षेत्रीय परिषदो			
और संघो को अग्रिम		13,292,000	12,742,000
क्षेत्रीय परिषद (एन० आई० आर० सी०) को कर्ज		100,000	
अन्य अग्रिम		2,000	229,468
भवन अग्रिम कर्मियो को		1,298,672	961,490
कर्मचारियो को वाहन क्रय के लिये अग्रिम		62,620	71,660
चुनाव केन्द्रो को अग्रिम		29,000	96,400
त्योहार अग्रिम कर्मचारियो को		163,380	116,717
स्थायी सम्पति के लिये अग्रिम		928,272	
पेपर के लिये अग्रिम		394,249	
कर्मचारियो को पी० एफ० लेखा पर बकाया		121,704	121,704
अंशदान (अदाय योग्य) अग्रिम			
विदेशी निकायो (आइ० आफ० ए० सी) को सदस्यता			
अंशदान अग्रिम		157,677	127,400
संघो को रजत जयन्ति पूंजीगत अनुदान अग्रिम		1,732,138	1,732,138
पहले से किया हुआ खर्च		160,872	167,505
दूरभाष विधुत आदि के लिये जमा		85,853	165,079
		22,309,352	20,366,653

दि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया

अनुसूचियाँ लेखा का भाग बना रही है

अनुसूची सं० 7 (ए) सघो की भवन कर्ज 31 मार्च 1999 को जैसा था

विवरण		इस वर्ष 1998-99			गत वर्ष 1997-98
क्रम स०	संघो का नाम	4% कर्ज	8% कर्ज	4% कर्ज	8% कर्ज
		रु०	रु०	रु०	रु०
01	कोटा	-	100,000	-	-
02	कल्याण अम्बरनाथ	18,267	-	18,267	-
03	हावड़ा	90,000	-	90,000	-

विवरण		इस वर्ष			गत वर्ष
		1998-99			1997-98
क्रम सं०	संधो का नाम	4% कर्ज	8% कर्ज	4% कर्ज	8% कर्ज
		रू०	रू०	रू०	रू०
04	गोया	100,000	-	100,000	-
05	बंगलोर	-	-	-	46,717
06	लखनऊ	-	100,000	-	100,000
07	जयपुर	-	135,000	-	135,000
08	उदयपुर	-	200,000	-	200,000
09	विशाखापटनम	-	59,933	-	80,000
10	कानपुर	-	100,000	-	
11	पूने	-	-	-	70,000
12	आसनसोल	-	200,000	-	200,000
13	कोयम्बातूर	-	200,000	-	200,000
14	नागपुर	-	36,112	-	100,000
15	उल्हू नगरम	-	149,511	-	200,000
16	दूर्गापुर	-	200,000	-	200,000
17	कोल्हापुर सधली	-	100,000	-	100,000
18	बोकारो स्टील सिटी	-	150,000	-	150,000
19	हैदराबाद	-	71,300	-	100,000
20	रानीपट	-	180,000	-	180,000
21	बरोदा	-	83,300	-	112,500
22	भोपाल	-	-	-	86,112
23	मैशुर	-	165,000	-	165,000
24	धानबाद	-	200,000	-	200,000
25	श्रीरामपुर	-	199,333	-	100,000
26	त्रिसुर	-	197,333	-	100,000
		208,267	2,826,822	208,267	2,825,329

1998-99 के दौरान भवन कर्ज का वसूली

8% भवन कर्ज	रू०
बंगलोर	46,717
उल्हुनगरम	50,489
विशाखापटनम	20,067
हैदराबाद	28,700
पुने	70,000
नागपुर	63,888
त्रिसुर	2,667
श्री रामपुर	667
बरीदा	29,200
भोपाल	86,112
कुल	398,507

दि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया

अनुसूची लेखा का भाग बना रही है

अनुसूची सं० 7 (बी) संघो की कम्प्यूटर कर्ज 31 मार्च 1999 को जैसा था

	संघो का नाम	इस वर्ष 1998-99 रु०	गत वर्ष 1997-98 रु०
1	अहमदाबाद	64,150	64,150
2	हावड़ा	64,150	64,150
3	गोआ	64,150	64,150
4	जयपुर	58,604	58,604
5	उदयपुर	64,150	64,150
6	विशाखापटनम	62,368	62,368
7	कोचिन	62,727	64,150
8	पुने	•	38,604
9	आसानसोल	64,150	64,150
10,	दुर्गापुर	64,150	64,150
11	कटक भुवेनशावर	62,150	64,150
12	नेभेली	62,727	64,150
13	त्रिवेन्द्रम	62,150	64,150
		755,826	801,475

1998-99 के दौरान कम्प्यूटर कर्ज की वसूली

	रु०
कोचीन	1,423
पुने	38,604
नेभेली	1,423
त्रिवेन्द्रम	2,000
कटक भुवनेशवर	2,000
कुल	45,650

दि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया

अनुसूची लेखा का भाग बना रही है

अनुसूची सं० 7 (सी) क्षेत्रीय परिषदों तथा संघों को भवन निर्माण

हेतु अग्रिम जैसा 31 मार्च 1999 को था ।

क्रम सं०	संघों का नाम	इस वर्ष 1998-99 रु०	गत वर्ष 1997-98 रु०
1	एन० आई० आर० सी०	3,892,000	3,892,000
2	डब्लु० आई० आर० सी०	2,700,000	2,700,000
3	कोयम्बातुर	300,000	300,000
4	भिलाई	300,000	300,000
5	कोचीन	300,000	300,000
6	पुने	200,000	200,000
7	उदयपुर	300,000	300,000
8	लखनऊ	300,000	300,000
9	विशाखापटनम	300,000	300,000
10	नागपुर	300,000	300,000
11	नासिक ओक्षर	200,000	200,000
12	भोपाल	300,000	300,000
13	बंगलोर	300,000	300,000
14	जयपुर	150,000	150,000
15	दुर्गापुर	300,000	300,000
16	बोकारो	300,000	300,000
17	कोल्हापुर संघली	200,000	200,000
18	आसान सोल	300,000	300,000
19	कानपुर	200,000	100,000
20	हैदराबाद	300,000	300,000
21	रानीपेट	300,000	300,000
22	बरोदा	200,000	200,000
23	धनबाद	300,000	300,000
24	मैसूर	300,000	300,000
25	श्रीरामपुर	300,000	150,000
26	त्रिसूर	300,000	150,000
27	कोटा	150,000	
		13,292,000	12,742,000

वि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया

अनुसूची लेखा का भाग बना रही है

अनुयूची सं० 8 : वर्त्तमान दायितायों और व्यवस्थायों

31 मार्च 1999 को

विवरण	रू०	इस वर्ष 1998-99 रू०	गत वर्ष 1997-98 रू०
वर्तमान दायितायें			
पुस्तकालय का जमा		455,881	464,756
अनिश्चित रूप से जमा प्रत्यर्पण योग		129,716	66,314
मौखिक शिक्षा संस्थानो से		92,000	82,000
प्रतिभूत जमा (प्रत्यापण योग			
पारितोषिक कोष पर व्याज		84,156	77593
श्रीमती कमला मुखर्जी स्मारक पारितोषिक		10,000	
कोष			
एल० डी० के० स्मारक पारितोषिक कोष			3,000
विविध लेनदार		5,912,399	4,572,425
अन्य दायितायें		512,550	1,144,154
विदेशी निकायो को बकाया			52,000
सदस्यता शुल्क		64,543	
व्यवस्थाये		518,847	497,247
कुल		7,780,092	6,959,489
गत लेखानुसार कर्मी सहकारी साख			
समिति प्रा० लि० को० अनुदान			
योग : वर्ष के लिये व्यवस्था	30,000		30,000
	30,000	60,000	
क्षेत्रीय परिषदो एवं संधो को स्वर्ण		140,000	140,000
जयन्ति के लिये अंशदान गत लेखानुसार			
बट्टटा खाता और संदेह ऋण			27,247
गत लेखानुसार	27,247		
कम: वर्ष के दौरान उपभुक्त	8,400	18,847	
दर और (गत लेखानुसार)		150,000	150,000
आई एफ ए सी को अनुदान (गत लेखानुसार)		150,000	150,000
		518,847	497,247

दि इन्स्टीट्यूट आर्फ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया

अनुसूची लेखा का भाग बना रही है।

अनुयूची सं० 9 : आय

वार्षिक अंशदान और दूसेर शुल्क

31 मार्च 90 को समाप्त हुये बर्ष के लिये

विवरण	इस वर्ष 1998-99 रू०	गत वर्ष 1997-98 रू०
जमा वार्षिक सदस्यता शुल्क	2,107,501	2,672,870
छात्रो का वार्षिक अंशदान	2,656,386	2,663,628
सदस्यों के प्रैक्टिस करने के प्रमाण पत्र शुल्क	195,090	186,[illegible]
ग्रैड सी० डब्ल्यू० ए० शुल्क	368,650	33[illegible]
डिनोभा फार्मस शुल्क	11,380	7,833
नामिनेशान शुल्क		21,900
सदस्यों के पूनः स्थापनाशुल्क	550	100
सदस्यों की शिकायते शुल्क	400	115
सदस्यों की शिकायत शुल्क	5,339,957	5,884,721

अनुसूची सं०10 आय

परीक्षा एवं अन्य शूल्क

31 मार्च 1999 को समाप्त हुये बर्ष के लिये

जमा : परीक्षा शुल्क	23,427,813	25,063,394
जार्च शुल्क	154,770	191,534
परीक्षा फार्मो की विक्री	884,038	586,874
विविध आय	96,692	109,248
	24,563,313	25,951,050

अगुसूची सं० 11 आय

शिक्षण एवं अन्य शूल्क

31 मार्च 99 को समाप्त हुये वर्ष के लिये

जमा : शिक्षर शुल्क	16,499,420	16,053,377
मान्याता शुल्क	3,200	400
आवर्ती वार्षिक शुल्क	60,000	51,600
सेवा शुल्क	4,321,605	4,390,356
अध्ययम नोटो की विक्री	3,903,903	3,843,778
शिक्षा पुन वैधीकरण फर्म की विक्री	26,868	25,681
पुन वैधीकरण शिक्षा समापन प्रमाण पत्र	1,689,401	1,183,571
	26,504,397	25,548,763

दि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया

अनुसूची लेखा का भाग बना रही है।

अनुसूची सं० 12 : व्यय

स्थापना

31 मार्च 1999 को समाप्त हुये वर्ष के लिये

विवरण	इस वर्ष 1998-99 रू०	गत वर्ष 1997-98 रू०
नामे : वेतन और भत्ता	25,091,952	19,230,527
कर्मचारी भविष्य निधि में नियोजता का अंशदान	2,213,765	1,622,785
कर्मचारी उपदान निधि के नियोक्ता का अंशदान	2,097,111	1,203,086
कर्मचारी कल्याण कोष में नियोक्ता का अंशदान	7,584	7,800
कर्मचारीयों को चिकित्सा सुविधा	691,344	847,185
कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा भत्ता	201,000	100,000
कर्मचारियों को छुट्टी भुगतान	762,912	1,128,978
कर्मचारियों के ई० डी० एल० आई को नियोक्ता का अंशदान	29,603	30,791
ई० डी० एल० आई निरीक्षण प्रभार	421	419
आर० पी० एफ० सी० को प्रशासनिक प्रभार	24,435	11,088
	87,068	136,786
प्रशिक्षण और विकास (एस० आर० डी०)	31,207,195	24,319,445

दि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया

अनुसूची लेखा का भाग बना रही है।

अनुसूची सं० 13 : व्यय

कार्यालय खर्च

31 मार्च 1999 को समाप्त हुये वर्ष के लिये

विवरण	इस वर्ष 1998-99 रू०	गत वर्ष 1997-98 रू०
नामे मुदण एवं लेखन सा...	2,011,348	1,841,068
" पोस्टेज तार दुरभाप	3,700,321	3,447,430
" टेलेक्स और फैक्स खर्च		
" विधुत खर्च	762,185	[illegible]
" धनरेटर खर्च	2,777	25,510
दूर और कर	38,508	73,151
बीमा	61,584	61,541

मरम्मत और रखरखाव	698,269	577,151
मोटर गाड़ी खर्च	274,680	364,096
मौखिक शिक्षण संस्थानों से	7,678	6,800
कौसममली जमा पर ब्याज		
ओभर ड्राफ्ट पर ब्याज	229.716	
अध्ययन सामग्री वितरण खर्च	387,761	409,159
पुस्तकें तथा पत्रिकायें	118,914	146,502
कानूनी खर्च	161,279	202,699
बैंक खर्च	87,347	77,638
कम्प्यूटर खर्च	344,692	321,484
जन सम्पर्क खर्च	72,468	514,925
सुरक्षा खर्च	33,466	28,379
कर्मी कल्याण	139,934	201,114
डेलीगेट शुल्क	66,500	37,000
राजपत्र अधिसूचना	265,905	136,890
विविध खर्च	224,076	336,009
	9,706,386	9,556,909

दि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया

अनुसूची लेखा का भाग बना रही है

अनुसूची सं० 14 : क्षेत्रीय परिषदों को 31 मार्च 1999 को समाप्त हुये वर्ष के लिये खर्च भुगतान सहित आय अनुदान .

(ए) वर्ष के दौरान निम्न लेखों से क्षेत्रीय परिषदों को धन प्रतिपूर्ति की गयी जिसे आय व्यय लेखा से मिलाया

	ई० आई० आर० सी	एस आई आर सी	डब्लू आई आर सी	एन आई आर सी	इस वर्ष 1998-99	गत वर्ष 1997-98
विकेन्द्री करण के	रू०	रू०	रू०	रू०	रू०	रू०
लिये डाक और तार प्रभार	37,881	8,654	1,582	904	49,021	54,143
विकेन्द्री करण के						
लिये स्थापना खर्च	260,578	-	-	-	260.578	357,972
मरम्मत एवं रखरखाव	1,616	-	32,400	25,174	59,190	40,145
दर एवं कर	-	-	6,000	-	6,000	31,315
कुल (ए)	300,075	8,654	39,982	26,078	374,789	483,575
(बी) आय अनुदान						
टीए चालू खाता आदि	86,000	36,000	86,000	86,000	294,000	311.671
भारत की स्वाधीनता के						
लिये स्वर्ण जयन्ती अनुदान	-	-	-	-	-	100,000
आय अनुदान	656,385	1,197,855	573,120	914,445	3,341,805	3,301,305
अन्य	157,579	-	30,079	6,450	194,108	-
कुल (बी)	899,964	1,233,855	689,199	1,006,895	3,829,913	3,712,976
कुल (ए) (बी)	1,200,039	1,242,509	729,181	1,032,973	4,204,702	4,196,551

वि इन्स्टीट्यूट आफॅ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया

अनुसूची लेखा का भाग बना रही है ।

अनुयूची सं० 15 : परीक्षा खर्च

31 मार्च 1999 को समाप्त हुये वर्ष के लिये

	इस वर्ष	गत वर्ष
	1998-99	1997-98
	रू०	रू०
परक्षा खर्च	9,210,103	8,394,358
परितोषिक और पारितोषिक	31,329	
विवरण खर्च		
	9,241,432	8,394,358

अनुसूची सं० 16 : परिषद और समिति बैठक खर्च

31 मार्च 1999 को समाप्त हुये वर्ष के लिये

	इस वर्ष	गत वर्ष
	1998-99	1997-98
	रू०	रू०
परिषद और समिति बैठक खर्च	2,730,826	2,347,741
परिषद के सदस्यों की यात्रा भत्ता	531,579	719,924
	3,262,405	3,067,665

वि इन्स्टीट्यूट आफॅ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया

अनुसूची लेखा का भाग बना रही है ।

अनुयूची सं० 17 : पूर्व अवधि के खर्च

31 मार्च 1999 को जैसा था

विवरण	इस वर्ष	गत वर्ष
	1998-99	1997-98
	रू०	रू०
आय अनुदान	510,525	588,145
स्थापना	1,588,198	3,214,998
परीक्षा खर्च	374,726	297,336
मरम्मत एवं रख रखाव	272,400	
दूसरे	259,546	592,380
कुल	3,003,395	4,692,859

नोटस लेखा का भाग बना रहे है

जो 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुआ

अनुसूची संस्था - 18

लेखांकन का महत्वपूर्ण कार्यनीति

1. स्थायी सम्पत्तियां :

ए. लेखा मे स्थायी सम्पत्तियाँ लागत मुल्य से आयकर अधिनियम जो समय समय पर निर्धारित किया गया है। घटते हुये मूल्य विधि के पर दिये गये दर कम करके दिखाया गया है।

बी. पट्टे पर की जमीन बट्टे खाते में डालकर नही दिखाया गया है ।

सी. निर्माणाधीन सम्पत्तियो को पूंजी कार्य प्रगति पर है के रूप में दिखाया गया है ।

2. आय एवं व्यय प्रतिपत्ति

1. क्षेत्रीय परिषदों और संघो के साथ संस्था के विभिन्न प्रकाशनों की विक्री के व्याज-आय और लेनदेनों को छोड़कर लेखा में आय को साधारण तोर पर नकद राशि के आधार पर दिखाया गया है ।
2. संघों को वार्षिक अनुदान और कर्मचारियों के छुट्टी भुनाने की सुविधा को छोड़कर दूसरे खर्च व्यावसायीक आधार पर विचार किया गया है । चुनाव सम्बन्धित खर्चो को तीन वर्ष में प्रभार दिया गया है ।
3. विनियोगें : विनियोगो को लागत के आधार पर दिखाया गया है ।
4. इन्वेन्टरीज : इन्वेन्टरीज के अन्तर्गत प्रकाशनों, पेपरस और अध्ययन सामग्री का स्टाक है, जिनका मूल्यांकन क्रय मूल्य तथा दूसरे अनुषंगिक सम्बन्धित व्ययो के आधार पर किया गया है । परन्तु इसमें अध्ययन योग्य नही और विक्री योग्य नही प्रकाशनों तथा अध्ययन सामग्रियों को स्टाक मूल्य में सामिल नही किया गया है ।

5. कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति लाभ :

उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार उपदान का वास्तविक मुल्यांकन है जो लेख में दिखाया गया है । संस्था के नियमों के अनुसार न्यासी को भविष्य निधि का भुगतान किया जा रहा है तथा संस्था के अंशदान मे प्रति वर्ष वार्षिक आय पर प्रभार दिया जाता है । नकद राशि के आधार पर सेवा निवृति छुट्टी भुनाने की सुविधा लेखा में दिखाया गया है ।

6. विदेशी मुद्रा की लेनदेन :

लेखा मे विदेशी मुद्रा की लेनदेन रूपये के आधार पर प्राप्त भुगतान किया गया है जैसे की उसकी प्राप्ति और खर्च रूपये के मुल्य पर होता है।

7. पूर्व समय का आय - व्यय

पूर्व समय के निश्चित आय के भाग को आय और व्यय लेखा के निचे दिखाया गया है तथा पूर्व समय के दूसरे समायोजानों को साधारण निधि के साथ समायोजन किया गया है ।

बी. नोटस लेखा का भाग बना रहे हैं

1. रकम रू० 20744/- (जिसमें जमे रू० 3,38926 और नामे रू० 3,59670/- साम्मिल है) साधारण निधि में जो संस्था के विभिन्न बैंक खाते में जिसे बैंक समाधान विवरण मे आंशिक बकायो दिखायो गये है उन्हे हटाने के लिये समायोजन किया गया है । आगे समायोजन आवश्यक हुआ तो फिर पुनरीक्षण के बाद किया जायोगा ।
2. संस्था के कार्यकारिणी समिति की 267 वॉ बैठक दिसम्बर 1997 को हुयी जिसमे पंजम वेतन कमिशन के बाकी 50% को स्वीकार किया गया और वर्ष के दौरान उसका भुगतान किया गया । नियोक्ता पी. एफ. अंशदान सहित 3228464 रूपये है । इसके अलावे रूपये 6,89,380/- सेवा निवृति कर्मचारियों को अनुग्रह राशि के रूप भुगतान किया गया ।

3. भवन निर्माण के लिये क्षेत्रीय परिषदों और संघों को बिते वर्ष में दिये गये अग्रिम रु० 1,32,92000/- को सम्बन्धित क्षेत्रीय परिषदों और संघों से इससे ठीक सम्बन्धित कागजात के बिना इसे मूलधन में परिणित नहीं किया गया ।

4. संस्था के संघों को रजत जयन्ती पूंजी अनुदान (अग्रिम) रूपये 17,32,138/- समायोजन के बिना रहा क्योंकि उन संघों से आवश्यक कागजात प्राप्त नहीं हुआ ।

5. आयकर अधिनियम धारा 10 (23ए) एक साथ धारा 11 के अधीन छुट के हकदार होने के कारण आयकर का कोई व्यवस्था नहीं रखा गया है।

6. 31-03-99 को कर्मचारी उपदान निधि रूपये 94,69,294/- है जबकि इस निधि का उद्‌भोद ब्याज सहित विनियोजन रूपये 62,77,745/- है । इस तरह विनियोजन में रूपये 31,91,549/- की कमी है । इस राशि की पूर्ति इस वर्ष किया जायेगा ।

7. 31-03-99 को कार्यचारियों कर्मचारी कल्याण कोष रूपये 2,42,325/- है जबकि उद्‌भोद ब्याज सहित विनियोजन केवल रूपये 2,21,962/- है । इस प्रकार विनियोजन राशि में रूपये 20,363/- की कमी है । इस राशि की पूर्ति इस वर्ष किया जायेगा ।

8. विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों और को जांच पर्ची शेषों की पुष्टि के लिये जारी किया गया है ।

9. परीक्षा केन्द्रों को दिये गये बिना समायोजन के अग्रिम के इन लेखा में उसी तरह के व्यवस्था किया गया है ।

10. इनओपरेटिभ बैंक एकाउन्टस में बैंक शेष रूपये 5,561/- है ।

11. बकायो पूंजी कमिटमैन्ट शुद्ध अग्रिम रूपये 8,45,028/- अनुमान किया गया है ।

12. इस वर्ष के वर्गीकरण को अनुरूप करने के लिये जहां आवश्यक पाया गया गत वर्ष के आंकड़ों का पुन : वर्गीकरण किया है ।

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया।

के. रामचन्द्रन स्मारक पारितोषिक कोष जैसा की 31 मार्च 1999 को था।

	रू०		रू०	रू०
नामे शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	6,550.00	जमा शेष बैंक में		
नामे बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य	951.10	नियत कालिक उपनिधान		6,550.00
,, संस्था से वर्ष के लिये प्राप्य	165.26	जमा वर्ष के दौरान ब्याज मिला	409.00	
		जमा 31.3.99 प्रोदभूत ब्याज	951.10	
		गत लेखानुसार संस्था से प्राप्य	406.26	
			1,766.36	
		कम: पारितोषिक मूल्य	650.00	1,116.36
	7,666.36			7,666.36

मौजी राम जैन स्मारक पारितोषिक कोष जैसा की 31 मार्च 1999 को था

	रू०		रू०	रू०
नामे शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	10,000.00	जमा शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान		10,000.00
नामे बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य	2,140.42	,, वर्ष के दौरान ब्याज मिला		
		,, 31.3.99 तक प्रोदभूत ब्याज	2,140.42	
,, संस्था से धनराशि प्राप्य	1,133.00	,, गत लेखा के अनुसार संस्था से प्राप्य	2,133.00	
			4,273.42	
		कम: पारितोषिक मूल्य	1,000.00	3,273.42
	13,273.42			13,273.42

बी. सी चक्रवर्ती स्मारक पारितोषिक कोष जैसा की 31 मार्च 1999 को था

	रू०		रू०	रू०
नामे शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	6,000.00	जमा शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान		6,000.00
'' बैंक से प्रदभूत ब्याज प्राप्य	775.73	'' वर्ष के दौरान ब्याज मिला	165.00	
'' संस्था से धनराशि प्राप्य	2,159.70	'' 31.3.99 तक प्रोदभूत ब्याज	775.73	
		'' गत लेखा के अनुसार संस्ता से प्राप्य	2,694.70	
			3,635.43	
		कम: पारितोषिक मूल्य	700.00	2,935.43
	8,935.43			8,935.43

जे. एन. वोस स्मारक पारितोषिक कोष जैसा की 31 मार्च 1999 को था।

	रू०		रू०	रू०
नामे शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	11,200.00	जमा शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान		11,200.00
'' बैक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य	1,685.92	'' वर्ष के दौरान ब्याज मिला	432.00	
		'' 31.3 99 तक प्रोदभूत ब्याज	1,685.92	
		'' गत लेखानुसार संस्था से धनराशि प्राप्य	548.33	
		संस्था से अग्रिम	702.01	
			3368.26	
		कम: पारितोपिक मूल्य	1,682.34	1,685.92
	12,885.92			12,885.92

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया
डी. जी. कलरा स्मारक पारितोषिक कोष जैसा की 31 मार्च 1999 को था

		रू०		रू०	रू०
नामे	शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	6,550.00	जमा शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान		6,550.00
"	बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य	121.45	" वर्ष के दौरान ब्याज मिला	715.00	
"	संस्था से धनराशि प्राप्य	6,185.00	" 31.3.99 तक प्रोदभूत ब्याज	121.45	
			गत लैखानुसार संस्था से प्राप्य	5,470.00	
					6,306.45
		12,806.45			12,806.45

पुने संघ के एकाउन्टेन्टस के रजत जयन्ती पारितोषिक कोष जैसा की 31 मार्च 1999 को था

		रू०		रू०	रू०
नामे	शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	12,000.00	जमा शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान		12,000.00
"	बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य	51.29	" वर्ष के दौरान ब्याज मिला	1,440.00	
"	संस्था से धनराशि प्राप्य	3,120.00	" 31.3.99 तक प्रोदभूत ब्याज	51.29	
			गत लैखानुसार संस्था से प्राप्य	2,880.00	
				4,371.29	
			कम: पारितोषिक मूल्य	1,200.00	3,171.29
		15,171.29			15,171.29

यू. एन. सूर स्मारक पारितोषिक कोष जैसा 31 मार्च 1999 को था

		रू०		रू०	रू०
नामे	शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	10,000.00	जमा शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान		10,000.00
"	बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य	1,342.47	" वर्ष के दौरान ब्याज मिला	625.00	
"	संस्था से धनराशि प्राप्य	4,044.50	" 31.3.99 तक प्रोदभूत ब्याज	1,342.47	
			" गत लैखानुसार संस्था से प्राप्य	4,419.50	
				6,386.97	
			कम: पारितोषिक मूल्य	1,000.00	5,386.97
		15,386.97			15,386.97

भी. श्री निवासन स्मारक पारितोषिक कोष जैसा की 31 मार्च 1999 को था

		रू०		रू०	रू०
नामे	शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	12,000.00	जमा शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान		12,000.00
"	बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य	886.68	" वर्ष के दौरान ब्याज मिला	1,050.00	
			" 31.3.99 तक प्रोदभूत ब्याज	886.68	
			" गत लैखानुसार संस्था से प्राप्य	160.46	
			" वर्ष के लिये संस्था से अग्रिम	471.88	
				2,569.02	
			कम: पारितोषिक मूल्य	1,682.34	886.68
		12,886.68			12,886.68

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया
खाजीर देवी पुरी स्मारक पारितोषिक कोष जैसा की 31 मार्च 1999 को था

		रू०		रू०	रू०
नामे	शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	12,000.00	जमा शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान		12,000.00
"	बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य	256.44	" वर्ष के दौरान ब्याज मिला	1,440.00	
			" 31.3.99 तक प्रोदभूत ब्याज	256.44	
			" गत लेखानुसार संस्था से प्राप्य	190.19	
			" वर्ष के लिये संस्था से अग्रिम	52.15	
				1,938.78	
			कम: पारितोषिक मूल्य	1,682.34	256.44
		12,256.44			12,256.44

जी. इन्दिरा देवी स्मारक पारितोषिक कोष जैसा की 31 मार्च 1999 को था

		रू०		रू०	रू०
नामे	शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	15,000.00	जमा शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान		15,000.00
"	बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य	1,785.21	" वर्ष के दौरान ब्याज मिला	825.00	
"	संस्था से धनराशि प्राप्य	1,231.11	" 31.3.99 तक प्रोदभूत ब्याज	1,785.21	
			" गत लेखानुसार संस्था से प्राप्य	2,088.45	
				4,698.66	
			कम: पारितोषिक मूल्य	1,682.34	3,016.32
		18,016.32			18,016.32

बी. एन. गांगुली स्मारक पारितोषिक कोष जैसा की 31 मार्च 1999 को था

		रू0		रू0	रू0
नामे	शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	3,000.00	जमा शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान		3,000.00
"	बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राय	359.01	" वर्ष के दौरान ब्याज मिला	195.00	
"	संस्था से धनराशि प्राप्य	3,642.60	" 31399 तक प्रोदभुत ब्याज	359.01	
			" गत लेखानुसार संस्था से प्राप्य	3,447.60	
					4,001.61
		7,001.61			7,001.61

जी. डी. मुन्दरा स्मारक पारितोषिक कोष जैसा की 31 मार्च 1999 को था

		रू0		रू0	रू0
नामे	शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	12,000 00	जमा शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान		12,000 00
"	बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य	1,907 18	" वर्ष के दौरान ब्याज मिला	720.00	
			" 31.3.99 तक प्रोदभूत ब्याज	1,907.18	
			" गत लोखानुसार संस्था से धनराशि प्राप्य	424.96	
			" वर्ष के लिये संस्था से अग्रिम	2219.72	
				5,271.86	
			कम:पारितोषिक मूल्य	3,364.68	1,907.18
		13,907.18			13,907.18

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया
श्री निवासन जगन्नाथन स्मारक पारितोषिक कोष जैसा की 31 मार्च 1999 को था

		रू0		रू0	रू0
नामे	शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान	20,000.00	जमा शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान		20,000.00
"	बैंक से प्रोदभूत ब्याज	990.14	" वर्ष के दौरान ब्याज मिला	1,950.00	
"	संस्था से धनराशि प्राप्य	4,645.62	" 31.3.99 तक प्रोदभुत ब्याज	990.14	
			" गत लेखानुसार संस्था से प्राप्य	4,377.96 7,318.10	
			कम:पारितोषिक मूल्य	1,682.34	5,635.76
		25,635.76			25,635.76

ए. के. विश्वास फाउन्डेशन पारितोषिक कोष जैसा की 31 मार्च 99 को था

		रू0		रू0	रू0
नामे	शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	22,017.00	जमा शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान		22,017.00
"	बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य	291.95	" वर्ष के दौरान ब्याज मिला	2,421.88	
"	संस्था से धनराशि प्राप्य	15,051.99	" 31.3.99 प्रोदभूत ब्याज मिला	291.95	
			" गत लोखानुसार संस्था से प्राप्य	12,630.11	15,343.94
		37,360.94			37,360.94

सी. एच. विशन दाश पुरी स्मारक पारितेषिक कोष जैसा की 31 मार्च 1999 को था

		रू0		रू0	रू0
नामे	शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान	12,000.00	जमा शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान		12,000.00
"	बैंक से प्रोदभूत ब्याजप्राप्य	410.31	" वर्ष के दौरान ब्याज मिला	1,440.00	
"	संस्था से धनराशि प्राप्य	1,182.85	" 31.3.99 तक प्रोदभुत ब्याज	410.31	
			" गत लेखनुसार संस्था से प्राप्य	1,425.19 3,275.50	
			कम: पारितेषिक मूल्य	1,682.34	1,593.16
		13,593.16			13,593.16

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया। एन. सरकार स्मारक पारितोषिक कोष जैसा की 31 मार्च 99 कोथा

		रू0		रू0	रू0
नामे	शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	10,000.00	जमा शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान		10,000.00
"	बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य	170.95	" वर्ष के दौरान ब्याज मिला	1,200.00	
"	संस्था से धनराशि प्राप्य	6,288.00	" 31.3.99 तक प्रोदभूत ब्याज मिला	170.95	
			" गत लोखानुसार संस्था से प्राप्य	6,088.00	
				7,458.95	
			कम:पारितोषिक मूल्य	1,000.00	6,458.95
		16,458.95			16,458.95

सुभाष आडडी स्मारक पारितोषिक कोष जैसा की 31 मार्च 99 को था

		रू0		रू0	रू0
नामे	शेष बैंक में नियत कालिक	5,000.00	जमा शेष बैंक में नियत		5,000.00
"	उपनिधान		कालिक उपनिधान		
"	बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राय	143.01	" वर्ष के दौरान ब्याज मिला	900.00	
"	संस्था से धनराशि प्राप्य	1,440.00	" 31'3'99 तक प्रोदभुत ब्याज	143.01	
			" गत लेखानुसार संस्था से प्राप्य	1,290.00.	
				2,333.01	
			कम: पारितोषिक मूल्य	750.00	1,583.01
		6,583.01			6,583.01

सुलतान अंद स्मारक पारितोषिक कोष जैसा की 31 मार्च 1999 को था

		रू0		रू0	रू0
नामे	शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	25,000.00	जमा शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान		25,000.00
,,	बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य	1,495.90	,, वर्ष के दौरान ब्याज मिला	2,750.00	
,,	संस्था से धनराशि प्राप्य	10,120.00	,, 31.3.99 तक प्रोदभूत ब्याज मिला	1,495.90	
			,, गत लोखानुसार संस्था से प्राप्य	7,370.00	
					11,615.90
		36,615.90			36,615.90

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया

के. के दत्ता स्मारक पारितोषिक कोष जैसा की 31 मार्च 1999 को था

		रू0			रू0	रू0
नामे	शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	12,000.00	जमा	शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान		12,000.00
"	बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य	718.00	"	वर्ष के दौरान ब्याज मिला	1,440.00	
"	संस्था से धनराशि प्राप्य	4,078.83	"	31.3.99 तक प्रोदभूत ब्याज	718.00	
			"	गत लेखानुसार संस्था से प्राप्य	3,480.00	
					5,638.00	
				कम:पारितोषिक मूल्य	841.17	4,796.83
		16,796.83				16,796.83

विक्रमजित मजुमदार स्मारक पारितोषिक कोष जैसा की 31 मार्च 1999 को था।

		रू0			रू0	रू0
नाम	शेष बैंक मे नियत कालिक उपनिधान	5,000.00	जमा	शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान		5,000.00
"	बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य	119.04	"	वर्ष के दौरान ब्याज मिला	550.00	
"	संस्था से धनराशि प्राप्य	5,572.30	"	31.3.99 तक प्रोदभूत ब्याज	119.04	
			"	गत लेखानुसार संस्थ से प्राप्य	5,022.30	
						5,691.34
		10,691.34				10,691.34

केदारनाथ प्रल्हादराय धानुका स्मारक पारितेषिक कोष जैसा की 31 मार्च 1999 को था

		रू0			रू0	रू0
नामे	शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	15,000.00	जमा	शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान		15,000.00
"	बैंक से प्रोदभूत ब्याज	897.53	"	वर्ष के दौरान ब्याज मिला	1,650.00	
"	प्राय.		"	31.3.99 तक प्रोदभुत ब्याज	897.53	
"	संस्था से धनराशि प्राप्य	5,880.00	"	गत लेखानुसार संस्था से प्राप्य	4,230.00	6.777.53
		21,777.53				21,777.53

श्रीमती राजम्मा एण्ड एम. आर. एस आयंगर स्मारक पारितोषिक कोष जैसा की 31 मार्च 99 कोथा

		रू0			रू0	रू0
नामे	शेष बैंक में नियत कालिक कालिक उपनिधान	5,000.00	जमा	शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान		5,000.00
"	बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य	626.71	"	वर्ष के दौरान ब्याज मिला	312.00	
"	संस्था से धनराशि प्राप्य	1,575.70	"	31.3.99 तक प्रोदभूत ब्याज	626.71	
				योग: गत लोखा के अनुसार संस्था रो प्राप्य	1,763.70	
					2,702.41	
				कम:पारितोषिक मूल्य	500.00	2,202.41
		7.202.41				7.202.41

दि इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया ।

श्रीमती धनपति गोयल स्मारक पारितोषिक कोष जैसा कि 31 मार्च, 1999 को था

	रु०			रु०	रु०
नामे शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	21,000.00	जमा	शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान		21,000.00
" बैंक से प्रोद्भूत ब्याज	395.55	"	वर्ष के दौरान ब्याज मिला	2,625.00	
" प्राप्य					
" गत लेखानुसार संस्था से	1,898.66	"	जमा 31.3.99 तक प्रोदभूत ब्याज	395.55	
		"	गत लेखानुसार संस्था से प्राप्य	956.00	
				3,976.55	
		कम:	पारितोषिक मूल्य	1682.34	2294.21
	23,294.21				23,294.21

पुष्पा रानी दे स्मारक पारितोषिक कोष जैसा को 31 मार्च, 1999 को था

	रु०			रु०	रु०
नामे शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	12,000.00	जमा	शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान		12,000.00
" बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य	1,560.00	"	वर्ष के दौरान ब्याज मिला	780.00	
" वर्ष के लिए संस्था से धनराशि प्राप्य	293.55	"	जमा 31.3.93 तक प्रोदभूम ब्याज	1,560.00	
		"	गत लेखानुसार संस्था से प्राप्य	1,195.89	
				3,535.89	
		कम.	पारितोषिक मूल्य	1,682.34	1,853.55
	13,853.55				13,853.55

श्रीमती मंदाकनी वसन्त लीम्यै स्मारक पारितोषिक कोष जैसा कि 31 मार्च 1999 को था

	रु०			रु०	रु०
नामे शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	5,000.00	जमा	शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान		5,000.00
" बैंक से प्रोदभूत ब्याज	73.84	"	वर्ष के दौरान ब्याज मिला	550.00	
" प्राप्य					
		"	31.3.99 तक प्रोदभूत ब्याज	73.84	
		"	वर्ष के लिये संस्था से अग्रिम	175.00	
		"	गत लेखानुसार संस्था से प्राप्य	275.00	
				1,073.84	
		कम'	पारितोषिक मूल्य	1,000.00	73.84
	5,073.84				5,073.84

दि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया ।

स्वर्गीय लेफ्टीनेन्ट कर्नल अम्बुज नाथ बोस स्मारक पारितोषिक कोष जैसा की 31 मार्च, 1999 को था

	रू०		रू०	रू०
नामे शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	30,000.00	जमा शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान		3,0000.00
" बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य	78.90	" वर्ष के दौरान ब्याज मिला	30,600.00	
" संस्था से प्राप्य	3,600.00	" 31.3.99 तक प्रोदभूत ब्याज	78.90	3,678.90
	33,678.90			33,678.90

स्वर्गीय एम० कृष्ण मूर्ति स्मारक पारितोषिक कोष जैसा की मार्च 1999 को था

	रु०		रु०	रु०
नामे शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	10,000.00	जमा शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान		10,000.00
" बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राय	26.30	" वर्ष के दौरान ब्याज मिला	1,200.00	
" संस्था से धनराशि प्राप्य	1,200.00	" 31.3.99 तक प्रोदभूत ब्याज	26.30	1,226.30
	11,226.30			11,226.30

काशीराम प्रभाकर स्मारक पारितोषिक कोष जैसा की 31 मार्च, 1999 को था

	रु०		रु०	रु०
नामे शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	21,000.00	जमा शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान		21,000.00
" बैंक से प्रोदभूत ब्याज प्राप्य	186.99	" वर्ष के दौरान ब्याज मिला	2,625.00	
" संस्था से धनराशि प्राप्य	3,567.66	" 31.3.99 तक प्रोदभूत ब्याज	186.99	
		गत लेखानुसार संस्था से प्राप्य	2,625.00	
			5,436.99	
		कम: पारितोषिक मूल्य	1,682.34	3,754.65
	24,754.65			24,754.65

लक्ष्मी रानी धोनालोपंत कृष्णा स्मारक पारितोषिक कोष जैसा की 31 मार्च, 1999 को था

	रु०		रु०	रु०
नामे शेष बैंक में नियत कालिक उपनिधान	5,010.00	जमा शेष बैंक में नियतकालिक उपनिधान		5,010.00
" बैंक से प्रोदभूत ब्याज	499.00	" वर्ष के दौरान ब्याज मिला		
" प्राय		" 31.3.99 तक प्रोदभूत ब्याज	499.00	499.00
	5,509.00			5,509.00

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi.....

No. N-15/13/14/3/94-P &D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees Regulation 95-A of the Employees State Insurance (General)/ Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st September, 1999 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees State Insurance (Medical Benefit) Rules. 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely Marthandam centre, Areas comprising the Revenue villages of Ponmanai, Atoor, Veeyanoor, Aruvikkarai, Tiruvattar, Thiruparuppu, Thumbacode of Kalkulam Taluk Arudesam, Pacode, Nalloor, Methukumal, Kollancode, Palugal, Kaliel, Vilavancode, Edaicode, Arumanai, Ezhudesam, Kunnathoor, Nattalam, Mancode, Vellamcode, Kulappuram, Anducode of Vilavancode Taluk in Kanyakumari District.

G.L. KAPOOR
Director (P & D)

New Dejhi thd 7th September 99

No. A-12(11)1/95-DM(HQ)——In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 97 read with clause (xXi) of Sub-Section (2) and sub-section (2A) of that section and sub-section (2) of Section 17 of Employees State Insurance Corporation Act, 1948 (34 of 1948 as amended), the ESI corporation thereby makes with the approval of the Central Government following regulations further to amend ESIC (Dietician) Recruitment Regulations 1997. Regulating the method of recruitment to the post of Sr. Dietician namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(i) These Regulations may be called the ESIC (Dietician) (Amendment) Recruitment Regulations, 1999.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazettee.

2. In the schedule annexed to the Employee's State Insurance Corporation (Dietician) Recruitment Regulations, 1997.

(i) After Sl. No. 1 and the entries relating thereto. Sl. No. 2 in respect of the post of Sr. Dietician and entries relating thereto shall be inserted

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SENIOR DIETICIAN

Name of Post	No. of post	Classification	Scale of Pay	whether Selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post.	Age limit for direct recruitment	whether benefit of added yrs. of service admissible.	Educational & Other qualification required for direct recruits	whether age & EQ prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Senior Dietician *(1999) Subject to variation dependent on workload.	2	Group 'B'	6500-200-10500	Selection-cum-Seniority	Not exceeding 30 yrs.	No.	Essential 1. Master's degree in dietetics /Nutrition of a recognised university or equivalent. OR Master's degree in Home Science/Home Economics with specialisation in food and nutrition of a recognised university or equivalent. OR B.Sc. (Home Science)/ Home Economics/ with nutrition as a special subject from a recognised university or equivalent with post graduate diploma in dietetics from a recognised university institution or equivalent. (ii) Two yrs. practical experience in dietetics.***	Not applicable

Note under Column 6

Note 1. Relaxable for Govt. Servants and empoyees of ESIC upto 5 yrs. in accordance with the instructions orders issued by the Central Government.

Note: 2. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications from candidates in India (and not closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of J&K state, Lahaul & SPITI District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

***

Note: 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.

Name of post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection cum-merit for selection cum seniority or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added yrs. of service admissible.	Educational & other qualification required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7	8

Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes if at any stage of selection the UPSC is of the opinton that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them

Period of prob. if any.	Method of Recrt. whether by direct recrt. or by promotion or by deputation/ absorption & % of the post to be filled of various methods.	In case of Recrt. by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If DPC exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recrt.
(10)	(1)	(12)	(13)	(14)
2 Yrs. for Direct recruits.	Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	PROMOTION Dietician in the pay scale of Rs. 5500-9000 with 3 yrs. regular service in the grade. NOTE: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two yrs whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. DEPUTATION Officers under the Central Government. (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 3 yrs. regular service in post in the scale of 5500-9000 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column-8. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for apptt. on deputation. Similarly deputionists shall not be eligible for consideration for apptt. by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately Preceeding this apptt. in the same or some other organisation/ Deptt. of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Group 'B' DPC (for considering promotion) 1. Chairman/Member: UPSC—Chairman 2 Medical Commissioner, ESIC—Member. 3. Director(Medical) Hqrs. —ESIC—Member Group 'B' DPC (for considering confirmation) 1. Medical Commissioner ESIC—Chairman. 2. Director (Medical) Hqrs ESIC—Member. Note: The proceedings of the DPC relating to confirmation of a direct result shall be sent to the commission for approval. If however these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.	Consultation with UPSC necessary one each occasion.

The Recruitment Regulations of Dietician were published in Part III Section 4 of Gazette of India dated 31-5-97 by Notification No. A-12(11)1/95 DM(HQ) dated 12-5-1997.

A.M. NIMBALKAR
Director General

MINISTRY OF LABOUR

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(CENTRAL OFFICE)

HUDCO VISHALA, 14, BHIKAJI CAMA PLACE

New Delhi-110066, the 23rd August 1999

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/3040.—WHEREAS the Employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat from the operation of the said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the the Establishment	Code No.	Effective date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Vikram Steel Pvt. Ltd., Garedia Kuva Road, Rajkot-360001.	GJ/222	1-1-97 to 31-12-99	4(135)99/DLI
2.	M/s. Gopal Glass Works Ltd., Vill. Budasan Tal. Kadi, Dist. Mehsana, Gujarat.	GJ/1469	1-7-95 to 30-6-90 & 1-7-98 to 30-6-2001	4(136)99/DLI
3.	M/s. Patel Bros. Works, 2 Bhakti Nagar , Station Plot, Rajkot-360002.	GJ/1822	1-12-96 to 30-11-99	4(137)99/DLI
4.	M/s. Visnagar Taluka Majoor Sahakari Mandli Ltd., Darbar Road, Visnagar-384315.	GJ/1829	1-3-96 to 28-2-99 & 1-3-99 to 28-2-2002	4(138)99/DLI
5.	M/s. K. Rasik Lal and Co., Aji Industrial Estate, Bhavnagar Road, Rajkot-3	GJ/1924	1-3-96 to 28-2-99 & 1-3-99 to 28-2-2002	4(139)99/DLI
6.	M/s. Amreli Jilla Madyastna Sahakari Bank Ltd., Amreli Gujarat (23 branches).	GJ/4670	1-4-96 to 31-3-99	14(140)99/DLI
7.	M/s. Gurukripa Foundor and Engineers, 2/3 Kamal Estate, Sukhramnagar, Ahmedabad-380023.	GJ/7565	1-1-96 to 31-12-98 & 1-1-99 to 31-12-2001	4(141)99/DLI
8.	M s. Gujarat Organics Ltd., Plot No. 127/1 ,Industrial Estate, GIDC, Ankleshwar-393002.	GJ/9462	1-3-99 to 28-2-2002	4(142)99/DLI

1	2	3	4	5
9.	M/s. The Co-op. Bank of Rajkot Ltd., Sahakar Sarita, Panchnath Road, Rajkot-360001.	GJ/24333	1-5-95 to 30-4-98 & 1-5-98 to 30-4-12001	4(143)99/DLI
10.	M/s Shree Chemical Industries, 313/3, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar-393002	GJ/24694	1-1-99 to 31-12-12001	4(144)99/DLI
11.	M/s Pure Chem Pvt. Ltd , 4717 GIDC Nr. Telephone Exchange, Ankleshwar-393002	GJ/31089	1-3-99 to 28-2-2002	4(145)99/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government, may from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduce in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

A. K. JAIN
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/3057.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishment in schedule-I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, A. P. from the operation of the said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.'s File No.
1.	M/s. Indian Hospitals Corporation Ltd., Apollo Hospitals Complex, Jubilee Hills, Hyderabad-500033.	AP/24116	1-10-98 to 30-9-2001	1/87/99/EDLI
2.	M/s. Shri Sai Kasturi Enterprises P. Ltd, 62-2-24, PATAMATA Lanka, Vijayawada-10.	AP/33091	1-12-99 to 30-11-2001	1/93/99/EDLI
3.	M/s. Shri Shakti LPG Ltd., 4th Floor, Venus Plaza Begumpet, Hyderabad-500016, Andhra Pradesh.	AP/28970	1-4-98 to 31-3-2001	1/94/99/EDLI
4.	M/s. The Nellore Dist. Co.op. Milk Producers Union Ltd., Nellore-524001.	AP/22040	1-3-92 to 28-2-95 & 1-3-95 to 28-2-98 & 1-3-98 to 28-2-2001	1/95/99/EDLI
5.	M/s. Model Chit Corporation Ltd., 2nd Floor, Model House, Punjaguda, Hyderabad-500082.	AP/28956	1-9-97 to 31-8-2000	1/96/99/EDLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

A. K. JAIN
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/3068.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Surat from the operation of said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Janab Qutbuddin Muallim Boy's Primary School, Sodagarwad, Surat.	GJ/13584	1-12-98 to 30-11-2001	4/125/99/DLI
2.	M/s. Janab Babubhai Sopariwala Girls Primary School. Gopipura, Surat.	GJ/13820	1-12-98 to 30-11-2001	4/126/99/DLI
3.	M/s. Nandosal Industries, Plot No. 480617, GIDC, Ankleshwar-393002.	GJ/17719	1-10-98 to 30-9-2001	4/127/99/DLI
4.	M/s. P.H. Patel Industrial Manufacturers Pvt. Ltd. Kamla Park Housing Society, Station Road, Navsari -396445.	GJ/17889	1-10-98 to 30-9-2001	4/128/99/DLI
5.	M/s. Crystal Forms Ltd., 4104, GIDC, Ankleshwar-393002.	GJ/30479	1-12-98 to 30-11-2001	4/131/99/DLI
6.	M/s. Sarvajanik College of Engineering, Technology, R.K. Desai Marg, Athwa Lines, Surat.	GJ/30721	1-12-98 to 30-11-2001	4/132/99/DLI
7.	M/s. Kdiam, 806, Belgaim Tower, Opp. Liniar Bus Stand, Ring Road, Surat.	GJ/31606	1-9-98 to 31-8-2001	4/133/99/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the Employees. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

A. K. JAIN
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt I/3.081.—Whereas the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2 (A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. A. P. from the operation of the said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C. s File No.
1.	M/s. Tejaswi Industries, Vadlamudi Cross Road, Vadlamudi-52213.	AP/27849	1-2-97 to 31-1-2000	1/91/99/DLI
2.	M/s. Sri Lakshmi Ganapathi Engineering Works, Industrial Estate, Sultanabad Tenali -522202(AP).	AP/16411	1-8-96 to 31-7-99	1/92/99/DLI
3.	M/s. Operation Mobilisation India, Logor Bhawan ,Medical Road, Zeedimetla ,Secunderabad, Hyderabad.	AP/29715	1-10-98 to 30-9-2001	1/89/99/DLI
4.	M/s. Samrakshana Electricals Ltd., No. 127, Hydernagar, Kukatpally, Hyderabad-500072 (AP).	AP/21874	1-10-97 to 30-9-2000	1/90/99/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

A. K. JAIN
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp.89/Pt.I/3091.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Government of India the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said estabilshment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated is attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Kirloskar Systems Ltd., Kirloskar Electric Co. Ltd., Unit X Bellary Road, Hebbal Bangalore-24.	KN/3532	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I dated 28-2-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93 & 1-3-93 to 29-2-96 & 1-3-96 to 28-2-99	2/3041/90/DLI
2.	M/s India Packaging Products (P) Ltd., Post Box No. 2480, 5th Mile, Bellary Road, Bangalore-24.	KN/3657	dated —Nil	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93 & 1-3-93 to 29-2-96 & 1-3-96 to 28-2-99	2/782/DLI/KN/82

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause(a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

A. K. JAIN
Regional Provident Fund Commissioner

S.O.———Whereas M/s. MAR Thoma Mission Hospital Code No. KR/KK/11519 has been granted extension/exemption under Section 17(2A) of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas the employer renewed the master policy upto 1-10-97 and reverted back to implementing statutory E.D.L.I. Scheme.

In view of the above I,C.P.F.C. cancelled the above said w.e.f. 1-10-97.

A.K. JAIN
Regional Provident Fund Commissioner

S.O.———Whereas M/s. Unicorn Industries Secunderabad code No. AP/Hy/3898 has been granted extension/exemption under Section 17 (2A) of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas the employer renewed the master policy upto 31-10-98 and reverted back to implementing statutory E.D.L.I. Scheme.

In view of the above I,C.P.F.C. cancelled the above said w.e.f. 1-11-98.

A.K JAIN
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exempt./89/Pt. I/4011.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, A P. from the operation of the said Scheme for a perido of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C.s File No.
1.	M/s. Hyderabad Industrial Security Academy, Punjagutta Colony, Hyderabad.	AP/29892	1-10-97 to 30-9-2000	1/84/99/AP/EDLI
2.	M/s. Madhava Roller Flour Mills, 5.9.30, Basheer Bagh, Hyderabad-500029.	AP/18807	1-6-94 to 31-5-97 & 1-6-97 to 31-5-2000	1/83/99/EDLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause (a) sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain point of view.

9. Therefore, any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

A. K. JAIN
Regional Provident Fund Commissioner

The 25th August 1999

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/4023.—WHEREAS the the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt. of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Nagarjun Grameen Bank Post Box No. 6, Khammam, Andhra Pradesh-507001.	AP/6057	2/1959/ DLI/Exem/89/Part-II	29-2-96	1-3-96 to 28-2-99 & 1-3-99 to 28-2-2002	2/3025/90/EDLI
2.	M/s. Avoggavaram Eye Hospital, Sompeta, Srikakulam Dist., Andhra Pradesh	AP/4502	10-4-94	30-6-95	1-7-95 to 30-6-98 & 1-7-98 to 30-6-2001	2/3335/90/EDLI

1	2	3	4	5	6	7
3.	M/s. Modern Proteins Ltd., Plot No. 1-12, Industrial Estate, Kurnool-518003 A.P.	AP/6236	29-8-97	30-11-97	1-12-97 to 30-11-2000	2/2408/80/EDLI
4.	M/s Regency Ceramics Ltd., 5-8-356, N.N. House, Chiragali Lane, Hyderabad-500001.	AP/18791	7-4-93	30-11-95	1-12-95 to 30-11-98 & 1-12-98 to 30-11-2001	2/3734/80/EDLI
5.	M/s. H.M.T. Bearings Ltd., Moula Ali, Hyderabad-500040	AP/3639	19-12-91	19-12-91	20-12-91 to 19-12-94 & 20-12-94 to 19-12-97 & 20-12-97 to 19-12-2000	2/1305/90/EDLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporaton of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (s)/legal heir (s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

A. K. JAIN
Regional Provident Fund Commissioner

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 6th September 1999

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 1-CA(5)/50/99.—In pursuance of sub-Section (5) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the Report and the Audited Accounts of the Council for the year ended 31st March, 1999 is hereby published for general information.

ASHOK HALDIA, Secy.

PRESIDENT	VICE PRESIDENT	PERIOD
Shri Rahul Roy, FCA	Shri S.P. Chhajed, FCA	Upto 17th January, 1999
Shri S.P. Chhajed, FCA	Shri G. Sitharaman, FCA	18th January, 1999 onwards

SECRETARY : Shri Ashok Haldia

MEMBERS OF THE COUNCIL

Shri A.C. Shah	Ahmedabad
Shri A.K. Chakrabarti*	New Delhi
Shri Ashok K. Chandak	Nagpur
Shri Amarjit Chopra	New Delhi
Shri Amitav Kothari*	Calcutta
Smt. Bhavna G. Doshi	Mumbai
Shri D.K. Gupta	Ludhiana
Shri G.C. Srivastava* (w.e.f. 8th May, 1998)	New Delhi
Shri G. Muthuramakrishnan* (upto 7th May, 1998)	New Delhi
Shri G. Sitharaman	Chennai
Shri H.G. Agrawal*	Allahabad
Shri H.N. Motiwalla	Mumbai
Shri Jainder Singh* (upto 14th January, 1999)	New Delhi
Shri K.P. Khandelwal	Calcutta
Shri K.S. Vikamsey	Mumbai
Shri M.C. Joseph	Kochi
Shri M.M. Khanna	New Delhi
Shri N.D. Gupta	New Delhi
Shri N.K. Gupta	Kanpur
Shri N. Nityananda	Bangalore
Shri R.Bupathy	Chennai
Shri Rahul Roy	Calcutta
Shri R.S. Adukia	Mumbai
Shri S. Balasubramanian* (w.e.f. 15th January, 1999)	New Delhi
Shri S.C. Bhadra	Bhubaneswar
Shri S.C. Gupta*	New Delhi
Shri S. Gopalakrishnan	Hyderabad
Shri Sunil Goyal	Jaipur
Shri S.L. Daga	Hyderabad
Shri S.P. Chhajed	Mumbai
Shri S.V. Barve	Pune
Shri Vinod Jain	New Delhi

AUDITORS

Shri Pradeep Aggarwal, FCA	New Delhi
Shri R.K. Batra, FCA	New Delhi

*Members nominated by the Central Government.

50TH ANNUAL REPORT

The Council of the Institute of Chartered Accountants of India has great pleasure in presenting its 50th Annual Report for the year ended 31st March, 1999. The Institute, which was set up by an Act of Parliament on 1st July, 1949, entered into 50th year of its existence during the year. The Council would congratulate its members and the students for the respect, which the profession commands today in the Society. This has been made possible by the expertise and the professional discipline and dedication of the members.

The Golden Jubilee Celebrations commenced with a function inaugurated by the Hon'ble Shri Atal Behari Vajpayee, Prime Minister of India on 1st July, 1998. Similar functions were organised all over the country by the Regional Councils and the branches.

This report covers the details on the activities of the Institute during the course of the year, relevant statistics relating to members and students, and also accounts of the Institute for the year 1998-99. However, important activities of the Institute upto the end of 31st July, 1999 have also been briefly mentioned.

1. THE COUNCIL

The Seventeenth Council consisting of 24 elected members and 6 members nominated by the Central Government was constituted on 18th January, 1998 for a period of three years upto 17th January, 2001.

During the year ended 31st March, 1999, the Council held 7 meetings spread over 22 days. The Institute reached an important milestone by holding its 200th meeting on 15th, 16th and 17th May, 1999 at Mumbai. To mark this historic occasion, a special meeting of the past and present Council Members was held on 15th May, 1999 before the commencement of the Council Meeting. Hon'ble Mr. Justice M.B. Shah, Supreme Court of India, was the Chief Guest. The occasion provided a valuable opportunity of having interaction with the past Presidents and Council Members who had led the Institute in yester years. On the occasion, a compilation "Down Memory Lane" was also released by the Chief Guest.

On this historic occasion, Shri T.S. Krishna Murthy, Secretary, Department of Company Affairs, Ministry of Law, Justice & Company Affairs, addressed the Council members on 16th May, 1999.

2. COMMITTEES OF THE COUNCIL

The Council at its 197th meeting held on 16th, 17th and 18th January 1999, constituted three Standing, three Adhoc/Special Purpose and various other Non-Standing Committees to deal with matters concerning the profession. A list of these Committees and their composition are given in **APPENDIX I.** During the year ended 31st March, 1999, 140 meetings were held of the various Committees of the Council as compared to 86 meetings during the year ended 31st March, 1998.

3. AUDITORS

Shri Pradeep Aggarwal, FCA and Shri R.K. Batra, FCA are the Joint Auditors of the Institute for the year 1998-99. The Council wishes to place on record its appreciation of the services rendered by them.

4. STANDING COMMITTEES

4.1 Executive Committee

This Committee looks after the maintenance of various registers pertaining to students/members/firms, admission, removal and restoration of members, consideration of matters relating to members including issue of certificate of practice, all matters relating to students, including according permissions to them, condonation of delay on the part of students/members/firms, matters connected with branches, and those connected with employees of the Institute, maintenance of accounts of the Institute etc.

It made recommendation to the Council on matters regarding (i) permission for sale/transfer of goodwill in the case of proprietary and partnership firms of chartered accountants to eligible member(s), (ii) change in firm name/seniority of firms in such cases including cases covered by reconstitution of firms in general, (iii) issuance of constitution certificate as on 1st April of each year to the firm of chartered accountants, (iv) framing of guidelines on revival of firm name after the period during which names stood removed, (v) setting up of 5 new branches within the country and one chapter outside the country, (vi) framing of a comprehensive library policy including computerisation of library records, (vii) revision of pay scale of employees, exploring the feasibility of introducing welfare schemes for employees of the Institute, (viii) face lift of the premises/buildings of the Institute, (ix) strengthening office infrastructure, (x) computerisation of the records/activities, (xi) use of information technology in a phased manner, (xii) organising human resource development (HRD) programmes and its follow up etc.

4.2 Examination Committee

4.2.1 This Committee has endeavoured to make use of rapid advancements in the field of Information Technology. Steps have been undertaken to reduce the time involved between acceptance of examination application forms, declaration of results, to the extent possible, by suitably modifying the various processes in tune with the current systems development. These would not only bring in a great deal of relief to the students but also reduce the man power presently employed. Arising out of better/effective utilisation of Information Technology, results and mark sheets of the Examinations were displayed on the Website of the Institute thereby declaring the results all over the country almost simultaneously. The results were also communicated through Interactive Voice Response System. Efforts are on to process to review and recast the existing system and use of computers in different stages of processing.

4.2.2 The Chartered Accountants Final and Intermediate Examinations were held in May, 1998 in 57 centres and in November, 1998 in 65 centres. The Foundation Examination was held in May, 1998 in 56 centres and in November, 1998 in 64 centres.

4.2.3 The total number of candidates who appeared in the Final, Intermediate and Foundation Examinations held in May, 1998 were 22082, 39459 & 20214 and in November, 1998 were 21532, 46606 & 15918 respectively. A summary of results of these examinations indicating the number of candidates appeared in the said examinations and the number of candidates declared successful is given in **APPENDIX II**.

4.2.4 The names of the candidates who were awarded prizes and certificates of merit in the examinations held in May/November, 1998 are given in **APPENDIX III.**

4.3 Disciplinary Committee

This Committee assists the Council in the maintenance of the status and standards of professional qualification awarded by the Institute. In discharging its avowed responsibility, this Committee met on 33 different occasions, and had hearings spanning 62 days covering the length and breadth of the country. While the Council has referred 60 cases to this Committee for enquiry, the Committee concluded its hearing in 77 cases including those referred in the previous years. The Committee proposes to complete all the pending cases as expeditiously as possible.

To simplify the procedure adopted in disciplinary proceedings, changes in the existing provisions of the Chartered Accountants Act and the Regulations framed thereunder have already been suggested to the Government for its approval.

The statistics of cases placed before the Council and the Disciplinary Committee during the period from 1st April, 1998 to 31st March, 1999 are given in **APPENDIX IV.**

5A. RESEARCH AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

keeping in view the objective of achieving and sustaining excellence, the Council continued to lay greater emphasis on research, professional development, continuing professional education of members and education and training of students, through its various non-standing Committees.

The Research Committee set up by the Council continued its endeavour in the fields of accounting, auditing and allied areas.

While a number of research activities have been undertaken/identified, a number of publications on accounting standards, auditing standards, expert opinions, background material for use in seminars, conferences and training programmes have also been brought out through the various Committees. These activities, inter alia, include the following :-

5.1 Accounting Standards

Recognising the need for a constant qualitative improvement in accounting and disclosures by enterprises in India, especially in the context of globalisation of business, the Institute has been according the highest priority to formulation of accounting standards. The efforts of the Accounting Standards Board, which has been entrusted with the task of formulation of accounting standards, have received statutory recognition with the promulgation of the Companies (Amendment) Ordinance, 1998 (the ordinance has since been superseded by the Companies (Amendment) Act, 1999). The Companies Act now requires companies to prepare their financial statements in accordance with the accounting standards prepared by the Institute and prescribed by the Central Government based on the recommendations of a special committee, viz. the National Advisory Committee on Accounting Standards. Pending the constitution of the aforesaid Committee, the responsibility of specifying the standards to be followed by the corporate world in preparing financial statements has been entrusted to the Institute. Accordingly, the Institute has specified all standards (i.e. AS 1 and AS 4 - AS 15) mandatory for this purpose. The above legislative changes are clearly a manifestation of the society's recognition of the crucial role

the Institute has played in propagating the accounting standards for adopting them in the preparation of financial statements.

AS 2, Valuation of Inventories, which was issued in June 1981, reduced, to some extent, the diversity in inventory valuation practices in vogue in the country. With a view to bringing about further uniformity, the Board has issued a revised Standard on the subject, reducing the alternative choices. It has also issued the exposure draft of a proposed accounting standard on `Borrowing Costs'.

The Board has also drawn up a plan to formulate accounting standards on several accounting issues covered by the International Accounting Standards that are increasingly assuming greater significance in the Indian context. To this end, different study groups have been constituted by the Board to prepare the preliminary drafts of proposed accounting standards. The details regarding the subjects assigned to the study groups and other projects under progress are given in para 1 of **APPENDIX V**.

5.2 Auditing Standards

The Auditing Practices Committee (APC) was constituted in 1982 to review the existing auditing practices in India and to develop Statements on Standard Auditing Practices (SAPs) for issuance by the Council of the Institute. In the process of developing the SAPs, the Committee tries to integrate the international auditing practices, viz., the International Standards on Auditing (ISAs), issued by the International Federation of Accountants (IFAC), to the extent possible, in the light of conditions and practices prevailing in India. Besides, the APC also undertakes issuance of Guidance Notes on matters relating to auditing.

During the year under report, the Committee had issued SAP 16, on "Going Concern" and SAP 17, i.e., "Quality Control of Auditing Work" in July, 1999.

Keeping in view the year 2000 issue and its far-reaching implications on the position of the auditors, "Guidance Note on Auditor's Duties in relation to the Year 2000 (Y2K) Issue" has been issued for the guidance of the members.

Realising the underlying implications of the Auditor's Report, referred to in SEBI's Buy Back Regulations, 1998 on the members of the Institute, it will be issuing a Guidance Note on Auditor's Report under SEBI (Buy Back of Securities) Regulations, 1998 after discussing with SEBI.

It also proposes to issue SAPs on such topics on which the IFAC has issued ISAs but on which no pronouncement has as yet been issued by the Institute. By the end of year 1999, it aims to substantially bridge the gap between the SAPs and the ISAs. For this purpose, study groups had been formed for preparing drafts of the proposed SAPs. It has already finalised Exposure Drafts of proposed SAPs on `Knowledge of Business', `Audit of Accounting Estimates' and `Subsequent Events', which are being issued for public comments.

The Guidance Note on "The Right of Outsiders to Access the Working Papers of Auditors"; Clarification on Duties of Auditors Where Inventories are stated to be "(As valued and certified by the Management)" in the Financial Statements; and Guidance Note on Members' Duties Regarding Engagements Involving Compilation of Financial Statements, are in the process of being developed.

During the year, the Committee also responded to the issues referred to it by various outside bodies such as RBI, SEBI, BIFR etc.

The Committee is discussing with the RBI for finalising the draft of the financial statements of NBFCs.

5.3 Research

In addition to the research work carried out by the other Committees, this Committee has been bringing out various publications in the form of research studies, technical guides to accounting & auditing in specific industries, guidelines on internal audit in respect of specific industries, monographs etc. to provide guidance to our members in the performance of their duties in those areas.

The Committee has released "Computer based Budgeting in SYBASE - A Case Study of a Heavy Engineering Organisation" and a study on "Detection of Frauds - Some Case Studies". Fifth edition of the Compendium of Guidance Notes - Volume I has also been published.

Other Publications such as Study on (i) Corporate Restructuring, (ii) Audit and Certification of Information and Incomplete Records, (iii) Brand Valuation, (iv) Accounting and Auditing in Non-Government Organisations/Private Development Agencies, revised editions of the Guidance Note on Accounting for Excise Duty and the Guidance Note on Accounting Treatment for MODVAT will be released shortly.

Several research projects on accounting, auditing, financial services and allied areas are at various stages of completion. The Committee has also identified several new subjects for research projects.

The Shield Panel - a sub-committee of the Research Committee - has received entries for annual competition for award of Best Presented Accounts for the year 1997-98 for various categories i.e. companies/corporations, banks/financial Institutions etc., and has finalised the awards.

The detailed status of various research projects is given in **APPENDIX V**.

5.4 Corporate Laws

During the year 1998-1999, this Committee played a significant and pro-active role by responding to the various Corporate Legislative Bills/Ordinance introduced by the Government. Memorandum of Suggestions was submitted to bring about certain amendments to the Companies Act, 1956 pending passage of the Companies Bill, 1997 and another Memorandum of suggestions consequent to introduction of the Companies (Amendment) Ordinance, 1998 was also submitted. It is happy to report that most of the suggestions were taken into consideration and incorporated in the Companies (Amendment) Ordinance, 1999.

Consequent to introduction of Foreign Exchange Management Bill, 1998 Prevention of Money-Laundering Bill, 1998, it submitted Memorandum of Suggestions to the Parliamentary Standing Committee on Finance.

Further, with the Department of Company Affairs, it organised a five-day training programme for Central Company Law Service Officer at Bangalore. The conduct of training programme was very much appreciated and acclaimed by Shri T.S. Krishnamurthy, Secretary, Department of Company Affairs, who was present as the Chief Guest for the valedictory function.

It took initiative to release a Draft Note On Accounting Treatment for Buy-Back of Shares and the research project to review the Annual reports of Public Sector Undertakings was given top priority. It received interim report and expects to receive the final research report very shortly.

It submitted a note to the Department of Company Affairs about the practical difficulties involved in submitting declaration of future solvency. It has also been proposed to submit a memorandum of Suggestions on Short Second Companies Bill 1999 to the Department of Company Affairs. Arrangements are finalised for holding Residential Course on Fiscal and Corporate Laws to be held at Mamallapuram near Chennai between October 7th to 10th October, 1999. At present the study of the functioning of some of the offices of Registrar of Companies is being carried and the report thereon is expected shortly.

5.5 Fiscal Laws

As in the past, the Institute forwarded a Pre-Budget Memorandum containing its suggestions/view points, many of which had been accepted by the Central Government and also the Post-Budget Memorandum on the Finance Bill, 1999. A high level Workshop was conducted to consider the Union Budget, 1999 including proposals relating to direct and indirect taxes. The Workshop was a success. The Departmental authorities appreciated the expertise of the members in the fields of direct and indirect taxes. The Finance (No.2) Act, 1998 has brought 12 more services under the Service tax net including services rendered by practising Chartered Accountants. In respect of this, the Institute has constant interaction with the Indirect Taxes authorities since the date of proposal. To give guidance to the members for proper compliance of the provisions regarding service tax, a publication entitled "Service Tax on services provided by Chartered Accountants – A Study" has been brought out. The guidance note on the revised tax audit forms viz. Forms 3CA, 3CB and 3CD is under preparation.

5.6 Financial Markets

The Committee has taken several initiatives and steps to broaden the scope and functions and accordingly its name was changed to "Committee on Financial Markets and Investors' Protection". To have closer interaction with institutions related to Financial markets, nominees from SEBI, Delhi Stock Exchange and National Stock Exchange were inducted into this Committee. It continued to maintain close interaction with SEBI. It submitted its suggestions on Take-Over Code, 1997. A seminar on Capital Market in New Millennium was conducted at Lucknow and Derivatives (Index Futures) Training Programme was conducted at Mumbai on 13th & 14th February, 1999. This programme was appreciated by all including National Stock Exchange. Similar programme will be conducted in other metro regions also.

5.7 Expert Opinions

The Expert Advisory Committee has issued opinions on a number of queries received from members. It has published Volume XVII of the `Compendium of Opinions' containing

opinions issued between January, 1997 and January, 1998. The opinions issued by the Committee during the year are being compiled for publication in Volume XVIII.

5.8 Continuing Professional Education

Recognising the fact that members should acquire higher knowledge and skills to effectively discharge their professional responsibilities, this Committee continued its efforts to enlarge the knowledge of the members on current and important topics.

Programmes were conducted on various topics such as Taxation of Deemed Sale Transaction; Central Sales Tax; Direct Taxation (with special reference to Corporate Restructuring and Real Estate Development Transactions); Project Finance; Credit Rating, Central Excise; Value Added Tax; Project Evaluation; EDP Audit - Pitfalls & Safeguards; System Audit (Study material for training courses by Computer Centre); Communication Skills – I; Bank Audit CD- ROM; Y2K Compliance; Bank Audit; and Two teleconferences on `Y2K and Bank Audit' and `Y2K Compliance' were also held.

Several programmes were conducted for the benefit of the members, some of them jointly with other associations. Particulars of such programmes and the topics covered are furnished in Para 8 of **APPENDIX V.**

The Committee continued to hold its Post Qualification Examinations for the benefit of the members and appropriate measures are being taken to popularise these courses. Computer centres of the Institute were operating at various parts of the country to provide Computer education to members and students, the details of which are given in para 8 of **APPENDIX V.** The background materials published in the year are also given at para 8 of **APPENDIX V.**

5.9 Professional Development

This Committee continued its efforts towards increasing the professional opportunities available to the members by identifying new areas where the expertise of the members could be utilised in a productive and fruitful manner. As a part of this process, it continued to interact with regulatory authorities, users of services of the profession, etc.

The initiatives taken by it had resulted in the introduction of compulsory audit for the purpose of sales tax in Tamilnadu. The Assam Government has also proposed introduction of sales-tax audit. A recent amendment of the Karnataka Co-operative Societies Act has enabled chartered accountants to carry out audit of co-operative societies in the state.

It has identified a large number of areas in the sphere of functioning of various ministries and departments both at centre and state levels where our expertise could be gainfully harnessed. These areas have been outlined in a communique addressed to the State Governments and to certain specific Ministries at the Centre. The response is positive and quite encouraging.

The members of our profession have been rendering a wide range of services to the banking sector. To improve the effectiveness of these services and to provide an exchange of views on matters of mutual interest, a Standing Committee comprising the representatives and the Indian Banks' Association has been formed. The panel prepared by the Institute every year will be used for appointment of branch auditors of public sector banks and concurrent auditors as well.

State-wise task forces were constituted for taking up matters of professional development with the respective State Governments besides exploring new avenues of professional development.

A study group was constituted jointly with the Financial Institutions Reform and Expansion Project (a Joint Indo-US Programme funded by the US Agency for International Development), to consider ways and means of improving the accounting systems of local bodies. The study group has prepared a draft of financial statements of local bodies, which would provide meaningful information to the readers of these financial statements. The draft is under discussion with various interest groups and would be finalised on the basis of feedback received from them.

A group comprising the representatives of the Institute and those of the Office of the Comptroller and Auditor General of India and the Department of Company Affairs has been constituted to carry out an in-depth examination of the matter relating to adequacy of remuneration to auditors.

It has undertaken the task of preparing a panel of chartered accountants for Y2K Compliance Certification. The panel would be provided to various authorities/organisations, which have shown interest in utilising the services of our members for such certification.

It has also prepared a panel for appointment of statutory branch auditors of public sector banks and statutory central and branch auditors of regional rural banks. It continued its efforts for a more widespread and equitable distribution of branch audit work and for greater transparency in empanelment and allotment of such work. The Committee has decided to prepare a comprehensive panel which will be used for empanelment of chartered accountants not only for the aforesaid purpose but also for other professional assignments.

5.10 Campus Interviews

Campus Interviews introduced in September, 1995 continued to receive an overwhelming response from both the employing organisations (public and private sectors including multinationals) and the young members. During the year under Report, 84 teams of employers had looked into the bio-data of about 4700 young Chartered Accountants. Encouraged by the response to the scheme, the Institute, through its Committee for Members in Industry, organised Workshops and Orientation Programmes at various interview centres to train young members to attend the Interview Boards with greater confidence. The statistical information regarding Campus Interviews is given in para 9 of **APPENDIX V.**

5.11 Tele Conferencing

The Continuing Professional Education Committee has also organised two programmes by way of Tele Conferencing on the subjects of 'Y2K and Bank Audit', 'Y2K Compliance'. The Regional Councils and their branches are being provided with requisite infrastructure facilitating Tele Conferencing on a regular basis.

5.12 The details of important activities undertaken by various Non-Standing Committees are given in **APPENDIX V.**

5B. ACCOUNTING RESEARCH FOUNDATION

Accounting Research Foundation promoted by the Institute has come into existence on 14th January 1999 with the following objectives:

(I) To Create and maintain a Data base, in respect of areas of professional interests, not only pertaining to our country but also in other countries.

(II) To carry on research in the core areas of accounting, auditing, finance, fiscal and corporate laws, capital markets and allied areas.

(III) To support technical activities by carrying field studies and research similar to those being carried out by Financial Accounting Standards Board (FASB) in the United States of America and the Accounting Standards Board (ASB) in UK.

ICAI ARF will function as an independent body. It shall have budgetary support from the Institute. Land measuring 8,000 Sq. Mts. was acquired in Sector 62 Noida for constructing a building. It is in the process of setting up its organisation structure.

ICAI ARF has instituted the following awards to encourage researches in the field of Accounting, Auditing, Finance, Economics and allied areas :

Gold Medal for the best research paper	A cash award of Rs. 25,000 with a gold medal and a certificate from ICAI ARF.
Silver Medal for the second best research paper	A cash award of Rs. 20,000 with a silver medal and a certificate from ICAI ARF.
Bronze Medals for commendable efforts (3 prizes)	A cash award of Rs. 5,000 with a bronze medal and a certificate from ICAI ARF.

6. INTERNATIONAL INITIATIVES

The Institute has continued to play a proactive role in its association with various International Bodies of Professional Accountants. It has entered into Memoranda of Understanding with Accounting/Auditing bodies in Ukraine, Russia, and Kyrgyzstan for developing the profession in these countries and with Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti and Consiglio Nazionale Dei Ragionneri e Periti Commercial, Italy for technical collaboration and Mutual Reciprocity Agreement with special emphasis to our entry of ICAI into the European Union through recognition of ICAI's qualification. The Italian Institute has promised to support this effort. Initiatives were also taken for exploring the possibilities of collaboration with the Chinese Institute of Certified Public Accountants (CICPA), China and the Malaysian Institute of Accountants (MIA) Malaysia. A brief report on the role of the Institute and its relations with such bodies is given in para 10 of **APPENDIX V.**

7. VISION AND RESTRUCTURING

This Committee constituted by the Council in the year 1998-99 continued with its tasks of carrying out a review of the entire gamut of the profession and its positioning in the next millenium. During the year, the Committee had five meetings and formulated three structured questionnaires for (I) Members in service, (II) Members in Practice and (III)

Students to elicit their views. They were published in September, 1998 issue of the Institute's Journal and Students Newsletter as also in March 1999 issue. Analysis of feed back received is underway. The Committee has also prepared a draft Mission Statement and Vision Statement. The brief report of the Committee is appearing in para 14 of **APPENDIX V.**

8. GOLDEN JUBILEE CELEBRATIONS

This Committee decided to celebrate the historic occasion of the Institute entering its 50th year of existence on 1st July, 1998 and completing it on 30th June, 1999 in a befitting manner for a period of two years commencing from 1st July, 1998 and ending on 30th June, 2000.

The Golden Jubilee celebrations were inaugurated at Siri Fort Auditorium in New Delhi on 1st July, 1998 by the Hon'ble Shri Atal Behari Vajpayee, Prime Minister of India. The Finance Minister of India gave the keynote address on 'Positioning India as a Global Economic Power' which followed the inaugural function. The Minister for Environment and Forests and a large number of distinguished guests were also present.

As a part thereof, a Golden Jubilee Conference was also held from 4th to 6th December, 1998 in Science City, Calcutta. It was inaugurated by Hon'ble Dr. A.R. Kidwai, Governor of West Bengal. It was attended by about 1300 delegates from India and abroad.

The historic event of completion of 50th year of the Institute was inaugurated by the Hon'ble Shri Atal Behari Vajpayee, Prime Minister of India on 1st July, 1999. Hon'ble Shri Ram Jethmalani, Minister of Law, Justice and Company Affairs, and Hon'ble Shri Suresh P. Prabhu, Minister of Environment & Forests also participated in the Function. It was followed by Golden Jubilee Lectures on "Role of Accounting Profession in Economic Development" delivered by Shri N.K.P. Salve, Member, Rajya Sabha and Dr. A. Bagchi, Member, Finance Commission and by panel discussion by eminent panelists Shri P.P. Prabhu, Commerce Secretary; Shri T.S. Krishnamurthy, Secretary, Department of Company Affairs; Shri D.R. Mehta, Chairman, SEBI; Shri R. Srinivasan, Economic Advisor, Planning Commission; Dr. Bhaskar Banerjee, Sr. MD, Duncans Industries Ltd. and Shri Y.H. Malegam, Past President, ICAI on "Contributions of the Accountancy Profession : Expectations of the 21st Century".

9. OTHER ACTIVITIES

9.1 Administration and Human Resource Development

The Institute is seized of the need to re-orient administrative set up to cope up with increasing number of the members and students to provide them requisite quality of service. Number of initiatives for streamlining the systems and procedures, toning up the administrative machinery, use of the information technology, and also making available infrastructure conducive to the efficiency improvement, have been taken. Apart from the orientation programmes for the newly recruited officers, series of programmes aiming at executive development, attitudinal changes and helping them in improving their performance including on information technology were organised in the Headquarters as well as its decentralised offices.

9.2 Use of Information Technology in Member's and Student's Services

As part of its commitment to use hi-tech information technology, the Institute has inducted fourth generation client server computers numbering about 100, to cater to the ever-growing demands of Member's and Student's services.

A custom built software was developed with the assistance of Tata Consultancy Services (TCS). Separate modules for Members, Firms, BOS, Students, Accounts and H.O. Consolidation have been developed. These systems also have integrated office automation systems for generation of various communications to members and students, and reports for analysis. Initial software bugs are continuously being rectified/updated and systems performance is continuously monitored.

As reported earlier, the new system has already been made functional at all the locations of the Institute Offices. The regional databases have also been consolidated at the Head Office and system has been on-line since September 1998. Considering the effect of millennium change on Computer Systems, hardware, software and Data Files effective steps have been taken for Y2K compliance.

In line with increased Internet usage, all our decentralised offices were provided with Internet connections. Selected officials at Head Office were provided e-mail and internet training and this has helped members and students to communicate with the Institute over e-mail in addition, to inter-office communications for resolving member, student related matters. One of the most noticeable achievement in this regard is the extensive clearance of pendency and expeditious disposal of matters. Additionally, Internet has also been put to use for declaration of results of the Foundation, Inter and Final Examinations on our official web site. The Institute is also using 64 KBPS ISDN telephone facility. Work is in progress for making available Sunday Test and Postal Test results over the Internet and also on IVR (Interactive Voice Response) Telephone systems. Use of Information technology in different parts of the Institute's functioning is being explored further for improvement in quality of services to members and students.

The Institute's web site www.icai.org was developed initially for publication of the Results of the Institute. However over a period of time the web site has grown with a large amount of information for Members and Students Services. This site provides a comprehensive collection of Information from Act, Regulation and procedures connected with Firms, Members and Students. The site is currently being improved and restructured for easy access to members and students using dynamic web pages.

9.3 Unjustified Removal of Auditors

As in the past, the Committee has examined and disposed of various important ethical issues, queries relating to ethical standards and professional conduct of the members and the allegations of unjustified removal of auditors. The decisions taken by the Council on the recommendations of the Committee on (1) Issuance of notification for Y2K compliance certification, (2) notification to be issued for not accepting the audit where the undisputed audit fee of the pervious auditors has not been paid, (3) not considering the practice of Members in practice who are in full-time employment, as their main occupation and (4) notification to be issued for not accepting the audit by the incoming auditor in case of unjustified removal of the earlier auditor are contained in para 10 of **APPENDIX V.**

Whenever there are allegations of unjustified removal of auditors on account of submission of qualified audit report and, consequently, the auditors' independence has been jeopardised, the matters have been taken up with the concerned appointing authorities and the entities. The Institute's viewpoints have been favourably accepted by the said authorities. To supplement this concern, the President has advised the Members in his page of March 1999 issue of the Journal, not to accept the audit when their predecessor has been removed for qualifying the Audit Report.

9.4 Education and Training – CRET's Recommendations

The Committee for Review of Education and Training (CRET) submitted its final Report to the Council at its meeting held in January, 1998. Subsequently, the Council considered the Report at its 193rd, 194th & 195th meetings held in July, August & October, 1998 respectively. Some of the major recommendations of the Committee accepted by the Council includes – (i) Minimum qualification for entry requirements should continue to be a pass in 10+2 examinations or its equivalent; (ii) Professional Education (PE) Course of about two years' duration should be introduced, prior to commencement of Practical Training in two parts- Professional Education I (PE-I) and Professional Education II (PE-II); (iii) Compulsory practical training in computers for a period equivalent to three months of about 200-300 hours prior to commencement of articles; and (iv)Period of practical training should continue to be of three years. For further details kindly see para 17 of **APPENDIX V**.

9.5 All India Conference of Chartered Accountants

To provide the platform for intellectual sharing of professional excellence, achievements in all endeavours from across the diversified membership of the profession among all the segments, the All India Conference of Chartered Accountants is held every 3 years.

The theme of the Conference is **"ECONOMIC GLOBALISATION – IMPERATIVES & EXPECTATIONS".**

The Conference will be held in New Delhi in the month of December, 1999 and is expected to be attended by a large number of members of the profession besides delegates from professional bodies in India and abroad. The composition of the All India Committee constituted for organising the Conference is given in **APPENDIX I**.

10. OTHER MATTERS

10.1 Annual Function of The Institute

The 49th Annual Function of the Institute was held on 16th January, 1999 at New Delhi. Hon'ble Shri V.K. Shunglu, Comptroller & Auditor General of India was the Chief Guest. Shields and plaques to the winners of the Institute's prestigious awards for the best presented accounts and prizes and medals to the meritorious students in the examinations conducted by the Institute, shields and certificates of appreciation to the outstanding Regional Council and Branch of the Institute, were awarded. The function was attended by a large number of invitees including members, students, officers and staff of the Institute.

10.2 Amendments in The Chartered Accountants Act, 1949 and The Chartered Accountants Regulations, 1988

A. Amendments in the Chartered Accountants Act, 1949

As mentioned in the last Report, the Council of the Institute has submitted comprehensive proposals for amendments to the Chartered Accountants Act, 1949, taking into account the changing needs and present policy of liberalisation of the Central Government. Recently a proposal for amendments to the Act and Regulations has also been submitted to the Govt. for granting immunity to the Members of the Council and Officers of the Institute for any act done in good faith or intended to be done in pursuance of the Act or Regulations or Orders made thereunder. The amendments are under consideration of the Central Government.

B. Amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988

The Institute had also proposed several amendments to the Regulations, concerning members, articled/audit clerks etc. They are also under the consideration of the Central Government.

An Inter-Institute Task Force was formed to recommend 'similar/common provisions', to the extent feasible, in the Acts and Regulations of the three Institutes, namely ICAI, ICWAI and ICSI on provisions of the Regulations concerning disciplinary proceedings, for ensuring expeditious disposal of the cases. The Institute has submitted its proposals to the Central Government for amendment of certain provisions (related to disciplinary matters of the Chartered Accountants Regulations, 1988) based on the proposals earlier submitted for amending the disciplinary related provisions in the Chartered Accountants Act, 1949.

10.3 Central Council Library

The central council library provides books, journals, newspapers and reference facilities and articles compiled from various professional journals and newspapers, a list of which is published every month in the Institute's journal and also on the Web Site of the Institute. Reference service is also provided to the researchers and foundation course students. Noida office of the Institute has also been provided with library facilities. Steps towards Computerisation are under way.

The library facilities are also provided at the regional centres and branches throughout the country. Grants are given to associations and study circles recognised by the Institute for development of the libraries. The Council has taken a decision to provide special grants for strengthening library facilities available at all Regional Councils and Branches.

10.4 Journal

The Institute's monthly Journal 'The Chartered Accountant', is the most visible and recurrent indicator of the Institute's profile for the members, students, as well as external readers. The Journal continued to maintain high professional standards and was well received throughout the period under Report, with its monthly circulation figure crossing 1,32,000. A number of steps such as layout and design, introduction of main features, etc. initiated during the last few years, brought about remarkable improvements on all fronts.

During the year, the Golden Jubilee commemorative special issue was also published in July, 1998, which carried messages of the Past Presidents and the details of the Golden Jubilee celebrations and the Golden Jubilee function. The journal has also served the purpose of providing Continuing Professional Education to members. In this context, articles from all SAFA bodies, IFAC, Italy, Russia, Ukraine, UNCTAD etc. have been received and published. Further efforts are being made to make it more member-friendly.

The Editorial Board continues to strive to improve the overall quality of the Journal to make it more relevant and useful keeping in view the wide spectrum of members across the entire length and breadth of the country.

11. MEMBERS

11.1 Membership

During the year ended 31st March, 1999, 7154 new members were enrolled by the Institute.

During the year ended 31st March, 1999, 2358 Associates were admitted as Fellows, compared to the figure of 2375 in the previous year.

Statistics of Members As On 1.4.1999

Category of Members	Associates (1)	Fellows (2)	Total of Columns (1) & (2)
1. In full-time practice	18813	34528	53341
2. In part-time practice	7344	2894	10238
3. Not in practice	22123	3889	26012
Total	**48280**	**41311**	**89591***

11.2 Deceased Members

The Council records with deep regret the sad demise of Shri M.C. Bhandari, Past President of the Institute and other deceased members. The names of the members whose names stand deleted from the Register of Members on account of death during the year ended 31st March, 1999 are given in **APPENDIX VI**.

11.3 Chartered Accountants Benevolent Fund

Established in December, 1962, the Chartered Accountants Benevolent Fund continues to provide financial assistance to needy persons who are or have been members of the Institute and their dependents, for maintenance of the dependents, their educational and medical needs etc. The number of life members of the Fund increased from 16,145 as on 31st July, 1998 to 23,145 as on 31st May, 1999. The financial particulars of the Fund are as follows:

* The above is subject to change.

	During the year ended 31st March, 1998	During the year ended 31st March, 1999
Sum disbursed	7,84,233/-	15,90,349/-
Balance in the Fund	1,27,72,305/-	1,50,23,483/-

12. STUDENTS

12.1 Students' Statistics

12.1.1 The Board of Studies has continued the process of supplying comprehensive study materials to the students of Foundation and the Chartered Accountancy (Intermediate and Final) course. The process of reviewing and improving them by regular updating and the system of the review by outside experts have been further strengthened. As usual, volumes of Suggested Answers for the questions set in the May/November Examinations were also published by the Board.

12.1.2 The Foundation Course study material has been brought out in a book form. Similar steps have been taken in respect of the study material of the Intermediate and Final courses.

12.1.3 The Hindi Study Material for Intermediate Course was released by the Prime Minister of India on the occasion of the inauguration of Golden Jubilee Celebrations on 1st July, 1998.

12.1.4 The total number of students registered for Foundation Course during the year ended 31st March, 1999 was 43,809. The region-wise break up is given in **APPENDIX VII**.

12.1.5 The total number of students enrolled for the Intermediate Course and Final Course during the years ended 31st March, 1999 and 31st March 1998 are as under:

COURSE	1998-99	1997-98
Intermediate	28,253	24,652
Final	12,227	9,394

12.1.6 The total number of students on the rolls of the Board of Studies as on 31st March, 1999 (excluding those students who are registered for the Foundation Course) was 1,92,147 as against 1,70,596 as on 31st March, 1998. The details are given in **APPENDIX VIII**.

12.1.7 During the year ended 31st March, 1999, accreditation was granted to 28 institutions (including 2 Branches) for organising classes for Foundation Course students and 7 institutions (including 1 Branch) for Intermediate Course. Subsequently, based on the recommendations of the Regional Monitoring Committees, accreditation has been granted to 6 more Institutes for Foundation Course and 3 more institutions for Intermediate Course.

12.1.8 As on 31st March, 1999 the total number of accredited institutions for Foundation Course and for the Intermediate course was 236 and 54 respectively.

12.1.9 135 accredited institutions organised classes for students for May, 1998 Foundation Examination while 49 institutions for November, 1998. 17 Accredited Institutions organised classes for the Intermediate students both for May and November, 1998 Examinations. 94 Institutions organised classes for May, 1999 Foundation Examinations, while 15 Institutions organised for May, 1999 Intermediate Examinations. The performance of the accredited institutions is monitored through the Regional Monitoring Committees on a continuous basis and accreditation was withdrawn in 9 cases.

12.1.10 Meetings of the Part-time Examiners of the Board and Faculty members of Accredited Institutions were organised at different regions in order to facilitate increased interaction and feed back.

12.1.11 The schemes of one day seminars for students, Elocution Contests and special classes in indirect taxes for Final Students were continued. Seven Branches organised one-day seminars. The Fourth All India Elocution Contest for CA students took place at Bhubaneswar on 9th January '99. 20 winners from Regional level contests participated and prizes were awarded to best 5 speakers. Earlier 13 Branches organised the contest at Branch level and 5 Regional Councils organised at the Regional level. The Board has decided to continue the operation of the One Day Seminar and Elocution contest schemes during 1999-2000 also. In addition, the Board has also decided to encourage Regions and Branches to organise short term Modular Training Programmes in subjects like Drafting of Deeds and Documents, Direct and Indirect Taxes, Information Technology, General Knowledge and Economics, Corporate Laws and Capital Market. The Programmes are aimed at increasing the students' exposure to and awareness of the chosen subjects with special emphasis on practical aspects. It is proposed to bring out uniform background material for this purpose for distribution to participants.

12.1.12 The following Regional Conferences of CA Students took place during the year.

(i) Karnataka State Chartered Accountants Students Conference, Bangalore 29.8.98 & 30.8.98.

(ii) 16th SICASA Regional Conference, Cochin – 4.12.98 & 5.12.98.

(iii) WICASA Regional Conference, Nagpur – 12.12.98 & 13.12.98.

(iv) CICASA Regional Conference, Raipur – 8.1.99 & 9.1.99.

(v) SICASA Annual Conference Chennai on 13.2.99 & 14.2.99.

12.1.13 The 11th All India CA Students Conference with the theme "Professional Accountant - The New Challenges" was organised on 1st and 2nd August, 1998 at Indore in which a record number of nearly 950 students from different parts of the country participated. The conference was inaugurated by Dr Bharat Chapparwal, Vice Chancellor of Devi Ahilya Vishwa Vidyalaya, Indore and was addressed by the President as well as the Vice-President. 15 Papers on 12 technical topics contributed by students were discussed in the four technical sessions The students participated in the discussions exhibiting their high level of knowledge and

skills. The All India Golden Jubilee C.A. Students' Conference with the theme "Accountants in Globalisation Era" took place at Vadodara on 7th and 8th August, 1999.

12.1.14 During the year three Teleconferencing Programmes for the students were organised in collaboration with the Indira Gandhi National Open University (IGNOU) and the Indian Space Research Organisation, at the Electronic Media Production Centre, IGNOU. The programmes covered the subjects of Accounting standards, Taxation of Capital Gains and Statements on Auditing Practices. Hundreds of students watched the programme from different Regional Centres/Study Centres of IGNOU and interacted with the Resource Persons through STD calls and fax. The fourth teleconferencing programme on Company Law was organised in May, 1999.

12.1.15 During the year ended 31st March, 1999 scholarships were granted to 330 students from out of the funds of the Institute- Merit-cum- Need based scholarships 20, Merit Scholarships 24, Need-based scholarships 229, Partial Freeships 57. Similarly scholarships were awarded to 33 students, out of the income from various endowments created for the purpose.

12.1.16 The Board decided to increase the corpus of existing endowment funds to atleast Rs. 25000 so as to facilitate award of a minimum scholarship of Rs. 250 p.m. Additional contributions were received from donors of certain existing funds so as to raise the corpus amount in appropriate cases.

12.1.17 Two new endowments were created for the award of scholarships to needy and meritorious students pursuing CA Course:-

- Ram Kumar Endowment Fund (Rs. 30,000)
- Gurbak Singh Jasminder Singh Bagga Memorial scholarship Fund (Rs. 25,000).

12.1.18 During the year five new audio cassettes were released. These include 3 cassettes containing talks delivered by past Presidents, in commemoration of Golden Jubilee. One more cassette containing a talk delivered by a Past President was released in July, 1999.

12.1.19 A new scheme for old students was introduced to enable those who have completed their articles but not passed Intermediate/Final exam, to continue to be on the rolls of the Board by paying a nominal annual fee of Rs.200 and receive useful publications of the Board from time to time.

12.2 Students' Newsletter

The Monthly Newsletter - The Chartered Accountant Student - has continued to be popular and helpful to the students. The number of pages of the Newsletter has been increased to 20. It continued to carry several useful articles on professional topics, academic guidance, supplementing study materials and tips for preparing effectively for examinations and for developing communication and other personal skills. It has been decided to give two Cash Prizes to the two best articles published in each volume of the Newsletter. The following two best articles published in the first volume were awarded the prizes:

1. True Professional-Shri P.N. Shah, June, 1997 (First Prize)
2. An Introduction to Derivatives-Ms Ivy Priya Ghose - Jan.1998. (Second Prize).

12.3 Branches of Chartered Accountants Students' Associations

With a view to actively involving students of the Chartered Accountancy Course in the development of a spirit of fellow-feeling and promotion of social, cultural, academic and intellectual development etc., the Council of the Institute has always been encouraging students to set up Branches of Chartered Accountants Students' Association. In this process, 38 Branches of Students' Associations have already been set up. During the period under Report, the Council has set up one more branch at Alleppey in Southern Region.

12.4 S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

During the year ended 31st March, 1998, 50 scholarships of the value of Rs. 150 each per month were given to the students undergoing the Chartered Accountancy course. The membership of the Fund was 278 as on 31st May, 1999. The balance in the credit of the Fund was Rs. 3,27,010.05 as on 31st March, 1999 as against Rs. 2,72,695/- as on 31st March, 1998.

12.5 Recognition of CA Course

With constant follow-up with various Universities, the University and Higher Secondary Boards Liaison Committee has been successful in obtaining recognition for C.A. Course from 59 Universities in all, besides the three Indian Institutes of Management and the Association of Indian Universities for the purpose of Ph.D./Fellow Programme. A list of Association/Institutes/Universities, which have so far recognised the C.A. Course, is given in Para 11.5 of **APPENDIX V.**

13. REGIONAL COUNCILS AND THEIR BRANCHES

13.1 The Institute has five Regional Councils, namely Western India Regional Council, Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council with their Headquarters at Mumbai, Chennai, Calcutta, Kanpur and New Delhi respectively.

13.1.1 During the period under Report, the Council decided to set up 5 new branches at (i) Rourkela falling under the jurisdiction of Eastern India Regional Council, (ii) Moradabad under Central India Regional Council, (iii) Panipat, (iv) Gurgaon and (v) Patiala under Northern India Regional Council. Thus, the total number of branches of Regional Councils as on 31.7.99 is 88 as given in **APPENDIX IX.**

13.1.2 During the year, one Chapter of the Institute has been established outside the country in Nairobi (Kenya). With this, the number of Chapters of the Institute is 10. The list of Chapters of the Institute outside India is given in **APPENDIX IX.**

13.1.3 During the period, the Council also decided to set up 7 new reference libraries at Ichalkaranji, Bhavnagar and Akola in Western Region, Anantpur in Southern Region and Bikaner, Satna and Ratlam in Central Region.

13.2 Branch Building

During the period under Report, certain branches of Regional Councils continued evincing interest in having their own buildings, while Visakhapatnam, Salem, Jodhpur and Hisar have completed their building projects. In addition construction/additional construction of branch premises is in progress in few branches.

13.3 Revolving Shield

Since 1986-87, the Institute awards each year Revolving Shield to the Best Regional Council. The award is given on the basis of overall performance. Similarly, a separate Rotating Shield is awarded to the Best Branch each year. This award is given on the basis of established norms. For the year 1999, these shields will be awarded at the Annual Function.

13.4 New Decentralised Offices

Considering the increasing volume of work/activities at the regional level and recognising the values of expeditious and personalised service which are achievable through the process of decentralisation, the Council of the Institute has already set up five more decentralised Offices at Bangalore, Hyderabad in Southern Region; Ahmedabad, Pune in Western Region and Jaipur in Central Region (besides the decentralised offices already functioning from Mumbai, Chennai, Calcutta, Kanpur and New Delhi).

14. FINANCE AND ACCOUNTS

The Balance Sheet as at 31st March, 1999 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date as approved by the Council are enclosed.

15. APPRECIATION

15.1 The Council is grateful to all members of the Institute who functioned as co-opted members on the Institute's Committees and to the non-members who assisted the Council during the year 1998-99 in the conduct of its educational, technical and other developmental activities and in its examinations.

15.2 The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Central Government and its nominees on the Council during the year 1998-99. The Council also expressed its gratitude to the Hon'ble Shri Atal Behari Vajpayee, Prime Minister of India, Union Ministers, Senior Government Officers and other dignitaries for their whole hearted participation in the Golden Jubilee Celebrations.

15.3 The Council also acknowledges its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year 1998-99 by all officers and staff of the Institute.

****

STATISTICS OF MEMBERS (FROM 1.4.1994)

TABLE I

	As on 1.4.1994	As on 1.4.1995	As on 1.4.1996	As on 1.4.1997	As on 1.4.1998	As on 1.4.1999
Fellows	29,866	32,585	34,971	36,995	39,204	41,311
Associates	38,522	38,378	39,381	41,511	44,976	48,280
Total	68,388	70,963	74,352	78,506	84,180	89,591

STATISTICS OF MEMBERS (FROM 1.4.1951)

TABLE II

	1.4.1951	1.4.1961	1.4.1971	1.4.1981	1.4.1991
Fellows	672	1,590	3,326	8,642	22,136
Associates	1,285	4,059	7,901	16,796	36,862
Total	1,957	5,649	11,227	25,438	58,998

STUDENTS REGISTRATION GROWTH PROFILE (FROM 31.3.1994)

	31.3.1994	31.3.1995	31.3.1996	31.3.1997	31.3.1998	31.3.1999
Foundation	30,250	29,717	29,015	28,209	37,052	43,809
Intermediate	19,335	18,531	19,288	21,354	24,652	28,253
Final	5,865	5,770	8,675	9,275	9,394	12,227

* The above is subject to change.

APPENDICES TO THE ANNUAL REPORT

APPENDIX I

(Ref. Para 2 of the Report)

Composition of the Standing, Adhoc/Special Purpose and Non-Standing Committees for the year 1999-2000

A. STANDING COMMITTEES

Executive Committee

Shri S.P. Chhajed, President	Mumbai
Shri G. Sitharaman, Vice President	Chennai
Shri K.S. Vikamsey	Mumbai
Shri R. Bupathy	Chennai
Shri S.C. Gupta	New Delhi

Examination Committee

Shri S.P. Chhajed, President	Mumbai
Shri G. Sitharaman, Vice President	Chennai
Smt. Bhavna G. Doshi	Mumbai
Shri Rahul Roy	Calcutta
Shri Sunil Goyal	Jaipur

Disciplinary Committee

Shri S.P. Chhajed, President	Mumbai
Shri G. Sitharaman, Vice President	Chennai
Shri Amarjit Chopra	New Delhi
Shri Ashok K. Chandak	Nagpur
Shri S. Balasubramanian	New Delhi

B. AD-HOC/SPECIAL PURPOSE COMMITTEES

Committee on Vision and Restructuring

Shri S. Gopalakrishnan, Chairman		Hyderabad
Shri Ashok K. Chandak, Vice Chairman		Nagpur
Shri G. Sitharaman, Vice President (Ex-officio)		Chennai
Shri D.K. Gupta		Ludhiana
Shri M.M. Khanna		New Delhi
Shri N. Nityananda		Bangalore
Shri Rahul Roy		Calcutta
Shri S.V. Barve		Pune
Shri C. Srivatsan	Co-opted	Bangalore
Shri Kamal Faruqui	Co-opted	New Delhi
Shri Nilesh S. Vikamsey	Co-opted	Mumbai
Shri P.R. Ramesh	Co-opted	Calcutta
Shri S. Ramesh	Co-opted	Hyderabad

Committee for Golden Jubilee Celebrations

Shri K.P. Khandelwal, Chairman		Calcutta
Shri R.S. Adukia, Vice Chairman		Mumbai
Shri S.P. Chhajed, President (Ex-officio)		Mumbai
Shri G. Sitharaman, Vice President (Ex-officio)		Chennai
Shri Amarjit Chopra		New Delhi
Shri H.N. Motiwalla		Mumbai
Shri R. Bupathy		Chennai
Shri Rahul Roy		Calcutta
Shri S.C. Gupta		New Delhi
Shri Sunil Goyal		Jaipur
Shri B.T. Thakkar	Co-opted	Ahmedabad
Shri Pinakin D. Desai		Mumbai
Shri P.N. Shah		Mumbai
Shri Ravindra Raniwala		Jaipur
Shri Vinod Bansal		New Delhi

Committee on Electoral Reforms

Shri S.P. Chhajed, President (Chairman)		Mumbai
Shri G. Sitharaman, Vice President (Vice Chairman)		Chennai
Shri A.C. Shah		Ahmedabad
Shri N.D. Gupta		New Delhi
Shri N.K. Gupta		Kanpur
Shri Rahul Roy		Calcutta
Shri S.C. Bhadra		Bhubaneswar
Shri S.L. Daga		Hyderabad
Shri S.V. Barve		Pune
Shri Vinod Jain		New Delhi
Shri Arun Kumar Sabat	Co-opted	Bhubaneswar
Shri Pravin N. Vepari		Mumbai
Shri R.C. Agarwal		Allahabad
Shri Satyanarayan Goyal		Indore
Shri Sunil Gupta		Chandigarh

C. NON-STANDING COMMITTEES

Accounting Standards Board

Shri M.M. Khanna, Chairman		New Delhi
Shri Rahul Roy, Vice Chairman		Calcutta
Shri S.P. Chhajed, President (Ex-officio)		Mumbai
Shri G. Sitharaman, Vice President (Ex-officio)		Chennai
Shri A.K. Chakrabarti		New Delhi
Shri Amarjit Chopra		New Delhi
Smt. Bhavna G. Doshi		Mumbai
Shri G.C. Srivastava		New Delhi
Shri K.S. Vikamsey		Mumbai
Shri N. Nityananda		Bangalore
Shri S. Balasubramanian		New Delhi
Shri S.C. Vasudeva	Co-opted	New Delhi
Shri V. Ramakrishnan		Mumbai

Nominees of outside bodies

Shri A. Ghosh (Representing RBI)	Mumbai
Shri H.V. Lodha (Representing FICCI)	Calcutta
Shri Mahesh Shah (Representing ICWAI)	Calcutta
Shri N.J.N. Vazifdar (Representing ASSOCHAM)	Mumbai

Special Invitees

Smt. Archana Nigam (Representing CGA)	New Delhi
Shri J. Sridhar (Representing ICSI)	Pune
Shri K.L. Verma (Representing CBEC)	New Delhi
Shri M.D. Patel (Representing SEBI)	Mumbai
Shri R.M. Malla (Representing IDBI)	Mumbai
Shri S. Ravindran (Representing SEBI)	Mumbai
Prof. Vipul (Representing IIM)	Lucknow
Shri V.L. Gupta (Representing UGC)	Mumbai

Auditing Practices Committee

Shri H.N. Motiwalla, Chairman		Mumbai
Shri M.M. Khanna, Vice Chairman		New Delhi
Shri S.P. Chhajed, President (Ex-officio)		Mumbai
Shri A.C. Shah		Ahmedabad
Shri A.K. Chakrabarti		New Delhi
Shri K.P. Khandelwal		Calcutta
Shri S. Gopalakrishnan		Hyderabad
Shri G. Narayanaswamy	Co-opted	Chennai
Shri K.G. Somani		New Delhi
Shri M.M. Chitale		Mumbai
Shri Sanjeev Choudhry		New Delhi

Continuing Professional Education Committee

Shri S.L. Daga, Chairman	Hyderabad
Shri Sunil Goyal, Vice Chairman	Jaipur
Shri G. Sitharaman, Vice President (Ex-officio)	Chennai
Smt. Bhavna G. Doshi	Mumbai
Shri M.C. Joseph	Kochi
Shri R.S. Adukia	Mumbai

Shri S.C. Gupta		New Delhi
Shri C. Parthasarathi	Co-opted	Hyderabad
Dr. Dharmendra Bhandari		Jaipur
Shri Francis Amal George B.		Tuticorin
Shri T.R. Jainawala		Aurangabad

Committee for Members in Industry

Shri S.V. Barve, Chairman		Pune
Shri M.C. Joseph, Vice Chairman		Kochi
Shri G. Sitharaman, Vice President (Ex-officio)		Chennai
Shri Ashok K. Chandak		Nagpur
Shri D.K. Gupta		Ludhiana
Shri H.G. Agrawal		Allahabad
Shri K.P. Khandelwal		Calcutta
Ms. H.A. Daruwala	Co-opted	Mumbai
Shri Jayant Ranade		Nagpur
Shri S. Ravi		New Delhi
Shri S.K. Joshi		New Delhi

Fiscal Laws Committee

Shri N.D. Gupta, Chairman		New Delhi
Shri H.N. Motiwalla, Vice Chairman		Mumbai
Shri S.P. Chhajed, President (Ex-officio)		Mumbai
Shri Amitav Kothari		Calcutta
Shri G.C. Srivastava		New Delhi
Shri K.S. Vikamsey		Mumbai
Shri R. Bupathy		Chennai
Shri Naginchand Khincha H.	Co-opted	Bangalore
Shri N.K. Poddar		Calcutta
Shri S.K. Khurana		Delhi
Shri Ved Kumar Jain		New Delhi

Corporate Laws Committee

Shri Amitav Kothari, Chairman		Calcutta
Shri N. Nityananda, Vice Chairman		Bangalore
Shri G. Sitharaman, Vice President (Ex-officio)		Chennai
Shri H.N. Motiwalla		Mumbai
Shri K.S. Vikamsey		Mumbai
Shri S. Balasubramanian		New Delhi
Shri Vinod Jain		New Delhi
Shri Arpit K. Patel		Ahmedabad
Shri Homi M. Damania	Co-opted	Mumbai
Shri Narendra Kapoor		Kanpur
Shri T.G. Keswani		New Delhi

Committee on Ethical Standards & Unjustified Removal of Auditors

Shri S.C. Bhadra, Chairman	Bhubaneswar
Smt. Bhavna G. Doshi, Vice Chairman	Mumbai

Shri G. Sitharaman, Vice President (Ex-officio)		Chennai
Shri A.C. Shah		Ahmedabad
Shri A.K. Chakrabarti		New Delhi
Shri N.K. Gupta		Kanpur
Shri S. Gopalakrishnan		Hyderabad
Shri A.K. Chakraborty	Co-opted	Calcutta
Shri Jal E. Dastur		Mumbai
Shri Rajendra Patro		Bhubaneswar
Shri V.C. Darak		Mumbai

Expert Advisory Committee

Shri H.G. Agrawal, Chairman		Allahabad
Shri S. Gopalakrishnan, Vice Chairman		Hyderabad
Shri G. Sitharaman, Vice President (Ex-officio)		Chennai
Shri Ashok K. Chandak		Nagpur
Shri M.M. Khanna		New Delhi
Shri N.K. Gupta		Kanpur
Shri S.V. Barve		Pune
Shri A.H. Dalal	Co-opted	Mumbai
Shri G. Karthikeyan		Coimbatore
Shri H.C. Dhagat		Navi Mumbai
Shri Satish Seth		Mumbai

Board of Studies

Shri R.S. Adukia, Chairman		Mumbai
Shri N.K. Gupta, Vice Chairman		Kanpur
Shri G. Sitharaman, Vice President (Ex-officio)		Chennai
Shri H.G. Agrawal		Allahabad
Shri S.C. Bhadra		Bhubaneswar
Shri S.L. Daga		Hyderabad
Shri Vinod Jain		New Delhi
Shri Abhay V. Arolkar	Co-opted	Mumbai
Shri Ashwini Kumar		Ludhiana
Smt. Priya Bhansali		Coimbatore
Shri Uday V. Sathaye		Mumbai

University & Higher Secondary Boards Liaison Committee

Shri M.C. Joseph, Chairman		Kochi
Shri H.G. Agrawal, Vice Chairman		Allahabad
Shri G. Sitharaman, Vice President (Ex-officio)		Chennai
Shri D.K. Gupta		Ludhiana
Shri R.S. Adukia		Mumbai
Shri Sunil Goyal		Jaipur
Shri S.V. Barve		Pune
Shri Dilip V. Satbhai		Pune
Shri G.D. Gupta	Co-opted	New Delhi
Shri K. Verghese		Kollam
Shri Sanjiv Kumar Agarwal		Bhilai

Professional Development Committee

Shri N.K. Gupta, Chairman		Kanpur
Shri Amarjit Chopra, Vice Chairman		New Delhi
Shri S.P. Chhajed, President (Ex-officio)		Mumbai
Shri Ashok K. Chandak		Nagpur
Shri S.C. Bhadra		Bhubaneswar
Shri S.C. Gupta		New Delhi
Shri S. Gopalakrishnan		Hyderabad
Shri Vinod Jain		New Delhi
Shri A. Roy Chowdury	Co-opted	Calcutta
Shri Ashwini Kumar Gupta		Lucknow
Shri J. Ostawal		Bangalore
Shri Sudhir Chandra Agrawal		Patna

Public Relations Committee

Shri N. Nityananda, Chairman		Bangalore
Shri N.D. Gupta, Vice Chairman		New Delhi
Shri S.P. Chhajed, President (Ex-officio)		Mumbai
Shri D.K. Gupta		Ludhiana
Shri M.C. Joseph		Kochi
Shri R.S. Adukia		Mumbai
Shri S.L. Daga		Hyderabad
Shri R.N. Rustagi	Co-opted	Calcutta
Shri R. Venkatkrishna		Bangalore
Shri Uttamchand B. Bafna		Mumbai
Shri Vinay Kumar Jain		Delhi

Research Committee

Shri A.C. Shah, Chairman		Ahmedabad
Shri R. Bupathy, Vice Chairman		Chennai
Shri G. Sitharaman, Vice President (Ex-officio)		Chennai
Smt. Bhavna G. Doshi		Mumbai
Shri H.G. Agrawal		Allahabad
Shri K.P. Khandelwal		Calcutta
Shri M.M. Khanna		New Delhi
Shri Anil Goyal	Co-opted	Jaipur
Shri K.S. Mehta		New Delhi
Shri Sanjay Vasudeva		New Delhi
Shri Sumermal M. Khinvesra		Mumbai

International Affairs Committee

Shri S.P. Chhajed, Chairman	Mumbai
Shri G. Sitharaman, Vice Chairman	Chennai
Shri R. Bupathy	Chennai
Shri Amitav Kothari	Calcutta
Shri Rahul Roy	Calcutta
Shri S.C. Gupta	New Delhi

Shri Gautam B. Doshi	Co-opted	Mumbai
Shri S. Nandagopal		Chennai
Shri T.S. Vishwanath		New Delhi

ICAI-ICWAI-ICSI Coordination Committee

Shri S.P. Chhajed, Leader	Mumbai
Shri G. Sitharaman, Deputy Leader	Chennai
Shri G.C. Srivastava	New Delhi
Shri K.P. Khandelwal	Calcutta
Shri S. Balasubramanian	New Delhi

Editorial Board

Shri S.P. Chhajed, Editor-in-Chief		Mumbai
Shri G. Sitharaman, Joint Editor		Chennai
Shri Amarjit Chopra		New Delhi
Shri H.N. Motiwalla		Mumbai
Shri Rahul Roy		Calcutta
Shri Sunil Goyal		Jaipur
Shri Ayloor Ramakrishnan	Co-opted	Mumbai
Shri J.N. Mittal		New Delhi
Shri Laxminiwas Sharma		Hyderabad
Shri Narayandas K. Varma		Mumbai

Committee on Financial Markets and Investors' Protection

Shri Vinod Jain, Chairman		New Delhi
Shri K.P. Khandelwal, Vice Chairman		Calcutta
Shri S.P. Chhajed, President (Ex-officio)		Mumbai
Shri A.C. Shah		Ahmedabad
Shri Amitav Kothari		Calcutta
Shri K.S. Vikamsey		Mumbai
Shri N.D. Gupta		New Delhi
Shri N. Nityananda		Bangalore
Shri Anand K. Rathi	Co-opted	Mumbai
Shri Arunkumar R. Gandhi		Mumbai
Shri Danesh Varma		New Delhi
Shri R.S. Jhawar		Calcutta

National Academy Committee *

Shri D.K. Gupta, Chairman	Ludhiana
Shri S.C. Bhadra, Vice Chairman	Bhubaneswar
Shri G. Sitharaman, Vice President (Ex-officio)	Chennai
Shri M.C. Joseph	Kochi
Shri N.D. Gupta	New Delhi
Shri S.L. Daga	Hyderabad

* Since dissolved in May, 1999 on incorporation of ICAI --Accounting Research Foundation (ARF).

D. OTHERS

15th All India Conference Committee

Shri S.P. Chhajed, Chairman	Mumbai
Shri G. Sitharaman, Co-Chairman	Chennai
Shri Amarjit Chopra	New Delhi
Shri A.K. Chakrabarti	New Delhi
Shri D.K. Gupta	Ludhiana
Shri G.C. Srivastava	New Delhi
Shri K.P. Khandelwal	Calcutta
Shri K.S. Vikamsey	Mumbai
Shri M.M. Khanna	New Delhi
Shri N.D. Gupta	New Delhi
Shri N.K. Gupta	Kanpur
Shri R. Bupathy	Chennai
Shri Rahul Roy	Calcutta
Shri S. Balasubramanian	New Delhi
Shri S.C. Gupta	New Delhi
Shri Vinod Jain	New Delhi
Shri Vijay Jhalani, Chairman, NIRC	New Delhi
Shri Anil Kumar Agarwal, Vice Chairman, NIRC	New Delhi
Shri Praveen Kumar Bansal, Secretary, NIRC	New Delhi
Shri Charan Jot Singh Nanda, Treasurer, NIRC	New Delhi

ICAI – Accounting Research Foundation (ARF) - Composition

Shri D.K. Gupta, Chairman
Shri S.C. Bhadra, Vice-Chairman
Shri Asish K Bhattacharyya, Dean & Secretary
Shri S.P. Chhajed, President, ICAI
Shri G. Sitharaman, Vice-President, ICAI
Shri Ashok Haldia, Secretary, ICAI
Shri M.M. Chitale, Past President, ICAI
Shri Rahul Roy, Past President, ICAI
Shri M.C. Joseph, Council Member, ICAI
Shri N.D. Gupta, Council Member, ICAI
Shri S.L. Daga, Council Member, ICAI

APPENDIX II

(Ref. Para 4.2.3 of the Report)
Statistics of Students Appeared and Passed in the Examinations of the Institute held in 1998

INTERMEDIATE AND FINAL EXAMINATIONS - 1998

GROUP/UNIT	INTERMEDIATE		FINAL	
	MAY	NOVEMBER	MAY	NOVEMBER
No. of Centres	**57**	**57**	**65**	**65**
GROUP-I				
No. of candidates appeared	26943	33666	13806	13403
No. of candidates declared successful	5126	5431	3708	1911
GROUP-II				
No. of candidates appeared	23083	28264	15406	14482
No. of candidates declared successful	5377	8021	4674	4445
BOTH GROUPS				
No. of candidates appeared	12041	16478	7210	6423
No. of candidates declared successful	1435	2678	1590	714
UNIT				
No. of candidates appeared	1474	1154	82	70
No. of candidates declared successful	279	240	3	2

Foundation Examination – 1998

Months and year of examination	No. of centres	No. of candidates appeared	No. of candidates declared successful
May 1998	56	20214	5755
November 1998	64	15918	2638

APPENDIX III

(Ref. Para 4.2.4 of the Report)

Names of Prize winners in the Institute's Examinations held in May and November 1998

FINAL EXAMINATION

The following candidates were awarded Certificate of Merit :

RANK	May, 1998 Examination		November, 1998 Examination	
	Roll No.	Name & marks obtained	Roll No.	Name & marks obtained
I	11048	Shri B. SARAVANA PRASATH (608 marks out of 800)	10413	Shri AASIF HUSEINI MALBARI (531 marks out of 800)
II	11124	Ms. ROSHI JAIN (577 marks out of 800)	01891	Shri BASANT MAHESHWARI (530 marks out of 800)
III	21665	Shri VIVEK GUPTA (571 marks out of 800)	02125	Ms. NISHA BHATI (504 marks out of 800)

Name of the Prize	Basis	May, 1998 Examination	November, 1998 Examination
(1)	(2)	(3)	(4)
The G.P. Kapadia First President Gold Medal	Best Candidate	Shri B. SARAVANA PRASATH, Roll No.11048.	Shri AASIF HUSSEINI MALBARI, Roll No.10413.
The J.S. Lodha Gold Medal			
The Ramachandra Singhi Prize			
The Saradama Visweswaraiya Silver Medal			
The R. Sivabhogam Prize	Best lady candidate	Ms. ROSHI JAIN, Roll No.11124 (577 marks out of 800).	Ms. NISHA BHATI, Roll No.02125 (504 marks out of 800).
The Jayantilal K. Thakkar Memorial Prize	Second best candidate	Ms. ROSHI JAIN, Roll No.11124.	Shri BASANT MAHESHWARI, Roll No.01891.
Dr. I.B. Sinha Memorial Prize	Third best candidate	Shri VIVEK GUPTA, Roll No.21665.	Ms. NISHA BHETI, Roll No.2125
The Kerala Verma Memorial Prize	Best candidate in Group-I	Shri B. SARAVANA PRASATH, Roll No.11048 (312 marks out of 400).	Shri AASIF HUSEINI MALBARI, Roll No.10413 (265 marks out of 400).
The P.N. Ghosh Memorial Prize	Best candidate in Group-II	Ms. ROSHI JAIN, Roll No.11124 (320 marks out of 400).	Shri MANISH GUPTA, Roll No.23507 (276 marks out of 400).

(1)	(2)	(3)	(4)
The Sir Shapoorji Billimoria Prize	Best papers on Accounting (Paper 1&2)	Shri B. SARAVANA PRASATH, Roll No.11048 (183 marks out of 200).	Shri MANISH KUMAR AGRAWAL, Roll No.22478. (155 marks out of 200)
The K.C. Khanna Prize and Shri D. Rangaswamy Memorial Prize	Best paper on Advanced Accounting (Paper I)	Shri B. SARAVANA PRASATH, Roll No.11048 (99 marks out of 100).	Shri MANISH KUMAR AGRAWAL, Roll No.22478 (77 marks out of 100).
The J.K. Doshi Prize and Late Lt. Col. Ambuj Nath Bose Memorial Prize	Best paper on Management Accounting and Financial Analysis (Paper 2)	Shri VIKASH BAINGANI, Roll No.8074 jointly with Shri SUDIPTA KUMAR BANERJEE, Roll No.18837 and Ms. ANUPMA JINDAL, Roll No.24086 (85 marks out of 100).	Shri ANIRUDDHA HEMANT CHITNIS, Roll No. 14492 (93 marks out of 100).
The A.F. Ferguson Prize and the R. Venkatesan Memorial Prize	Best paper on Advanced and Management Auditing (Paper 3)	Shri S. CHANDRASEKARAN, Roll No.10628 (74 marks out of 100).	Shri SIDDARTHA KAPOOR, Roll No.12557 (78 marks out of 100).
The Sukh Nandan Gupta Kapoori Devi Prize	Lady candidate who secured the highest marks in Advanced and Management Auditing (Paper 3)	Ms. SHUKLA SHALINI RAJENDRA , Roll No.7488 (70 marks out of 100).	Ms. ASITA SONI, Roll No.05422 (76 marks out of 100).
The U.C. Majumdar Prize and the S.M. Shah Prize	Best paper on Corporate Laws and Secretarial Practice (Paper 4)	Shri VIVEK GUPTA, Roll No.21665 (72 marks out of 100).	Shri SUDHIR, Roll No. 20387 (64 marks out of 100).
The R.V.K. Umarjee Prize and S.S. Ghosh Prize	Best paper on Advanced Cost Accounting and Cost Systems (Paper 5)	Shri VIVEK GUPTA, Roll No.21665 (97 marks out of 100).	Shri SANDEEP MANTRI, Roll No.01860 jointly with Shri MODY ASHISH JAYENDRA, Roll No.12814 and Shri MANISH GUPTA, Roll No. 23507 (82 marks out of 100).

(1)	(2)	(3)	(4)
The Manish Gupta Memorial Prize and T.R. Chadha Prize	Best paper on Systems Analysis, Data Processing and Quantitative Techniques (Paper 6)	Shri KRISHNA RAJARAM, Roll No. 5613 jointly with Shri JYOTI KUMAR AGARWAL, Roll No.19541 (84 marks out of 100).	Shri MANISH GUPTA, Roll No. 23507 (85 marks out of 100).
The N.M. Shah Prize, Suri Memorial Prize and A.J. Shah Amita Memorial Prize	Best paper on Direct Taxes (Paper 7)	Ms. RICHA MITTAL, Roll No.22532 (80 marks out of 100).	Shri SACHIN GUPTA, Roll No.23764 (73 marks out of 100).
The Vandana Suryanarayanan Prize and Shri M.D. Rajamachikar Prize	Best paper on Indirect Taxes (Paper 8)	Ms. ROSHI JAIN, Roll No.11124 (82 marks out of 100).	Shri K. KOUSHIK, Roll No.03920, Shri RATUL SENGUPTA, Roll No.10481, Shri RAHUL BAGARIA, Roll No. 18827 and Shri VIKAS BHUTRA, Roll No.18871 (68 marks out of 100).
The G. Basu Foundation Award	Best student of the year 1998	Shri B. SARAVANA PRASATH, Roll No.11048 May, 1998 Examination (608 marks out of 800).	
Smt. Sarojini Sitaram Memorial Silver Medal, The S. Viswanathan Memorial Prize and Smt. Vanjana Rani Prize	Best lady candidate of the year 1998	Ms. ROSHI JAIN, Roll No.11124, May, 1998 Examination (577 marks out of 800).	
The Shailesh Kapadia Silver Medal	Best student among the second best students of the year 1998		
Doha Chapter of ICAI Prize	Best student among the third best students of the year, 1998	Shri VIVEK GUPTA, Roll No.21665 May, 1998 Examination (571 marks out of 800).	
The N.N. Das Prize	Best student of the year 1998 in Group-I	Shri B. SARAVANA PRASATH, Roll No.11048, May, 1998 Examination (312 marks out of 400).	
The Balachander Memorial Silver Medal	Best student of the year 1998 in Group-II	Ms. ROSHI JAIN, Roll No.11124 May, 1998 Examination (320 marks out of 400).	

INTERMEDIATE EXAMINATION

The following candidates were awarded Certificates of Merit :

RANK	May, 1998 Examination		November, 1998 Examination	
	Roll No.	Name & marks obtained	Roll No.	Name & marks obtained
I	37831	Shri KALAKONDA SUDHEER (432 marks out of 600)	01054	Ms. K. SUBHASHINI (446 marks out of 600)
II	22871	Shri SUMIT KUMAR SANGHAI (403 marks out of 600)	27325	Shri PRAMOD ACHUTHAN (445 marks out of 600)
III	32265	Ms. ANUPAMA TANEJA (399 marks out of 600)	01324	Ms. G. VIDYA (438 marks out of 600)

Name of the Prize	Basis	May, 1998 Examination	November, 1998 Examination
(1)	(2)	(3)	(4)
The G.P. Kapadia First President Prize The J.S. Lodha Gold Medal	Best student	Shri KALAKONDA SUDHEER, Roll No.37831.	Ms. K. SUBHASHINI, Roll No.01054.
The Shaleen [illegible] Award	Second best student	Shri SUMIT KUMAR SANGHAI, Roll No.22871.	Shri PRAMOD ACHUTHAN, Roll No.27325.
The Sudershan Kumar Ba[illegible]saria Memorial [illegible]	Best lady candidate	Ms. ANUPAMA TANEJA, Roll No 32265 (399 marks out of 600).	Ms. K SUBHASHINI, Roll No.01054 (446 marks out of 600).
Prof. T.[illegible]wal Award	Best paper on Advanced Accounting (Paper 1)	Shri PANKAJ MASKARA, Roll No 21198 jointly with Shri LAKSHMI KANT, Roll No.24051 (81 marks out of 100).	Ms. K SUBHASHINI, Roll No.01054 and Ms. G. VIDYA, Roll No.01324 (90 marks out of 100).
The Dinesh Himatlal Shah Prize and The [illegible] Khanna [illegible]	Best paper on Auditing (Paper 2)	Shri SACHIN JAIN, Roll No.[illegible] jointly with Ms. ANUPAM MITTAL, Roll No.3045 and Shri SUMIT KUMAR SANGHAI, Roll No.22871 (76 marks out of 100).	Shri SUMESH SADANANDRAO Roll No.[illegible]565 (81 marks out of 100).
The Suresh C Mathur Prize	Best paper on Corporate and Other Laws (Paper 3)	Shri JAHANGIR HUSSAIN, Roll No.36673 (83 marks out of 100).	Shri SANDEEP GARG, Roll No.04731 (87 marks out of 100).

(1)	(2)	(3)	(4)
Vandana Suryanarayanan Prize	Best paper on Cost Accounting (Paper 4)	Shri KALAKONDA SUDHEER, Roll No.37831 (95 marks out of 100).	Shri VIDYA SANKARARAMAN, Roll No.19237 (93 marks out of 100).
The U.K. Bhargava Prize	Best paper on Income Tax and Central Sales Tax (Paper 5)	Shri SANJAY CHHABRA, Roll No.25753 (87 marks out of 100).	Shri PRINUT JANAK SHAH, Roll No.13406 and Ms. S. ARCHANA, Roll No.32685 (85 marks out of 100).
The Suri Memorial Prize	Best student of the year	Ms. K. SUBHASHINI, Roll No.01054 November, 1998 Examination (446 marks out of 600).	
Doha Chapter of ICAI Silver Medal	Second best candidate of the year	Shri PRAMOD ACHUTHAN, Roll No.27325 November, 1998 Examination (445 marks out of 600).	

FOUNDATION EXAMINATION

The following candidates were awarded Certificates of Merit :

RANK	May, 1998 Examination		November, 1998 Examination	
	Roll No.	Name & marks obtained	Roll No.	Name & marks obtained
I	11327	Ms. R. SHRUTHI (331 marks out of 400)	13669	Shri VIKAS GUPTA (315 marks out of 400)
II	04368	Shri ROHIT SEKSARIA (319 marks out of 400)	01147	Ms. S. VIJAYALAKSHMI (305 marks out of 400)
III	09483	Shri MANISH GUPTA (317 marks out of 400)	05553	Shri MAN MOHAN MALL (304 marks out of 400)

Name of the Prize	Basis	May, 1998 Examination	November, 1998 Examination
(1)	(2)	(3)	(4)
Shri Sultan Chand Memorial Prize S.R. Batliboi Prize	Best candidate	Ms. R SHRUTHI, Roll No.11327.	Shri VIKAS GUPTA, Roll No.13669.
Shri Sultan Chand Memorial Prize	Second Best candidate	Shri ROHIT SEKSARIA , Roll No.04368.	Ms. S. VIJAYALAKSHMI, Roll No.01147
Chandulal Kapuri Devi Charitable Trust Prize	Third Best candidate	Shri MANISH GUPTA, Roll No.09483.	Shri MAN MOHAN MALL, Roll No.05553.
P.N. Shah Prize	Best Lady candidate	Ms. R. SHRUTHI, Roll No.11327 (331 marks out of 400).	Ms. S. VIJAYALAKSHMI, Roll No.01147 (305 marks out of 400).

(1)	(2)	(3)	(4)
K.V. Chandramouli Memorial Prize	Best Paper on Mathematics (Paper 3 Section `A')	Shri KALPESH SARAF, Roll No.01095 jointly with Shri ROHIT SEKSARIA, Roll No.04368, Shri AMIT TIWARI, Roll No.05646 and Shri JITENDER KUMAR JAIN, Roll No.07914 (50 marks out of 50).	Shri SHARAD S. MOHNOT, Roll No.15843 (48 marks out of 50).
Ganeshmal Patni Memorial Prize	Best Paper on Statistics (Paper 3 Section `B')	Shri R JAGANNATH PRASAD, Roll No.11024 jointly with Ms. R. SHRUTHI, Roll No.11327, Shri DEORAS SURABHI NIRANJAN, Roll No.15000, Ms. M. UMA A. GOMATHY, Roll No.15166, Shri JAIN AMITKUMAR JEETMAL, Roll No.15673, Shri DE SA DOMINIQUE JESSICA JOHN, Roll No.16521, Shri PAHARIA VINAY INDRAKUMAR, Roll No.16882 (50 Marks out of 50).	Shri L. NAGARAJAN, Roll No.01002 (50 marks out of 50).
The Venkatachalam Mohan Prize	Best paper on Economics (Paper 4)	Ms. NIDHI KANORIA, Roll No.01632 (75 marks out of 100).	Ms. SHUETA GUPTA, Roll No.14336 (73 marks out of 100).
Mahaveer Raj Bhandari Prize	Best student of the year 1998	Ms. R SHRUTHI, Roll No.11327 May, 1998 Examination (331 marks out of 400).	

APPENDIX IV

(Ref. Para 4.3 of the Report)

Statistics of cases placed before the Council and the Disciplinary Committee during the period from 1st April, 1998 to 31st March, 1999

1.	a)	Number of cases considered by the Council under Section 21 for its prima facie opinion as to whether the case warranted reference to Disciplinary Committee or not.	91
	b)	Out of the above, number of cases referred by the Council to Disciplinary Committee for enquiry.	60
2.		Number of cases concluded by the Disciplinary Committee during the above period (out of the total pending cases with the Committee for enquiry).	77
3.		Number of reports of Disciplinary Committee considered by the Council (including reports of those cases, which were heard during the earlier years).	10[1]
4.		Out of the above :-	
	a)	Number of cases in which Respondents have been found guilty under the First Schedule for affording a hearing before the Council for passing order under Section 21(4).	04
	b)	Number of cases in which Respondents have been found guilty under the Second Schedule and/or other misconduct, to be referred to High Courts under Section 21(5).	03
	(c)	Number of cases in which Respondents have been found guilty under the First Schedule and the Second Schedule/other misconduct.	01
	(d)	Number of cases referred back to the Disciplinary Committee for further enquiry.	01
	(e)	Number of cases in which Respondents have been found not guilty of any misconduct	02
5.		Cases heard under Section 21(4) in respect of the Respondents who were found guilty under the First Schedule.	06
6.		Number of cases disposed of by the High Court under Section 21(6) during the period from 1st April, 1998 to 31st March, 1999.	02

[1] Although the number of reports considered by the Council was 10, however since there were two Respondents in one such report who had been awarded different types of punishment, the break-up of this total works out to 11 as per data given above.

APPENDIX V

(Ref. Para 5.12 of the Report)

Resume of Important Activities of Certain Non-Standing Committees.

Given below is a resume of important activities of some of the Non-Standing Committees of the Council.

1. ACCOUNTING STANDARDS BOARD

As in the past, the Accounting Standards Board continued its efforts towards harmonisation of accounting policies and practices in use in the country. To this end, the Board carried out a number of activities during the period under report. During the period, the Board finalised the revised Accounting Standard (AS) 2, Valuation of Inventories. The Board also issued the exposure draft of a proposed accounting standard on `Borrowing Costs' for comments.

Besides the above, the drafts of following proposed accounting standards are at various stages of formulation:

- Consolidated Financial Statements
- Earnings Per Share
- Plantation Industries
- Intangible Assets
- Related Party Disclosures
- Segment Reporting
- Accounting for Investments in Associates
- Discontinuing Operations
- Leasing

Accounting Standard (AS) 7, Accounting for Construction Contracts is under revision.

Study Groups constituted by the Board are engaged in preparing the preliminary drafts on the following subjects:

- Accounting for Income Taxes
- Financial Instruments
- Financial Reporting of Interests in Joint Ventures
- Impairment of Assets
- Interim Financial Reporting
- Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

2. AUDITING PRACTICES COMMITTEE

In addition to the projects being pursued by the APC, as detailed in the main report, the Committee proposes to bring out SAPs on the following subjects:-

- Engagements to Review Financial Statements.
- Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures Regarding Financial Information.

- Initial Engagements - Opening Balances.
- Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements.
- Audit Risk.
- Audit Considerations Relating to Entities Using Service Organisations.
- The Auditor's Report on Financial Statements.
- Comparatives.
- Consideration of Laws and Regulations in Audit of Financial Statements.
- Study on Auditing in EDP Environment.
- Guidance Note on Audit of Capital and Reserves.
- Guidance Note on Audit of Expenses.
- Guidance Note on Examining the Implications of Directions Issued by RBI with Regard to NBFCs Auditor's Report Directions, 1998.

3. RESEARCH COMMITTEE

3.1 Projects under finalisation:

- Revised Guidance Note on Audit of Accounts of Members of Stock Exchanges.
- Guidance Note on accounting for Set-Off available under the Sales Tax Laws of certain States and Value Added Tax.
- Study on Concurrent Audit in Banks.
- Accounting for Mutual Funds and Computation of NAV.
- Accounting for Software- (Producers and Users) Industry.
- Accounting in Film Industry.
- Impact of Information Technology on Financial Accounting with Special reference to implications of SAP Environment.
- Guidelines on Internal Audit-Travel Service Business.

3.2 Other projects under progress :

- Accounting for Chit Funds.
- Accounting in Telecommunications Industry.
- Accounting for Ports' Operations.
- Accounting for Oil and Gas Producing Enterprises.
- Accounting and Auditing Technical Guide on Automobile Industry.
- Accounting and Auditing Technical Guide - Hotel Industry.
- Accounting for Factored Debts.
- Study on Accounting and Auditing in Power Sector (both generation as well as distribution).
- Study on Euro-issues.
- Study on Audit of Entities Carrying on Newspapers Publishing Activity.
- Study on Reporting Segment-wise Information.
- Study on Environmental and Energy Audits.
- Study on Risk Based Auditing.
- Revision of Trends in Published Accounts.
- Revision of General Guidelines on Internal Audit (with special emphasis on Management Audit).
- Revision of Technical Guide for Audit of Co-operative Societies.
- Guidelines on Internal Audit-Steel Industry.
- Guidelines on Internal Audit-Excise Records.

- Guidelines on Internal Audit-Sugar Industry.
- Guidelines on Internal Audit-Petroleum Industry.
- Guidelines on Internal Audit - Road Transport Industry.
- Guidance Note on Accounting for Securitisation.
- Guidelines on Internal Audit-Textile Industry.
- Accountability of Public Expenditure in Government Departments and Similar Non-profit Institutions.
- Comparison of Indian Accounting Standards and US GAAPs.

3.3 Proposed projects :

- Accounting for Forestries.
- Accounting and Auditing Technical Guide: Drugs & Pharmaceuticals Industry.
- Accounting & Auditing for (a) Construction of Roads, and (b) Operation of Toll Roads.
- Guidelines on Internal Audit - Electronics Industry.
- Guidelines on Internal Audit - Fertilizer Industry.
- Guidelines on Internal Audit - Aluminium Industry.
- Guidelines on Internal Audit-Coal Mining Industry.
- Guidelines on Insurance Survey.
- Issues involved in drafting a Prospectus.
- Study on Joint Ventures abroad.
- Study on Futures and Options.
- Study on Anti-Dumping Law and Procedures.
- Study on Winding-up - Role of Professional Accountants.
- Technical Guide on Accounting and Auditing of Entities Carrying on Acquaculture /Pisciculture / Marine Culture.
- Technical Guide on Accounting and Audit in Video Film Production Programs.
- Glossary of Emerging Terms in the Financial Sector.
- Role of Chartered Accountants as advisors to the Issues (as Merchant Bankers, Category IV).
- Introduction of Commercial Accounting in Municipal Corporations.
- Foreign Currency Exposure Risk Management.
- Interim Financial Reporting - A Comparative Study of USA, UK, France and India.

3.4 Results of the Shield Panel

The Panel of Judges constituted by the Institute adjudged the Annual Report and Accounts of entities in different categories viz. Public Sector/Joint Sector Companies, Non-Financial Statutory Corporations, Non-Financial Private Sector Companies, Banks and Financial Institutions, Public Trusts, Cooperative Societies, Research & Educational Institutions etc. for the year 1997-98 and decided to give away awards, as detailed hereunder:

Award	Category	Name of the Entity
Silver Shield for best presented accounts	Public Sector Company	Indian Oil Corporation Ltd.
	Non-Financial Private Sector Company	Infosys Technologies Ltd.
	Banks & Financial Institutions	Housing Development Finance Corporation Ltd.
Plaque for highly commended accounts	Non-Financial Private Sector Company	Cheminor Drugs Ltd.

4. CORPORATE LAWS COMMITTEE

The Corporate laws Committee by and large was active and played a pro-active role in response to the changing dimensions in the area of Corporate Laws. The significant achievements and initiatives of the Committee during the year ended 31st March, 1999 were as follows:

4.1 The Committee submitted to the Government a Memorandum of Suggestions on amendments to the Companies Act, 1956 pending the passage of the Companies Bill, 1997. Subsequently, pursuant to the introduction of the Companies (Amendment) Ordinance, 1998, the Committee once again submitted a Memorandum of Suggestions on the said Ordinance. In this connection, the Committee is happy to report that many of the suggestions made in the Memorandum(s) have been taken into active consideration by the Government and were also incorporated in the Companies (Amendment) Act, 1999 passed recently by the Parliament.

4.2 The Committee submitted a detailed Memorandum of Suggestions on the Foreign Exchange Management Bill, 1998 and Prevention of Money Laundering Bill, 1998 to the Parliamentary Standing Committee on Finance.

4.3 The Committee maintained close interaction with the Department of Company Affairs during the year 1998-99. The Committee conducted, for the first time, on all India basis, a five day training programme for Central Company Law Officers of the Department of Company Affairs at Bangalore between 14th-18th December, 1998. Shri T.S. Krishnamurthy, Secretary, Department of Company Affairs was the Chief Guest for the valedictory function.

4.4 The Study Group for reviewing the last five years' statutory audit reports of Public Sector Undertakings submitted the interim report and final research report is expected shortly.

4.5 The Committee prepared a draft Guidance Note on Accounting for Buy-back of Shares which is currently under consideration.

5. FISCAL LAWS COMMITTEE

5.1 Service Tax

The Finance (No.2) Act, 1998 brought 12 more services under the Service tax net including services rendered by practising Chartered Accountants. The Government brought the 12 new services under the tax net with effect from 16th October, 1998. By means of Notification No.59/98 Service tax dated 16th October, 1998, certain specified services rendered by a Chartered Accountant, a Cost Accountant or by a Company Secretary have been subjected to service tax. The multifarious technical issues in connection with the incidence, applicability, procedural matters and other critical issues had provoked a host of debate and degree of confusion. Since service tax had been levied for the first time on specified services rendered by a practising chartered accountant, an urgent need was felt to provide guidance to our members regarding the relevant legal provision, scope of the levy, procedures to be followed etc. so that our members can properly comply with the provisions. Hence, the Fiscal Laws Committee brought forth a publication entitled "Service Tax on services provided by Chartered Accountants – A Study", to guide the members.

5.2 Workshop on Union Budget, 1999

A high level Workshop was conducted to consider the Union Budget, 1999. The Workshop considered the budget proposals in two sessions. The pre-lunch session was devoted to a discussion of proposals relating to direct taxes and the post-lunch session discussed the indirect tax proposals. The Workshop was graced by Shri Ravi Kant, Chairman, Central Board of Direct Taxes, Shri A. Balasubramaniam, Member (Legal), CBDT, Shri A.N. Prasad, Joint Secretary (TPL-I), CBDT and Shri G.C. Srivastava, Joint Secretary (TPL-II), CBDT. Shri T.R. Rustogi, Joint Secretary (TRU), Central Board of Excise & Customs, attended the post-lunch session on indirect taxes.

5.3 Budget Memorandum – 1999

The Institute submitted a pre-budget Memorandum in December, 1998 and the Government has been kind enough to accept many of the suggestions like tax neutrality in respect of business reorganisations, recommendations in respect of allowance of expenditure in relation to Y2K compliance etc. Further, the Institute submitted a post-budget Memorandum for the year 1999 to the Union Finance Minister, CBDT, and other concerned authorities containing its comments and suggestions on the Finance Bill, 1999.

5.4 Revised Forms of Tax Audit Reports

The Government has notified the revised forms of tax audit reports. The tax audit reports have to be given in Form 3CA or 3CB and prescribed particulars are to be furnished in Form 3CD. The work relating to the revision of the Guidance Note on Tax Audit is in progress.

5.5 Residential Course on Fiscal and Corporate Laws

A Residential Course on Fiscal and Corporate Laws is proposed to be held by the Committee jointly with the Corporate Laws Committee at Mahabalipuram near Chennai in the month of October, 1999.

5.6 All India Conference on Fiscal and Corporate Laws

All India Conference on Fiscal and Corporate Laws is proposed to be held by the Committee jointly with the Corporate Laws Committee, at Bangalore in the month of December, 1999.

5.7 Revision of Publications

The following publications are under revision :

- Taxation of Non-Residents.
- Guide to Audit of Public Trusts under the Income-tax Act, 1961.
- Taxation of Charitable Trusts and Institutions.

6. COMMITTEE ON FINANCIAL MARKETS AND INVESTORS' PROTECTION

6.1 The Committee on Financial Markets & Investors' Protection played an important role in tune with the changing conditions on various matters pertaining to the financial markets. The name of the Committee was changed from "Committee on Capital Markets and Investors' Protection" to "Committee on Financial Markets & Investors' Protection." The renaming was done with a view to widen the scope of Committee so as to include areas like money market, financial markets within the ambit of functions of the committee.

6.2 In order to have wider participation by institutions relating to financial markets, the Committee included in the Committee, nominations from the Delhi Stock Exchange, SEBI and National Stock Exchange Ltd.

6.3 The Committee conducted a one day Seminar on the theme "Capital Market in the New Millennium at Lucknow in association with Lucknow Branch of Central India Regional Council.

6.4 The Committee constituted a Study Group for recommending suggestions to SEBI on "Take-Over Code, 1997" and submitted consolidated suggestions on various issues listed out by SEBI.

6.5 The Committee also submitted a Memorandum of Suggestions to the Parliamentary Standing Committee on Finance on the Securities Contracts (Regulation) Amendment Bill, 1998.

6.6 It also undertook the initiative of filling-up the questionnaire sent by SAFA on the research project relating to capital markets in SARC countries.

6.7 On 23rd and 24th February, 1999, the Committee conducted Training Programme on Derivatives at Mumbai in association with Western Indian Regional

Council and National Stock Exchange Ltd. The programme was inaugurated by Shri L.K. Singhvi, Sr. Executive Director, SEBI. The programme received overwhelming response and a mock trading session was also shown to the participants at National Stock Exchange Ltd.

6.8 The publication of booklet on "Investors' Protection" was entrusted to an author in Mumbai and currently it is in the process of finalisation by the Committee.

7. EXPERT ADVISORY COMMITTEE

Opinion on a large number of queries received from members on diverse subjects was issued by the Expert Advisory Committee of the Institute as in the past. Volume – XVIII of the `Compendium of Opinion' containing opinion issued between January, 1998 and January, 1999 is under compilation.

8. CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION COMMITTEE

The Institute continued its efforts to impart education to the members on the topics of current relevance through its Continuing Education Programmes. The Institute lays great emphasis on continuing education to meet the new challenges.

8.1 During 1998-99 Continuing Professional Education Programmes were conducted on the following subjects :-

Taxation of Deemed Sale Transaction; Central Sales Tax; Direct Taxation (With special reference to Corporate Restructuring and Real Estate Development Transactions); Project Finance; Credit Rating; Central Excise; Value Added Tax; Project Evaluation; EDP Audit - Pitfalls & Safeguards; System Audit (Study material for training courses by Computer Centre); Communication Skills – I; Bank Audit CD ROM; Y2K Compliance; Bank Audit; and Two teleconferences on `Y2K and Bank Audit' and `Y2K Compliance' were also held.

8.2 The Committee held several programmes for the benefit of the members, some of them jointly with other associations. Particulars of such programmes and the topics covered are furnished below:

S.No.	Details of the Programme	Place	Date	In association with
1.	Corporate Governance	Kathmandu	26.4.1998 to 28.4.1998	The Institute of Chartered Accountants of Nepal
2.	Operational and Management Accounting	Manali	28.5.1998 to 30.5.1998	
3.	Corporate Accounting and Reporting	Delhi	13.6.1998 to 22.8.1998	

4.	Management and Management Accounting	Delhi	5.10.1998 to 17.10.1998	
5.	Corporate Finance – Emerging Trends	Delhi	9.11.1998 to 15.11.1998	
6.	Pitfalls and Safeguards	Yercaud (Tamilnadu)	6.11.1998 to 8.11.1998	
7.	Ethical Issues in Business and Finance	Delhi	21.11.1998 to 22.11.1998	Shri Ram College of Commerce
8.	Audit of Public Sector units	At various places in the country		Comptroller and Auditor General of India

8.3 The background materials published so far are :

- Taxation of Deemed Sale Transaction
- Central Sales Tax
- Direct Taxation (With special reference to Corporate Restructuring and Real Estate Development Transactions).
- Project Finance
- Credit Rating
- Central Excise
- Value Added Tax
- Project Evaluation
- EDP Audit - Pitfalls & Safeguards
- System Audit (Study material for training courses by Computer Centre)
- Communication Skills - I
- Bank Audit CD-ROM
- Y2K Compliance
- Bank Audit
- Concurrent Audit of Banks
- Taxation of Charitable Trusts and Institutions.

8.4 The Committee continued to hold post qualification course examinations for members. Appropriate measures have been taken to popularise these courses. All the computer centres of the Institute except Chennai continued to provide computer education to members and students through specially designed courses. Further, these computer training centres are being upgraded in a phased manner. New Computer Centres are being set up at Jaipur, Hyderabad, Ahmedabad and Guwahati.

8.5 The Committee also proposes to conduct Continuing Education programmes in the areas of :

- Communication Skills II
- Operational & Management Audit
- Case Studies in Accounting & Auditing Standards
- Information Technology
- Code of Conduct
- Environmental Audit

- Corporate Laws
- Central Excise & Customs Audit
- Sales Tax Audit
- Intellectual Property Rights & General Agreement on Trade in Services

9. COMMITTEE FOR MEMBERS IN INDUSTRY

To promote the interest of our members serving in industry and to develop opportunities available to our members, the Committee had undertaken following activities during the year :

9.1 As a measure to develop employment opportunities for our newly qualified members, the Committee has been successfully organising Campus Interviews twice a year during the past four years, wherein prospective employers and our new members interact and explore the possibility of taking up employment careers in various organisations. The Campus Interviews organised during the year received an impressive response from both the employers and our young members as is evident from the fact that in all 84 teams of employers evaluated the bio-data of about 4700 young members. Organisations from all over the country, both from the public and private sectors including multinationals, participated in the scheme. As a measure to enable our young members to face the Interview Boards with more confidence, Workshops on improving the skills for an interview and Orientation Programmes were conducted at various interview centres which have been highly appreciated by the young members who attended those programmes:

Statistical information regarding Campus Interviews for newly qualified Chartered Accountants is as under :

A. Interviews held in September-November, 1998.

Centre	Dates of Interviews	No. of Bio-data Reviewed by Companies	No. of Interview panels of Companies
Bangalore	24th - 26th September, 1998	178	4
Calcutta	6th - 10th October, 1998	333	5
Mumbai	12th - 17th October, 1998	840	8
Chennai	22nd - 25th October, 1998	361	7
New Delhi	26th - 30th October, 1998	802	9
Hyderabad	2nd - 3rd November, 1998	92	4
Ahmedabad	5th - 6th November, 1998	138	4
		2744	**41**

B. Interviews held in March - May, 1999.

Centre	Date of Interviews	No.of Bio-data reviewed by Companies	No. of Interview panels of Companies
Ahmedabad	26th and 27th, March 1999	116	2
Calcutta	5th, 6th, 7th, 8th and 9th April, 1999	236	7
Chennai	12th, 13th, 14th, 15th and 16th April, 1999	188	6
Mumbai	19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd and 24th April, 1999	610	13
Bangalore	28th and 29th, April, 1999	263	3
New Delhi	3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th May, 1999	606	12
		2019	**43**

9.2 An All India Seminar on 'Information Technology Industry - A Vision for Tomorrow' was organised at Hotel Ramada Manohar, Hyderabad on 7th and 8th August, 1998. The seminar was a resounding success. 430 delegates from all over the country attended the seminar. The Seminar was inaugurated by Shri R. Chandra Sekhar, IAS, Secretary (IT), Government of Andhra Pradesh and CMD, A. P. Industrial Infrastructure Corporation, Hyderabad. Shri S.L. Daga and Shri S. Gopalakrishnan were the coordinators of the Seminar.

9.3 A Round Table Discussion on Structuring of Power Projects was organised on 12th March, 1999 at Hotel Maurya Sheraton, New Delhi. High level executives from power sector organisations, Financial Institutions and a foreign embassy participated in the discussions.

9.4 The Committee proposes to provide the following services :

- Publishing monthly newsletter
- Collecting authentic data
- Organising free lecture meetings through Regional Councils and Branches
- Formulation of Study Circles.
- Provision of JURIX software packages for Regional Councils and Branches.

9.5 The Committee has been active in popularising Employment Assistance Scheme for Chartered Accountants including those retiring from service. This service is being provided at the Regional Council offices of the Institute.

9.6 The Committee continues to be active in improving the status and role of members in industry.

10. COMMITTEE ON ETHICAL STANDARDS & UNJUSTIFIED REMOVAL OF AUDITORS.

The Council has at its meetings held in May and June/July 1999 taken the decisions on certain recommendations of the Committee, as under:-

- A Chartered Accountant in practice or a firm of Chartered Accountants may be permitted to carry out Y2K compliance certification of an entity alongwith the audit of the said entity, unless the Chartered Accountant in practice or firm of Chartered Accountants, as the case may be, was associated either directly or indirectly in designing and conversion of the computer system for Y2K compliance.

  Notification no. I-CA/7/43/99 under clause (ii) of Part II of the Second Schedule of the Chartered Accountants Act, 1949 has been published in Part III Section 4 of the Gazette of India dated 31st July 1999.

- The Council has decided to include a direction in the Code of Conduct that in the case of an undisputed audit fee for carrying out the statutory audit under the Companies Act or various other applicable statutes having not been paid, the incoming auditor should not accept the appointment unless such fee is paid. In the case of sick units, BIFR referred units, the bar shall not apply. The provision for audit fee made in accounts signed by both the auditee and auditor shall be considered as 'undisputed' audit fee. The Council also decided to issue a notification under clause (ii) of Part II of the Second Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 to that effect.

- The Council has decided that members in practice who are in full-time employment, their practice shall not be considered as their main occupation. The Council has, however, remitted the matter of reframing of the existing guidelines laid down by the Council earlier for determination of the main occupation of members to ascertain their eligibility to train articled clerks, in light of the above decision, back to the Committee.

- The suggestion of the Committee, for issuance of notification under clause (ii) of Part II of the Second Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 for enforcing the decisions of the Committee communicated to the incoming auditors not to accept the appointments as auditors, has been accepted by the Council subject to formulation of detailed guidelines by the Committee in light of the views expressed in the Council and approval of those guidelines by the Council.

11. INTERNATIONAL AFFAIRS COMMITTEE

The International Affairs Committee undertook a number of major initiatives and was able to fructify a concrete plan of expanding the Institute's activities internationally. These are detailed below :

11.1 The Institute continued to play an active role in various regional and international apex forums of professional accountants during the year. The Institute has been a founder member of the International Federation of Accountants (IFAC) set up in 1977, Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) set up in 1976 and South Asian Federation of Accountants (SAFA) set up in 1984.

11.2 International Federation of Accountants

Nominees of the Institute continued to represent the Institute in Ethics Committee of IFAC and the Auditing Practices Committee of IFAC. The nominee of the Institute on the IFAC's Ethics Committee is also associated as a member of the IASC Steering Group on formulation for extractive industries.

The nominee of the Institute, Mr. Rahul Roy attended the IFAC's Ethics Committee meeting held in September, 1998 at Washington in which a working group draft on prohibitions was discussed. He was also chosen to represent IFAC's Ethics committee at conference of East, Central and Southern African Federation of Accountants in November, 1998 at Nairobi Kenya. In addition, he represented the Institute at IFAC's Sub-Committee meeting on Ethics held in London.

The Other nominee of the Institute, Mr. M.M. Chitale represented the Institute at the IFAC's Auditing Practices Committee meetings held in June, 1998 at Caracus Venezuela and in October, 1998 at Kyoto, Japan.

11.3 International Accounting Standards Committee

The nominee of the Institute, Mr. T.S. Vishwanath continued to represent the Institute at the International Accounting Standards Committee. He represented the Institute at IASC Board Meeting held in April, 1998 at Kuala Lumpur Malaysia. He also represented the Institute in its meetings held in Canada in July, 1998, at Zurich, Switzerland in November, 1998 and at Washington in March, 1999.

11.4 South Asian Federation of Accountants (SAFA)

The Permanent Secretariat of SAFA continues to be located at ICAI, New Delhi. The 33rd SAFA Assembly meeting was held at Colombo, Sri Lanka on 3rd May, 1998 which was preceded by SAFA Regional Conference on 'Positioning the region as a Global Economic Power'. The then Institute's President, Shri Rahul Roy, led the Indian delegation. Shri T.S. Vishwanath, Past President of the Institute was unanimously elected as Vice-President, SAFA for the year 1998. The Assembly, amongst other matters, discussed, through a Seminar, the possible ways of positioning the Region as an economic power.

The 34th Assembly meeting of SAFA was held in Dhaka, Bangladesh on 2nd August, 1998. The then Vice-President of SAFA, Shri T.S. Vishwanath and the then Vice-President of the Institute, Shri S.P. Chhajed attended the meeting. Among the various issues discussed in the meeting, the matter or approach to WTO issues was explored, where the Indian point of view was presented.

The 35th Assembly Meeting of SAFA was held in Calcutta, India on 3rd December, 1998. Indian delegation was led by Shri Rahul Roy, the then President,

ICAI. Shri T.S. Vishwanath, FCA, Vice-President – SAFA and Former President of the Institute was unanimously elected as President, SAFA for the year 1999. Shri Ashok Haldia, FCA, the Permanent Secretary of SAFA will also act as Executive Secretary, SAFA. SAFA achieved a milestone in this meeting in that the Mission and Strategy paper finalised by the ICAI was adopted by the Assembly.

SAFA-WTO Sub-Committee meeting was held on 20th February, 1999 at Colombo, which was preceded by technical presentation by different member bodies on their entry requirements, qualification and certification requirements. This would greatly help in MRAs in the future.

The 36th SAFA Assembly meeting was held on 21st February, 1999 at Colombo. The Institute's President, Shri S.P. Chhajed led the delegation. The major issue considered by the Assembly was the restructuring of SAFA, so that the Mission & Strategy as adopted could be achieved.

The 37th SAFA Assembly meeting was held on 20th April, 1999 at Chennai, India. Indian Delegation was led by Shri S.P. Chhajed, President, ICAI. The issue of financing of SAFA and Restructuring was further deliberated upon during this meeting and it was resolved that various alternatives as to amendments to the SAFA Constitution should now be explored. It was also decided to distribute WTO Related Tasks amongst the member bodies. Assembly meeting was preceded by a SAFA Seminar on 21st April, 1999 on `Organising for Free Trade in South Asia'.

11.5 Other Activities

During the year negotiations on Memorandum of Understanding with the Joint International Committee of the Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti (CNDC), Italy were held and concluded. A joint consultative Committee with CNDC, Italy and the Institute for technical collaboration and negotiations for execution of Mutual Reciprocity Agreement was also set up. CNDC, Italy and CNRPC, Italy under terms of Memorandum of Understanding would actively assist ICAI for obtaining European Union recognition for the Institute of Chartered Accountants of India's qualification.

The Institute entered into Memorandum of Understanding with the Institute of Chartered Accountants of Nepal and provided help of senior officers for establishing and setting up their Institute (ICAN). The Institute also sponsored ICAN for Confederation of Asian and Pacific Accountants membership. A Memorandum of Understanding was also entered into with professional bodies in Russia, Ukraine and Kyrgyzstan for developing the profession in those countries. ICAI will help its counterparts in those countries in various matters including development of syllabi, examination system etc. Ukrainian Federation of Professional Accountants and Auditors was sponsored by the Institute for membership of International Federation of Accountants. A Sub-Committee has also been formed for vetting and scrutinising MOUs.

During the year the Institute assisted the Ministry of Commerce, Govt. of India in formulating and negotiating India's stand at working party on professional services negotiations at Geneva. Dialogues for bilateral/multi-lateral cooperation and mutual recognition that with a large number of countries all over world continued.

The Institute received an invitation from UNCTAD for presenting its views on professional education at UNCTAD (ISAR) in February, 1999 at Geneva. Shri S.P. Chhajed, President attended the above conference to represent the Institute. It was noted in the Conference that the curriculum of ICAI, is at almost par with the 'Global Curriculum' formulated by ISAR (International Standards on accounting and Reporting) intergovernmental working group.

Confederation of Asian and Pacific Accountants accepted India's invitation for holding EXCOM meeting in India in April, 1999. The CAPA EXCOM meeting was successfully held at New Delhi in April, 1999.

Separate negotiations with UNCTAD and OECD were continued for arranging joint International Conference in India.

During the year, a Chapter of the Institute was set up at Nairobi, Kenya.

12. UNIVERSITY & HIGHER SECONDARY BOARDS LIAISON COMMITTEE

12.1 Joint Seminars with Universities:

In its efforts to strengthen coordination of the Institute with various Universities and Higher Secondary Boards in the country, the Committee organised seminars jointly with the following universities:

- Bharathidasan University, on "Students Education" on 10th and 11th October, 1998.
- Allahabad University on "Accounting Standards & Dynamic of Taxation" on 15th November, 1998.
- Goa University on "Recent Development in Corporate Sector- Challenges for Accounts, Accounting Education & Research Interaction between Universities and ICAI" on 21st November, 1998
- Osmania University on "Accounting Profession and Commerce Education in the next millennium" on 11th December, 1998.

12.2 Popularisation of CA Course:

Necessary steps are being initiated by the University & Higher Secondary Boards Liaison Committee to popularise Chartered Accountancy Course, including by using electronic medium.

12.3 Collecting Information of Chartered Accountants who have completed Ph.D.

All the Regional Councils and their branches have been requested to suitably collect information (through Newsletter or otherwise) of Chartered Accountants who have completed Ph.D. in their regions.

12.4 Award of ICAI Prize/Gold Medal by Universities:

S.No.	Name of the University	Nature of Prize
1.	Allahabad University	Prize
2.	Banaras Hindu University	Prize
3.	Bangalore University	Gold Medal
4.	Bombay University	Gold Medal
5.	Calcutta University	Prize
6.	Calicut University	Prize
7.	Delhi University	Prize
8.	Gujarat University, Ahmedabad	Prize
9.	Guru Nanak Dev University, Amritsar	Prize
10.	Jammu University	Prize
11.	Jodhpur University	Prize
12.	Kurukshetra University	Prize
13.	Lucknow University	Prize
14.	Madras University	Gold Medal
15.	Maharshi Dayanand University, Rohtak	Prize
16.	Marathwada University, Aurangabad	Prize
17.	Mohanlal Sukhadia University, Udaipur	Prize
18.	Nagarjuna University, Guntur	Gold Medal
19.	North Bengal University, Raja Rammohanpur (Darjeeling)	Prize
20.	Osmania University, Hyderabad	Gold Medal
21.	Poona University	Prize
22.	Punjab University, Chandigarh	Prize
23.	Ravishankar University, Raipur	Prize
24.	Shivaji University, Kolhapur	Prize
25.	Vikram University, Ujjain	Prize

12.5 Recognition of C.A. Course

With continuous follow-up, the Committee has been successful in obtaining recognition for C.A. course from few more Universities. Now in all 59 Universities and three Indian Institutes of Management besides the Association of Indian Universities have recognised the C.A. course for the purpose of Ph.D./Fellow Programme. A list of Association/Institutes/Universities, which have so far recognised the C.A. Course, is given hereunder:

(a) Association

1. Association of Indian Universities, New Delhi

(b) Institutes

1. Indian Institute of Management, Ahmedabad.
2. Indian Institute of Management, Bangalore.
3. Indian Institute of Management, Calcutta.

(c) Universities

1. Alagappa University, Algappa Nagar, Karaikudi.
2. Aligarh Muslim University, Aligarh.
3. Dr. Bhim Rao Ambedkar University, Agra.
4. Banaras Hindu University, Varanasi.
5. Bangalore University, Bangalore.
6. Bharathidasan University, Tiruchirapalli.
7. University of Bombay, Mumbai
8. Barkatullah Vishwavidyalaya, Bhopal
9. Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad.
10. Bhavnagar University, Bhavnagar.
11. Bharathiar University, Coimbatore.
12. Calicut University, Calicut.
13. Ch. Charan Singh University, Meerut.
14. Cochin University of Science & Technology, Kochi.
15. Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore.
16. Gujarat University, Ahmedabad.
17. Goa University, Goa.
18. Guru Ghasidas University, Bilaspur (M.P.)
19. Himachal Pradesh University, Shimla.
20. Jai Narayan Vyas University, Jodhpur
21. Jiwaji University, Gwalior.
22. Karnatak University, Dharwad.
23. University of Kashmir, Srinagar.
24. University of Kerala, Thiruvananthapuram.
25. Kurukshetra University, Kurukshetra.
26. Kuvempu University, Shankaraghatta (Karnataka).
27. Lucknow University, Lucknow.
28. M.S. University of Baroda, Vadodara.
29. Maharshi Dayanand University, Rohtak.
30. Manipur University, Manipur.
31. Mangalore University, Mangalagangothri, Mangalore.
32. Mohanlal Sukhadia University, Udaipur.
33. University of Mysore, Mysore.
34. Mahatma Gandhi University, Kottayam.
35. University of Madras, Chennai.
36. Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi.
37. Madurai Kamaraj University, Madurai.
38. North Maharashtra University, Jalgaon.
39. North Gujarat University, Patna.
40. University of North Bengal, Darjeeling.
41. Osmania University, Hyderabad.
42. Pondicherry University, Pondicherry.
43. University of Poona, Pune.
44. Punjab University, Chandigarh
45. Punjabi University, Patiala.
46. Ranchi University, Ranchi.
47. Rani Durgawati Vishwavidyalaya, Jabalpur.
48. Rohilkhand University, Bareilly.
49. Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar.
50. Sambalpur University, Sambalpur

51. Saurashtra University, Rajkot.
52. Shivaji University, Kolhapur.
53. Sri Krishnadevaraya University, Andhra Pradesh.
54. Shri Shahu Ji Maharaj University, Kalyanpur, Kanpur.
55. Tata Institute of Social Sciences, Mumbai.
56. Utkal University Bhubaneswar.
57. Sri Venkateshwara University, Tirupati.
58. Vikram University, Ujjain.
59. Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Nasik.

12.6 In the open general session of the Association of Indian Universities Seminar at Indore from 18th -20th December, 1998, a desire was expressed by Vice-Chancellors of these Universities which are imparting Commerce as a subject at undergraduate level for harmonising commerce education in the country.

The University & Higher Secondary Boards Liaison Committee has accepted the above challenge of harmonising commerce education in the country at undergraduate level. Steps have been initiated in this direction as well.

13. PUBLIC RELATIONS COMMITTEE

The major activities of this Committee may be broadly divided into Printed Publicity, Publications, Press Publicity, Issue of Commemorative Stamp and Video Film.

13.1 Printed Publicity

- **Students Folder:** As a part of its strategy to create an awareness about the profession of chartered accountants among the students, the Public Relations Committee brought out a three fold brochure captioned "Chartered Accountancy: A Passport to Challenging Career" for the use of students. 20000 copies of the Students folder were printed and distributed to branches and regional offices.

- **Poster:** A multi-coloured poster depicting the scheme of entry to CA profession was developed by this Committee, so as to attract the students towards the CA course. 1200 copies of the coloured poster were printed and distributed to branches and regional offices for being used during the career counselling.

13.2 Publications

- **Quarterly Newsletter:** As a part of its image building exercise, the PRC is bringing out a quarterly newsletter of the Institute titled 'ICAI Patrika'. Four issues of the Patrika have been published so far.

  The target readers of the four page ICAI Patrika as identified by it include various ministries of the Central and State Govt., Chambers of Commerce, International bodies of professional accountant, Revenue Officials, Registrars of Cooperative Societies, Chairmen and Managing Directors of various nationalised banks, RBI/SEBI and Financial Institutions.

- **Brochure in Question - Answers Form :** It decided to bring out a brochure for the benefit of students in Question - Answers form. The Brochure aimed at providing clarification/answers to all the conceivable queries/questions, which crop up in the minds of students intending to join CA course. This could be a part of strategy on career counselling and can supplement the Help Desk. The draft of the text of the brochure is likely to be finalised soon.

- **Profile of ICAI:** The draft text of the Profile of the Institute has been prepared and sent to members for final vetting.

- **Book containing speeches of Past Presidents:** The Committee for Golden Jubilee Celebrations has proposed to bring out a book containing the speeches delivered by all past Presidents at the Annual Meetings of the Council. This task has been assigned to it. Speeches of the past Presidents have been compiled and the work would be completed very shortly.

- **Directory of the Institute: The** Golden Jubilee Committee decided that a Directory of the Institute may be published which may contain details including history of the branch/Council and its building, the facilities available in the office, number of members at time of inception and at present, city-wise details of number of C.A.s and similar other details alongwith photographs. The Chairmen of all Regional Councils and branches have been requested to furnish the required information. A large number of branches have already furnished the required information while the others have been reminded.

13.3 Press Publicity

The last about twelve months have been very eventful for the Institute particularly when the Golden Jubilee Celebrations were inaugurated by the Hon'ble Prime Minister of India Shri Atal Behari Vajpayee. Both the inaugural function and the Panel discussion held at the Siri Fort Auditorium on 1st July, 1998 were widely publicized in the print media and also on all Television Channels.

After the inaugural function, a concerted publicity was organised against imposition of service tax on chartered accountants. The President and also the Vice-President briefed press correspondents on the issue.

The next major event was the Golden Jubilee Conference, which was organised at Calcutta and the Press and Media attended the Press Conferences held in this connection, in large numbers. The Conference got wide publicity in English, Hindi and other language newspapers not only in Calcutta but also in Delhi, Mumbai and other parts of the country. TV channels like Doordarshan, CNBC, Calcutta City Cable Network and Khas Khobar also covered the Conference.

Media coverage was also arranged for the 49th Annual Function, Round Table Discussions on Structuring of Power Projects, Workshop on Budget proposals, SAFA Assembly at Sri Lanka and Chennai, MOU signing ceremony with IIM, Bangalore, 200th Council Meeting etc.

Since 29th January, 1998, the PRC has issued over 125 handouts on matters relating to election of President & Vice-President, Campus Interviews, (visit of Ministers to Institute), IBA & ICAI Collaboration, Agreements with ICA of Nepal, Ukrainian Chamber of Professional Accountants and Auditors, Chamber of Audit of Kyrgyz Republic, Export of Professional Services, Pre-Budget and Post Budget Memorandum, CA results, Service Tax, 50 years of the Institute, Accounting Standards, Y2K Issue, Foreign Exchange Management and Prevention of Money Laundering Bills, Companies (Amendment) Ordinance, 200th Council Meeting, MOU with IIM Bangalore etc. Large number of newspapers in English, Hindi, and other languages have carried all releases. Besides, two press conferences were organised at Mumbai and Calcutta. All support and help, including preparation of press kit for the conferences, were extended by PRC to the Regional Councils.

A large member of English, Hindi and other vernacular newspapers have prominently published features and articles with photographs, on chartered accountancy as a promising career.

The Committee was also able to bring out a series of articles in the Education Times of The Times of India, on Preparation for CA Exams. The articles were published during September and October, 1998 and were written by the faculty from the Board of Studies of the Institute. Another series is proposed to be brought out from July/August 1999.

Feedback Service:- The news clipping service started by PRC earlier is being continued. A set of selected newspaper clippings relating to the profession and concerned Government departments is being circulated to the President, Vice-President, Secretary and Senior Officers of the Institute.

13.4 Video Film

The major activity during the period was inauguration of the Golden Jubilee Celebrations followed by the Panel Discussion on 1st July, 1998. The task of preparing the video film of the two functions was entrusted to an outside agency, who had prepared earlier two documentaries for the Institute. Copies of the video tape received has been circulated to all regional offices and branches thereof, Foreign Chapters as also to all Council Members.

Steps had been taken for making the Ties and Lapel pins of the Institute more attractive.

14. COMMITTEE ON VISION AND RESTRUCTURING

This Committee was constituted by the Council of the Institute in the year 1998-99 to carry out a historic exercise of reviewing the entire gamut of the profession and its positioning in the next millenium. The Committee has prepared a draft Mission Statement and Vision Statement which is under consideration before the Council. It is hoped that this strategic initiative of the Institute would enable the profession of Chartered Accountancy to identify the appropriate strategy for achieving the vision by comprehensively addressing the likely challenges arising out of metamorphosis of local and global economy in general and of Asia-Pacific in particular and the emerging opportunities for the profession in local and global market.

During the year, five meetings of the Committee were convened at Headquarters of the Institute. It approved a set of three structured questionnaires for Members in service, Members in Practice and Students to elicit the views of its members and students on the profession in the year 2010 based on a broad based analysis about the profession in altered global economic scenario. These questionnaires were published in September, 1998 issue of the Institute's Journal and Students Newsletter and the questionnaires for Members were once again published in March 1999 issue.

To ensure fair representation of members from each segment of widely diversified membership of profession, the Committee constituted various task force(s) for different regions, Industry users, Industry bodies, Banks and FIIs, Financial Markets, Regulatory bodies, Govt., Information Technology and like segments. The Committee was regularly facilitated by the experienced senior members of the profession, including past and present Council members and past Presidents in the process of positive image building for the Institute and the profession.

Workshops and surveys were conducted by it and task force(s) at Bangalore, Mumbai, Jaipur, Hubli, Visakhapatnam, Tirupur, Yercaud, Hyderabad, Chennai, Rajahmundary, Vijaywada, New Delhi, Indore, Murudeshwar and Ahmedabad.

It finalised a draft Vision Statement, wherein Mission, Vision, Core Value for Institute and Members, strategies for achieving the vision were included.

It expects to finalise the VISION for next Century by December, 1999 alongwith the detailed Restructuring plan.

15. COMMITTEE FOR GOLDEN JUBILEE CELEBRATIONS

Underscoring the significance of the historic occasion of the Institute entering its 50th year of existence on 1st July, 1998 and completing its 50 years of glorious existence on 30th June, 1999, the Council of the Institute decided to celebrate the occasions in a befitting manner for a period of two years commencing from 1st July, 1998 and ending on 30th June, 2000.

With a view to achieving the desired objectives, the Committee chalked out various programmes, which inter alia, include the following.

- Golden Jubilee year inaugurated by Hon'ble Prime Minister by releasing Golden Jubilee Logo.
- Inaugural panel discussion led by Hon'ble Finance Minister of India. Theme – Positioning India as a Global Economic Power.
- Golden Jubilee functions organised in every State and Branches with Governors/Chief Ministers/Union Cabinet Ministers/State Ministers/other key dignitaries participating.
- Organising International Conference at Calcutta on the occasion of Golden Jubilee, attended by 1200 participants from India and abroad; consisting of 16 technical sessions with 50 eminent speakers from all across the world.

- Honouring eminent Chartered Accountants.
- Institution of Golden Jubilee medals by the Institute.
- Commencement of research work on sequel to "History of Accountancy Profession".
- Advance actions for creation of archives of the Institute.
- Publication of two golden jubilee research monographs.
- Decision to award Golden Jubilee Gold Medals to best students.

Many of the above have already been achieved/executed.

The historic event of completion of 50th year of the Institute was celebrated in a grand manner. Hon'ble Shri Atal Behari Vajpayee, Prime Minister of India, Hon'ble Shri Ram Jethmalani, Minister of Law, Justice and Company Affairs, and Hon'ble Shri Suresh P. Prabhu, Minister of Environment & Forests attended the Inaugural Function. This was followed by Golden Jubilee Lecture on "Role of Accounting Profession in Economic Development" and panel discussions by eminent panelists on "Contributions of the Accountancy Profession : Expectations of the 21st Century".

16. COMMITTEE ON ELECTORAL REFORMS

Recognising the need for a re-look at the whole gamut of the election regulations/procedure which are in force for the last 7 years, in the light of the experience gained over the years in general and the practical difficulties/problems experienced/faced in the conduct of the elections to the Seventeenth Council and Sixteenth Regional Councils held in December, 1997, in particular, the Council of the Institute constituted a Committee, called "Committee on Electoral Reforms". The mandate of the Committee is to review the entire election-related regulations/directions/procedures/guidelines etc. as they exist today and are applicable not only to the elections to the Council and Regional Councils but also to the elections to the Managing Committees/Office-bearers of branches of Regional Councils and to recommend suitable changes in the system.

In keeping with the above objective, an extensive exercise had been carried out to identify the issues pertaining to the election-related regulations/directions, etc. The issues so identified were categorised (regulation-wise) and circulated, in the first instance, among the Regional Councils and their branches for their views/suggestions/comments. Later, the same was also published in the January, 1999 issue of the Institute's Journal for comments/suggestions/views of all concerned. The responses received thereon have been considered and certain in-principle decisions have been taken by the Committee. A Core-Group has been recently constituted to examine the matter relating to shortening the existing time span of existing schedule followed for the purpose of holding elections to the Council and Regional Councils and related matters.

17. COMMITTEE FOR REVIEW OF EDUCATION AND TRAINING

The Committee for Review of Education and Training (CRET) submitted its final Report to the Council at its meeting held in January, 1998. Subsequently, the Council considered the Report at its 193rd, 194th & 195th meetings held in July,

August & October, 1998 respectively. The basic scheme of overall pre-qualification education and training decided by the Council, amongst other significant decisions, is as under :

- Minimum qualification for entry requirements should continue to be a pass in 10+2 examinations or its equivalent.
- Professional Education (PE) Course of about two years' duration should be introduced, prior to commencement of Practical Training in two parts- Professional Education I (PE-I) and Professional Education II (PE-II).
- Compulsory practical training in computers for a period equivalent to three months of about 200-300 hours prior to commencement of articles.
- Period of practical training should continue to be of three years.
- Eligibility to appear in Final Examination during last six months of the training or thereafter.
- Attending a two weeks' course on "General Management and communication Skills" to be organised by Regional Councils and Branches thereof after the completion of practical training.
- Training guide should be effectively implemented.
- Maximum period of secondment should be six months.
- Criteria of "efflux of time" and "work-quantum' should be integrated in a judicious manner for the purpose of determining entitlement to train articled clerks. Number of articled clerks based on "efflux of time" to be brought down. Modalities of implementing "work quantum" to be worked out so as to move gradually towards work quantum criteria.
- Industrial Training should continue to be optional as per the present scheme.
- Test paper scheme should be made applicable to students of PE Course and Final Course.
- Scheme of accredited institutions should be extended to the Final Course. Regional Monitoring Committee(s) to play an active role in reviewing the performance of accredited institutions.
- Imparting theoretical education through audio-visual methods, television and tele-conferencing.
- Examination papers should be more practical-oriented.
- Restriction on the number of attempts for PE-I and PE-II Examinations.
- No restriction on maximum number of attempts in the Final Examination.
- A compulsory full paper on Information Technology at PE-II level.
- CPE Programmes should be made mandatory. To begin with, requirement of mandatory CPE should be applicable only for members in practice and such members who are above 65 years of age may be exempted.
- Post Qualification Courses should be re-designed.
- Short-duration specialised courses may be organised.

Necessary steps are being taken to expedite the implementation of new scheme of education and training.

Draft amendments to the Chartered Accountants Regulations, 1988, to give effect to the above changes, are under consideration.

APPENDIX VI

(Ref. Para 11.2 of the Report)

List of names deleted from the Register of Members on account of Death during the year ended 31st March 1999.

S.No.	M.No.	Name
1	000382	I S Bhatty
2	000396	P R Hariharan
3	000497	K V Srinivasan
4	000655	N Ramanujan
5.	000687	S Venkataraman
6	000967	K B Jorapur
7	001036	A Chatterji
8	001125	K C Bardalai
9	001153	N M Gidwani
10	001155	R K Mukherjee
11	001238	A K Ghosh
12	001478	S S Mukhopadhyay
13	001612	A S Srikrishna
14	001663	S N Gupta
15	001789	R S Phadke
16	001855	N K Gangopadhyaya
17	002037	V M Khandwala
18	002181	K A Arjunan
19	002216	N R Titina
20	002501	E D Katpitia
21	002546	K R Shah
22	002621	S S Khandekar
23	003139	M Venkatakrishnan
24	003166	D Banerjee
25	003284	S M Ghooi
26	003335	C Balasubramanian
27	003382	V V Nerurkar
28	003402	C D Doshi
29	003411	K Mitra
30	003471	R K Gupta
31	003682	C Thandavakrishna
32	004024	P Viswanadham
33	004034	M C Bhandari
34	004134	T Narasimhachariar
35	004368	R S Mukherjee
36	004378	G C Paul
37	004380	C Subbarao
38	004400	S K Chatterjee
39	004424	A K Padhi
40	004477	S N Johri
41	004512	M K R Srihari
42	004713	R L Wankawala
43	005022	H K Aparanji
44	005124	S Subramanian
45	005330	S S Ayyar

46	005347	T Srinivasan
47	005944	L Narayan
48	006347	M Jacob
49	006349	N M Sharma
50	006632	N Rameswamy
51	006649	T R Kota
52	007062	N Kalyanakrishnan
53	007450	Jagdish Gupta
54	008009	G Venkateswara Rao
55	008293	K S Jagannathan
56	008344	A K Valsh
57	008358	N K Bose
58	008629	Sudhakar Rao M
59	009111	P Rui
60	009383	P G Viswambharan Nair
61	009438	M S Narayanaswami Rao
62	010953	F C Choraria
63	011305	K R Shah
64	011551	G D Maheshwari
65	012369	A V Muzumdar
66	012492	S M Agarwal
67	012635	A K Ravasia
68	012848	Chandrashekar Kote
69	013650	M Satyanarayanan
70	014550	N D Sharda
71	014887	Lakshminarayanan R
72	015446	V Chandrasekharan
73	016292	A H Patel
74	017961	C K Shah
75	019147	Kadthal Ratnakar Nayak
76	019246	Balaramaiah B
77	020028	Sudhakara Rao B
78	020535	Purushotham C
79	021513	Yagna Narayana K
80	021534	Kedarinath B
81	022080	N S Krishnan
82	025374	S P Ponnada
83	026436	Bhaskaram N S
84	028443	Sampath Kumar J
85	029796	Prahalada Rao M N
86	038517	K Balasubramanian
87	048150	H N Shah
88	051073	N C Sarkar
89	053280	R K Himmatsingka
90	053601	P K Kedia
91	070429	K Tanwani
92	073819	G L Tulsyan
93	075139	S R Chhaparwal
94	080952	L N Gupta
95	081213	U P Mukhopadhyay
96	091998	Satish Kumar
97	101671	R K Gada

98	200564	P M Kumar
99	200904	Mariapati Srinivasa Rao
100	203487	Ramesh Babu K G
101	204065	Sarvothama Shetty A
102	206345	Sai Venugopal Rao K

APPENDIX VII

(Ref. Para 12.1.4 of the Report)

Region-wise Number of Students Registered for Foundation Course during the year 1998-99

Western India Region	12,876
Southern India Region	5,903
Eastern India Region	6,511
Central India Region	9,889
Northern India Region	8,630
	43,809

APPENDIX VIII

(Ref. Para 12.1.6 of the Report)

Number of Students on Rolls for Intermediate and Final Courses

	Inter	Final	Total
No. of students who were enrolled as on 1st April, 1998	1,36,816	33,780	1,70,596
Add: Enrolled during the year 1998-99	28,253	12,227	40,480
	1,65,069	46,007	2,11,076
Less: No. of students who have passed Intermediate/Final Examination in the year (May 1998 & November 1998)	11,524	7,405	18,929
	1,53,545	38,602	1,92,147

APPENDIX IX

(Ref. Para 13.1.1 & 13.1.2 of the Report)

A. List of Branches of Regional Councils as on July, 1999 :

Western India Regional Council

1. Ahmedabad
2. Anand
3. Aurangabad
4. Baroda
5. Goa
6. Jalgaon
7. Kolhapur
8. Nagpur
9. Nasik
10. Pune
11. Rajkot
12. Sangli
13. Solapur
14. Surat

Southern India Regional Council

1. Alleppey
2. Bangalore
3. Belgaum
4. Calicut
5. Coimbatore
6. Ernakulam
7. Erode
8. Guntur
9. Hubli
10. Hyderabad
11. Kottayam
12. Kumbakonam
13. Madurai
14. Mangalore
15. Mysore
16. Palghat
17. Pondicherry
18. Quilon
19. Salem
20. Tiruchirapalli
21. Tirunelveli
22. Tirupur
23. Trichur
24. Trivandrum
25. Tuticorin
26. Vellore
27. Vijayawada
28. Visakhapatnam

Eastern India Regional Council

1. Asansol
2. Bhubaneswar
3. Cuttack
4. Durgapur
5. Guwahati
6. Rourkela
7. Siliguri

Central India Regional Council

1. Agra
2. Ajmer
3. Allahabad
4. Alwar
5. Bareilly
6. Bhilwara
7. Bhopal
8. Dehradun
9. Dhanbad
10. Ghaziabad
11. Gwalior
12. Indore
13. Jaipur
14. Jamshedpur
15. Jodhpur
16. Kota
17. Lucknow
18. Mathura
19. Meerut
20. Moradabad
21. Noida
22. Patna
23. Raipur
24. Ranchi
25. Udaipur
26. Varanasi

Northern India Regional Council

1. Amritsar
2. Chandigarh
3. Faridabad
4. Gurgaon
5. Himachal Pradesh
6. Hisar
7. Jalandhar
8. Jammu & Kashmir
9. Ludhiana
10. Panipat
11. Patiala
12. Rohtak
13. Yamunanagar

B. List of Chapters of the Institute outside India

1. Abu Dhabi
2. Bahrain
3. Doha
4. Dubai
5. Jeddah
6. Muscat
7. Zambia
8. Botswana
9. Eastern Province (Saudi Arabia)
10. Nairobi (Kenya)

AUDITORS' REPORT

We have audited the Balance Sheet of The Institute of Chartered Accountants of India, as at 31st March, 1999 and also the annexed Income & Expenditure Account for the year ended on that date incorporating the accounts of the Institute's Office, Regional Council and their Branches audited by other auditors and report that :

1. We have obtained all information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

2. The Balance Sheet and the Income & Expenditure Account dealt with by the report are in agreement with the books of accounts;

3. In our opinion, the accounts are maintained in conformity with the requirements of Chartered Accountants Act, 1949;

4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the statement together with the schedules attached and read with the Accounting Policies and subject to Note No. 1 regarding non-receipt of the accounts of one branch; Note No. 2 regarding non-ascertainment of actuarial value of liability towards Pension Funds and Leave Encashment Fund and Note No. 4 regarding Prior Period Income & Expenditure, give a true and fair view :

   (I) In the case of Balance Sheet, of the state of affairs as at March 31, 1999; and

   (II) In the case of the Income & Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date.

PRADEEP AGGARWAL
CHARTERED ACCOUNTANT

R K BATRA
CHARTERED ACCOUNTANT

Place : New Delhi

Dated 21/8/99

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
BALANCE SHEET
AS AT MARCH 31, 1999

(Amount In Rupees) PAGE NO. 1

Particulars	SCH.		31-03-99		31-03-98
SOURCES OF FUNDS:					
Capital Reserves	A		175306870		142870889
General & Other Reserves	B		90666567		92475393
Earmarked Funds	C		190934377		151193719
TOTAL			456806814		386540001
APPLICATION OF FUNDS:					
Fixed Assets:					
Gross Block		234817334		199756263	
Less: Depreciation		(78123123)		(59513318)	
Net Block	D		156694211		140242945
Earmarked Fund Investments	E		190934377		151193719
Other Investments	E		194733369		178577760
Net Current Assets	F		(87454098)		(83565783)
Deferred Revenue Expenditure (To the extent not written off)			1898955		91360
TOTAL			456806814		386540001

New Delhi
Date: 21/8/99

DEVENDRA KUMAR
(JOINT SECRETARY

ASHOK HALDIA
SECRETARY

G SITHARAMAN
VICE PRESIDENT

S P CHHAJED
PRESIDENT

Schedules 'A' to 'H' form an integral part of Accounts.

As per our Report of even date attached

New Delhi
Date: 7/9/99

PRADEEP AGGARWAL
CHARTERED ACCOUNTANT

R K BATRA
CHARTERED ACCOUNTANT

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.1999

Page No 2

	31.03.99 Rs.	31.03.98 Rs.
A. INCOME		
Fees Received	276347359	228367555
Journal & News Letters:		
a) Journal	1095869	603530
b) Students News Letter	442894	358778
Publications Income	19688584	18205039
Seminar Income	24571902	13519093
Interest on Investments	23597157	15146928
Computer Centres : Income	2504481	1936526
Other Income	17443318	12874507
TOTAL "A"	365691564	291011956
B. EXPENDITURE		
Journal & News Letters:		
a) Journal	14847491	10030880
b) Students News Letter	3003142	1988734
c) News Letters of Rcs & Brs	3441792	2285136
Publications	5894915	3493044
Distant Education Expenses	25321489	17998757
Examination Expenses	44610128	33833098
Seminar Expenses	25395679	15486795
Salaries	113011869	103176728
Printing & Stationery	8161145	6102283
Postage, Telegrams & Telephones	12321584	7822378
Rent, Rates & Taxes	9477226	8176454
Repairs & Maintenance	5798219	5840744
Travelling & Conveyance	20518824	13241125
Overseas Relations	8159345	5245240
Professional Fees	3152827	1725642
Computer Centres Expenses	847018	732114
Depreciation	18670044	8972817
Other Expenditure	11592674	14249845
TOTAL B	334325411	260401814
NET SURPLUS (A-B)	31366153	30610142
Appropriation to Reserves :		
Education Fund	27674336	17691719
Employees Benevolent Fund	1000000	
Golden Jubilee Celebration Fund		1000000
General Reserve	2691817	11918423
	31366153	30610142

New Delhi
Date: 21\8\99

DEVENDRA KUMAR, JOINT SECRETARY
ASHOK HALDIA, SECRETARY
G SITHARAMAN, VICE PRESIDENT
S P CHHAJED, PRESIDENT

Schedules 'A' to 'H' form an integral part of Accounts.

As per our Report of even date attached

New Delhi
Date: 21/9/99

PRADEEP AGGARWAL, CHARTERED ACCOUNTANT

R K BATRA, CHARTERED ACCOUNTANT

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
CAPITAL RESERVES

Page No 3

SCHEDULE - "A"

Particulars	EDUCATION		GENERAL	
	31.03.99	31.03.98	31.03.99	31.03.98
Balance as per last Account	87597774	39597085	55273115	51937797
Add : Transfers from Earmarked Funds :				
a) Education Fund	12367476	34691189	-	-
b) Computerisation Fund	4886358	9864604	-	-
c) Accounting Research Foundation and Other Building Fund	5500000	3444896	-	-
Transfer from General Reserve	-	-	1391321	20000
Admission Fees and allocated Entrance Fees.	-	-	1883000	1689800
Donation received for Buildings	-	-	6407825	1625518
	110351608	87597774	64955262	55273115
TOTAL	175306870	142870889		

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
GENERAL & OTHER RESERVES

SCHEDULE "B"

Particulars	GENERAL		OTHERS *	
	31.03.99	31.03.98	31.03.99	31.03.98
Balance as per last Account	85714811	75106647	6760582	5877300
Appropriation from Income & Expenditure Account	2691817	11918423	-	-
Net Depletion during the year	-	-	(385254)	(181302)
Transfer to Capital Reserves - General	(1391321)	(20000)	-	-
Transfer to Earmarked Funds-Others	(2298245)	(524062)	(526823)	298387
Transfer to Other Reserves	(2717919)	(766197)		
Transfer from General Reserve	-	-	2717919	766197
	81999143	85714811	8566424	6760582
TOTAL	90565567	92475393		

Note: Other Reserves are Reserves (such as Library Reserves,Coaching Classes Reserves etc) in the books of Regional Councils and Branches.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA , NEW DELHI

SCHEDULE "C" - EARMARKED FUNDS

(Amount in Rupees)

Particulars	31.03.99	31.03.98
1.Education Fund	**79122062**	56224848
2.Medals and Prizes Funds	**2907854**	2313564
3.Students Scholarships Funds	**1489810**	1251749
Total (A)	**83519726**	59790161
1.Pension Fund	**35760643**	29017152
2.Leave Encashment Fund	**10000000**	
3.Employees Benevolent Fund	**1000000**	
Total (B)	**46760643**	29017152
1.Research Funds	**24606882**	20920633
2.Accounting Research Foundation and Other Building Fund	**16750093**	19251104
3.Computerisation Fund	**8389278**	11696596
4.Golden Jubliee Celebration Fund	**2016118**	3837000
5.Other Funds	**8891637**	6681073
Total (C)	**60654008**	62386406
Grand Total	**190934377**	151193719

(Contd.....)

THE INSTITUTE OF CHARTERED OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA , NEW DELHI

SCHEDULE "C" - EARMARKED FUNDS (Contd.)

(Amount in Rupees)

Particulars	Education Fund		Medals & Prizes Funds		Students Scholarship Funds		TOTAL (A)	
	31.03.99	31 03 98	31.03.99	31.03 98	31.03.99	31.03.98	31.03.99	31.03.98
A								
Balance as per Last Account	56224848	66825102	2313564	2001208	1251749	1044355	59790161	69870665
Adjustments			(80379)	(11600)		(8180)	(80379)	(19780)
Transfer from/to Other Reserves			5451				5451	-
Income earned during the year	7590354	6399216	285808	266110	168986	152108	8045148	6817434
Collections during the year			490861	205725	122000	130000	612861	335725
Expenditure during the year			(107451)	(147879)	(52925)	(66534)	(160376)	(214413)
Appropriation from Income & Expenditure Account	27674336	17691719					27674336	17691719
Transfer to Capital Reserves - Education	(12367476)	(34691189)					(12367476)	(34691189)
Total	79122062	56224848	2907854	2313564	1489810	1251749	83519726	59790161

Particulars	Pension Fund		Leave Encashment Fund		Employees Benevolent Fund		TOTAL (B)	
	31.03.99	31 03 98	31.03.99	31.03.98	31.03.99	31 03.98	31.03.99	31.03.98
B								
Balance as per Last Account	29017152	22646129	4400000				33417152	22646129
Income earned during the year	3917315	3052698					3917315	3052698
Provisions during the year	5000000	5000000	5600000				10600000	5000000
Payments during the year	(2173824)	(1681675)					(2173824)	(1681675)
Appropriation from Income & Expenditure Account					1000000		1000000	-
Total	35760643	29017152	10000000		1000000		46760643	29017152

(Contd.....)

THE INSTITUTE OF CHARTERED OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA , NEW DELHI

SCHEDULE "C" - EARMARKED FUNDS (Contd.)

(Amount in Rupees)

Particulars	Research Funds		Accounting Research Foundation and Other Building Fund		Computerisation Fund		Golden Jubilee Celebration Fund		Other Funds		TOTAL (C)	
	31.03.99	31 03 98	31.03.99	31 03 98	31.03.99	31.03.98	31.03.99	31.03.98	31.03.99	31 03 98	31.03.99	31.03.98
C												
Balance as per Last Account	20920633	14502228	19251104	20000000	11696596	19000000	3837000	2500000	6681073	5621844	62386406	61624072
Adjustments									(1566010)	(151328)	(1566010)	(151328)
Transfer from/to General Reserve	56617								2241628	524062	2298245	524062
Transfer from/to Other Reserves	521372									(298387)	521372	(298387)
Income earned during the year	2738357	1895125	2598989	2696000	1579040	2561200	531762	337000	435521	327370	7883669	7816695
Collections during the year	369903	4523280	400000				100000		1532082	1104348	2401985	5627628
Expenditure during the year							(2452644)		(432657)	(446836)	(2885301)	(446836)
Appropriation from Income & Expenditure Account								1000000			-	1000000
Transfer to Capital Reserves - Education			(5500000)	(3444896)	(4886358)	(9864604)					(10386358)	(13309500)
Total	24606882	20920633	16750093	19251104	8389278	11696596	2016118	3837000	8891637	6681073	60654008	62386406

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE "D" -FIXED ASSETS

(Amount in Rupees) Page No. 7

ASSETS	Rate of Depreciation	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
		Cost as at 1.4.1998	Additions during the year	Adjustments/ Transfers/ Sale	Cost as at 31.3.1999	Upto 1.4.1998	During the year	Adjustments/ Transfers/ Sale	Upto 31.3.1999	W.D.V as on 31.3.1999	W.D.V as on 31.3.1998
1. Land - Free Hold	-	6,310,181	1,270,855		**7,581,036**					**7,581,036**	6,310,181
2. Land -Lease Hold		969,399			**969,399**	124,185	22,086		**146,271**	**823,128**	845,214
3. Land - (A.R.F) - Lease Hold	-	23,444,896	5,500,000		**28,944,896**	260,499	322,298		**582,797**	**28,362,099**	23,184,397
4. Building Work in Progress		8,159,047	1641575	(3419578)	**6,381,044**				-	**6,381,044**	8,159,047
5. Buildings	5%	69,884,854	4,932,264	36418	**74,853,536**	16,924,479	2,867,285		**19,791,764**	**55,061,772**	52,960,375
6. Electric Installations & Fittings	10%	9,225,922	1,588,824	(103059)	**10,711,687**	3,702,725	690,542	(36546)	**4,356,721**	**6,354,966**	5,523,197
7. Air Conditionings	15%	7,101,945	650,977	20,000	**7,772,922**	3,788,287	544,739	5550	**4,338,576**	**3,434,346**	3,313,658
8. Furniture & Fixtures	10%	21,688,235	5,287,149	11,764	**26,907,148**	8,359,923	1,705,670	(28768)	**10,036,825**	**16,870,323**	13,248,312
9. Lifts	10%	1,900,038	34,962	1,058,250	**2,993,250**	333,057	193,519		**526,576**	**2,466,674**	1,566,981
10.Office Equipments	15%	12,626,151	3,849,514	(295212)	**16,180,453**	5,507,004	1,346,377	(43971)	**6,809,410**	**9,371,043**	7,119,147
11.Vehicles	20%	1,730,891	65,921	16,300	**1,813,112**	757,879	204,756	3254	**965,889**	**847,223**	973,012
12.Library Books	20% SLM	12,477,114	2,027,764	(3332)	**14,501,546**	9,637,779	1,223,811	(1100)	**10,860,490**	**3,641,056**	2,839,335
13 Computers	40%	24,317,590	10,605,478	284,237	**35,207,305**	10,117,501	9,548,961	41342	**19,707,804**	**15,499,501**	14,200,089
TOTAL		199,756,263	37,455,283	(2394212)	**234,817,334**	59,513,318	18,670,044	(60239)	**78,123,123**	**156,694,211**	140,242,945
Previous Year		162,048,943	37,966,168	(258848)	**199,756,263**	50,536,301	8,972,817	4,200	59,513,318	140,242,945	

Note No1. This includes Rs 2,62,061/- relating to the Land at Hubli which is under litigation with HDUDA (Hubli District Urban Development Authority).

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE "E"- INVESTMENTS (LONG-TERM)

(Amount in Rupees) PAGE NO. 8

Particulars	31-03-1999		31-03-1998	
(I) Units with Unit Trust of India:				
(i) Unit Scheme for Charitable & Religious Trust Registered Societies (CRTS - 81)	44903270		44831160	
(ii) Units 1964 Scheme	1066781		1066781	
(iii) Institutional Investors Special Fund Unit Scheme(IISFUS-96 & 98)	47500000	93470051	20000000	65897941
(II) Bonds with Public Sector Undertakings				
i) Indian Railway Finance Corporation Ltd [Redeemable non-convertible bonds 2500 @ Rs.1000/- each]	2468531		2461389	
ii) Industrial Finance Corporation of India Limited				
- IFCI Bonds-96 (X series) [Redeemable non-cumulative bonds 500 @ Rs.10,000/- each]	5000000		5000000	
- IFCI Family Bonds [Redeemable bonds 500 @ Rs.5000/- each in the nature of Promissory Notes]	2500000		2500000	
iii) Industrial Development Bank of India - Bonds		9968531	500000	10461389
(III) Fixed Deposits with scheduled Banks		282229164		253412149
Total Investments		385667746		329771479
ALLOCATED TO:-				
Earmarked Fund Investments		190934377		151193719
Other Investments		194733369		178577760
Total		385667746		329771479

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
SCHEDULE "F" - NET CURRENT ASSETS

(AMOUNT IN RUPEES)

Particulars		31.3.1999		31 3 1998
CURRENT ASSETS,LOANS & ADVANCES:				
(a) Stock of Publications, Study Materials,Stationery etc. (Including Stock of Paper with Printers Rs 37.29 Lacs , Previous year Rs 19.50 Lacs)	**14560929**		10271414	
Less: Provision for Obsolete Stock	**(1858570)**	**12702359**	(1906324)	8365090
(b) Amounts Receivable:				
i) Interest Accrued on Investments	**27427857**		16372198	
ii) Interest on Staff Housing &Vehicle Loans	**4920251**		3314370	
iii) Security Deposits	**341057**		297480	
iv) Other Receivables (Less. Rs 7 34 Lakhs considered Doubtful & provided for)	**4923537**	**37612702**	4631377	24615425
(c) Loans & Advances:				
i) Advances to Staff (Housing,Vehicle & Other Loans)	**9543804**		9180165	
ii) Advances & Prepayments	**11999178**	**21542982**	10384750	19564915
(d) Cash & Bank Balances		**36048346**		36271770
TOTAL CURRENT ASSETS		**107906389**		88817200
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS:				
(a) Fees/Income Received in advance		**143514243**		108327980
(b) Creditors for Expenses		**30955540**		38875858
(c) Other Liabilities		**20890704**		25179145
TOTAL CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		**195360487**		172382983
Net Current Assets		**(87454098)**		(83565783)

SCHEDULE G
Page No. 10

Notes Forming Part of the Accounts

1. Pending receipt of the accounts from one branch, revenue grants of Rs.26,200/- paid to the branch during the year have been charged to revenue. The opening balances of its assets and liabilities have been incorporated.

2. The accumulated balances in the following funds are considered adequate.

	Balance as on 31.03.1999	Provision made in this year
Pension Fund	Rs.357.67 Lacs	Rs. 50 Lacs.
Leave Encashment Fund	Rs.100.00 Lacs	Rs. 56 Lacs.

3. a) Estimated amount of capital commitment (net of advances) is Rs.67.65 Lacs (Previous year Rs.23.43 Lacs).

   b) Claims not acknowledged as debts Rs.36.66 Lacs.

4. Income of Rs.113.95 Lacs and Expenditure of Rs.31.82 Lacs relating to previous years is not included in Prior period Income and Prior period Expenditure. However it has been accounted as Income & Expenditure of Current Year.

5. The depreciation on Computers is provided at 40% as against 20% in the earlier years This has resulted in the reduction of surplus of Rs.47.74 Lacs.

6. The Hardware is Y2K Compliant. Adequate steps have been taken to ensure Y2K Compliance for Software.

7. Salary includes perquisites & other allowances.

8. Professional Fees includes Auditors' Fees of Rs.2.70 Lacs to the Statutory Auditors.

9. Previous year figures have been regrouped and reclassified wherever considered necessary.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NEW DELHI

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

SCHEDULE H
Page No 11

I Accounting Convention

The accounts are drawn up on historical cost basis.

II Revenue Recognition

A) 1/3rd portion of the entrance fees from Associate Members is treated as Income.

B) Tuition Fees received from students are recognised upon registration as Income on the following basis

1) Pre-Training (Foundation Course)

- 100 % of fees of the Students registered during the first quarter of the year; and
- 50 % of fees of the Students registered thereafter, the balance being treated as Income in the following year.

2) Others

a) Fees received in lumpsum –

1/3rd of fees of the Students registered in the year of receipt and the balance of 2/3rd in the following two years on equated basis

b) Fees received in insalments –
   i) First instalment – 50% of fees of the students registered in the year of receipt and the balance of 50% in the following two years on equated basis.
   ii) Second instalment – 100% of fees received in the year of receipt.

C) Examination Fees

Examination Fees and direct expenses attributable to examination are recognised in the year in which the examinations are held

D) Income from Investments

i) Income on Investments in units of Unit Trust of India is recognised as Income on the basis of entitlement to receive.

ii) Income on Interest bearing securities/ investments is accounted for on the basis of coupon/contractual rates.

iii) Interest on fixed deposits with banks is accounted for on accrual basis at the rates applicable to such deposits.

iv) Income from Investments is allocated to earmarked funds in the ratio of opening balances of the respective earmarked funds to total investments.

III **Fixed Assets/ Depreciation**

a) Leasehold lands are being amortised over the lease period
b) Library books are depreciated on straight line method.
c) Other Fixed Assets are depreciated on the written down value method.
d) Depreciation on additions is provided on prorata basis

IV **Investments**

a) Investments intended to be held till the normal date of maturity are treated as long term Investments,and are valued at cost. Decline in value, other than temporary, is provided for

b) Other Investments are treated as short term Investments.

V **Current Assets**

Stock of paper, publications, study material, stationery etc are valued at cost (on the basis of direct cost method).

VI **Deferred Revenue Expenditure**

Computerisation expenses towards Software Development charges including cost of Software purchased paid/payable to Computer consultants is treated as Deferred Revenue Expenditure to be written of equally over a period of five years.

VII **Terminal/Retirement Benefits**

a) In terms of a scheme entered into with Life Insurance Corporation of India, the liability towards gratuity on death/retirement to eligible employees, (computed as per acturial valuation), is covered by premium/contribution by the Institute Such premium/contribution is charged to Income & Expenditure Account.

b) Provision for leave encashment of eligible employees is based on the assumption that the same is payable to such employees at the end of the accounting year.

VIII **Earmarked Funds/ Allocations**

a) The admission fee from fellow members and 2/3rd portion of the entrance fees from Associate Members are taken as Capital Reserve – General

b) 50% of the surplus arising out of students related activities is transferred to Education Fund.

c) Transfer to Capital Reserve – Education, from the following Earmarked Funds:

i) From Computerisation Fund 100% of the cost of purchase of computers and related accessories in relation to Decentralised offices and Head Office Computerisation Project.

ii) From Accounting Research Foundation and Other Building Fund : 100% of the cost of Fixed Assets relating to Accounting Research Foundation.

iii) From Education Fund :- 50% of the cost of additions (net of deductions) of other Fixed Assets.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

CASH FLOW STATEMENT FOR

THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1999

(Rs in Lakhs)

	1998-99		1997-98	
A.Cash flows from operating activities				
Net Surplus	313 66		306 10	
Adjustments for				
Depreciation	186 70		89 73	
Interest received from other investments	(235 97)		(151.47)	
Operating profit before working capital changes	264 39		244 36	
Increase in Amounts Receivables	(129 99)		(55 99)	
Increase/Decrease in Loans & advances	(19 78)		3 15	
Increase in Inventories	(43 36)		(14 27)	
Increase in Fees/Income received in advance	351 86		205.47	
Decresae/Increase in Creditors for Expenses	(79 21)		271 19	
Decresae/Increase in Other Liabilities	(42 88)		153 70	
Net cash from operating activities		**301.03**		**807.61**
B. Cash flows from Investing activities				
Acquisition of Fixed Assets	(351 22)		(377 39)	
Acquisition of Investments	(558 96)		983 49)	
Deferred Revenue Expenditure	(18 08)		(0 91)	
Interest received from other investments	235 97		151.47	
Income from Earmarked Funds Investments	146 27		176 86	
Capital Receipts	242 75		140 85	
Net Cash from Investing Activities		**(303.27)**		**(892.61)**
Net Decrease in cash and cash equivalents		(2 24)		(85 00)
Cash and Cash equivalents at beginning of period		362 72		447 72
Cash and Cash equivalents at end of period		**360.48**		**362.72**

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA
COST ACCOUNTANTS' HALL
12, SUDDER STREET, CALCUTTA-700 016

Ref.No.18-CWA/9/99 September 16, 1999

N O T I F I C A T I O N

In pursuance of Sub-Section 5 of Section 18 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Annual Report of the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India and the Audited Accounts of the said Institute for the year ended 31st March, 1999 are hereby published for general information.

(Udayan Ray)
Secretary

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

40TH ANNUAL REPORT 1998-99

Issued under Section 18(5) of the Cost and Works Accountants Act, 1959

The Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India takes pleasure in presenting the Annual Report and Audited Accounts of the ICWAI for the year ended 31st March 1999.

The Council at its meeting held on 22nd July 1998 elected Shri R. J. Goel, B.Com., FICWA as President and Shri Kunal Banerjee, B.A. (Hons.), FCA, FICWA as Vice-President of the Institute for the year 1998-99.

The Council met six times during the year 1998-99.

COMMITTEES OF THE COUNCIL

The details of various Committees constituted by the council on 22nd July, 1998 are given in Annexure-I.

REGISTERED STUDENTS

During the current year 22372 students registered themselves with the Institute. In the previous year the number was 21754. The number of registered students at the end of the year stood at 1,85,340. The regionwise breakup of the students registered during the years 1997-98 and 1998-99 is produced below :

REGION	1997-98	1998-99
EASTERN	4018	3963
NORTHERN	3342	3404
SOUTHERN	7466	7640
WESTERN	4248	4678
	19074	19685
DENOVO ETC	2680	2687
TOTAL	21754	22372

COACHING

During the year 36883 number of students enrolled themselves for coaching. The regionwise break-up is produced below :

		POSTAL		ORAL		TOTAL	
COURSE	REGION	1997-98	1998-99	1997-98	1998-99	1997-98	1998-99
INTER :	EASTERN	2572	2347	3750	3654	6322	6001
	NORTHERN	3278	3428	1901	1978	5179	5406
	SOUTHERN	5738	6318	6348	6714	12086	13032
	WESTERN	2421	2525	4124	4579	6545	7104
	SUB TOTAL	14009	14618	16123	16925	30132	31543
FINAL :	EASTERN	658	497	541	408	1229	905
	NORTHERN	800	1513	247	99	1048	1612
	SOUTHERN	1215	1291	734	583	1840	1874
	WESTERN	393	447	604	502	1149	949
	SUB TOTAL	3066	3748	2126	1592	5192	5340
GRAND TOTAL		17075	18366	18249	18517	35324	36883

Facility for Postal Coaching in the form of supply of Study Notes, Test Papers and Suggested Answers through Regional Councils continues to be provided to the students during the year. Publication of Suggested Answers to the questions set at Institute's examinations (Inter and Final) is continuously meeting the demands of students undergoing Postal and Oral Coaching.

Besides Postal Coaching, the Institute is providing Oral Coaching to the students through 109 Centres spread all over the country and 1 overseas Coaching Centre in Dubai. During the year the following centres/chapters have been given recognition for imparting oral tuition in Intermediate/

Final Courses as mentioned below :

1. Jhansi Chapter — Intermediate
2. Career Research Centre, Jabalpur — Final

Practical Training Scheme

The Institute is having a Practical Training Scheme to help the students acquire experience in industry, service and other sectors of the economy.

Keeping in view of the changing need of the economy in a new environment, the Training Scheme has been revised and sent to the captains of the Industry, Service and other sectors of the economy.

It is heartening to note that organisations of repute like Transport Corporation of India, National Thermal Power Corporation, Indian Oil Corporation, Food Corporation of India, ITC, NALCO, Motorola are engaging Cost Trainees in their organisations.

During the year many organisations like Oil and Natural Gas Commission, Indian Telephone Industries, Indian Petro Chemicals Ltd., Larsen and Toubro Ltd, recruited the rank holders of ICWAI examinations in their organisations through Campus Interview/Walk-in-Interview.

Revision/Updating of Study Notes and Publication of Supplements

The Study Notes are being continuously updated and improved keeping in view the needs and expectation of the society in the present economic scenario. During the year, Tax Updates for Direct Taxation and Indirect Taxation relating to the year 1999-2000 and supplements of Corporate Laws & Secretarial Practice incorporating the changes in the statutes have been published and distributed to the students. Supplements have also been published in the Student Edition of the Institute's Journal, *The Management Accountant* for wider circulation.

New Coaching Scheme

As a part of the personality development programme of the New Coaching Scheme, symposium and group discussions were introduced in respect of the students enrolled under final course with effect from 1st January 1997.

Revision of Syllabus

The process of finalising the New Syllabus of the Institute was initiated during the year. A Notification in this regard was published in the December 1998 issue of the Journal, *The Management Accountant*, inviting observations/opinion of the members of the Institute. In the New Syllabus it is proposed to have a particular focus on the expertise needed in a changing economic environment emphasizing the area of Information Technology and such concepts and techniques as Total Cost Management. The Council is actively considering the matter.

Recognition by Universities/Other Bodies

The number of Indian Universities, recognising the membership of ICWAI for the purpose of doing Ph.D in commerce and allied disciplines went up to 34 with the addition of Sambalpur University and University of Kashmir.

Earlier, The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), UK awarded exemptions in seven papers of their syllabus to final passed candidates of ICWAI under the existing syllabus with

effect from 1st July, 1994. CIMA has awarded further exemption in the following five papers to the students, who have passed the Final Examination of the Institute under previous syllabus :

Stage - I

- ★ Financial Accounting Fundamentals
- ★ Cost Accounting & Quantitative Methods
- ★ Economic Environment

Stage - II

- ★ Financial Accounting
- ★ Operational Cost Accounting

Indian Institute of Bankers has granted exemption in their Paper entitled *Management Accounting and Financial Management* in addition to the paper *Basic Accountancy* of the Associateship Examination of CAIIB to the Cost Accountants (vide their letter No. AW/704/98 dated 15/8/98).

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), London, exempted the Cost Accountants in 4 Papers of the Foundation Stage of the ACCA Course, viz., Accounting Framework, Legal Framework, Management Information and Organisation Framework.

Examinations

The examinations of June 1998 and December 1998 term were held at 89 centres all over India and at 8 overseas centres. The number of examinees enrolled was 42,793 and 43,164 respectively. The list indicating the names of examination centres is given in Annexure III. The Regional Councils and Chapters extended their full support and co-operation. The examination committee placed on record their profound gratitude to all Centres-in-charge and the officials of the examination centres with whose active co-operation it could be possible to conduct examinations smoothly.

The service and co-operation from hundreds of moderators, paper-setters and examiners from various parts of the country was also thankfully acknowledged.

For the first time, Examination Results for June 1998 were published through Internet. The system of sending mark sheets and certificates together to the students completing Final or Intermediate examination was continued. Now, the priority area of the examination department is to create student database and arrange facilities operation in interactive mode so as to improve the services to the students by prompt and quick access to relevant information.

The Examination Committee placed on record their appreciation to the staff members of the examination department for their sincere and dedicated service for the smooth conduct of the examination.

Membership

During the year, 1209 candidates were admitted as Associate members and 142 Associate Members were elevated as Fellow Members. As on 31st March, 1999, the total number of members stood at 18990. The number of Members in Practice was 1817 as against 1874 in the previous year. The number of Graduate Members enrolled during the year was 1420 as against 1707 in the previous year. About 5000 Grad. CWAs are awaiting completion of requisite period of experience and other formalities to become Associate Members.

Members' Facilities & Services

Providing proper facilities and services to the members is one of the important activities of the Institute. With this objective in view, the Members' Facilities and Services Committee took the following steps during the year.

1. Computerisation of the Membership records was undertaken. Accordingly, a computerised package has been installed containing, inter alia, the members' data relating to the address, status of payment, etc. The package is expected to facilitate the record keeping and prompt response to the members.

2. As a drive to increase the number of member, both Graduates and Associates, letters were issued requesting the final qualified candidates from June 1997 term onwards, to get themselves enrolled in any of the above two categories.

3. To enlarge the membership of the Members' Benevolent Fund, an appeal was made through *The Management Accountant* to all members to become members of the Fund. Good response was received this regard.

4. Amendments to the guidelines for admission as Fellow Member of the Institute, keeping in view the suggestions of the members and problem faced by them were recommended by the Committee and approved by the Council.

5. It was decided to prepare a manual containing the information relating to the services being rendered to the members for circulation to the Regional Councils and Chapters to keep them aware of different rules and procedures for application at the appropriate moment.

6. To facilitate payment of annual subscription fee by the members, a bill-cum-statement was circulated to the members. On the basis of the payment/information received from the members, the records are being updated.

7. With the objective of creating a data-bank of the members containing relevant information to be furnished by the members, a Profile Form in computerised format has been circulated to all the members. The response received so far is encouraging.

During the year, the Committee met thrice.

Activities of the Regional Councils and Chapters Coordination Committee

The Regional Councils and Chapters of the Institute are the major wings through which services are rendered to the students and the members of the Institute. To strengthen these areas, the Committee gave its major thrust on development of these wings. For this purpose, the performance of all the Chapters was reviewed through respective regions and on the basis of the evaluation reports received, the following chapters were regarded as the Best Chapter on regional basis to provide encouragement among the chapters.

Best Chapters for the year 1998

WIRC	Category
Surat-South Gujarat Chapter of Cost Accountants	A
Kalyan-Ambernath Chapter of Cost Accountants	B
Bilaspur Chapter of Cost Accountants	C
EIRC	
Cuttack-Bhubaneswar Chapter of Cost Accountants	A
Serampore Chapter of Cost Accountants	B
Nalhati-Ichapur Chapter of Cost Accountants	C
NIRC	
Lucknow Chapter of Cost Accountants	A
Chandigarh Chapter of Cost Accountants	B
Faridabad Chapter of Cost Accountants	C
SIRC	
Bangalore Chapter of Cost Accountants	A
Trivandrum Chapter of Cost Accountants	B
Godavari Chapter of Cost Accountants	C

In recognition of their considerable performance during the year 1998, the Chapters under "A" category were honoured with Silver Plaques and all the chapters with "Scroll of Honour" during the valedictory session of the 41st National Cost Convention held at Chennai.

During the 41st National Cost Convention at Chennai, a Chapter Meet was organised to discuss the matters relating to service to students and members and allied policy decisions. Another Meet of the Chairmen and Secretaries of the Regional Councils along with the Council Members and senior officers of the Institute was organised in which various matters relating to professional development were discussed.

During the year under report, two new chapters have been opened, Jhansi Chapter of Cost Accountants under NIRC and Kutch-Gandhidham Chapter of Cost Accountants under WIRC, to render better services to the students and the members of the respective areas.

The Committee also reviewed the general functioning of all the chapters and the activities undertaken by them during the year.

Activities of the Research and Journal Committee

The journal publication and research activities of the Institute registered a steady improvement during the year.

Realising the importance of strengthening the student base and equip them suitably for entering to the profession, a student edition of *The Management Accountant* was introduced. The student edition was adjudged beneficial to them and much appreciated by the student community. A long felt need was fulfilled at last.

During the year there were 2 special issues of the journal *The Management Accountant* one on Power Sector and another on Information Technology which were appreciated by the members and readers of the Journal.

The research activities of the Institute were also noteworthy. The Research Bulletin Vol. XV was published with special feature on "Infrastructure". There were altogether three volumes namely, Vol. XV, Vol. XVI and Vol. XVII published during this period. The Research Bulletin is now a regular six monthly publication of the Institute.

Last year's research publication "Modvat Audit: A Practice Manual" was accepted well by the practising members and other users. All the books were sold out and the committee brought out the second, revised and enlarged edition of the book duly revised by the earlier member-author Sri A. B. Nawal.

The concept of Economic Value Added (EVA) propagated by Stern Stewart Co. of USA as a business performance measure is fast gaining acceptance in Indian corporate world. The absence of suitable study of the performance of Indian Industry in EVA context prompted the committee to fill this gap. The committee sponsored a research project titled "Economic Value Added : A Tool For Business Planning" by one of our eminent member Dr. T. P. Ghosh. The research was published under the same title. This publication is expected to generate wide response from business planners, management accountants and corporate entities.

In order to pave the way for development of cost and management technology, the committee sponsored a project on "Target Costing". The study is completed and would be published soon.

The other important projects like "Formulation of Farm Accounting Guidelines in Rubber Industry" is already completed. "Cost based pricing for water supply from public utilities" was initiated during the year and is expected to be completed soon.

There were two committee meetings during the year.

Activities of the Professional Development (Technical Committee)

During the year the Committee met twice and deliberated on important issues relating to Professional Development activities. One of the important focused activity of the Committee during the year was preparing a Draft Revision of Cost Accounting Records Rules under Section 209(1)-(d) of the Companies Act, 1956 for submission to the Government. The Committee took up the responsibility of commenting on seven revised Rules that were drafted by the Cost Audit Branch, Government of India. Through a process of coordinating the expertise available among members from different regions, under the direction of the members of the Committee, the Committee took up the drafting of the revision of Cost Accounting Records Rules so as to facilitate the Government in issuing revised Rules for Products/ Industries, keeping in view the changes that had taken place since the introduction of the Records Rules for the concerned product/industry. The Technical Directorate took the task of revising 19 notified Rules with the help of Practicing Cost Accountants who had done Cost Audit in these products. The Committee has already received draft revision of seven products namely, (i) Battery, (ii) Bulk Drugs, (iii) Engineering-Power Driven Diesel Engine, (iv) Formulations, (v) Jute Goods, (vi) Paper, (vii) Textiles. Drafting the revision of other Rules is in the process.

The Committee also focussed on bringing out technical publications, like in the past year. Following books were published during the year :

1. Basics of Foreign Exchange for Management Accountants 2. Service Tax and Cost Accountants 3. Cost Audit in Cycle Industry (Revised Edition) 4. Cost Audit in Sugar Industry (Revised Edition) 5. Cost Audit in Industrial Alcohol Industry (Revised Edition) 6. Cost Audit in Motor Vehicles Industry (Revised Edition). In addition to above, a monograph "Source Book for Tax Audit" was also published. The committee is extremely thankful to Shri S. Rajaratnam, a noted Tax Management consultant and Government Nominee to the Central Council of our Institute and Shri Raghavendra Rao, a member of our profession and retired Chairman of Income Tax Settlement Commission for their invaluable contribution towards the publication of this book.

Few more publications which are in process are :

1. Cost Structure in Power Sector 2. Bench Marking 3. Valuation of Brand Equity 4. Costing in Hotel Industry.

The Committee rightly appreciated the need of disseminating new techniques of Cost Management and with this perspective, it organised two National Workshops on 'Total Cost Management' at Calcutta and Delhi during March, 1999.

With the adoption of disciplines on Accountancy Sector by the WTO Council, the subject of internationalising the Accounting Profession and its implications to the cost accounting profession in the country gained significance. The Committee deliberated on the final draft that was approved by the WTO Council and also decided to take proactive action in this direction. A proposal was made to the Government for inclusion of Accountancy Services under the Export-Import Policy. A new Chapter was added by the Government of India in the Export-Import Policy announced on April 1st, 1999, by including export of services in the policy and Accountancy Service is one of the services now reckoned under the Export-Import Policy.

The Committee deliberated the constitution of an Expert Advisory Group to answer/clarify technical queries coming from individuals and organisations including Government Agencies. The functioning of this Expert Advisory Group should be taken up immediately by the Committee in the next year.

The Committee also took cognisance of the developments in the Information Technology Sector that has specific relevance to Cost and Management Accountancy Profession and decided to conduct educational programmes for members in ERP. Steps were also considered for opening a Website of the Institute.

Activities of the Committee on the Financial Institutions, Insurance and Services Sectors

The Banking, Insurance and Finance sectors in India, opened up new scope for the Cost and Management Accountants.

The Committee constantly explored the areas where our professionals can render useful services. During the year great efforts were made for widening the scope of our profession beyond the traditional manufacturing sector. There was improvement of the relationship of the Institute with the RBI, Ministry of Finance, SEBI, Indian Banks Association, Banks, Financial Institutions and other related bodies.

During the year there were several meetings with prominent personalities in the Banking and Finance sectors in the country. There was a meeting with the Hon'ble Finance Minister of India, Shri Yashwant Sinha where our emphasis was given towards a simpler and rational tax regime and on issues relating to the profession.

In a meeting the Governor of the Reserve Bank of India, Dr. Bimal Jalan, we deliberated on the matters relating to the representation of our members in the various committees formed by RBI,

review of the operations of the RBI, determining the areas for improvement, appointment of our members for various types of audits, etc. The RBI Governor was very positive with regard to the involvement of the Cost and Management Accountants in the overall Banking Sector and welcomed the views and suggestions on behalf of our Institute.

Important personalities of the Banking & Finance Sector met during the period included : Shri C. M. Vasudev, Additional Secretary (Banking); Shri M. N. Dandekar, Chief Executive & Secretary, IBA; Chairman of the State Bank of India, Shri M. P. Radhakrishnan, Chairman and Managing Director of the Central Bank of India, Shri K. C. Chowdhary, Chairman and Managing Director of Dena Bank, Shri Ramesh Mishra, Chairman and Managing Director of UCO Bank, Shri Sharda Singh, Chairman and Managing Director of Allahabad Bank, Shri Harbhajan Singh, Chairman and Managing Director of Bank of Maharashtra, Shri M. M. Vaish and others.

The role of Cost Accountant was highlighted in the following areas : Internal audit, Concurrent audit, Stock audit, Valuation of Inventories, Reduction and control of Non Performing Assets (NPAs), pricing of banking services, branch level profitability, identification of loss making branches, etc. Besides that the Cost Accountants can be employed in large number in various levels also.

We met the Chairman of The Securities and Exchange Board of India, Shri D. R. Mehta and deliberated on the effective utilisation of the services of the Cost and Management Accountants in the field of Capital Market, both in service and in practice. It was also decided to have a detailed meeting with specific issue in future. Our meeting with Shri B. V. Goud, Managing Director & CEO of Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL) and Dr. J. V. Murthy and Shri L. Viswanathan of SCHIL was very enlighting. SHCIL is expanding to achieve its target of opening as many depository account as possible in the country and we impressed the MD to consider absorption of our professionals for the purpose.

In the Insurance sector, we met the Managing Director of the General Insurance Corporation of India, Shri P. M. Venkatasubramanian and General Manager, Shri M. K. Tandon. We deliberated on the utilisation of the services of the Cost and Management Accountants in various ways, viz. appointment as surveyors, risk management, etc. We also met the Chairman of the Life Insurance Corporation of India, Shri G. Krishnamurthy and Shri P. C. Gupta and Shri R. M. Pande, both executive directors of LIC. We emphasised that our services can be utilised for audit of the borrowers accounts, audit of branches and zonal offices, etc. We also had a talk for holding number of joint seminars and organising training programme for their employees.

Activities of the Professional Development (General) Committee

The Committee decided to explore the role of Cost Accountants in the area of Environment Audit. A monograph on Environment Audit and Role of Cost Accountants was prepared for widening the horizon of Cost Accountants. The monograph was presented to the Council of the Institute which was accepted.

In order to enlarge the scope of Practising Cost Accountants, the Committee put extensive efforts in bringing more and more Companies under the purview of Cost Audit. Efforts were also made to improve the status of Cost Accountants in employment. Regarding Cost Accountants in the Railways, the issue of disparity in pay structure, promotion policy and as per their circular, compulsory deployment of one Cost Accountant in every Shopfloor has to be taken up. The issue was brought to the notice of the Committee towards the end of its term. The matter is being followed up vigorously.

The Committee met thrice during the year and deliberated on various important issues concerning the profession for further development of the Institute and greater scope for members in service and practice.

Activities of the Continuing Education Programme Committee

The CEP Committee of the Institute organised 31 Programmes during the year 1998-99 in India and abroad. These Programmes includes the In-house Programmes for Indian Oil Corporation Limited, Gas Authority of India Limited, Oil and Natural Gas Corporation Limited, Indian Defence Accounts

Service Personnel, Exclusive Programmes on Cost Management to Indian Navy.

The Committee organised joint programmes as sponsored by the Department of Personnel and Training, Government of India and also organised joint programmes with the Department of Public Enterprises, Government of India.

The Committee organised an exclusive International Programme on 'Strategic Financial Management' at Singapore and Bangkok, which was well received by many Public Sector Enterprises in India. The faculty were drawn from abroad for the technical sessions apart from the faculty from India. The programme was well appreciated by the participants and the Committee is planning to organise similar programmes in near future.

The Committee also organised two International Programmes at Kathmandu, Nepal one on 'Corporate Finance' and the other on Managerial Effectiveness', these were attended by many Senior level Executives of the Public Sector Enterprises, Banks & Insurance Companies and Government Departments. During the year the Committee organised a National Seminar on 'Power Sector Restructuring Including privatisation of Distribution', which was inaugurated by the Secretary, Department of Power, Government of India. The Technical Sessions of the Seminar were very much appreciated by the participants of the Seminar coming from Private and Public Sector Enterprises from all over the country.

The Committee organised an exclusive Low Cost programme on 'Win that Job' for the young members of the Institute during the year.

The programmes organised by the CEP Committee were well attended and very much appreciated by all the organisations as well as by the participants. Many organisations in the Public Sector are keen to organise many programmes in the area of Financial Management, Project Management etc. The Committee organised many programmes for the officials of the Indian Customs and Excise Department during the year through-out the country.

Activities of the Public Sector Coordination Committee

The Public Sector Coordination Committee was formed to widen the scope of Cost Accountants in the public sector. A special focus was given on the role of practising Cost Accountants in public sector organisations.

The Committee approached public sector organisations for deployment of budding Cost Accountants as Trainees and qualified Cost Accountants as Executives in finance and allied disciplines. Positive response was obtained from Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd., NALCO, Goa Shipyard Ltd., Rashtriya Ispat Nigam Ltd., Visakhapatnam Steel Plant, Hindustan Photo Films Manufacturing Company, ITI Ltd., ONGC etc. ONGC and ITI conducted Campus Interviews and Walk-in Interviews for selection of Cost Accountants for responsible positions in respective organisations.

In the Infrastructure sector, close liaison was maintained with Indian Railways, Dept. of Telecommunication and other organisations for effective utilisation of the services of Cost Accountants.

The Committee recommended constitution of an Advisory Committee consisting of eminent personalities from Industry and Government at the national and regional levels for advising on professional development issues. For better communication of the Institute's progress in various fields, it was suggested to give complementary copies of the Institute's journal *The Management Accountant* to the leaders of the Industry, other economic sectors and the peoples' representatives. It was also recommended by the committee, that the Institute should take up consultancy assignments in relevant fields for rendering service to the cause of national economic development and progress in a changing environment of today.

Activities of the Computer & Networking Committee

The Computer and Networking Committee of the Council was constituted with a view to monitor the progress in Computerization and related activities in this front. The Committee identified some

priority areas for Computerization—i) Improvement in Examination processing system ii) Membership Management System iii) Student Database Management System and iv) Office automation.

The Committee had three meetings during the period to review the progress which were as follows:

i) The RISC based Alpha Server 800 has been installed. A few initial teething problems are there and the stabilization process is going on. The powerful server will play a key role in improvement of service to the students and the members once the database creation is complete and on-line operational facilities are developed.

ii) Software has been developed to create Membership database with on-line operational facilities. The master data conversion process is going on. The introduction of the system will help in rendering prompt services to the members.

iii) The time lag between receipt of the instruments and their encashment could be reduced to a great extent by timely processing them with a newly developed software.

iv) Good progress could be achieved in conversion of software and data of Examination system in the new Alpha Server system.

Computerization of different activities have been initiated and the committee feels that with the active support and co-operation of the staff and officers, the Institute would be in a position to render better service to its members, students and the society at large.

GENERAL

MEMBERS' BENEVOLENT FUND

During the year thirteen members became Life Members of the Benevolent Fund. The total number of Members of the Fund became 566. The accumulated fund is around Rs. 5.09 lakhs which has been lying invested in the approved Securities and in Banks. The Council would like all the members of the Institute to be the members of the Benevolent Fund.

ACCOUNTS

The Audited Accounts of the Institute for the year 1998-99 with Audit Report thereon are annexed to this Report.

APPRECIATION AND THANKS

The Council appreciated the co-operation extended by the officers and staff as well as the members at large of the Institute for furthering the cause of the profession. The council also placed on record its sincere thanks to the Secretaries and Officers of the Government Departments specially the Ministry of Industry, Ministry of Finance, Ministry of Law, Justice and Company Affairs and Department of Company Affairs for the co-operation and guidance extended to the Council during the year under report. The Council hope to receive similar help, co-operation and guidance continuously in the future.

By order of the Council

R. J. Goel
President

Udayan Ray
Secretary

Calcutta

Dated : 21st July, 1999

AUDITOR'S REPORT

To the Members of
The Institute of Cost and Works Accountants of India

1. We have audited the attached Balance Sheet of The Institute of Cost and Works Accountants of India as at 31st March, 1999 and the related Income and Expenditure Account for the year ended on that date, which are in agreement with the books of account.

2 In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account read together with the Schedules attached thereto and notes thereon and subject to the note B. 1 regarding adjustment of unlinked amounts in bank accounts, note B. 3 regarding non-capitalisation of advances for construction of buildings, and Accounting Policy No. A. 5 regarding accounting for leave encashment on cash basis, which is contrary to Accounting Standard (AS) 15, 'Accounting for Retirement Benefits in the Financial Statements of Employers', issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with consequential effect on the deficit for the year and relevant items on the balance sheet, give a true and fair view of the state of the Institute's affairs as at 31st March, 1999 and of its deficit for the year ended on that date.

3. We have obtained, all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for our audit. In our opinion, the accounts have been maintained in conformity with the requirements of the Cost and Works Accountants Act, 1959.

4. We have also checked the accompanying twenty nine prize funds, which are not reflected in the Balance Sheet as per past practice, but the relative interest on fixed deposits and the cost of prizes are routed through the Institute's bank accounts and found them in accordance therewith.

For Gupta & Co.
Chartered Accountants

Calcutta, 21st June, 1999

S. K. Gangull
Partner

53A Mirza Ghalib Street
Calcutta-700 016
Cable : Vidimus
Phone : 229-2638, 229-0871/72
Fax : (91) (033) 229-6241

BALANCE SHEET
AS AT 31ST MARCH 1999

Last year 1997-98 Rs.	Particulars	Schedule No.	Rs.	This year 1998-99 Rs.
	INSTITUTE FUNDS :			
66,873,762	General Fund	(1)		62,876,158
7,025,349	Employees' Gratuity Fund	(2)		9,469,294
2,12,971	Employees' Benevolent Fund	(3)		2,42,325
74,112,082	**Total**			72,587,777
	REPRESENTED BY :			
	Fixed Assets :			
30,466,314	a) Gross Block	(4)	30,658,934	
14,649,777	b) Less Depreciation		16,248,437	
15,816,537	c) Net Block		14,410,497	
9,39,628	Add : Capital Work in Progress		1,588,537	15,999,034
30,630,574	**Investments**	(5)		26,915,574
13,005,804	**Current Assets**	(6)	14,555,075	
20,366,653	**Loans & Advances**	(7)	22,309,352	
33,372,457			36,864,427	
6,959,489	Less : Current Liabilities & Provisions	(8)	7,780,092	
26,412,968	Net Current Assets			29,084,335
3,12,375	Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off)			588,834
74,112,082	**Total**			72,587,777
	Notes on Accounts	(18)		

Schedules referred to above form part of Accounts

As per our report attached.
For Gupta & Co.
Chartered Accountants

S. K. Ganguli
Partner

Calcutta
Dated 21st June, 1999

Kunal Banerjee
Vice President

R. N. Pal
Director (F & A)

R. J. Goel
President

Udayan Ray
Secretary

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

for the year ended 31st March 1999

Last year 1997-98 (Rs.)		Particulars	Schedule No.	This year 1998-99 (Rs.)
		INCOME :		
5,884,721	By	Annual Subscription	(9)	5,339,957
25,951,050	"	Examination Fees	(10)	24,563,313
25,548,763	"	Tuition Fees	(11)	26,504,397
3,584,023	"	Interest		3,418,059
611,082	"	Journal Fee (Incl. Advt.)		699,608
3,241,794	"	Professional Development Prog		5,087,212
4,582,155	"	Publication		4,732,202
69,403,588		**TOTAL**		70,344,748
		EXPENDITURE		
24,319,445	To	Establishment	(12)	31,207,195
9,558,909	"	Office Expenses	(13)	9,708,386
568,833	"	Advertisement		—
35,000	"	Statutory Audit Fee		35,000
45,000	"	Internal Audit Fee		50,000
772,598	"	Travelling & Conveyance		567,147
156,188	"	Election Expenses		588,832
3,712,976	"	Cont. to Regional Councils	(14)	3,829,913
8,394,358	"	Examination Charges	(15)	9,241,432
405,836	"	Professional Development Exp.		416,023
3,067,665	"	Council & Commt. Meeting Exp.	(16)	3,262,405
4,422,715	"	Journal Expenses		2,848,719
200,000	"	Chapters' Grant		83,500
700,787	"	Membership Subs. (Foreign Bodies)		871,148
1,242,716	"	Conference & Meeting International		510,927
2,580,773	"	Professional Development Programme		3,955,294
3,459,384	"	Study Materials Consumed		3,303,758
1,857,235	"	Publication Stock Consumed		1,491,071
1,852,316	"	Depreciation		1,598,660
67,352,734		**TOTAL**		73,569,410
2,050,854		Surplus/Deficit for the period		(3,224,662)
69,403,588		**TOTAL**		70,344,748
2,050,954		Surplus/Deficit for the year B/F		(3,224,662)
1,092,859		Less : Prior Period Expenses	(17)	3,003,395
3,643,813		Transferred to General Fund		(6,228,057)
		Notes on Accounts	(18)	

Schedules referred to above form part of the Accounts

As per our report attached
For Gupta & Co.
Chartered Accountants
S. K. Ganguli
Partner
Calcutta
Dated 21st June, 1999

Kunal Banerjee
Vice-President
R. N. Pal
Director (F & A)

R. J. Goel
President
Udayan Roy
Secretary

SCHEDULE FORMING PART OF ACCOUNTS

SCHEDULE NO. 1
GENERAL FUND as at 31st March 1999

Last year 1997-98 (Rs.)	Particulars	(Rs.)	This year 1998-99 (Rs.)
67,219,738	Balance as per last account		66,873,762
	Add :		
40,794	i) Transfer from Non-specific Deposits etc. as per prevalent decision of Executive Committee	30,207	
29,622	ii) Cancellation of cheques issued in the previous year	37,855	
131,276	iii) Unlinked transactions in Bank Account		
30,531	iv) Others	118,454	186,516
67,451,961			67,060,278
	Less :		
	i) Unlinked transactions in Bank Accounts	20,744	
57,540	ii) Others	7,557	28,301
67,394,421			67,031,977
429,100	Add : Entrance Fee (Member)	376,500	
1,775,752	Entrance Fee (Student)	1,770,924	2,147,424
69,599,273			69,179,401
	Less : Capital Grants to Regional Councils :		
83,506	For Library Books	75,000	
—	For Furniture	9,000	84,000
69,515,767			69,095,401
	Add : Surplus for the year :		
(2,642,005)	Income & Expenditure Account (H.Q.)		(6,228,057)
	I.C.W.A.I., Research Centre (Mumbai)		8,814
66,873,762			62,876,158

SCHEDULE FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd.)

SCHEDULE NO. 2
EMPLOYEES' GRATUITY FUND
as at 31st March 1999

Last year 1997-98 (Rs.)	Particulars	(Rs.)	This year 1998-99 (Rs.)
4,657,828	Balance as per last account		7,025,349
2,739,475	Add : Contribution for the period		2,786,491
662,253	Add : Interest earned on Investment on Fund for the period		713,590
8,059,556			10,525,430
1,034,207	Less : Gratuity paid to Employees during the period		1,056,136
7,025,349	TOTAL		9,469,294

SCHEDULE NO. 3
EMPLOYEES' BENEVOLENT FUND
as at 31st March 1999

1,87,670	Balance as per last account		212,971
	Add : Contribution during the period :		
7,800	Employers'	7,584	
3,900	Employees'	3,792	11,376
24,238	Add Interest earned on Investment of Fund for the period		21,932
223,608			246,279
10,637	Less : Paid to Employees during the period		3,954
212,971	**TOTAL**		242,325

SCHEDULE FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd.)

SCHEDULE NO. 4
FIXED ASSETS
as at 31st March 1999

Description of Assets	Gross Block			Depreciation			Net Block	
	Opening Cost as at 1.4.98 (Rs.)	Addition during the year (Rs.)	Total as on 31.03.99 (Rs.)	Upto 1.4.98 (Rs.)	For the year (Rs.)	Upto 31.03.99 (Rs.)	This year 1998-99 (Rs.)	Last year 1997-98 (Rs.)
FREEHOLD LAND & BUILDINGS :								
Headquarters	987,986	—	987,986	605,055	24,293	629,348	358,638	382,931
Regional Councils & Chapters	17,590,508	—	17,590,508	7,193,699	779,866	7,973,565	9,616,943	10,396,809
LEASEHOLD LAND :								
Regional Councils & Chapters (Durgapur & Ukkunagaram Chapt.)	18,220	—	18,220	—	—	—	18,220	18,220
FURNITURE & FITTINGS :								
Headquarters	2,486,866	164,900	2,651,766	1,434,568	121,720	1,556,288	1,095,478	1,052,298
LIBRARY BOOKS :								
Headquarters	648,011	12,220	660,231	224,618	43,561	268,179	392,052	423,393
OFFICE EQUIPMENTS :								
Headquarters	3,125,142	—	3,125,142	1,403,004	172,213	1,575,217	1,549,925	1,722,138
GENERATORS :								
Headquarters	280,545	—	280,545	244,519	9,006	253,525	27,020	36,026
MOTOR CARS :								
Headquarters	261,332	—	261,332	220,277	8,211	228,488	32,844	41,055
COMPUTER :								
Headquarters	5,087,704	15,500	5,083,204	3,324,037	439,790	3,763,827	1,319,377	1,743,667
	30,466,314	192,620	30,658,934	14,649,777	1,598,660	16,248,437	14,410,497	15,816,537
Capital Work in Progress							1,588,537	939,628

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd.)

SCHEDULE NO. 5
INVESTMENTS
as at 31st March 1999

Last year 1997-98 (Rs.)	Particulars	This year 1998-99 (Rs.)	(Rs.)
	SHARES (GENERAL FUND)		
500	5 Shares of Rs. 100/- each in Jal Brindaban Premises Trust Fund, Bombay		500
	FIXED DEPOSIT WITH BANKS :		
5,524,645	A) Employees' Gratuity Fund	6,174,645	
177,429	B) Employees' Benevolent Fund	177,429	
24,928,000	C) General Fund (Institute)	20,563,000	26,915,074
30,630,574			26,915,574

SCHEDULE NO. 6
CURRENT ASSETS
as at 31st March 1999

Last year 1997-98 (Rs.)	Particulars	This year 1998-99 (Rs.)	(Rs.)
1,836,844	Publication Stock (at Cost)	2,364,254	
394,625	Paper Stock (at Cost)	562,492	
4,610,970	Study Material Stock (at Cost)	3,701,612	
			6,628,358
175	Stock Silk Ties		175
953,591	Interest Accrued on Investments :		995,288
691,066	Accrued Interest on Loan to Chapters for construction of Buildings etc.		600,506
3,578,708	Sundry Debtors		5,293,766
	Cash and Bank Balances :		
66,613	In hand (including Cheques/Drafts for Rs. 19,100/- and Postage Stamps for Rs. 60,107/-)	113,458	
636,490	At Bank	675,330	
234,722	At Post Office	248,196	1,036,984
13,006,804	TOTAL		14,556,075

SCHEDULE FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd.)

SCHEDULE NO. 7
LOANS AND ADVANCES
as at 31st March 1999

Last year 1997-98 (Rs.)	PARTICULARS		(Rs.)	This year 1998-99 (Rs.)
	Building Loan to Chapters	(A)		
2,825,329	8% Building Loan		2,826,822	
208,267	4% Building Loan		208,267	3,035,089
801,476	Computer Loan to Chapters	(B)		755,826
12,742,000	Advance to Regional Councils & Chapters for construction of Buildings	(C)		13,292,000
—	Loan to Regional Council (N.I.R.C.)			100,000
229,468	Other Advances			2,000
961,490	Building Advance to Employees			1,298,672
71,680	Vehicle Purchase Advance to Employees			62,620
96,400	Advance to Election Booths			29,000
116,717	Festival Advance to Employees			163,380
—	Advance for Fixed Assets			928,272
—	Advance for Paper			394,249
121,704	Advance to Employees' P.F. on account of Arrear Subscription (Recoverable)			121,704
127,400	Advance Membership Subscription to Foreign Bodies (IFAC)			157,677
1,732,138	Silver Jubilee Capital Grants (Adv.) to Chapt.			1,732,138
167,505	Prepaid Expenses			150,872
165,079	Deposit with Telephone, Electric etc.			85,853
20,366,653				22,309,352

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd.)

SCHEDULE NO. 7(A)
BUILDING LOAN TO CHAPTERS
as at 31st March 1999

Sl. No.	Name of the Chapter	This year 1998-99		Last year 1997-98	
		4% Loan (Rs.)	8% Loan (Rs.)	4% Loan (Rs.)	8% Loan (Rs.)
01.	Kota	—	100,000	—	—
02.	Kalyan-Ambarnath	18,267	—	18,267	—
03.	Howrah	90,000	—	90,000	—
04.	Goa	100,000	—	100,000	—
05.	Bangalore	—	—	—	46,717
06	Lucknow	—	100,000	—	100,000
07.	Jaipur	—	135,000	—	135,000
08.	Udaipur	—	200,000	—	200,000
09.	Visakhapatnam	—	59,933	—	80,000
10.	Kanpur	—	100,000	—	—
11.	Pune	—	—	—	70,000
12.	Asansol	—	200,000	—	200,000
13.	Coimbatore	—	200,000	—	200,000
14.	Nagpur	—	36,112	—	100,000
15.	Ukkunagaram	—	149,511	—	200,000
16.	Durgapur	—	200,000	—	200,000
17.	Kohlapur-Sangli	—	100,000	—	100,000
18.	Bokaro Steel City	—	150,000	—	150,000
19.	Hyderabad	—	71,300	—	100,000
20.	Ranipet	—	180,000	—	180,000
21.	Baroda	—	83,300	—	112,500
22.	Bhopal	—	—	—	86,112
23.	Mysore	—	165,000	—	165,000
24.	Dhanbad	—	200,000	—	200,000
25.	Serampore	—	199,333	—	100,000
26.	Trissure	—	197,333	—	100,000
		208,267	2,826,822	208,267	2,825,329

Realisation of Building Loan during 1998-99 : (Rs.)

8% Building Loan	
Bangalore	46,717
Ukkunagaram	50,489
Visakhapatnam	20,067
Hyderabad	28,700
Pune	70,000
Nagpur	63,888
Trissure	2,667
Srirampore	667
Baroda	29,200
Bhopal	86,112
TOTAL :	398,507

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd.)

SCHEDULE NO. 7(B)
COMPUTER LOAN TO CHAPTERS as at 31st March 1999

Sl. No.	Name of the Chapter	This year 1998-99	Last year 1997-98
1.	Ahmedabad	64,150	64,150
2.	Howrah	64,150	64,150
3.	Goa	64,150	64,150
4.	Jaipur	58,804	58,804
5.	Udaipur	64,150	64,150
6.	Visakhapatnam	62,368	62,368
7.	Cochin	62,727	64,150
8.	Pune	—	38,804
9.	Asansol	64,150	64,150
10.	Durgapur	64,150	64,150
11.	Cuttack-Bhubaneswar	62,150	64,150
12.	Neyveli	62,727	64,150
13	Trivandrum	62,150	64,150
		755,826	801,476

Realisation of Computer Loan during 1998-99 :

Cochin	1,423
Pune	38,804
Neyveli	1,423
Trivandrum	2,000
Cuttack-Bhubaneswar	2,000
Total	45,650

SCHEDULE NO. 7(C)
ADVANCE TO REGIONAL COUNCILS & CHAPTERS FOR CONSTRUCTION OF BUILDINGS as at 31st March 1999

1.	N.I.R.C.	3,892,000	3,892,000
2	W.I.R.C	2,700,000	2,700,000
3.	Coimbatore	300,000	300,000
4.	Bhilai	300,000	300,000
5.	Cochin	300,000	300,000
6.	Pune	200,000	200,000
7.	Udaipur	300,000	300,000
8.	Lucknow	300,000	300,000
9.	Visakhapatnam	300,000	300,000
10	Nagpur	300,000	300,000
11.	Nasik-Ojhar	200,000	200,000
12.	Bhopal	300,000	300,000
13.	Bangalore	300,000	300,000
14.	Jaipur	150,000	150,000
15.	Durganur	300,000	300,000
16.	Bokaro	300,000	300,000
17.	Kolhapur-Sangli	200,000	200,000
18.	Asansol	300,000	300,000
19	Kanpur	200,000	100,000
20.	Hyderabad	300,000	300,000
21.	Ranipet	300,000	300,000
22	Baroda	200,000	200,000
23.	Dhanbad	300,000	300,000
24	Mysore	300,000	300,000
25	Serampore	300,000	150,000
26.	Trissur	300,000	150,000
27	Kota	150,000	—
		13,292,000	12,742,000

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd.)

SCHEDULE NO. 8
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS
as at 31st March 1999

Last year 1997-98 (Rs.)	PARTICULARS	(Rs.)	This year 1998-99 (Rs.)
	Current Liabilities :		
464,756	Library Deposit		455,881
66,314	Non-specific Deposit (Refundable)		129,716
82,000	Caution Money Deposit from Oral Coaching Institutions (Refundable)		92,000
77,593	Interest on Prize Fund		84,156
—	Smt. Kamala Mukherjee Memorial Prize Fund		10,000
3,000	L. D. K. Memorial Prize Fund		
4,572,425	Sundry Creditors		5,912,399
1,144,154	Other Liabilities		512,550
52,000	Outstanding Membership Fee to Foreign Bodies		64,543
497,247	Provisions		518,847
6,959,489			7,780,092

ANNEXURE TO SCHEDULE NO. 8
SCHEDULE OF PROVISIONS :

	Provisions :		
	Grants to Employees' Co-op. Cr. Soc. Ltd.		
30,000	As per Last Account	30,000	
—	Add : Provision for the year	30,000	60,000
140,000	Golden Jubilee Contribution to Regional Councils & Chapters (As per last account)		140,000
	Bad & Doubtful Debts:		
27,247	As per Last Account	27,247	
—	Less Utilised during the year	- 8,400	18,847
150,000	Rates & Taxes (As per last account)		150,000
150,000	Cont to IFAC (As per last account)		150,000
497,247			518,847

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd.)

SCHEDULE NO. 9 :
INCOME : ANNUAL SUBSCRIPTION AND OTHER FEES
for the year ended 31st March 1999

Last year 1997-98 (Rs.)	PARTICULARS	This year 1998-99 (Rs.)
2,672,870	By Annual Membership Fees	2,107,501
2,663,628	" Students' Annual Subscription	2,656,386
186,050	" Members' Certificate of Practice Fee	195,090
332,225	" Grad C.W.A. Fees	368,650
7,833	" De-Novo Form Fees	11,380
21,900	" Nomination Fees	—
100	" Members' Restoration Fees	550
115	" Members' Complaint Fees	400
5,884,721		5,339,957

SCHEDULE NO. 10 :
INCOME : EXAMINATION AND OTHER FEES
for the year ended 31st March 1999

25,063,394	By Examination Fees	23,427,813
191,534	" Verification Fees	154,770
586,874	" Sale of Examination Forms	884,038
109,248	" Sundry Income	96,692
25,951,050		24,563,313

SCHEDULE NO. 11 :
INCOME : TUITION AND OTHER FEES
for the year ended 31st March 1999

16,053,377	By Tuition Fees	16,499,420
400	" Recognition Fees	3,200
51,600	" Recurring Annual Fees	60,000
4,390,356	" Service Fees	4,321,605
3,843,778	" Sale of Study Notes	3,903,903
25,68	" Sale of Coaching Revalidation Forms	26,868
1,183,571	" Revalidation of Coaching Completion Certificate Fees	1,689,401
25,548,763		26,504,397

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd.)

SCHEDULE NO. 12 .
EXPENDITURE : ESTABLISHMENT
for the year ended 31st March 1999

Last year 1997-98 (Rs.)	PARTICULARS	This year 1998-99 (Rs.)
19,230,527	To Salaries & Allowances	25,091,952
1,622,785	" Employers' Cont to Employees' Provident & Pension Fund	2,213,765
1,203,086	" Employers' Cont. to Employees' Gratuity Fund	2,097,111
7,800	" Employers' Cont. to Employees' Benevolent Fund	7,584
847,185	" Medical Benefit to Employees	691,344
100,000	" Leave Travel Allowance to Employees	201,000
1,128,978	" Leave Encashment to Employees	762,912
30,791	" Employers' Cont to Empl. E.D.L.I.	29,603
419	" E.D.L.I. Inspection Charges	421
11,088	" Administrative Charges to R.P.F.C.	24,435
136,786	" Training & Development (H.R.D.)	87,068
24,319,445		31,207,195

SCHEDULE NO. 13 :
EXPENDITURE : OFFICE EXPENSES
for the year ended 31st March 1999

1,841,068	To Printing & Stationery	2,011,348
3,447,430	" Postage, Telegrams, Telephones, Telex and Fax Charges	3,700,321
750,363	" Electricity Charges	762,185
25,510	" Generator Expenses	2,777
73,151	" Rates & Taxes	38,508
61,541	" Insurance	61,584
577,151	" Repair & Maintenance	698,269
364,096	" Car Expenses	274,680
6,800	" Interest on Caution Money Deposit from Oral Coaching Institutions	7,678
—	" Interest on Over Draft	229,716
409,159	" Study Material Distribution Expenses	387,751
146,502	" Books & Periodicals	118,914
202,699	" Legal Charges	181,279
77,638	" Bank Charges	87,347
321,484	" Computer Expenses	344,692
514,925	" Public Relation Expenses	72,458
28,379	" Watch & Ward Expenses	33,465
201,114	" Staff Welfare	139,934
37,000	" Delegate Fee	65,500
136,890	" Gazette Notification	265,905
336,009	" Sundry Expenses	224,075
9,558,909		9,708,386

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd.)

SCHEDULE NO. 14

REVENUE GRANTS TO REGIONAL COUNCILS INCLUDING REIMBURSEMENT OF REVENUE EXPENSES
for the year ended 31st March 1999

A) Amount reimbursed to the Regional Councils during the year on following accounts and merged with Income & Expenditure Account :

Last year 1997-98 (Rs.)		E.I.R.C. (Rs.)	S.I.R.C. (Rs.)	W.I.R.C. (Rs.)	N.I.R.C. (Rs.)	This year 1998-99 (Rs.)
54,143	1. Postage & Telegrams charges for decentralisation	37,881	8,654	1,582	904	49,021
357,972	2. Establishment Expenses for decentralisation	260,578	—	—	—	260,578
40,145	3. Repair & Maintenance	1,616	—	32,400	25,174	59,190
31,315	4. Rates & Taxes	—	—	6,000	—	6,000
483,575	Total (A)	300,075	8,654	39,982	26,078	374,789

B) Revenue Grants:

311,671	1. T.A. & Running Expenses etc.	66,000	36,000	66,000	66,000	294,000
100,000	2. Golden Jubilee Grant for India's Independence	—	—	—	—	—
3,301,305	3. Revenue Grants	656,385	1,197,855	573,120	914,445	3,341,805
—	4. Others	157,579	—	30,079	6,450	194,108
3,712,976	Total (B)	899,964	1,233,855	669,199	10,06,895	3,829,913
4,196,551	Total (A) + (B)	12,00,039	1,242,509	729,181	10,32,973	4,204,702

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd.)

SCHEDULE NO. 15
EXAMINATION EXPENSES
for the year ended 31st March 1999

Last year 1997-98 (Rs.)	Particulars	This year 1998-99 (Rs.)
8,394,358	Examination Charges	9,210,103
—	Prize & Prize Distribution Expenses	31,329
8,394,358		9,241,432

SCHEDULE NO. 16
COUNCIL & COMMITTEE MEETING EXPENSES
for the year ended 31st March 1999

Last year 1997-98 (Rs.)	Particulars	This year 1998-99 (Rs.)
2,347,741	Council & Committee Meeting Expenses	2,730,826
719,924	Travelling Allowance to Council Members	531,579
3,067,665		3,262,405

SCHEDULE NO. 17
PRIOR PERIOD EXPENSES
as at 31st March 1999

Last year 1997-98	Particulars	This year 1998-99
588,145	Revenue Grant	510,525
3,214,998	Establishment	1,586,198
297,336	Examination Charges	374,726
—	Repairs & Maintenance	272,400
592,380	Others	259,546
4,692,859		3,003,395

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 1999

SCHEDULE NO. 18

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY

1. Fixed Assets :

A. Fixed Assets are stated in the accounts at cost less depreciation provided at diminishing value method at the rate prescribed under Income Tax Rules from time to time.

B. No write off is made in respect of leasehold land.

C. Assets under erection are shown as capital work in progress.

2. Income and Expenditure Recognition :

I) Incomes are normally treated in the accounts on cash basis except interest income and transactions with the Regional Councils and Chapters in respect of sale of various publications of the Institute.

II) Expenditure other than Annual Grants to Chapters and leave encashment of employees are considered on Mercantile basis. Election related expenses are charged off in the accounts over three years.

3. Investments :

Investments are stated at cost.

4. Inventories :

Inventories are comprised of various publications, papers and study materials stock which have been valued at Cost of Purchase plus other related incidental charges. However, unconsumable/unsaleable publications & study materials are not included in stock value.

5. Employees' Retirement Benefits :

Gratuities are provided in the Accounts on the basis of actuarial valuation in accordance with payment of Gratuity Act, 1972.

Provident Funds are paid to the Trustees as per the Institute's Rules in this regard and Institute's contribution are charged against revenue each year.

Leave encashment benefit on retirement is accounted for on cash basis.

6. Foreign Currency Transactions :

Foreign currency transactions are accounted for in the accounts on Collection/Payment in rupee, i.e. when it is received and incurred in rupee value.

7. Prior period Income/Expenditure :

Prior period specific revenue portion is shown below the line of the Income and Expenditure Account and other adjustments of prior period are adjusted to and from General Fund.

B. NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

1. An amount of Rs. 20,744/- (comprising credit of Rs. 3,38,926/- and debit of Rs. 3,59,670/-) has

been adjusted to General Fund to write off partial outstanding in bank reconciliation statements of various bank accounts of the Institute. Further adjustment as may be necessary will be made on further review.

2. Balance 50% of 5th Pay Commission award as adopted by the Executive Committee of the Institute in its 267th meeting in December 1997 has been disbursed to the employees during the year. The amount involved including Employers' P.F. Contribution is Rs. 32,28,464/-. In addition, a sum of Rs. 6,89,380/- has been paid as gratuity to the retired employees.

3. Advances to the Regional Councils and Chapters amounting to Rs. 1,32,92,000/- for construction of buildings made in the past, could not be capitalized for want of proper related documents from respective Regional Councils and Chapters.

4. Silver Jubilee Capital Grants (Advance) to Chapters of the Institute amounting to Rs. 17,32,138/- remained unadjusted pending receipt of necessary documents from the respective Chapters.

5. No provision for income tax has been made in view of the entitlement of the exemption under Section 10 (23A) simultaneously with Section 11 of the Income Tax Act.

6. Employees' Gratuity Fund as on 31.3.99 is Rs. 94,69,294/-. As against this, investment including Accrued Interest thereon is only for Rs. 62,77,745/-. Thus, there is a shortfall of investment amounting to Rs. 31,91,549/ . This will be made good in the current year.

7. Employees' Benevolent Fund as on 31.3.99 is Rs. 2,42,325/-. As against this, investment including Accrued Interest thereon is only Rs. 2,21,962/-. Thus, there is a shortfall of investment amounting to Rs. 20,363/-. This will be made good in the current year.

8. Verification slips have been issued to the different Regional Councils and Chapters for confirmation of balances.

9. For unadjusted advances paid to Examination Centres, equivalent provision has been made in these accounts.

10. Bank balances include Rs. 5,561/- in inoperative bank accounts.

11. Outstanding capital commitments estimated at Rs. 8,45,028/- net of advance (previous year Rs. Nil.)

12. Previous year's figures have been regrouped wherever found necessary to conform to this year's groupings.

PRIZE FUND

K. RAMCHANDRAN MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	6,550.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		6,550.00
"	Accrued Interest due from Bank	951.10	"	Interest received during the year	409.00	
"	Due from the Institute for the year	165.26	"	Interest accrued upto 31.03.99	951.10	
			Add	Due from the Institute as per last account	406.26	
					1,766.36	
				Less : Cost of Prize	650.00	1,116.36
		7,666.36				7,666.36

MAUJI RAM JAIN MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	10,000.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		10,000.00
"	Accrued Interest due from Bank	2,140.42	"	Interest received during the year	-	
"	Amount due from the Institute	1,133.00	"	Interest accrued upto 31.03.99	2,140.42	
			Add :	Due from the Institute as per last account	2,133.00	
					4,273.42	
				Less : Cost of Prize	1,000.00	3,273.42
		13,273.42				13,273.42

B. C. CHAKRABORTY MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs			Rs	Rs
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	6,000.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		6,000.00
"	Accrued Interest due from Bank	775.73	"	Interest received during the year	165.00	
"	Amount due from the Institute	2,159.70	"	Interest accrued upto 31.03.99	775.73	
			Add :	Due from the Institute as per last account	2,694.70	
					3,635.43	
				Less : Cost of Prize	700.00	2,935.43
		8,935.43				8,935.43

PRIZE FUND

J. N. BOSE MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	11,200.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		11,200.00
"	Accrued Interest due from Bank	1,685.92	"	Interest received during the year	432.00	
			"	Interest accrued upto 31.03.99	1,685.92	
			Add :	Due from the Institute as per last account	548.33	
			"	Advance from the Institute	702.01	
					3,368.26	
			Less :	Cost of Prize	1,682.34	1,685.92
		12,885.92				12,885.92

D. D. KALRA MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	6,500.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		6,500.00
"	Accrued Interest due from Bank	121.45	"	Interest received during the year	715.00	
"	Amount due from the Institute	6,185.00	"	Interest accrued upto 31.03.99	121.45	
			Add :	Due from the Institute as per last account	5,470.00	
						6,306.45
		12,806.45				12,806.45

PUNE CHAPTER OF COST ACCOUNTANTS SILVER JUBILEE PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	12,000.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		12,000.00
"	Accrued Interest due from Bank	51.29	"	Interest received during the year	1,440.00	
"	Amount due from the Institute	3,120.00	"	Interest accrued upto 31.03.99	51.29	
			Add :	Due from the Institute as per last account	2,880.00	
					4,371.29	
			Less :	Cost of Prize	1,200.00	3,171.29
		15,171.29				15,171.29

PRIZE FUND

U. N. SUR MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	10,000.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		10,000.00
"	Accrued Interest due from Bank	1,342.47	"	Interest received during the year	625.00	
"	Amount due from the Institute	4,044.50	"	Interest accrued upto 31.03.99	1,342.47	
			Add :	Due from the Institute as per last account	4,419.50	
					6,386.97	
				Less : Cost of Prize	1,000.00	5,386.97
		15,386.97				15,386.97

V. SRINIVASAN MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	12,000 00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		12,000.00
"	Accrued Interest due from Bank	886.68	"	Interest received during the year	1,050.00	
			"	Interest accrued upto 31.03.99	886.68	
			Add:	Due from the Institute as per last account	160.46	
			"	Advance from the Institute for the year	471.88	
					2,569 02	
				Less : Cost of Prize	1,682 34	886.68
		12,886.68				12,886.68

WAZIR DEBI PURI MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	12,000.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		12,000.00
"	Accrued Interest due from Bank	256.44	"	Interest received during the year	1,440.00	
			"	Interest accrued upto 31.03.99	256.44	
			Add:	Due from the Institute as per last account	190.19	
			"	Advance from the Institute for the year	52.15	
					1,938.78	
				Less : Cost of Prize	1,682.34	256.44
		12,256.44				12,256.44

PRIZE FUND

G. INDIRA DEVI MEMORIAL PRIZE FUND as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	15,000.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		15,000.00
"	Accrued Interest due from Bank	1,785.21	"	Interest received during the year	825.00	
"	Amount due from the Institute	1,231.11	"	Interest accrued upto 31.03.99	1,785.21	
			Add:	Due from the Institute as per last account	2,088.45	
					4,698.66	
			Less :	Cost of Prize	1,682.34	3,016.32
		18,016.32				18,016.32

B. N. GANGULY MEMORIAL PRIZE FUND as at 31st March 1999

		Rs.			Rs	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	3,000.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		3,000.00
"	Accrued Interest due from Bank	359.01	"	Interest received during the year	195.00	
"	Amount due from the Institute	3,642.60	"	Interest accrued upto 31.03.99	359.01	
			Add:	Due from the Institute as per last account	3,447.60	
						4,001.61
		7,001.61				7,001.61

G. D. MUNDHRA MEMORIAL PRIZE FUND as at 31st March 1999

		Rs			Rs.	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	12,000.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		12,000.00
	Accrued Interest due from Bank	1,907.18	"	Interest received during the year	720.00	
			"	Interest accrued upto 31.03.99	1,907.18	
			Add:	Due from the Institute as per last account	424.96	
			"	Advance from the Institute for the year	2219.72	
					5,271.86	
			Less :	Cost of Prize	3,364.68	1,907.18
		13,907.18				13,907.18

PRIZE FUND

SRINIVASAN JAGANNATHAN MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	20,000.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		20,000.00
"	Accrued Interest due from Bank	990.14	"	Interest received during the year	1,950.00	
"	Amount due from the Institute	4,645.62	"	Interest accrued upto 31.03.99	990.14	
			Add:	Due from the Institute as per last account	4,377.96	
					7,318.10	
			Less :	Cost of Prize	1,682.34	5,635.76
		25,635.76				25,635.76

A. K. BISWAS FOUNDATION PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	22,017.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		22,017.00
"	Accrued Interest due from Bank	291.95	"	Interest received during the year	2,421.88	
"	Amount due from the Institute	15,051.99	"	Interest accrued upto 31.03.99	291.95	
			Add:	Due from the Institute as per last account	12,630.11	
						15,343.94
		37,360.94				37,360.94

CH. BISHAN DASS PURI MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	12,000.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		12,000.00
"	Accrued Interest due from Bank	410.31	"	Interest received during the year	1,440.00	
			"	Interest accrued upto 31.03.99	410.31	
"	Amount due from the Institute	1,182.85	Add:	Due from the Institute as per last account	1,425.19	
					3,275.50	
			Less :	Cost of Prize	1,682.34	1,593.16
		13,593.16				13,593.16

PRIZE FUND

N. SARKAR MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	10,000.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		10,000.00
"	Accrued Interest due from Bank	170.95	"	Interest received during the year	1,200.00	
"	Amount due from the Institute	6,288.00	"	Interest accrued upto 31.03.99	170.95	
			Add:	Due from the Institute as per last account	6,088.00	
					7,458.95	
			Less :	Cost of Prize	1,000.00	6,458.95
		16,458.95				16,458.95

SUBHAS ADDY MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	5,000.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		5,000.00
"	Accrued Interest due from Bank	143.01	"	Interest received during the year	900.00	
"	Amount due from the Institute	1,440.00	"	Interest accrued upto 31.03.99	143.01	
			Add:	Due from the Institute as per last account	1,290.00	
					2,333.01	
			Less :	Cost of Prize	750.00	1,583.01
		6,583.01				6,583.01

SULTANCHAND MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	25,000.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		25,000.00
"	Accrued Interest due from Bank	1,495.90	"	Interest received during the year	2,750.00	
			"	Interest accrued upto 31.03.99	1,495.90	
"	Amount due from the Institute	10,120.00	Add:	Due from the Institute as per last account	7,370.00	
						11,615.90
		36,615.90				36,615.90

PRIZE FUND

K. K. DUTTA MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	12,000.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		12,000.00
"	Accrued Interest due from Bank	718.00	"	Interest received during the year	1,440.00	
"	Amount due from the Institute	4,078.83	"	Interest accrued upto 31.03.99	718.00	
			Add:	Due from the Institute as per last account	3,480.00	
					5,638.00	
				Less : Cost of Prize	841 17	4,796.83
		16,796.83				16,796.83

BIKRAMJIT MAJUMDAR MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	5,000.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		5,000.00
"	Accrued Interest due from Bank	119.04	"	Interest received during the year	550.00	
"	Amount due from the Institute	5,572.30	"	Interest accrued upto 31.03.99	119.04	
			Add:	Due from the Institute as per last account	5,022.30	
						5,691 34
		10,691.34				10,691.34

KEDARNATH PRALHADRAI DHANUKA MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	15,000.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		15,000 00
"	Accrued Interest due from Bank	897.53	"	Interest received during the year	1,650.00	
			"	Interest accrued upto 31.03.99	897.53	
"	Amount due from the Institute	5,880.00	Add:	Due from the Institute as per last account	4,230.00	
						6,777.53
		21,777.53				21,777.53

PRIZE FUND

SMT. RAJAMMA & M.R.S. IYENGER MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance In Fixed Deposit with Bank	5,000.00	By	Balance In Fixed Deposit with Bank		5,000.00
"	Accrued Interest due from Bank	626.71	"	Interest received during the year	312.00	
"	Amount due from the Institute	1,575.70	"	Interest accrued upto 31.03.99	626.71	
			Add :	Due from the Institute as per last account	1,763.70	
					2,702.41	
			Less :	Cost of Prize	500.00	2,202.41
		7,202.41				7,202.41

MRS. DHANAPATI GOEL MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	21,000.00	By	Balance In Fixed Deposit with Bank		21,000.00
"	Accrued Interest due from Bank	395.55	"	Interest received during the year	2,625.00	
"	Amount due from the Institute	1,898.66	"	Interest accrued upto 31.03.99	395.55	
			Add:	Due from the Institute as per last account	956.00	
					3,976.55	
				Less : Cost of Prize	1682.34	2,294.21
		23,294.21				23,294.21

PUSPA RANI DEY MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	12,000.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		12,000.00
"	Accrued Interest due from Bank	1,560.00	"	Interest received during the year	780.00	
			"	Interest accrued upto 31.03.99	1,560.00	
"	Amount due from the Institute for the year	293.55	Add:	Due from the Institute as per last account	1,195.89	
					3,535.89	
				Less : Cost of Prize	1,682.34	1,853.55
		13,853.55				13,853.55

PRIZE FUND

MRS. MANDAKANI VASANT LIMAY MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance In Fixed Deposit with Bank	5,000.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		5,000.00
"	Accrued Interest due from Bank	73.84	"	Interest received during the year	550.00	
			"	Interest accrued upto 31.03.99	73.84	
			"	Advance from the Institute for the year	175.00	
			Add:	Due from the Institute as per last account	275.00	
					1,073.84	
				Less : Cost of Prize	1,000 00	73.84
		5,073.84				5,073.84

LATE LT. COL. AMBUJANATH BOSE MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	30,000.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		30,000.00
"	Accrued Interest due from Bank	78.90	"	Interest received during the year	3,600.00	
"	Amount due from the Institute	3,600.00	"	Interest accrued upto 31.03.99	78.90	
						3,678.90
		33,678.90				33,678.90

LATE M. KRISHNA MURTHI MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	10,000.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		10,000.00
"	Accrued Interest due from Bank	26.30	"	Interest received during the year	1,200.00	
			"	Interest accrued upto 31.03.99	26.30	1,226.30
"	Amount due from the Institute	1,200.00				
		11,226.30				11,226 30

PRIZE FUND

KANSHIRAM PRABHAKAR MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	21,000.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		21,000.00
"	Accrued Interest due from Bank	186.99	"	Interest received during the year	2,625.00	
"	Due from the Institute	3,567.66	"	Interest accrued upto 31.03.99	186.99	
			Add:	Due from the Institute as per last account	2,625.00	
					5,436.99	
			Less :	Cost of Prize	1,682.34	3,754.65
		24,754.65				24,754.65

LAKSHMI BAI DHANDOPANT KAVISWAR MEMORIAL PRIZE FUND
as at 31st March 1999

		Rs.			Rs.	Rs.
To	Balance in Fixed Deposit with Bank	5,010.00	By	Balance in Fixed Deposit with Bank		5,010.00
"	Accrued Interest due from Bank	499.00	"	Interest received during the year	—	
			"	Interest accrued upto 31.03.99	499.00	499.00
		5,509 00				5,509.00

Udayan Ray
Secretary
THE I. C. W. A OF INDIA
12, Sudder Street
Calcutta-700 016

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1999
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1999